राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] सप्तम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 9वां दिवस [संख्या 7

मंगलवार,

दिनांक 22 सितम्बर, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री घनश्याम तिवाड़ी:

मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्य के मध्य जल एवं विद्युत संबंधी विवादग्रस्त प्रकरण

148. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से बिजली व पानी के बंटवारे के बारे में कोई अन्तर्राज्यीय समझौता किया है ? यदि हां, तो कृपया, ब्यौरा सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या सतपुड़ा बिजली घर से राजस्थान को अपने हिस्से की विद्युत मिलेगी ? यदि हां, तो कब से और कितनी ?

(3) क्या गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं नर्मदा जल विवाद पर मध्य प्रदेश सरकार की सभी शर्तों को मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर) : (1) जी नहीं ।

(2) जी हां । मुख्य मंत्री, राजस्थान व मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश के बीच दिनांक 18-8-81 को हुई वार्ता के दौरान मध्य प्रदेश ने राजस्थान को सतपुड़ा के हिस्से से 50 मेगावाट विद्युत ऊर्जा दिनांक 15-10-81 से निरन्तर देने का आश्वासन दिया है । वार्ता के दौरान यह भी आश्वासन दिया गया है कि समुचित उपलब्धि होने पर रेडियल प्रणाली द्वारा उक्त तिथि से पूर्व भी अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा राजस्थान को दी जायेगी ।

(3) जी नहीं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अगर समझौता नहीं, तो सहमति हुई वह किन मुद्दों पर हुई । माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह स्टेटमेंट दिया था, वे मरेरग

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

साहब के साथ गये थे और काफी मुद्दों पर सहमति हुई, वह किन मुद्दों पर हुई ?

सिंचाई मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की 18 अगस्त को भोपाल में बात हुई। कंट्रोल बोर्ड के अलावा मुख्य मंत्रियों के लेवल पर जो वार्ता चली, वह तीन आइटम्स के संबंध में बातचीत हुई, जिसमें कैचमेंट का मामला भी था, जिस पर फार्मल बात हुई। तीन प्रोजेक्ट कंट्रोल बोर्ड के विचाराधीन हैं लेकिन फिर भी उचित समझा गया कि मुख्य मंत्री स्तर पर बातचीत हो।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : इस बातचीत में क्या चंबल बैराज को राजस्थान और मध्य प्रदेश के संयुक्त नियंत्रण में चलाने का तय कर लिया गया है ?

श्री **परसराम मदेरणा** : यह प्रश्न भी चम्बल बोर्ड के विचाराधीन है। मध्य प्रदेश की सरकार ने चम्बल बोर्ड के सामने रखा है कि जो पानी का वितरण हो रहा है राइट और लैफ्ट मैन कैनाल पर उस पानी को रेगुलेट करने के लिये कोई सेन्ट्रल आथोरिटी होनी चाहिये। इस प्रकार का मामला विचाराधीन है। इसलिये इस प्रश्न पर भी बात हुई थी।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : तो क्या स्वीकार कर लिया गया है ?

श्री **परसराम मदेरणा** : जी नहीं।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : और जो गांधी सागर में पानी कम छोड़ा जा रहा है राजस्थान के लिये.....

श्री **परसराम मदेरणा** : यह रेगुलेशन का प्रश्न सिर्फ कैनाल सिस्टम के लिये था। गांधी सागर से राणा प्रताप सागर के लिये डिस्प्यूट नहीं था। वे चाहते हैं कि सारी फसलों का रोटेशन कर लिया जाय। इस संबंध में था।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : गांधी सागर की संपूर्ण जल भराव क्षमता जो है उसमें.....

श्री **अध्यक्ष** : अगला प्रश्न।

श्री **राज बहादुर** (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न करना है। यह समझौता हुआ, अन्य जो समझौते हुए हिमाचल प्रदेश से, मध्यप्रदेश से, मैं मानता हूं कि जब इस समय सदन सत्र में है तो क्यों नहीं इनकी प्रतिलिपियां सदन की टेबल पर रख दी जातीं, ताकि हम भी देख सकें।

श्री **परसराम मदेरणा** : मध्य प्रदेश से कोई समझौता नहीं हुआ।

श्री **राज बहादुर** : हिमाचल प्रदेश से हुए हैं। पहले परिपाटी यह रही है।.

श्री **परसराम मदेरणा** : कोई भी समझौता इस सत्र के होने के बाद कोई सहमति नहीं की है जिससे हाउस को कान्फीडेंस में लिया जाय। जैसा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उचित समझती है उसी को कार्यसूची में लिया जाता है।

श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कोटा बैराज के विषय में जैसा कहा है कि सहमति नहीं हुई तो क्या कोटा बैराज पर जोइन्ट कंट्रोल हो, इस प्रकार की चर्चा हुई थी ? और चर्चा हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया ? और इसी तरह

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

गांधी सागर बैराज है उस पर भी जोइन्ट कंट्रोल हो इस प्रकार की चर्चा क्या मुख्य मंत्री जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से की ?

श्री परसराम मदेरणा : कोटा बैराज के पानी के रिलीजेज के प्रश्न में एतराज था। यह मुद्दा विचाराधीन भी है और बोर्ड के अलावा मुख्य मंत्री गण के बीच बातचीत हुई, वह इसलिये ताकि कोई समझौता हो जाय। ये प्रिलिमिनरी टाक्स हैं। उसमें एक पाइन्ट पर जरूर सहमति हुई कि जोइन्ट एक्सपर्टस की टीम पहले जाकर देख लेगी और वह अपनी रिपोर्ट देगी। इस प्रकार की बात हुई और यह टीम इस प्रकार की रिपोर्ट देगी कि यह राजस्थान में कितना इंट्रप्शन करता है, कितने एरिया का ईल्डिंग है उसको रोकता है और इसका चंबल क्षेत्र में कितना पड़ेगा। यह प्रश्न भी जैसा कि माननीय विपक्ष के नेता स्वयं जानते हैं, कंट्रोल बोर्ड के सामने विचाराधीन है। अब इस प्रकार की बातचीत हुई है कि दोनों सरकारों के इंजीनियर्स वहां चले जायेंगे और जोइन्टली इंस्पेक्शन कर लेंगे कि कितनी क्वांलिटी आफ वाटर रन आँफ से आना चाहिये स्टोरेज के लिये यह बात तभी मालूम हो सकती है। पहले मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे इंजीनियर्स को किसी भी स्टेज पर अनुमति नहीं दी थी इंस्पेक्शन की। इसलिये अब जोइन्टली इंस्पेक्शन के लिये सहमति व्यक्त की गई है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उन्होंने कहा है कि यह कन्ट्रोल बोर्ड में डिस्प्यूटेड सवाल है कि चंबल बैराज को जोइन्टली कन्ट्रोल किया जाय। इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी क्या राय रखी है ? क्या ऐसा किया जाना चाहिये ? इसी भांति जो गांधी सागर में पानी के रिलीज का सवाल है उसके बारे में भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्या कोई बात की है ?

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रश्न के उत्तर में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अलग से कोई एजेंसी की आवश्यकता नहीं है अगर दोनों स्टेट में आपस में विश्वास हो। हमने यह भी बात कही कि इस प्रकार की आथोरिटी बना भी ली तो भी सक्सेसफुल नहीं होगी। पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट पास होने के बाद भी सतलज-व्यास के हैड वर्क्स का मामला चल रहा है, उसमें भी रास्ता नहीं मिल रहा है। यह एरिया भी राजस्थान की धरती पर है, इसमें क्वान्टिटी में कभी पानी कम नहीं दिया, यह भी मुख्य मंत्री जी ने कहा। उन्होंने यह तरीका अपनाया है कि पानी कम नहीं दिया है। हमने कहा कि जरूरत के मुताबिक पानी नहीं दिया गया है, जिस समय पानी की जरूरत नहीं थी उस समय पानी दिया गया है वह नदियों में बह गया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरा दूसरा प्रश्न बाकी है। उन्होंने बीच में जवाब देना चालू कर दिया था। दूसरा प्रश्न यह करना चाहता हूं कि सतपुड़ा से बिजली पाने के संबंध में जो दोनों मुख्य मंत्रियों में चर्चा हुई है उसमें मंत्री महोदय ने कहा कि 50 मेगावाट उन्होंने हमको 15 अगस्त....

श्री गोविंद सिंह गुर्जर : 15 अगस्त नहीं, 15 अक्टूबर से।

श्री भंवरसिंह गुर्जर (खारची) : तारीख का ही पता नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां, 15 अक्टूबर से देने का निश्चय किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा पचास–पचास प्रतिशत का उसमें हिस्सा है, कई बार 120 मेगावाट 130 मेगावाट बिजली वहां पर जनरेट होती है उस समय 50 मेगावाट ही लेकर संतुष्ट हो जायेंगे या उसका आधा हिस्सा हमको मिलेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने यह बताया नहीं कि पचास मेगावाट हम आपको 15 अक्टूबर से देने की कोशिश करेंगे जितनी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, यदि बिजली हमारे पास सरप्लस होगी तो देंगे। यह टोटल पचास-पचास पर्सेन्ट का शेयर नहीं है, यह तो....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : Sorry, यह पचास पर्सेन्ट नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह चालीस पर्सेन्ट है।

श्री परसराम मदेरणा : सतपुड़ा की टोटल पांच यूनिट हैं; एक यूनिट 62.5 मेगावाट बिजली जनरेट करता है। अगर 62.5 को पांच से मल्टीप्लाई करें तो करीब 342.5 मेगावाट होता है जिसमें हमारा शेयर 40 पर्सेन्ट का है जो करीब करीब 125 मेगावाट के आसपास आता है कुछ दशमलव का फर्क हो सकता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : मंत्री महोदय ने यह जवाब में कहा है कि जो हमारा शेयर है, एग्रीमेंट के हिसाब से उसमें से उन्होंने हमें 50 प्रतिशत....

एक माननीय सदस्य : पचास प्रतिशत नहीं पचास मेगावाट।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां, पचास मेगावाट देने की बात कही थी, तो अब उसमें बाकी कितना रह गया है ? कितनी कमी रह गयी है ?

श्री परसराम मदेरणा : कमी और उसमें यह रहती है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : कितनी रह गयी है कमी ? यह तो मैथमेटिकल केल्कुलेशन है....

श्री परसराम मदेरणा : जो सिस्टम है, सिस्टम आफ जनरेशन, जो हमारे और मध्य-प्रदेश के बीच में है, जैसाकि आप स्वयं जानते हैं कि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर को हम आपरेट करते हैं उसमें हमारा और मध्य प्रदेश का पचास पचास प्रतिशत का शेयर है। गांधी सागर और सतपुड़ा को मध्य प्रदेश आपरेट करता है, उसमें से गांधी सागर में हमारा पचास प्रतिशत का हिस्सा है और सतपुड़ा में 40 प्रतिशत है। इन सबको मिलाकर जो बिजली हमको सतपुड़ा से नहीं मिलती है, गांधी सागर में जो हमारा शेयर मिलता है उससे ज्यादा दे देते हैं, सतपुड़ा से हमारा पूरा शेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और फिर सतपुड़ा इतनी दूरी पर है कि हमको भी काफी परेशानी होती है इसलिये इन तीनों को मिलाकर हमारा शेयर बनता है, 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत, इसमें अगर कमी रहती है तो हम वह ले लेते हैं यह अब तक हमेशा से रहा है, लगातार चलता है कि जो पचास पर्सेन्ट और चालीस पर्सेन्ट रहा है हिस्सा हमारा उसमें कमी रही है। इसी विवाद को उठाया था कि हमको बिजली काफी कट करनी पड़ती है।

[redacted]

5

(श्री परसराम मदेरणा)

गांधी सागर में जो हमारा शेयर है जो कुल बिजली जनरेट होती है उसका, और सतपुड़ा में चालीस प्रतिशत का है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण राजस्थान में भारी कट लगाने पड़े हैं जिसका कि विपरीत असर हमारे कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर पड़ा है। हमारा जितना शेयर है उतनी बिजली दे दो। जब बिजली नहीं देते हैं तो पैसे दे देते हैं पर हम पैसे नहीं चाहते हैं हमें तो बिजली चाहिए। बिजली का जितना हमारा शेयर रह जाता है महीने के महीने उसका हिसाब हो जाता है और यह उसके पैसे देते हैं। परन्तु हम बिजली को बेचना नहीं चाहते हैं। बिजली हमारी आवश्यकता है। वह उसमें से 50 मेगावाट तो अभी दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जैसे-जैसे हमारी स्थिति इम्प्रूव होगी, हमारी बिजली की पोजिशन ठीक होगी इसमें बढ़ोतरी कर देंगे। जो वो उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट बन रहे हैं वह उनको मिल जायेंगे तो उनकी पोजीशन ठीक हो जायेगी। हमने कहा कि आप महाराष्ट्र को बिजली दे देते हो और हमारा हिस्सा नहीं देते हो, राजस्थान का हिस्सा खा जाते हो, यह ठीक नहीं है। आप वेस्टर्न पॉलिसी से चलते हो, पर हमारा हिस्सा तो दो।

श्री अध्यक्ष : अन्तर्राज्यीय जितने भी बिजली और पानी के सवाल हैं उनके संबंध में सरकार एक वक्तव्य देगी, 25 तारीख को। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को अब यहीं समाप्त कर दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 25 तारीख को वक्तव्य देंगे, पर 25 तारीख को शाम को विधान सभा एडजोर्न कर देंगे? यह आपने 25 तारीख को रख दिया है जिससे कि चार पांच दिन में जितने भी प्रश्न आते हैं सवाल ही खतम हो जायें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो पहले ही आ जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो सरकार को इनीशियेटिव लेकर करना चाहिये था...

श्री अध्यक्ष : सरकार ने इनीसियेटिव लिया है.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं लिया है। हमारा प्रश्न चल रहा है। जानकारी यह चाहूंगा, पहले प्रश्न पूछना नहीं चाहता था, पर अब यह बतायें कि सतपुड़ा में जितनी बिजली पैदा होती है उसमें हमारे हिस्से की बिजली गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर में जो मध्यप्रदेश का हिस्सा है उसमें से काट ली जाती है? यही व्यवस्था चली आ रही है मगर आपने केवल 50 मेगावाट की बात कही है। कई बार ऐसा होता है कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर से जितनी बिजली जनरेट होती है उससे भी वह हिस्सा काट नहीं पाते हैं एक तो प्रश्न यह हुआ।

दूसरा, आपसे यह जानकारी करना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य ने गांधी सागर से वाटर रिलीज करने के बारे में प्रश्न उठाया था। मध्यप्रदेश क्या कर रहा है, सतपुड़ा से कम पानी रिलीज कर रहा है तो उसका परिणाम यह होता है कि राणा प्रताप सागर में कम पानी आता है और कम बिजली जनरेट होती है और जवाहर सागर में भी कम मात्रा में पानी आने से कम बिजली जनरेट होती है। हम उसमें जो जनरेशन

[redacted]

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होती है उसके हिसाब से सतपुड़ा का हिस्सा काट लें, तो भी पूर्ति नहीं होती है। सबसे बड़ी शिकायत यह है। क्या सरकार ने इस प्रकार का दबाव डाला है कि वाटर रिलीज ज्यादा हो या जिस समय आपको ज्यादा आवश्यकता है पानी की, उस समय ज्यादा पानी दिया जाये? और इसकी रेगुलर सही व्यवस्था की जाये, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है। हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी यह समस्या रहती है कि अधिकतर मध्यप्रदेश बिजली के लिये कम पानी रिलीज करता है, राणा-प्रताप सागर में पानी कम आता है तो बिजली का उत्पादन कम होता है। अगर बिजली का उत्पादन नहीं होगा तो हम सतपुड़ा की कमी को काट नहीं सकते हैं। इसमें क्या व्यवस्था की गई है?

श्री परसराम मदेरणा : यह प्रश्न नहीं आया था। वहां तो तीन ही प्रश्न थे और उनके बारे में ही बात हुई थी, यह बात सही है। जो ये पूछ रहे हैं वह प्रश्न के स्कोप में नहीं आता है लेकिन यह मुद्दा इससे रेलेवेंट है। यह बात भी सही है कि जितना पानी सतपुड़ा से गांधी सागर में रिलीज होता है उतना ही गांधी सागर, राणा प्रताप सागर में आता है। जितना ज्यादा पानी छोड़ा जायेगा उतना ज्यादा पानी ही गांधी सागर और राणा प्रताप सागर में आयेगा क्योंकि स्टोरेज जो है वह गांधी सागर में और राणा प्रताप सागर में है जवाहर सागर में नहीं है। यह आज की स्थिति है। गांधी सागर की 21-9-81 की स्थिति है कि गांधी-सागर में पानी का जो लेवल है वह 1279.55 है इससे पिछले साल इसी तारीख 21-9-81 को यह लेवल था 1284। इसका मतलब करीब-करीब पांच फीट पानी कम था लेकिन राणा प्रताप सागर की स्थिति पिछले साल से ठीक है। वहां पर पिछले साल 21 तारीख को 1137.18 फीट पानी का लेवल था जब कि आज वहां पर लेवल है 1242.53। इसका मतलब यह है कि पांच फुट ज्यादा बना हुआ है। अभी पानी रिलीज करने का प्रश्न आ रहा है क्योंकि खरीफ की फसल चल रही है उसके लिये पानी देना है, क्योंकि बिजली के उत्पादन के साथ-साथ इरिगेशन भी है तो पानी की कमी रहेगी। हमारा प्रयास यह है कि कोटा बैराज के नीचे से पानी ज्यादा नहीं निकले, इरिगेशन के लिये भी पानी दिया जाये और बिजली के उत्पादन के लिये भी आवश्यक मात्रा में पानी उपलब्ध रहे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भैरूंलाल मीणा।

श्रम न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण

149. श्री **भैरूंलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) औद्योगिक न्यायालयों में वर्ष 1975 से 1981 तक कितने मुकदमें दायर हुए? एवं कितने इस अवधि में फैसल हुए?

(2) कितने मुकदमे विचाराधीन हैं एवं कितने अर्से से हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि श्रम न्यायालय में श्रमिकों को न्याय मिलने में विलम्ब होता है? क्या सरकार इस पर ध्यान देकर, शीघ्र न्याय दिलायेगी?

विधि मंत्री (श्री बृज सुन्दर शर्मा) :

(1) सूचना संलग्न है।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

(2) कुल विचाराधीन मामले 2018

1. एक वर्ष से कम	800
2. 1 वर्ष से अधिक व दो वर्ष से कम	868
3. 2 वर्ष से अधिक	350
	2018

(3) जी नहीं।

(सूचना के लिये कृपया, परिशिष्ट देखें।)

श्री भैरूलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इतने दिनों तक, दो-दो साल तक और ज्यादा समय तक मुकदमे पड़े रहें तो मजदूरों को किस तरह से न्याय मिल सकता है? लिस्ट में आपने एवरेज बता रखा है, हर साल दो सौ और तीन सौ मुकदमें बढ़ते जा रहे हैं, और यह नहीं हो रहा है कि इनके जल्दी से जल्दी फैसले किये जावें। क्या न्यायालय को सोते हुए से जगाया जायेगा जिससे मजदूरों को राहत मिल सके?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसका प्रयास किया जा रहा है। कोटा, उदयपुर और अन्य स्थानों पर इण्डस्ट्रियल बोर्ड और ट्रिब्यूनल कायम किये जा चुके हैं। यह जो संख्या ज्यादा है इसका कारण यह है कि 1978 में जो मुकदमे ट्रांसफर किये गये तो उनके सम्मन आदि भेजने में टाइम लग गया। आज के दिन जो प्रोसीजर है वह भी काफी लम्बा-चौड़ा है। इसमें अब हम समरी प्रोसीजर लागू करके, उसके आधार पर कन्सीलिएशन के जरिये और दूसरी एविडेन्स रेकार्ड करके बातचीत के जरिये निपटाने का प्रयास करेंगे।

श्री भैरूलाल मीणा : जो मजदूर नहीं है, जिनके पास मुकदमा लड़ने को पैसा नहीं, क्या सरकार के पास इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि जिससे कोई उनके मुकदमें की पैरवी कर सके और उनको न्याय मिल सके?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हाई कोर्ट के जरिये लीगल एड की जो कमेटी बैठी हुई है उसमें इस व्यक्ति, जिसके पास पैसा नहीं है, को लीगल एड दिये जाने के बारे में व्यवस्था है। उस कमेटी की सिफारिश पर एक मुश्त रकम मन्जूर की जा सकती है।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधि मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि ज्यादातर सफाई मजदूरों के मामले भी लेबर कोर्ट में चलते हैं और एक-एक और दो-दो साल तक चलते हैं। कोई अधिकारी, सैक्रेटरी या प्रशासक पेशी पर जाता नहीं है और जान-बूझकर मामलों को लम्बा किया जाता है। क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : जहां तक न्यायालय में नहीं जाने का प्रश्न है, तो एक पक्षीय-कार्यवाही हो सकती है लेकिन नहीं आवें तो उनको दण्डित करने की कोई प्रक्रिया नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री महाराम चौधरी।

पंचायत समिति, नागौर व मूण्डवा के ग्रामों में नियुक्त प्राइवेट रिटेलर्स

150. श्री **महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या रसद एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, नागौर व मूण्डवा के किन-किन गांवों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अलावा, व्यक्तिगत अधिकृत रिटेलर नियुक्त किये हुए हैं? कृपया, नाम, ग्राम व कब से— दिसम्बर, 1980 से ऐसा ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) दिसम्बर, 1980 से पंचायत समिति, मूण्डवा व नागौर से किस-किस रिटेलर को कितनी-कितनी लेप्स शक्कर दी गई?

(3) ग्राम पंचायत डेरू व भावन्डा के रिटेलर को एक साथ लेप्स शक्कर कितनी बोरी दी गई, किसके प्रार्थना-पत्र पर दी गई और जिस अधिकारी ने एक साथ इतनी ज्यादा शक्कर की बोरियां दीं, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मन्त्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) : (1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण लेवी चीनी लेप्स नहीं होती है। विलम्ब से अवश्य दी जाती है। जिसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) ग्राम पंचायत डेहरू के रिटेलर को विभिन्न माहों की एक साथ कोई चीनी नहीं दी गई। ग्राम पंचायत भावण्डा के रिटेलर को थोक विक्रेता के पास चीनी नहीं होने के कारण माह दिसम्बर, 1980; जनवरी, 1981 तथा फरवरी, 1981 की 15 क्विंटल के हिसाब से तीन माह की कुल 45 क्विंटल चीनी दिनांक 28-2-81 को एक साथ दी गई। माह दिसम्बर, 80 की चीनी ग्राम पंचायत भावण्डा के श्री कानाराम रिटेलर द्वारा दिनांक 28-2-81 को लिखित आवेदन-पत्र देने पर तत्कालीन जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा दी गई। जनवरी, 81 एवं फरवरी, 81 की सूची के आधार पर दी गई। यह चीनी उपभोक्ताओं को गत माहों की वितरित करना बकाया थी, जो दिया जाना आवश्यक था। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(सूची के लिये कृपया, परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री **महाराम चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी समितियों के मार्फत वितरण व्यवस्था की राज्य सरकार की नीति है उस नीति के अनुसार वितरण व्यवस्था रहती है तो इसमें सरकारी अधिकारियों का स्वार्थ सिद्ध है इसलिये व्यक्तिगत विक्रेताओं को मुकर्रर करने में प्राथमिकता बरती गई और सहकारी समितियों की अवहेलना की गई। क्या आप उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करके उचित कार्यवाही करेंगे?

श्री **घासीराम यादव** : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई सहकारी समिति अक्षम है तो प्राइवेट रिटेलर कायम किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपके ध्यान में कोई मामला हो तो मुझे बता दीजिये, दिखवा लूंगा।

श्री महाराम चौधरी : ग्राम सेवा सहकारी समिति मुण्डेर और पाउलिया के मन्त्रियों ने शक्कर के मामले में अपनी जान गवां दी फिर भी प्राइवेट रिटेलर रामदीन को नियुक्त करके अवैधानिक कार्य किया गया। सहकारी समिति को कम शक्कर दी और प्राइवेट रिटेलर को कम यूनिट होते हुए भी ज्यादा शक्कर का वितरण किया। भोपालई, टोटला और अहमदपुरा की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सुचारु रूप से कार्य करते हुए भी एक बेनामी रिटेलर, जिसको हिस्ट्री शीटर कहना चाहिये, को अपाइन्ट करके शक्कर वितरण में उससे सहयोग कर वितरण व्यवस्था कराई। उसी तरह से बहुत सी सहकारी समितियां हैं, भूनसर ग्राम सेवा सहकारी समिति सुचारु रूप से वितरण कर रही है उसकी एवज में दामोदर लाल राठी को सहकारी समिति की अवहेलना करके शक्कर वितरण की व्यवस्था दी।

दूसरा प्रश्न, मेरा यह है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, बुन्देल, भावण्डा और डेहरू को पिछले विधान सभा चुनाव में 70 बोरी शक्कर दी गई। सब लोग इस काम में लगे हुए थे। डी. एस. ओ. ने वातावरण देख कर 70 बोरी शक्कर दी बिना एप्लीकेशन के, वह वितरण हुई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : अधिकारियों को पैसा नहीं मिला इसलिये रिटेलर के खिलाफ कार्यवाही हुई लेकिन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसकी जांच कराई जावे। इन सब चीजों की एक रिपोर्ट भी सहकारी समितियों की अवहेलना और व्यक्तिगत आदमियों को प्रोत्साहन देने के संबंध में राज्य सरकार के पास भेजी है। उसकी जांच की क्या कार्यवाही की गई ?

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि दो हजार की आबादी पर उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की फेयर प्राइस शोप के जरिये शक्कर बांटी जाय। अगर वह सुचारु रूप से काम कर रही है और कोई शिकायत नहीं हो तो हम उसको नहीं हटाते हैं। अगर वह नहीं बांट सकती है तो प्राइवेट रिटेलर भी रखते हैं। परन्तु कहीं पर सहकारी समितियां ठीक काम कर रही हैं। उसके बावजूद भी प्राइवेट रिटेलर नियुक्त किये गये हैं तो माननीय सदस्य मुझको लिखकर भेज दें। 70 बोरी के बारे में जो बात यह मेरे ध्यान में लाये हैं मैं वह फाइल मंगवाकर देख लूंगा और जिलाधीश से इसकी जांच करवाकर उचित कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : सिर्फ एक प्रश्न। दिसम्बर, 1979 से एक ही ग्राम के एक ही बाप के तीन लड़कों को करीब 40 गांवों में रिटेलर नियुक्त करके उस शक्कर का वितरण नहीं हो कर…

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह के उदाहरण मंत्री महोदय को अलग से दे सकते हैं। यह इस प्रश्न की परिधि में नहीं आता है…

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

(10)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : प्रश्न यह है कि जो रिटेलर्स नियुक्त किये गये हैं, सहकारी सोसाइटियों में—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री अमीन खां।

सहकारी विभाग के निरीक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण एवं सहायक पंजीयक के पदों पर पदोन्नति

151. श्री अमीन खां (शिव) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सन् 1958 में नियुक्त किये गये निरीक्षक, सहकारी समितियों की अब तक सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति नहीं हुई है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि करीब 50 पद सहायक रजिस्ट्रार के, पिछले तीन साल से रिक्त पड़े हैं ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि सहकारी विभाग इन निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची (इन्टरसे सीनियोरिटी) बनाने के काम को पिछले तीन साल से अंतिम रूप देने में असफल रहा है ?

(4) क्या सेवा नियमों के अनुसार राज्य सरकार इस बात के लिये बाध्य नहीं है कि प्रति वर्ष सहायक रजिस्ट्रार के रिक्त होने वाले पद उसी वर्ष भरे जायं ?

(5) राज्य सरकार कब तक वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दे देगी व कब तक रिक्त पदों को भरेगी ?

(6) निरीक्षक (कार्यकारी) व निरीक्षक (आडिट) की वरिष्ठता (इन्टरसे सीनियोरिटी) तय करने के क्या आधार है ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) यह सत्य नहीं है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा नियम, 1955 के सीनियोरिटी से संबंधित नियम के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर तथा जयपुर, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के निर्णयों के कारण विलम्ब हुआ। अब इन न्यायालयों के निर्णयानुसार नियमों में संशोधन कर दिया गया है जिसके आधार पर वरिष्ठता सूची बनाई जा रही है। शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जावेगा।

(4) जी हां।

(5) वरिष्ठता सूची को शीघ्र ही अंतिम रूप देकर प्रकाशित किया जावेगा। तदर्थ नियुक्ति संबंधी मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(6) निरीक्षक (कार्यकारी) एवं निरीक्षक (आडिट) की इन्टरसे सीनियोरिटी का आधार ग्रेड II में नियमित नियुक्ति की तिथि से है।

श्री अमीन खां : क्या यह सही है कि करीब 50 पद सहायक रजिस्ट्रार के पिछले तीन साल से खाली पड़े हैं ?

श्री रामपाल उपाध्याय : मैंने निवेदन किया, जी हां।

श्री अमीन खां : सन् 1958 से जो इन्सपैक्टरों के प्रमोशन नहीं हुये हैं, किन्हीं खास आदमियों के दबाव के कारण ऐसा हुआ या और किसी मामले के कारण हुआ?

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं उत्तर में स्पष्ट कह चुका हूं कि 1958 से प्रमोशन्स नहीं होने का प्रश्न नहीं उठता। जो 22 व्यक्ति थे उनमें से 7 का दिनांक 12-5-79 को प्रमोशन हो चुका है, शेष में से एक ने स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया है, शेष 14 की एड हॉक नियुक्तियां राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री अमीन खां : राज्य सरकार कब तक कर देगी?

सहायक पशु-पालन चिकित्सकों के पदों पर पदोन्नति

152. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि पशु-पालन विभाग द्वारा सन् 1979 में सहायक पशु-पालन चिकित्सकों के पदों पर पशुधन सहायकों को पदोन्नति दी गयी थी? यदि हां, तो कितने पद स्वीकृत थे तथा उसमें अनुसूचित जाति व जन-जाति के कितने कर्मचारियों को पदोन्नति दी गयी? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रतिशत के हिसाब से आरक्षित कोटे की पूर्ति कर ली गई है? यदि हां, तो कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सत्य है कि आरक्षित कोटे के स्थान रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो कृपया, सन् 1979 से अब तक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या पदोन्नति देने से पूर्व वरिष्ठता सूची का विधिवत प्रकाशन किया गया था? यदि हां, तो क्रमांक व दिनांक से अवगत करावें? यदि नहीं, तो किस कारण?

पशु-पालन मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां। मार्च, 79 तक 220 पद सहायक पशु चिकित्सक के पद स्वीकृत थे। इनमें से माह मार्च, 1979 में 104 रिक्त पदों पर तदर्थ रूप से पदोन्नतियां दी गई थीं। यह पदोन्नति विभागीय निर्णय के अन्तर्गत वरिष्ठता के आधार पर ही दी गई। पदोन्नत कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। आरक्षित कोटे की पूर्ति इस कारण नहीं की गई क्योंकि तदर्थ पदोन्नति विशेष परिस्थितयों में पशुधन सहायकों की मांग विशेष के आधार पर की गई थी। नियमों में इस प्रकार की तदर्थ पदोन्नति का प्रावधान नहीं है। इस विषय में संशोधन शासन के विचाराधीन है।

(3) जी हां, 17 पद रिक्त हैं। नियमों में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है।

(4) जी हां, पशुधन सहायकों की वरिष्ठता सूची दिनांक 15-6-78 को प्रसारित की गई थी। सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

श्री हंसराज शर्मा : एक तो अनुसूचित जाति और जन-जाति के कर्मचारियों की जो उन्होंने अलग सूची मांगी है, वह नहीं दी है। सदन के पटल पर क्यों नहीं रखी ?

श्रीमती कमला : सारी सूची मैंने सदन के पटल पर रखी है। इसमें अलग से रखने की जरूरत नहीं। समस्त सूची रखी है।

श्री अध्यक्ष : काफी लम्बी सूची रखी है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या यह सही है कि पशुधन सहायकों के पद पर प्रमोशन इसलिये नहीं हुआ कि रोस्टर के आधार पर शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के लोगों को विभाग में नियुक्ति नहीं मिली ? यदि हां, तो रोस्टर के हिसाब से तीन साल में ये पोस्ट्स केरी-फार्वर्ड होनी चाहिये थी। 1979 के बाद कब-कब केरी-फार्वर्ड हुई और किन-किन शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के लोगों को प्रमोशन दिया गया ?

श्रीमती कमला : दरअसल यह मामला ऐसा है कि 1979 में इन पशुधन सहायकों ने कोई आंदोलन किया, धरना दिया, हड़ताल की तो तत्कालीन सरकार ने उस हड़ताल के फलस्वरूप यह निर्णय लिया कि चाहे ये एलीजिबल नहीं हैं तो भी वरिष्ठता सूची के अनुसार इनको सहायक पशु-पालन चिकित्सकों के पद पर पदोन्नति दी जाय। वर्तमान नियमों के अनुसार पशुधन सहायक सीधे सहायक पशु चिकित्सक के पद पर प्रमोट नहीं हो सकते, सिर्फ पशु धन निरीक्षक या फोडर सुपरवाइजर वर्तमान नियमों के अन्तर्गत प्रमोट होते हैं और उसमें जो होता भी है उसको 10 साल का अनुभव होना चाहिये, एक साल का प्रशिक्षण होना चाहिये, सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी होना चाहिये। इनमें से बहुत से ऐसे थे जिनको यह क्वालिफिकेशन व अनुभव नहीं था लेकिन तत्कालीन सरकार ने नियमों के विपरीत इनकी मांगों को मान कर आदेश कर दिया कि इनको तुरन्त प्रमोशन दे दिया जाय और वरिष्ठता के आधार पर दे दिया जाय, जो वरिष्ठता सूची बनी हुई है उसके अनुसार प्रमोशन दे दिया जाय। वह तदर्थ प्रमोशन के अनुसार आदेश तो जारी हो गये लेकिन नियमों में संशोधन होना जरूरी था क्योंकि बहुत से क्वालिफाई नहीं करते थे। इसलिये नियमों में संशोधन अभी तक नहीं हो पाया और वह पदोन्नति जो दी गई है वह तदर्थ है। इसलिये जो आरक्षण कोटा होना चाहिये, वह पूरा नहीं हुआ। इसलिये मामला विचाराधीन है। संशोधन किया जा रहा है। संशोधन होते ही अनुसूचित जाति व जन-जाति कोटे की सीटें जो खाली पड़ी हैं उन पर उनको प्रमोशन दिया जायगा।

श्री नन्दलाल मीणा : मंत्री महोदया के जवाब से स्पष्ट हो गया कि पशुपालन विभाग में रोस्टर प्रणाली को 1979 के बाद अब तक लागू नहीं किया गया।

श्रीमती कमला : मैंने बताया कि 104 के पेटे 17-18 सीटें होनी चाहिये वे खाली पड़ी हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जनता शासन के दौरान पशुधन सहायकों के पद पर उदयपुर में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी और उसमें यह भी कहा गया था कि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं, प्रशिक्षण के लिये उनमें जो क्वालिफाइड छात्र नहीं होते हैं तो इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिये ताकि शिड्यूल्ड कास्ट्स व

(श्री नन्दलाल मीणा)
ट्राइब्स के छात्रों को प्रशिक्षण के लिये भर्ती किया जा सके ताकि विभाग में जो बैक लोग है और रोस्टर प्रणाली लागू नहीं हो रही है, उसकी पूर्ति की जा सके ।

श्रीमती कमला : जिस तरह से, अनियमित रूप से पदोन्नति की मांग को स्वीकार किया गया उसमें.....

श्री नन्दलाल मीणा : मेरा बेसिक सवाल है......

श्रीमती कमला : सुनिये तो सही, ज्यादा बोलने से ज्यादा जल्दी जवाब आयेगा ? जिस तरह से, अनियमित ढंग से पदोन्नति की मांग के दबाव में आकर तत्कालीन सरकार ने, 1979 में जो सरकार थी, स्वीकार किया, तत्कालीन सरकार को उसके अनुसार तत्काल संशोधन करना चाहिये था, लेकिन संशोधन किया नहीं, उनको भुलावा देने के लिये कि तुम्हारा प्रमोशन किया जा रहा है, लेकिन संशोधन नहीं किया । जब तक तमाम नियमों में संशोधन नहीं होगा, नियमित रूप से न स्थान सुरक्षित रखे जा सकते हैं, न पदोन्नति पर क्लेम हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न । आर्डर, आर्डर ।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि कृषि विभाग में पूर्णतया रोस्टर प्रणाली को लागू नहीं किया गया यह मेरा प्रश्न है । इसका जवाब नहीं आया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया, शान्त रहें । कृपया स्थान, ग्रहण करें । अगला प्रश्न ।

श्री बालचंद्र आर्य ।

भवानी मण्डी कस्बे में आवासन मण्डल द्वारा भवन निर्माण कराना

153. श्री बालचंद्र आर्य (डग) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ के भवानी मंडी कस्बे में हाउसिंग बोर्ड की स्कीम लागू हो गई है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) वहां कितनी जमीन, किस-किस व्यक्ति को मकान बनाने हेतु हाउसिंग बोर्ड ने अवाप्त की है ? कृपया, सूची सदन के पटल पर रखें ।

(3) वहां कब तक मकान बनने प्रारम्भ हो जावेंगे ? अभी मकान लेने हेतु कितने प्रार्थियों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

आवासन मंत्री (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) भवानीमण्डी में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कोई स्कीम लागू नहीं की गई है ।

(2) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भवानीमण्डी में कोई जमीन अवाप्त नहीं की गई है ।

(3) दिनांक 25 अगस्त, 1981 से 3 अक्टूबर, 1981 तक भवानीमण्डी में पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गई है । उक्त तिथि के पश्चात् ही ज्ञात हो सकता है कि मकान लेने हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त होंगे ?

श्री बालचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने विभाग के अधिकारियों से बातचीत की है और उन्होंने मुझे बताया

(श्री बालचन्द्र आर्य)
है लेकिन मन्त्री महोदय को पता ही नहीं है कि कोई स्कीम भी लागू हुई है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह पता नहीं है कि स्कीम कब लागू होती है। पहले उनको इसका बैक-ग्राउण्ड समझना चाहिये। उसके बाद आगे की बात होती है। प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि दिनांक 25 अगस्त, 1981 से तीन अक्टूबर तक भवानीमन्डी में पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गई है। उक्त तिथि के पश्चात ही ज्ञात हो सकता है कि मकान लेने हेतु कितने आवेदन प्राप्त होंगे। उसके बाद में भूमि अवाप्ति की जायेगी। मैंने, जो प्रश्न इन्होंने पूछा उसके मुताबिक जवाब दिया है, मेहरबान।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

अगला प्रश्न, माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि किसी भी कस्बे में हाउसिंग बोर्ड के मकान बनाने के लिये कोई योजना बनाती है तो कितने समय में मकान बना कर देती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बालोतरा में चार पांच जगह पर मकान बनाने की बात है पर न तो भूमि अवाप्त की गई है और न अभी तक उन्होंने कोई प्लान बनाया है। इसलिये मेरा निवेदन है, वहां पर मकान कब बन जायेगा?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह।

श्री शंकरलाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आवासन मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास दो विभाग है, यातायात विभाग और आवासन मण्डल विभाग, दोनों में ही भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जोशीजी, आपने जो कुछ भी विरासत में दिया है वह ही है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह।

पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना

154. श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढा), श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने के लिये राज्य सरकार के पास कोई योजना है? यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है? कृपया, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के प्रत्येक जिले में कितने पंचायत मुख्यालय इस योजना के तहत जोड़े जा चुके हैं? शेष सभी मुख्यालयों को कब तक सड़क मार्ग से जोड़ने का सरकार का विचार है?

(3) जिला झुंझुनू में पंचलंगी, बजावा, गुढा, जाखल, बालास कैड, धमोरा पंचायत समिति, उदयपुरवाटी में से फरागुवार, बड़ाऊ रसूलपुर, नंगली सलेदीसिंह, पंचायत समिति खेतड़ी में स्थित इन पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने के लिये सरकार की क्या

(श्री हरिसिंह)

योजना है ? कृपया, विवरण सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : (1 व 2) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पिछड़े को पहले, 20 संकल्पों में ग्राम सम्पर्क सड़क कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने के बारे में कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है । इस कार्य के बजट प्रावधान के अनुसार नई प्रणाली द्वारा लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं ।

(3) जो पंचायत मुख्यालय योजनाबद्ध सड़कों पर आते हैं, वे जुड़ जावेंगे, बाकी हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार योजना बनाई जा रही है ।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय को जो मूल प्रश्न पूछा उसके अनुसार जवाब नहीं आया ।

(व्यवधान)

मंत्री महोदय ने जो प्रश्न का उत्तर दिया सड़कों को जोड़ने का कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है, तो आज से पहले क्या कोई नियम नहीं थे जिसके अनुसार पंचायतों के हैडक्वार्टर्स को सड़कों से जोड़ा गया । मैंने जो पूछा उसका विवरण भी नहीं दिया मेरे प्रश्न के पूरक प्रश्न तीन का जवाब नहीं दिया ।

(व्यवधान)

इसके साथ ही मेरा यह निवेदन है मंत्री महोदय से, क्या झुंझुनूं जिले की पंचायती क्षेत्र के मुख्यालय सड़कों से नहीं जुड़े हैं ? पाली, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर आदि के पंचायत, मुख्यालय सड़कों से जोड़ दिये गये हैं । मेरे पूरक प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

श्री चेतराम मीणा : माननीय सदस्य के प्रश्न पूछने के शब्दों की जो भावना है उसके अनुसार मैंने जवाब दिया है । आपका प्रश्न था, क्या पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने के लिये राज्य सरकार के पास कोई योजना है, यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है, मैंने उसके अनुसार प्रश्न का जवाब दिया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर । आर्डर, श्री हरिसिंह । प्रश्न कर्त्ता ।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि सरकार जो योजना बना रही है उसमें क्या पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने के लिये आबादी या जनसंख्या के अनुसार प्रावधान करेंगे या सड़कें जो हैं उसके अनुसार ? दूसरा, क्या इस नयी योजना के बनने के बाद अभी जो मिनिमम प्रोग्राम सड़कों को पंचायतों के मुख्यालय से जोड़ने के लिये चल रही हैं उन्हें बन्द कर दिया जावेगा ?

श्री चेतराम मीणा : सरकार ने जो निर्णय लिये हैं उसके अनुसार योजनाबद्ध तरीके से पंचायत मुख्यालय को यूनिट मान कर उसके अनुसार सड़कों का विकास कार्य किया जायेगा । जनसंख्या या दूसरा आधार नहीं है । इसके अलावा जो अभी मिनिमम नीड प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन्हें बन्द नहीं किया जायेगा । वह कार्य चलते रहेंगे । अब जो है, योजनाबद्ध तरीके से सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा राज्य......

(व्यवधान)

(श्री चेतराम मीणा)
सरकार ने जो नई प्रणाली बनाई उसके द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं उसके अनुसार बनाये जायेंगे।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था कि पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने के लिये प्रायोरिटी आधार क्या होगा। पंचायतों के मुख्यालयों को सड़कों से दूरी या पंचायतों की जनसंख्या के आधार पर उन मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जायेगा ?

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

(व्यवधान)

झुंझुनूं जिले में पंचायतों की जो जनसंख्या है इसमें पंचलंगी की पांच हजार की आबादी है, बजावा की पांच हजार की आबादी है, गुढ़ा की आठ हजार की आबादी है और जाखल की सात हजार की आबादी है, इन पंचायतों के बारे में प्रश्न पूछा था। इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कुछ नहीं दिया है।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य क्या पूछना चाहते हैं यह स्पष्ट नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें न जनसंख्या का आधार माना है, और न ही पंचायत मुख्यालयों को सड़कों की दूरी का आधार माना है। तो मेरा निवेदन है कि आपने इसमें कौनसा आधार तय किया है, यह बतायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया, शान्त रहें। अगला प्रश्न। माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि जो भी जवाब था, वह मंत्री महोदय ने रख दिया। अब यह कोई नीति का प्रश्न तो है नहीं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। अगला प्रश्न।

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें नीति का प्रश्न है। राज्य सरकार की घोषणा की हुई है, राज्य सरकार पंचायतों के मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं अभी किसी को पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया, अध्यक्ष महोदय।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। अब सभी पंचायतों के मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की बात है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और सभी माननीय सदस्य अगर अपने क्षेत्र के बारे में प्रश्न पूछ

(श्री अध्यक्ष)
लग जावेंगे तो प्रश्नकाल की सीमित अवधि है, बहुत से प्रश्न रह जावेंगे। जहां तक नीति का प्रश्न होताहै उसके जवाब के लिये मैं पहले ही प्रश्न पूछने की इजाजत दे देता ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य । अब किस प्रश्न में कितने पूरक प्रश्न पूछे जाने चाहिये, यह बात आप मुझ पर छोड़ दें, ताकि दूसरे प्रश्न भी जल्दी-जल्दी लिये जा सकें। बस, कृपया शान्त रहें ।

श्री **वीरेन्द्र प्रताप सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के तीसरे पूरक प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब नहीं आया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि रात के अन्धेरे में मुख्यमंत्री जी के यहां पर कांग्रेसी एम. एल. एज. और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की इसके लिये मीटिंग होती है और वहां पर इसके बारे में नीति निर्धारित की जाती है कि कौन-कौन सी पंचायतों के मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जाना चाहिये और उस मीटिंग में विरोधी पक्ष के एम. एल. एज. को नहीं बुलाया जाता है ?

(व्यवधान)

तो कौनसी सड़कों को पंचायतों के मुख्यालयों से जोड़ा जाय, यह तय किया जा रहा है, इसका उत्तर दिलाया जाय ।

(व्यवधान)

श्री **वीरेन्द्र प्रताप सिंह** : जो उनके पास है वह पढ़कर बता दें ।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : तीसरे खण्ड का उत्तर नहीं दिया है उसका उत्तर दिलादें ।

(व्यवधान)

श्री **बुलाराम** :....कौनसी पंचायत को जोड़ा जायेगा.....

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज । स्थान ग्रहण करें, आसन पैरों पर है । माननीय सदस्यगण स्वयं जानते हैं कि राजस्थान में लगभग 7500 पंचायतें हैं । सरकार ने यह नीति बनाई है और पहले भी नीति बनाई गई है कि पंचायतों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। उसके संबंध में मंत्री महोदय ने अपना उत्तर दे दिया । कौनसी जोड़ी जायेगी, कब जोड़ी जायेगी, उसमें कितना धन लगेगा, कितनी वित्तीय उपलब्धियां हैं इस वर्ष में, इन सब का यहां उत्तर नहीं आ सकता, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज,

(व्यवधान)

श्री **गोपाल पचेरवाल** : तीसरे खण्ड का उत्तर दिला दीजिये हम सप्लीमेंटरी नहीं करेंगे, उसका उत्तर तो आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ गया ।

श्री गोपाल पचेरवाल : नहीं आया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ गया । भाग तीन का उत्तर आ गया ।

(व्यवधान)

विपक्ष के नेता....

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब ही नहीं आया । राजस्थान सरकार का जवाब नहीं आया । इस पर पार्टी की छवि बिगड़ती है । यह जवाब क्यों नहीं देते ?

श्री यदुनाथ सिंह : दुलाराम जी को मंत्री बनाया जाये ।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में 7,291 ग्राम पंचायतें हैं और इनमें से 4,079 पंचायतें इस समय सड़कों से जुड़ी हुई हैं । चालू बजट में 60 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने का प्रस्ताव है और वे जोड़ दी जायेंगी । इस तरह से 3,152 ग्राम पंचायतें सड़कों से जुड़ने को रह जायेंगी । अब मैंने जैसा इस प्रश्न के भाग 3 का उत्तर दिया है कि अभी हमारी योजना प्रस्तावित हैं इसके ऊपर जरूर विचार किया जायेगा । जो शेष 3,152 ग्राम पंचायतें बची हैं, इनकी एस्टीमेटेड लम्बाई 1,4805 किलोमीटर होगी और अनुमानतः 210.49 करोड़ रुपये खर्च होंगे । इसमें हमारे पास का जो व्यय है वह किस तरह से होगा, इसमें से 136.10 करोड़ रुपये राज्य योजना मद में खर्च होंगे तथा शेष 74.39 करोड़ दूसरे मदों में प्रस्तावित हैं ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ग्राम पंचायतों को सड़कों से जोड़ने का काम राजनैतिक पक्षपात से होता है, मेरा आरोप है । रात के अन्धेरे में मुख्य मंत्री के निवास पर कांग्रेसी मैम्बर्स जाते हैं और अपना काम कराते हैं ।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : प्रश्न संख्या 155 ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अगला प्रश्न, श्री भैरूसिंह गुर्जर ।

शिक्षकों के स्थानान्तरण की नीति

155. श्री **भैरूसिंह गुर्जर** (खारची) एवं श्री **शिवदानसिंह राठौड़** (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या शिक्षकों के स्थानान्तरण के संबंध में राज्य सरकार ने कोई नीति बनाई है ?

(2) यदि हां, तो क्या श्री व्यास उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैतारण के प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार हुआ है ?

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

(3) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक का 4 माह में ही स्थानान्तरण कर दिया गया जब कि उनके रिटायरमेंट में एक वर्ष से भी कम समय बाकी है ?

(4) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैतारण के प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण जैतारण से ओसियाँ किया गया है ? क्या नीति के अनुसार नहीं होने की वजह से सरकार यह आदेश रद्द करेगी ?

(5) क्या इस नियम विरुद्ध स्थानान्तरण करने वाले अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री बी. डी. कल्ला) :

(1) जी हां ।

(2 व 3) जी हां, श्री व्यास का स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के प्रावधान के अनुसार किया गया है ।

(4) यह स्थानान्तरण राज्य सरकार की नीति के अनुसार ही किया गया है ।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है कि स्थानान्तरण नीति के अनुसार हुआ । तो नीति की क्रम संख्या 4 में लिखा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण 3 वर्ष से पूर्व नहीं किया जायेगा । उसी के नियम 9(2) में लिखा है कि अगर किसी के रिटायरमेंट में दो वर्ष बाकी हैं तो उसका स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा । और जब इस व्यक्ति को उस स्थान पर चार महीने ही हुए थे और उनकी सेवा-निवृत्ति में केवल एक वर्ष ही बाकी था तो फिर इसका क्यों स्थानान्तरण किया गया ? क्या आपने फर्जी कोई नीति अलग से तो नहीं बना ली कि जिसके अन्तर्गत आपने इनका स्थानान्तरण कर दिया ?

शिक्षा मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नीति के कुछ बिन्दुओं का जिक्र किया है····

श्री **शिवदान सिंह राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, जल्दी से उत्तर दिलाया जाये क्योंकि फिर समय समाप्त होने वाला है····

श्री **अध्यक्ष** : कृपया, स्थान ग्रहण करें । आर्डर प्लीज ।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : आपने सीकर में भी बहुत से ट्रांसफर किये हैं, आपने इन्सपेक्टर के टेलीफोन पर आर्डर करवाये ।

श्री **चन्दनमल बैद** : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य के उत्तेजित होने का कारण मैं समझ नहीं पाया····

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : आपने ट्रांसफर कराये हैं, 60 कराये हैं और टेलीफोन पर कराये हैं ।

श्री **शिवदान सिंह राठौड़** : आप बतायें कि आपने कौनसी नीति के अनुसार यह स्थानान्तरण किया है ?

(20)

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आप शांति से सुनेंगे तो आपकी समझ में आ जायेगा ।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : आप उत्तर दिलाइये । उत्तर को टाला जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : यह नीति में है कि किसी भी अध्यापक का अपने स्थान से तीन वर्ष पूर्व स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा । यह इन्होंने लिखा है । यदि किसी व्यक्ति की सेवा-निवृत्ति में 2 साल या उससे कम समय है तो उसका स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा । आपने दो-दो नीतियों को तोड़ा है । आप बताइये ।

श्री अध्यक्ष : पहले मंत्री का उत्तर आने दीजिये । आसन पैरों पर है । स्थान ग्रहण कीजिये । आर्डर प्लीज ।

श्री चन्दनमल बैद : यह नीति, अध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने बनाई उसके बिन्दु 12 पर यह लिखा हुआ है कि राज्य सरकार तथा निदेशक द्वारा प्रशासनिक कारणों के आधार पर स्थानान्तरण किया जा सकेगा ।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, ऐसे कौनसे प्रशासनिक कारण थे ? क्या इनकी कोई शिकायत थी या इनकी सी. आर. खराब थी ? यह बताने का कष्ट करें ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री चन्दनमल बैद :सुनें तो सही । आप थोड़ा शांत रहेंगे तो मैं सभी बातें बता रहा हूं । आप उत्तेजित नहीं होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ।

अध्यक्ष महोदय, ओसियां के प्रधानाध्यापक रिटायर हो गये । उनका स्थान भरना जरूरी था और कहीं न कहीं से हैड मास्टर लाना था । जैतारण के हैड मास्टर का उसके बजाय चौहटन के हैड मास्टर का इसका एक प्रार्थना-पत्र दिया, जो हमारी नीति के अनुसार है, मुझे पाली जिले में स्थानान्तरित कर दिया जाये । चौहटन के हैड मास्टर के अनुसार उनको पाली जिले में भिजवा दिया गया और ओसियां के हैड मास्टर की जगह पूर्ति करनी थी, इसलिये उनको चौहटन भेज दिया गया और जिन्होंने हमसे कहा उनको हमने वहां से स्थानान्तरित कर दिया ।

एक माननीय सदस्य : यह भ्रष्टाचार है ।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : हमें गुमराह किया जा रहा है ।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य को उचित जवाब दे दिया है ।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : उसका ट्रांसफर करें, उसको मैं कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

(व्यवधान)

प्रश्नकाल समाप्त हुआ । माननीय सदस्य शान्त रहें ।

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर : यह कौनसी शिक्षा नीति है ? यह नीति नहीं, यह तो अनीति है । मंत्री महोदय गलत कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

(श्री भैरुंसिंह गुर्जर)
इसको स्थगित किया जाये और इस प्रस्ताव को दुबारा लिया जाये। अध्यक्ष महोदय, जो सवाल किया गया है, यह तो उसका जवाब ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया, शान्त रहें।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें। आर्डर, प्लीज।

श्री भैरुंसिंह गुर्जर : मेरी विनती है, आपसे अध्यक्ष महोदय, कि····

(व्यवधान)

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) : नीति की बात कहते हैं जबकि यह अनीति है। एक महिला को आठ महीने का गर्भ था उसका ट्रांसफर कर दिया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि वे नीति की बात कहते हैं, परन्तु उनका पालन नहीं होता, जबकि राज्य सरकार की नीति है कि पति-पत्नी यदि राज्य सेवा में सेवार्थ हैं तो उन्हें जहां तक संभव हो, एक ही जगह, एक ही गांव, एक ही शहर में नजदीक से नजदीक रखा जावें, परन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि एक हरिजन जाति की अध्यापिका लाडनूं में रहती है और सर्विस लाडनूं से 8 किलोमीटर दूर एक गांव में करती है, जहां वह अपनी तीन माह की बच्ची को लेकर रोज आवागमन करती है। इस हरिजन महिला का पति जोधपुर में राजकीय सेवा में सेवार्थ है। इस हरिजन महिला अध्यापिका की ओर से एक वर्ष से प्रयास किया जा रहा है, शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार फार्म भरकर भी दिये गये, परन्तु उस गरीब हरिजन महिला अध्यापिका की बदली नागौर जिले से जोधपुर शहर में, जहां उसका पति राज्य सेवा में सेवार्थ है, तबादला नहीं किया गया।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : शिक्षा में बड़ी अनीतियां हो रही है।

श्री अध्यक्ष : पिछले खंड में बैठने वाले माननीय सदस्य शायद कुछ बोलना चाहते हैं। श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल : मेरा यह निवेदन है कि सरकार ने जो बातें कहीं मैं उसका विरोध करता हूं। मेरा यह निवेदन है कि हमारी तहसील में एक गांव में एक मास्टरनी है और उसका पति कोटा में है। मैंने मंत्रीजी से निवेदन कर दिया था कि इनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। इनकी एक जगह ट्रांसफर कर दी जाये।

(व्यवधान)

श्री भैरुंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरी विनती है कि या तो इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो या इसको वापस कर सदन में दुबारा लाया जाये, क्योंकि मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है उसमें नीति की जगह अनीति अपनाई गई है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसमें भेदभाव बरता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : अपने नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि यदि कोई माननीय सदस्य किसी प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है तो उस पर अल्पकाल में चर्चा उठायी जा सकती है। आप कृपया, इस प्रश्न को

(श्री अध्यक्ष)
दुवारा सदन में लायें, मैं इस पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करूंगा। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** : आप तो बड़े ईमानदार बनते थे।

श्री **चन्दनमल वैद** : इसमें बेईमानी की क्या बात हुई ?

श्री **अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) : आपने भ्रष्टाचार किया है।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपा करके, स्थान ग्रहण करें।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : आपने भ्रष्टाचार किया। आपने दिल्ली में बैठकर मद्रास कम्पनी में भ्रष्टाचार किया।

श्री **गोपाल पचेरवाल** : विधि मंत्रीजी ने कहा था कि इसे हटाया जाये।

श्री **दाऊदयाल जोशी** : और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यह नीति के आधार पर हुआ है ......

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : कृपया, स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री **चन्दनमल वैद** : माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वह सरासर गलत है। सीकर से आने वाले सदस्य ने जो मद्रास की कम्पनी का हवाला दिया वह सरासर गलत है।

एक माननीय सदस्य : आपने मुनाफाखोरों के मुकदमें उठाये हैं।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 31 जुलाई को तबादले..

(व्यवधान)

और विधान सभा के बाद हो जायेंगे, ये साजिश है। 31 जुलाई को मिले, और विधान सभा के बाहर चर्चा होगी···

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

श्री **चंदनमल वैद** : अगर सरकार तबादला करना चाहेगी तो करेगी।

(व्यवधान)

श्री **गोकलचन्द शर्मा** (सुमेरपुर) : यह घर का राज नहीं है, यह प्रजातन्त्र है।

श्री **दूलाराम** : तबादले करेंगे तो नीति क्यों बनायी, नीति से करेंगे या अनीति से करोगे, आपने विधान सभा में कहा था कि सरकार की नीति के अनुसार तबादले करेंगे।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : अंकित न हो।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : ×××

श्री **अध्यक्ष** : मुझे नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करनी पड़ेगी, आर्डर प्लीज।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(23)

श्री यदुनाथ सिंह : मन चाहे नियम तोड़ दें, ये नहीं होगा ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : जिस प्रकार असंतोष है, नीति से संतुष्ट नहीं हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया, परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्न

जिला भरतपुर के गांवों में लगे हैन्ड पम्पस

107. श्री **हरिसिह** (कुम्हेर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला भरतपुर के कौन-कौन से ग्राम में कितने-कितने हैण्ड पम्प 1-4-1980 से 31-7-1981 की अवधि में लगाये गये हैं ?

(2) उक्त गांवों में लगाये गये हैण्ड पम्पस् पर कुल क्या लागत आई है ? तथा प्रति हैण्ड पम्प पर कितनी ?

(3) उक्त हैण्ड पम्पस में से कने हैन्ड-पम्प इस समय पानी दे रहे हैं ? तथा कितने पानी नहीं दे रहे हैं ? कृपया, उनकी संख्या गांव वार सदन के पटल पर रखें ।

(4) उक्त हैन्ड-पम्पस में से कितनों में से खारा पानी निकलता है और कितनों से मीठा पानी निकलता है ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में 1-4-80 से 31-7-81 की अवधि में 215 गांवों में 679 हैण्ड-पम्प लगाये गये हैं । गांवों के नाम व हैण्ड पम्पों की संख्या की सूची संलग्न प्रपत्र "अ" में उपलब्ध है ।

(2) उपरोक्त गांवों में लगाये गये हैण्ड-पम्प की औसत लागत 11,800/- रुपये प्रति हैण्ड-पम्प है ।

(3) वर्तमान में 679 हैण्ड पम्पों में से 635 हैण्ड-पम्प पानी दे रहे हैं व शेष 44 हैण्ड-पम्प पानी नहीं दे रहे । बन्द पड़े हुए हैण्ड पम्पों के गांवों की सूची प्रपत्र "ब" में उपलब्ध है ।

(4) लगाये गये सभी हैण्ड पम्पों का पेयजल पीने योग्य है व गांववासियों को उपलब्ध क्वालिटी स्वीकार है ।

(सूची के लिये कृपया, परिशिष्ट 4 देखें)

नागौर के गांवों में पेयजल की समस्या

108. श्री **महाराम चौधरी** (नागौर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विश्व बैंक से प्राप्त सहायता के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र नागौर में किन-किन पंचायतों में कौन-कौन से ग्रामों में जल प्रदाय योजनाएं चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गई है ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उपरोक्त गांवों के चयन का आधार क्या रखा गया है ?

(3) क्या ग्राम कुडची, बिरलोका, माडपुरा में इस योजना के तहत कार्य हुआ है ? यदि हां, तो कितना इस पर कितना व्यय किया गया है ।

(श्री महाराम चौधरी)

(4) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये जन सहयोग कितना प्रतिशत लिया गया है व किन-किन गांवों से लिया गया है ?

(5) नागौर में किन-किन ग्रामों में कितने-कितने हैण्ड पम्पस लगाये गये हैं व किन-किन गांवों में, कितने-कितने और लगाने की योजना है ?

(6) पीने के पानी के हैण्ड-पम्प्स जिन गांवों में लगाये गये है उनमें से कितने हैण्ड पम्प सही काम कर रहे हैं और कितने नहीं ?

(7) क्या यह सही है कि नागौर के गांवों में पेय जल की गम्भीर समस्या है ? क्या सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में ?

(8) किन-किन गांवों को मार्च, 1982 तक शुद्ध पेय जल उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विश्व बैंक से प्राप्त सहायता के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र नागौर के कुल 9 ग्रामों को वर्ष 81-82 की अनुमोदित चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। स्वीकृति हेतु चयन विचाराधीन है। सूची प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) इन ग्रामों का चयन अनुमोदित गाइड लाइन के अनुसार हुआ है। इसमें समस्या मूलक ग्रामों में से मुख्यतः जिला आयोजना समिति की सिफारिश, तकनीकी फिजिबिलिटी समस्या के अनुपात में धन राशि के तहसीलवार आवंटन, हैण्ड पम्प, पम्प व टैंक योजनाओं में अधिक आवादी के ग्रामों को प्राथमिकता, क्षेत्रीय योजनाओं में प्रति व्यक्ति कम लागत की योजनाओं की प्राथमिकता आदि बिन्दुओं को आधार लिया गया है।

(3) जी हां। संदर्भित ग्रामों में चालू वित्तीय वर्ष में नलकूप हेतु ड्रिलिंग का कार्य किया गया है। कार्य हेतु भुगतान किया जाना शेष है।

(4) योजना की क्रियान्विति के लिए योजना की लागत की 2½ प्रतिशत राशि जन सहयोग के रूप में वसूल करने का प्रावधान है। अब तक निम्न ग्रामों के लिये यह राशि ले ली गई है :— खोजवाना, बिरलोका, कुड़ची, कुमारी, शखवास, रून व माडपुरा।

(5) माह अगस्त, 81 तक नागौर तहसील के 14 ग्रामों में 64 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं तथा 30 ग्रामों में लगभग 128 हैण्ड पम्प और लगाने की योजना है। सूची प्रपत्र (ब) पर संलग्न है।

(6) नागौर तहसील में माह अगस्त, 81 तक लगाये गये सभी 64 हैण्ड पम्प सन्तोष जनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(7) नागौर तहसील में गम्भीर पेय जल समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 1981-82 में कुल 63 ग्रामों को चयन हेतु अनुमोदित किया है जिसकी अनुमानित लागत 278.77 लाख रु. है। सूची प्रपत्र (स) पर संलग्न है।

(8) नागौर तहसील में लगभग 43 गांवों में मार्च, 82 तक पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का टैंटेटिव लक्ष्य है। सूची प्रपत्र (द) पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया, परिशिष्ट 5 देखें)

जिला बाड़मेर, जैसलमेर की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं

109. श्री **अमीन खां** (शिव) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर, जैसलमेर में वर्ष 1981-82 में क्षेत्रीय नल योजनाएं स्वीकृत हुई ? यदि हां, तो कितनी योजनाएं स्वीकृत हुई एवं प्रत्येक योजना पर कितनी राशि स्वीकृत की गई ? कृपया, तहसीलवार योजनाओं के नाम व लागत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर की तहसील बाड़मेर, शिव और जैसलमेर जिले में वर्ष 1981-82 में कितने नल कूप खुदाए गए ? कृपया, तहसीलवार विवरण प्रस्तुत करें।

(3) बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में इस वर्ष और कितने नलकूप खुदाने का विचार है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 में इन जिलों में नई योजनाओं का आइडेन्टिफिकेशन अनुमोदन हो गया है व प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। आइडेन्टीफाईड योजनाओं के तहसीलवार नाम व लागत संलग्न है।

(2) वर्ष 1981-82 में बाड़मेर जिले की शिव तहसील में अगस्त, 81 तक 5 व बाड़मेर तहसील में 4 नलकूप बनाये गये हैं। जैसलमेर जिले में वर्ष 1981-82 में अब तक 2 नलकूप बनाये गये हैं।

(3) इस वर्ष की शेष अवधि में बाड़मेर में 20 और जैसलमेर में 8 और नलकूप लगाये जाने का प्रस्ताव है।

(योजनाओं के तहसीलवार नाम व लागत के लिए कृपया, परिशिष्ट 6 देखें।)

सीकर विधान सभा क्षेत्र की पेयजल योजनायें

110. श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर विधान सभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कौन कौन सी पेयजल योजनाओं पर विचार चल रहा है ? इनमें से प्रत्येक की कितनी लागत है ? कृपया, सूची सदन के पटल पर रखें ?

(2) इन योजनाओं का क्रियान्वयन कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

(1) वांछित जानकारी संलग्न है।

(2) इन योजनाओं का क्रियान्वयन तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् वर्ष 81-82 तथा 82-83 तक प्रारम्भ कर छठीं पंचवर्षीय योजना में धन की उपलब्धि के अनुसार किये जाने की सम्भावना है।

(जानकारी के लिए कृपया, परिशिष्ट 7 देखें।)

जिला कोटा में भू-प्रबन्ध कार्य में अनियमितताएं

111. श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) :

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा में अभी भू-प्रबन्ध (सेटिलमेंट) तथा कैचमेन्ट का कार्य चल रहा है जिसमें भारी अनियमितताये एवं भ्रष्टाचार हो रहा है ?

(2) यदि हां, तो सरकार इसे दूर करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि केचमेंट होने से जमीन का इधर-उधर होना स्वाभाविक है तथा इसलिये अभी सेटिलमेंट किये जाने का कोई अर्थ नहीं है तथा सरकार का लाखों रुपया वर्बाद हो रहा है ?

(4) यदि हां, तो सरकार उक्त घपले को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही करेंगी ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की 12 तहसीलों में से इस समय केवल 5 तहसील लाडपुरा, वारां, पीपल्दा, दीगोद व मांगरोल में भू-प्रवन्ध कार्यवाही चल रही है, जलग्रह कार्य (केच) मेंट कार्य) सी. ए. डी., कोटा के माध्यम से होता है। भू-प्रबन्ध कार्यवाही के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार जैसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) ऐसा होना संभव है, किन्तु केचमेंट सम्बन्धी कार्यवाही से पूर्व भू-प्रबन्ध कार्यवाही नहीं कराई जाने के कारण राज्य सरकार की कोई धन राशि का अपव्यय नहीं हुआ है।

(4) किसी प्रकार के घपले का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के सूखा प्रभावित जिले

112. श्री हीरालाल आर्या (पीपल्दा), श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) व श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में इस वर्ष कौन-कौन से जिले तथा तहसीलें सूखे की चपेट में हैं अथवा जहां सूखे की सम्भावना है ? कृपया, जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें। सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या प्रयत्न कर रही है ?

उत्तर

दिनांक 10 व 11-9-81 को मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जिलाधीशों व वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श के परिणाम स्वरूप राज्य के सभी जिलों में फसलों की स्थिति सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होती। राज्य सरकार ने इसलिये समय से पूर्व गिरदावरी दिनांक 15-9-81 से कराने का निश्चय किया, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। तत्पश्चात् समूची आवश्यकतानुसार स्थिति से निपटने के लिये कदम उठाये जायेंगे। वैसे भी दिनांक 30-9-81 तक पाली, जैसलमेर, वाड़मेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर व डूंगरपुर, इन सात जिलों में राहत कार्य चालू रखने के आदेश दिये जा चुके है।

(सूची के लिए कृपया, परिशिष्ट 8 देखें)

बीकानेर डिवीजन में बिजली के खम्बे व तार टूटने से दुर्घटनायें

113. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर डिवीजन में वर्ष 1980-81 में बिजली के खम्बे व तार टूटने से कुल कितनी दुर्घटनायें हुई ? इसमें कितने व्यक्ति एवं पशु घायल हुए एवं मरे ? कृपया, तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या विद्युत संकट से पीड़ित व्यक्ति या उसके पशुधन के नुकसान को पूरा करने हेतु मुआवजा दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बीकानेर डिवीजन में वर्ष 1980 81 में बिजली के खम्बे व तार टूटने से कुल 3 दुर्घटनाएं हुई। इन दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति घायल हुआ तथा एक व्यक्ति और एक गाय मारे गये। तहसीलवार सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत, विद्युत दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों अथवा उनके पशुधन के नुकसान का मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची के लिए कृपया, परिशिष्ट 9 देखें।)

जिला भरतपुर का कुम्हेर सब-तहसील के गांवों का विद्युतीकरण

114. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला भरतपुर की कुम्हेर सब-तहसील के समस्त गांवों में 31-3-1981 तक विद्युतीकरण होने की योजना के बावजूद विद्युतीकरण क्यों नहीं हुआ है ? कौन-कौन से गांवों में विद्युतीकरण होना अभी तक शेष है ? वह कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

कृषि उत्पादन के महत्व को ध्यान में रखते हुये, गत वर्ष मण्डल द्वारा कुओं को कनेक्शन देने की ओर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के कारण, भरतपुर जिले की कुम्हेर सब-तहसील में स्वीकृत सभी गांवों का विद्युतीकरण 31-3-81 तक नहीं हो पाया। कुम्हेर सब-तहसील के स्वीकृत 104 गांवों में से निम्न नौ गांवों का विद्युतीकरण अभी शेष है :—

क्र.सं.	गांव का नाम
1.	भटवा
2.	सोनेरा
3.	कन्सवारा
4.	मोरोडा
5.	बांसरोली
6.	दहवा
7.	पचोरा
8.	भातपुरा
9.	दारापुर

उपरोक्त नौ गांवों का विद्युतीकरण मण्डल द्वारा निर्धारित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम 1981-82 के अन्तर्गत प्रस्तावित नहीं है अतः अभी निश्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि इन गांवों का विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा।

कोटा नगर में राज्य विद्युत मंडल द्वारा बनवाये गये भवन

115. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(२४)

(श्री हरीश शर्मा)

(1) कोटा नगर में राज्य विद्युत मण्डल ने कितने भवन सन् 1979-80 में ठेकेदारों से बनवाये थे ?

(2) क्या यह सही है कि इनमें से अधिकांश भवनों के भुगतान नहीं करने के कारण ठेकेदारों ने भवनों पर अपना निजी ताला लगा दिया है ? यदि हां, तो क्यों और सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) कोटा नगर में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने (कोटा तापीय बिजलीघर के अलावा) सन् 1979-80 में ग्यारह भवनों के निर्माण हेतु ठेके, ठेकेदारों को प्रदान किये थे।

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है कि अधिकांश भवनों पर ठेकेदारों ने निजी ताले भुगतान न मिलने के कारण लगाए हैं। केवल एक भवन पर, जिसमें अभी भी कार्य बकाया है, ठेकेदार का निजी ताला लगा हुआ है जो भुगतान प्राप्त न होने के कारण नहीं लगाया गया है।

कोटा नगर में स्थापित किया जा रहा थर्मल पावर प्लान्ट

116. श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कोटा नगर में स्थापित किए जा रहे थर्मल पावर प्लान्ट का प्रथम यूनिट मार्च, 1982 में प्रारम्भ हो जावेगा ?

(2) योजनानुसार यह प्रथम यूनिट कब शुरू होना चाहिए था ? इसके समय पर शुरू न होने का क्या कारण है, व इस देरी हेतु किसकी जिम्मेदारी निश्चित की गई है ? उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही सरकार करने का विचार रखती है ?

(3) क्या वर्तमान विधान सभा सत्र के शुरू होने तक इस यूनिट का महत्वपूर्ण चिमनी का कार्य बंद है ? यदि हां, तो कब से व क्यों ? इस हेतु राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की ? कृपया, विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा थर्मल प्लान्ट के प्रथम यूनिट के चालू होने का लक्ष्य मार्च, 1982 है।

(2) योजना आयोग द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रथम इकाई चालू करने का लक्ष्य जुलाई, 1981 रखा गया था। यह लक्ष्य इस बात पर आधारित था कि कार्य जनवरी, 1977 से प्रारम्भ हो जायेगा तथा धनराशि का आवंटन निर्धारित कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुरूप होगा। यद्यपि योजना आयोग द्वारा इन्वेस्टमेंट स्वीकृती सितम्बर, 1976 में दी गई थी, धनराशि का आवंटन मार्च, 1977 में मिला। ऐसी परियोजनाओं की क्रियान्विति की प्रगति, मुख्यतयाः वांछित वित्तीय साधनों तथा सामान एवं उपकरणों की समयानुसार उपलब्धि पर निर्भर करती है। इस परियोजना हेतु मूल अनुमानों के अनुसार 8,160 लाख रुपयों एवं परिवर्तित अनुमानों के अनुसार 14,304 लाख रुपयों की लागत के पेटे वर्ष 1976-77, 1977-78 एवं 1978-79 में क्रमशः 301 लाख रुपये 700 लाख रुपये एवं 1093 लाख रुपये की राशि ही

(ऊर्जा मंत्री)

आवंटित की जा सकती। इस वास्तविकता की पृष्ठ भूमि में, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों में परिवर्तन अवश्यम्भावी था। अतः किसी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी नहीं।

जन-जाति क्षेत्रीय विकास योजना में केशवराय पाटन पंचायत समिति के गांवों को लिया जाना

117. श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या जन–जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जन–जाति क्षेत्रीय विकास योजना में केशवराय पाटन पंचायत समिति के कितने गांव लिये गये है? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) जन-जाति क्षेत्रीय विकास योजना के तहत केशवराय पाटन पंचायत समिति के कितने ग्रामों में विद्युतीकरण, पेयजल, सड़कें आदि की योजना तैयार की गई है तथा योजना पर कितना व्यय किया जावेगा और कब से कब तक पूरी की जावेगी? कृपया, चयनित गांवों एवं कार्यों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) जन-जाति क्षेत्रीय विकास योजना हेतु सरकार द्वारा जिला बूंदी को कितनी राशि दी गई है? राशि का उपयोग किया गया या नहीं?

उत्तर

(1) केशोरॉय पाटन पंचायत समिति का क्षेत्र जन–जाति क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत नहीं आता है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) बूंदी जिला जन-जाति क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत नहीं आता है।

जिला कोटा के बमोरी कलां कस्बों को सड़क से जोड़ना

118. श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा का बमोरी कलां कस्बा अभी तक भी सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

(2) क्या सरकार वहां की जनसंख्या के पिछड़ा पन होने के कारण तथा वहां स्थित सरकारी महकमों का उपयोग जनहित में हो सके, इस हेतु उक्त सड़क को प्राथमिकता पर बनाने के आदेश प्रदान करेगी?

उत्तर

(1) जी हां। योजना माप दण्डों के अनुसार इस गांव को सड़क से जोड़ना संभव नहीं था।

(2) बमोरी कलां पंचायत मुख्यालय है राज्य सरकार के 20 संकल्पों में ग्राम तक सड़क कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने के बारे में कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है, अतः इस ग्राम की सड़क से जुड़ने की संभावना है।

शाहबाद क्षेत्र में छात्रावास खोलना

120. श्री **दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री बाळदयाल जोशी)

क्या शाहबाद आदिवासी क्षेत्र में 2 कन्या छात्रावास एवं 2 छात्रों के छात्रावास खोलने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो छात्रावास अभी तक क्यों नहीं खोले गये और कब तक खोलने की योजना है ?

उत्तर

जी हां । शाहबाद विकास परियोजना के अन्तर्गत 2 कन्या छात्रावास एवं 2 छात्र छात्रावास खोलने की स्वीकृति हो चुकी है तथा छात्रों के लिये भंवरगढ़ व देवरी में एव कन्या छात्रावास केलवाड़ा व शाहबाद में दिनांक 3-9-81 से प्रारम्भ कर दिये गये हैं । ये छात्रावास सहरिया विकास समिति द्वारा प्रारम्भ किये गये हैं ।

थाना हाउस; अलवर विद्यालय का भवन

121. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अलवर नगर के थाना हाउस विद्यालय का भवन गिरने की स्थिति में है एवं नगर परिषद् ने भवन के पास यह बोर्ड लगा रखें हैं—— "कृपया दूर रहें" ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार भवन की आवश्यक मरम्मत कराने अथवा गिरा देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । केवल भवन का एक हिस्सा गिरने की स्थिति में है ।

(2) भवन मालिक को भवन गिराने अथवा मरम्मत कराने हेतु लिख दिया गया है । तथा क्षतिग्रस्त हिस्से में कक्षायें नहीं लगाई जा रही हैं ।

निदेशक तकनीकी शिक्षा का पद

122. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर, पूर्व) : क्या प्रावैधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कुल पांच पोलीटेक्नीक एवं 22 इन्डस्ट्रीयल इन्स्टीट्यूट कार्यरत हैं और इनकी प्रशासनिक व्यवस्था निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर द्वारा की जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि निदेशक के नीचे के स्तर पर पोलीटेक्नीक एवं आई. टी. आई. पूरी तरह अलग-अलग हैं और इन दोनों संस्थानों के अधिकारी, व्याख्याता एवं प्रशिक्षकों का स्थानान्तरण भी पोलीटेक्नीक से आई. टी. आई. अथवा आई. टी. आई. से पोलीटेक्नीक में नहीं होता है ।

(3) क्या यह सभी सही है कि निदेशक, तकनीकी शिक्षा के पद पर नियुक्ति, पदोन्नति अथवा अन्य तरीकों से होने में पोलीटेक्नीक के अधिकारी, व्याख्याता अथवा प्रशिक्षक ही उच्च योग्यता होने की वजह से सामान्यतः पात्र होते हैं और आई. टी. आई. से इस पद पर कोई चयन नहीं हो सकता ?

(4) क्या राज्य सरकार आई. टी. आई. की व्यापकता को देखते हुए निदेशक, तकनीकी शिक्षा के पद को भरने के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(प्राविधिक शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां । परन्तु पोलीटेक्नीक 7 हैं ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं ।

(4) आई. टी. आई. एवं पोलीटेक्नीक दोनों ही सेवाओं के अधिकारियों को निदेशक के पद के लिये अवसर दिया जाता है ।

रामगंज मण्डी क्षेत्र में खोले गये विद्यालय

123. श्री हरीश शर्मा (रामगंज-मंडी) :क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष 1981 में जिला कोटा में कौन–कौन से स्कूल्स कहां–कहां खोले गये ? कौन से नये विषय प्रारम्भ किये गये ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) रामगंजमंडी विधान सभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार ने जिला आयोजना समिति की सिफारिश भी नहीं मानी है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सत्र 1981-82 में कोटा जिले में खोले गये नये प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों व नये प्रारंभ किये गये विषयों की विद्यालयवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) रामगंजमंडी विधान सभा क्षेत्र में सत्र 1981-82 में अभी तक कोई नये प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले गये हैं ।

(3) जिला आयोजना समिति द्वारा नये प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की सिफारिश राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(सूची के लिये कृपया, परिशिष्ट 10 देखें) ।

नागौर क्षेत्र के विद्यालय

124. श्री महाराम चौधरी (नागौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

निर्वाचन क्षेत्र नागौर में हायर सैकेण्डरी, सैकण्डरी व मिडिल स्कूल किन-किन गांवों में हैं ?

उत्तर

(1) वांछित ब्यौरा सदन के पटल पर रखा दिया गया है ।

(ब्यौरे के लिये कृपया, परिशिष्ट 11 देखें।)

मुख्य लेखा अधिकारी, कार्यालय में तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही सीट पर कार्यरत कर्मचारी

125. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के यह आदेश हैं कि एक लिपिक को एक सीट पर तीन वर्ष से अधिक नहीं रखा जावे ? यदि हां, तो कृपया, आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि मुख्य लेखा

(श्री माथूसिंह)
धिकारी कार्यालय में ऐसे वहुत से लिपिक हैं जो निरन्तर 10-10 वर्षों से संप्रस्थापन शाखा आदि महत्वपूर्ण सीटों पर पदस्थापित हैं ? यदि हां, तो कृपया, उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि ऐसे लिपिकों को लेखाकार तथा कनिष्ठ लेखाकारों को परेशान करने, उनसे रिश्वत की मांग करने आदि शिकायत मुख्य लेखाधिकारी को करने पर भी नहीं बदला गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जहां तक मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय के लिपिकों व मंत्रालयिक कर्मचारियों का प्रश्न है, ऐसा कोई कर्मचारी 10 वर्षों से संस्थापन शाखा में कार्यरत नहीं है ।

(3) ऐसी कोई शिकायत लिखित में प्राप्त नहीं हुई है ।

(आदेशों की प्रति के लिये कृपया, परिशिष्ट 12 देखें ।)

कोटा से इन्द्रगढ़,सुमेरगंज मण्डी तक सीधी बस सेवा चलाना

126. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा से लाखेरी तक सीधी बसें चलती हैं ? यदि हां, तो उन बसों को इन्द्रगढ़ जो कि कोटा जिले की नायब तहसील है, उस तक नहीं चलाने का क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार जनहित में कोटा से इन्द्रगढ-सुमेरगन्ज मंडी तक सीधी बसें चलाने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । लाखेरी से इन्द्रगढ़ राष्ट्रीयकृत मार्ग होने के कारण निजी बसें नहीं चलती ।

(2) विचार किया जायेगा ।

श्री माधोपुर-अजीतगढ़ मार्ग पर चलने वाली बसेज

127. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री माधोपुर से अजीतगढ़ (सीकर) मार्ग पर चलने वाली बसेज की संख्या प्रतिदिन क्या है ? क्या यात्रियों के अनुपात में उक्त संख्या पर्याप्त है ?

(2) उक्त मार्ग पर निजी बस मालिकों द्वारा किराये की राशि प्रति किलोमीटर क्या निर्धारित की गई है ? क्या यह राशि नियमानुसार सही है ?

(3) क्या उक्त मार्ग पर सड़क बनी हुई है और यात्रियों से किराया राज्य की नीति के अनुसार ही वसूल किया जाता है ?

(4) क्या उक्त मार्ग पर यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से बसों की संख्या बढ़ाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कितनी अवधि में ?

(परिवहन मंत्री)

उत्तर

(1) इस मार्ग पर पांच बसों की 6 वापसी सेवा में (रिर्टन ट्रिप) हैं जो पर्याप्त नहीं है।

(2) किराया बस मालिक निर्धारित नहीं करते बल्कि राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा तय किया जाता हैं। प्रति कि.मी. किराया 11.66 पैसे निर्धारित किया हुआ है जो नियमानुसार हैं।

(3) सड़क पूरे मार्ग पर नहीं बनी हुई है। किराया नियमानुसार लिया जा रहा हैं।

(4) जी हां, इस संबंध में यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

सहकारी संस्थाओं के चुनाव

129. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश की सहकारी संस्थाओं के चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ?

(2) किन-किन सहकारी संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी ?

(3) क्या चुनाव से पूर्व ग्रामीण सहकारी समितियों का पुनर्गठन भी किया जायेगा। यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) प्रदेश की समस्त सहकारी संस्थाओं के चुनाव माह दिसम्बर, 1981 तक करवाने का कार्यक्रम है।

(2) सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं के चुनावों की प्रक्रिया समान है जो राजस्थान सहकारी संस्थाएं नियम, 1966 के नियम 32 और 33 में निर्धारित हैं।

(3) जी हां, केवल रेगिस्तानी और पर्वतीय क्षेत्रों में जहां ऐसा करना नितान्त आवश्यक है। यह कार्य भी इस तरह किया जावेगा कि पुनर्गठन से प्रभावित पुरानी एवं नई सहकारी समितियों के चुनाव भी दिसम्बर, 1981 तक सम्पूर्ण कर लिए जावें।

अपना बाजार, अजमेर द्वारा दिये गये गैस कनेक्शन्स

130. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर-पूर्व) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अपना बाजार, अजमेर सहकारी संस्थान, अजमेर में गैस कनेक्शन देने का कार्य करता है तथा गैस कनेक्शन देने के पूर्व प्रत्येक उपभोक्ता से यह शपथ-पत्र प्राप्त करता है कि उसके पास पहले से कोई गैस कनेक्शन नहीं है ?

(2) यदि हां, तो सर्वश्री एस. नागपाल, किशन आहूजा, शांतिलाल जैन तथा अन्य उपभोक्ताओं को वर्ष 1981 में एक गैस कनेक्शन होते हुए, दूसरा गैस कनेक्शन कैसे दिया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि अजमेर से बाहर रहने वाले जोधपुर के श्री एस.सी. शर्मा तथा अन्य कई उपभोक्ताओं को वर्ष 1981 में नये गैस कनेक्शन दिये गये ?

(4) क्या यह भी सही है कि नये गैस कनेक्शन के लिये बुकिंग करते समय क्रमांक (एसेन्डिंग आर्डर) में ही डाल दिये जाते हैं ? यदि हां, तो 1981 में जो गैस कनेक्शन दिये गये हैं, उनके क्रम में कई जगह कई क्रमांकों

(श्री कैलाश मेघवाल)

पर "ए" डालकर पक्षपातपूर्ण गैस कनेक्शन क्यों दे दिये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सर्व श्री एस. नागपाल, किशन आहूजा, शांतिलाल जैन को वर्ष 81 में नये गैस कनेक्शन नहीं दिये गये।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, यह सही है कि बुकिंग के समय क्रमांक के एसेंन्डिंग आर्डर में डाले जाते हैं। जहां तक गैस कनेक्शन के क्रम में क्रमांक (ए) डालने का प्रश्न है, अपना बाजार, अजमेर द्वारा कई जगह कई क्रमांकों पर किसी भी मामले में ऐसा नहीं किया गया। जिस रजिस्टर में नये गैस कनेक्शन हेतु इच्छुक व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे उसमें क्रमांक (एसेंडिग ऑर्डर) में ही डाली गयी थी परन्तु भारतीय तेल निगम के अधिकारियों द्वारा जब यह नये गैस कनेक्शन दिये जाने के लिये रजिस्टर देखे गये तो कुछ क्रमांक रिपीट होने पर भारतीय तेल निगम अधिकारियों द्वारा इन रिपीट बुकिंग क्रमांक को सब नम्बर (ए) दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होगा कि अपना बाजार, अजमेर द्वारा पक्षपात पूर्ण गैस कनेक्शन नहीं दिये गये हैं।

पंचायत समिति, इटावा एवं सुल्तानपुर में भूमि विकास बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण

131. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा), श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, इटावा एवं सुल्तानपुर में 1966 से 1973 तक भू-संरक्षण विभाग द्वारा भूमि विकास बैंक से किसानों को ऋण दिलाकर जमीनों का लेवलिंग किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि ऋण की राशि इतनी अधिक हो गई है कि किसान से चुकाने में असमर्थ हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस ऋण को माफ करने हेतु भूमि विकास बैंक द्वारा प्रस्ताव सरकार को भेजे हुए हैं ?

(4) क्या सरकार जनहित में किसानों को उक्त ऋण से मुक्ति के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, इटावा में वर्ष 1966-67 से 1973-74 तक तथा पंचायत समिति, सुल्तानपुर में वर्ष 1972-73 से 1974-75 तक भू-संरक्षण विभाग की योजना में प्राथमिक भूमि विकास बैंक, कोटा से ऋण दिलाकर भूमि समतलीकरण कार्य कराया गया था।

(2) अधिकांश कार्य अधूरे रहने से काश्तकारों ने ऋण की रकम अदा नहीं की। ऋण की राशि तो योजनानुसार ही थी, परन्तु अधिकांश काश्तकारों ने भूमि समतलीकरण कार्य अधूरा बताकर ऋण अदा नहीं किया।

(3) प्राथमिक भूमिविकास बैंक, कोटा ने बैंक की रिहेबिलीटेशन योजना के अधीन 15.17 लाख रुपयों की वित्तीय सहायता के लिये निवेदन किया था, जो स्वीकृत नहीं हुई।

(4) इसका उत्तर क्रमांक 3 में आ चुका है।

जलाऊ लकड़ी पर प्रतिबन्ध

134. श्री बालचन्द्र आर्य (डग) एवं श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1980 में राज्य में जंगलात से जलाऊ लकड़ी ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था ? यदि हां, तो किस कारण ? यह प्रतिबन्ध कब तक रहेगा ?

(2) क्या यह सही है कि ईंधन की कमी से साधारण नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो भविष्य में सरकार इस संबंध में क्या नीति तय करेगी ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला झालावाड़ में ईंधन के लिये जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने हेतु विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। विभागीय तौर पर कूपों से कटाई गई जो जलाऊ लकड़ी आती है उसे विभागीय एवं राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ के बिक्री केन्द्रों तथा जिलाधीशों द्वारा अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराया जाता है। विभागीय बिक्री केन्द्रों पर जलाऊ लकड़ी के साथ-साथ कोयला भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों से लाई गई जलाऊ लकड़ी की बिक्री निजी विक्रेताओं द्वारा भी नागरिकों को की जाती है। जलाऊ लकड़ी के व्यापार में कोई रोकटोक नहीं है। कानूनी एवं प्रशासनिक नियंत्रण केवल हरे वृक्षों को काटने पर है जो कि अति आवश्यक है।

(3) जी नहीं। झालावाड़ जिले में झालरापाटन में विभागीय विक्रय केन्द्र स्थापित हैं, जहां से जन-साधारण को लकड़ी व कोयला विक्रय किया जाता है। इस विक्रय केन्द्र से कोयला औसतन लगभग 3 क्वि. व जलाऊ लकड़ी केवल 4 क्वि. प्रति दिवस क्रय की जाती है। झालावाड़ शहर में भी वर्ष 1975-76 में विभागीय विक्रय केन्द्र स्थापित किया गया था, परन्तु वन उपज की समुचित बिक्री नहीं होने के कारण व्यय के अनुपात को देखते हुए 1-7-1979 से यह केन्द्र बन्द करना पड़ा।

तहसील पचपहाड़ में आवश्यक वस्तुओं का अभाव

135. श्री बालचन्द आर्य (डग) एवं श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ में गेहूं, डीजल कैरोसीन तथा सीमेंट का भारी अभाव है ?

(2) क्या यह भी सही है कि मजदूर क्षेत्र में गेहूं व मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है ? यदि मिलता है, तो भारी दामों में ?

(3) क्या यही हाल ग्रामीण क्षेत्र का है ? सरकार इस समस्या के समाधान हेतु क्या प्रभावी कदम उठा रही हैं ?

(4) क्या गांवों में शक्कर व डीजल नहीं मिल रहा है, जिससे किसानों की हालत बदतर होती जा रही है ? यदि हां, तो कब तक सामान उपलब्ध होने लग जावेगा ?

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री) :

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हैं। अतः समस्या के समाधान हेतु कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी नहीं। गांवों में चीनी व डीजल उपलब्ध है। माह अगस्त, 1981 तक की लेवी चीनी का वितरण कराया जा चुका है। कुछ क्षेत्रों में माह सितम्बर, 1981 का भी वितरण चालू करा दिया है।

तहसीलदार, पीपल्दा द्वारा पकड़ा गया डीजल

136. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार पीपल्दा ने दिनांक 20-5-1979 को डीजल के के कुल 33 ड्रम अवैध रूप से ब्लैक किये हुए, गांव वालों की शिकायत पर पकड़े थे ?

(2) यदि हां, तो कितने ड्रम, कहां व किसके यहां तथा यह ड्रम किसके थे ?

(3) ब्लेक में जाते हुए, इन ड्रमों के लिये कौन व्यक्ति दोषी पाया गया तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 12 ड्रम ग्राम बन्जारी में एवं 21 ड्रम ग्राम तलाव में जब्त किये गये। 12 ड्रम सीताराम, पुत्र श्री लक्ष्मीलाल ब्राह्मण खातौली तथा 21 ड्रम श्री दिनेश कुमार उर्फ प्रहलाद, पुत्र श्री हीरालाल महाजन, इटावा के बतलाये गये हैं।

(2) इसके लिये 7 दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध ई. सी. एक्ट की धारा 3/7 के अन्तर्गत सी. जे. एम. न्यायालय, कोटा में केस चल रहा है। इस संबंध में आगामी तारीख पेशी दिनांक 15-10-81 वास्ते शहादत अभियोजन हेतु नियत है।

मुल्जिमान के नाम निम्नांकित हैं :-

1. श्री सीताराम, पुत्र घासीलाल ब्राह्मण, खातौली।

2. श्री दिनेश कुमार महाजन, इटावा।

3. श्री प्रेम शंकर महाजन, खातौली।

4. श्री चतुर्भुज महाजन, इटावा।

5. श्री मथुरालाल धाकड़, दसलाना।

6. श्री प्रभुलाल महाजन, निवासी तलाव।

7. श्री शोभाराम महाजन, नि. बोरदा।

फसल बीमा योजना की क्रियान्विति

137. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या राज्य में परीक्षण के तौर पर फसली बीमा चालू किया गया है ? यदि हां, तो कहां कहां ? नहीं, तो अब कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

अभी नहीं।

(कृषि मंत्री)

फसल बीमा योजना से संबंधित प्रस्ताव भारतीय साधारण बीमा निगम से प्राप्त हुए थे, लेकिन प्रस्ताव संतोषजनक न होने के कारण कुछ स्पष्टीकरण मांगे जाने के कारण योजना शुरू नहीं हो पा रही है। स्पष्टीकरण प्राप्त होते ही शुरू किये जाने के प्रस्ताव शीघ्र बनाये जावेंगे।

पंचायत समिति, इटावा की ग्राम पंचायतों में कराये गये निर्माण कार्य

138. श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, इटावा की ग्राम पंचायत, इटावा रनोदिया, बमोलिया कलां, फुसोद, रजोपा, दुर्जनपुरा, बोरदा तथा ढीपरी में काम के बदले अनाज योजना तथा अकाल राहत कार्य एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये विभिन्न निमार्ण कार्यों में भारी गबन एव घोटाले हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम पंचायतों में कराये गये निमार्ण कार्यों की अभी तक तकनीकी जांच नहीं हुई है ?

(3) क्या सरकार उक्त पंचायतों द्वारा कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों की जांच करा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) रनोदिया और ढीपरी पंचायतों में कराये जाने वाले कार्यों की तकनीकी जांच हो चुकी है, और शेष ग्राम पंचायतों की जांच संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता के त्याग-पत्र दे देने के कारण नहीं हो सकी, जो शीघ्र करा ली जावेगी।

(3) यदि तकनीकी जांच के बाद में कोई दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध अवश्य कार्यवाही की जावेगी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं:–

(1) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर नगर के महामन्दिर क्षेत्र के अशोक धारीवाल के नाम के एक व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी हंसा रानी को जला कर, उसकी मृत्यु होने के विषय में,

(2) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की रामगंज मंडी तहसील के ग्राम पीपाखेड़ी की चरागाह पर कुछ खान मालिकों द्वारा अवैध अतिक्रमण करने के विषय में,

(3) श्री शिव सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर सब-डिवीजन के सरमथुरा, कस्बा में विद्युत लाइन खींच दिये जाने के बावजूद वाटरवर्क्स का कनेक्शन न दिये जाने के संबंध में,

(4) सर्व श्री अनंग कुमार जैन व बालचन्द्र आर्य सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत ऐनिकट्स के निर्माण में रद्दी किस्म की सीमेंट व चूने की राख लगाये जाने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री मोहन लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सरदारशहर में पिछले माह में दो साधू महन्तों की हत्या व एक लावारिस लाश राजकीय विश्राम गृह में मिलने के संबंध में,

(6) श्री राम किशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति, सिकराय, जिला जयपुर में सीमेंट के जो 4500 बोरे प्राप्त हुए हैं निर्माण के लिये उपयुक्त नहीं होने के विषय में,

(7) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से रामगंज मंडी, ज़िला कोटा में आवासन मण्डल द्वारा भवन निर्माण हेतु आवेदन-पत्र मय राशि के प्राप्त हो जाने के बाद भवन निर्माण नहीं करवाये जाने के विषय में,

(8) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर में गत 9 सितम्बर को दिगम्बर जैन मंदिर से 80 वर्ष पुरानी चांदी की मूर्ति की चोरी हो जाने के संबंध में ।

(9) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद कोटा नगर से 13 जनवरी से 10 जून, 1981 की अवधि में 8 हजार के लगभग गो-वंश निकासी के लिये भेजने के विषय में.

(10) श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से खेड़ली गांव, जिला अलवर में गत 7 सितम्बर की रात्रि को श्री धन्ना मीणा की हत्या के संबंध में,

(11) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील कोलायत की ग्राम पंचायत, बरसलपुर व मानकासर के 14 गांवों में गत मई से पानी की पिलाई का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में,

(12) श्री रघुवीर सिंह कौशल व श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में घटिया स्तर की रासायनिक खाद एवं कीटनाशक औषधियों के प्रचलन के विषय में ।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

जिन अन्य माननीय सदस्यों से स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है, वे इस प्रकार हैं :-

(1) श्री महाराम चौधरी —राजस्थान कौन्सिल आफ डिप्लोमा इन्जीनियरर्स का 10 सूत्री मांग-पत्र पिछले 7 वर्ष से सरकार के विचाराधीन है ।

माननीय सदस्य ने एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी दी है, अतः इसे अस्वीकार किया जाता है ।

(2) श्री यदुनाथ सिंह—तहसील नदबई की ग्राम पंचायत, तलछेरा के सरपंच द्वारा गत 10 सितम्बर को तहसील के रिकार्ड की चोरी करके उसमें हेरा-फेरी करने के विषय में ।

यह प्रस्ताव किसी अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना से संबंधित नहीं हैं ।

(3) श्री हंसराज शर्मा—ज़िला सवाई-माधोपुर में पोस्ट ग्रेजुएट कालेज न होने व बड़े उद्योग न लगाये जाने के विषय में ।

(श्री अध्यक्ष)

यह विषय स्थगन प्रस्ताव का नहीं है और इसमें एक से अधिक विषय उठाये गये हैं।

(4) सुश्री पुष्पा जैन-संगमरमर व्यवसाय में कार्यरत मजदूरों के हितों के विरुद्ध पिछले माह कुछ उद्योगों को मकराना में इम्पोर्टेड मारबल मशीन मंगवाने का लाइसेंस दिये जाने के विषय में।

यह प्रश्न किसी घटना विशेष से संबंधित नहीं है।

(5) श्री घनश्याम तिवाड़ी-खरीफ 81 के लिये बीज निगम द्वारा ऊंचे मूल्यों पर अप्रमाणित बीज खरीद कर किसानों में वितरित करने के संबंध में।

माननीय सदस्य को कृषि विभाग की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करने की इस प्रस्ताव पर भी चर्चा करने के लिये अनुमति दी गई थी, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

उपरोक्त आधारों पर मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री कनक राज मेहता—सांचौर तहसील में 7500 बीघा रकबे में स्थित सरदारपुरा जोड़ के लाखों सूखे व हरे पेड़ों की कटाई।

मैं चाहूंगा कि इस विषय में सरकार की ओर से कल दिनांक 23 सितम्बर को एक वक्तव्य दिया जाय।

(2) श्री गोपाल पचेरवाल, भ्रमणशील चिकित्सा इकाई विभाग के कर्मचारियों का धरना एवं भूख-हड़ताल,

(3) श्री राजबहादुर,—घाना बर्ड सैंक्चुरी में स्थानीय जनता को उनके अधिकारों से वंचित किये जाने के विषय में,

(4) श्री रघुवीर सिंह कौशल, श्री हीरालाल आर्य, श्री अनंग कुमार जैन व श्री दाऊदयाल जोशी—श्रीराम कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, कोटा द्वारा जल प्रदूषण,

(5) सर्व श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, गुलाब चन्द कटारिया, भंवर लाल शर्मा, जीतमल जैन, अनंग कुमार जैन व नन्दलाल मीणा—जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर में उत्पादन में कमी,

(6) श्री मेघराज तावड़-गोगुन्दा तहसील के सरपंच काछुआ के पास शक्कर एवं गेहूं का लाइसेंस रद्द कर दिये जाने के बाद पुनः लाइसेंस देने।

(7) सर्व श्री रामकिशोर मीणा, सोहनलाल बंशीलाल-राज्य में नये जिलों के निर्माण की घोषणा के बावजूद उसे लागू नहीं करने के संबंध में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से प्राप्त तथ्यात्मक सूचना के अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ये अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(1) सर्वश्री दाऊदयाल जोशी व ललित किशोर चतुर्वेदी—कोटा नगर के वाणिज्य महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा आन्दोलन।

माननीय सदस्य इस विषय पर सदन में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं।

(2) श्री समर्थलाल—शिक्षा विभाग में

(श्री अध्यक्ष)
चित्रकला व उद्योग के अध्यापकों की पदोन्नति का कोई अवसर न होने के विषय में।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पद की आवश्यकता, विषय की आवश्यकता के अनुसार नियुक्ति की जाती है और आवश्यक होने पर नये पद भी सृजित किये जाते हैं। अतः विभाग इस प्रकार की स्थिति में नहीं है कि चित्रकला व उद्योग के विषय के अध्यापकों की पदोन्नति के कोई प्रावधान नहीं हों।

(3) सर्वश्री मेघराज तावड़, बहादुरसिंह व फतेसिंह,—माही बांध परियोजना पर डूब में आने वाले ग्रामवासियों को वैकल्पिक भूमि को आवंटन न करने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि 900 खातेदार परिवारों को 24 पुनर्वास बस्तियों में बसा कर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और शेष विस्थापितों को आवंटित भूमि पर जाने के पश्चात् उन्हें भी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करादी जावेंगी।

उक्त सूचना के आधार पर ये स्थगन प्रस्ताव भी अस्वीकार किये जाते हैं।

श्री नन्दलाल मीणा— डूंगरपुर जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों द्वारा श्री तेजाराम, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने के विषय में। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर इस प्रस्ताव को उठाने की मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : सर्वश्री दाऊदयाल जोशी व ललित किशोर चतुर्वेदी—कोटा नगर के वाणिज्य महाविद्यालय ....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन के संबंध में आपसे मैंने बोलने की इजाजत चाही थी, और आपने फर्माया था कि कल टाइम दूंगा। दो मिनट का मुझे टाइम दे दें।

श्री अध्यक्ष : विचार करूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आज अनेकों स्थगन प्रस्तावों के बारे में आपने अपनी व्यवस्था दी है। पांच-छः दिन पहले स्थगन प्रस्ताव मूव किये थे, और आज एबरप्टली वह सारे तथ्य हैं वह अपने साथ लेकर यहां नहीं आते हैं। इसलिए यदि कोई व्यवस्था की जावे। या तो यह कह दिया जावे ....

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव किस के बारे में था ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जयपुर मेटल के बारे में मूव किया था, आज आपने रिजेक्ट किया है।

श्री अध्यक्ष : कल अवसर दे दूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैंने दिनांक 15 सितम्बर को नियम 158 के तहत पिछले सत्र में तीन अप्रेल को माननीय सदस्यों को यहां से अवैध रुप से निकाला गया था ....

श्री अध्यक्ष : वह विचारणीय मामला है अभी।

श्री भंवरलाल शर्मा : 15 तारीख से विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष : आप चैम्बर में मिल लें मुझ से ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यहां पर माननीय सदस्यों का अपमान हुआ है, मार्शल द्वारा अपमान किया गया है, इतना महत्वपूर्ण विषय है ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । आप मिलते रहते हैं और चैम्बर में मिल लीजिए । मैं आपको कानूनी और वैधानिक स्थिति से अवगत करा दूंगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : उस पर आपने अपना निर्णय नहीं दिया है । आपका निर्णय आना चाहिए, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अनेक प्रश्नों पर आज सम्माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है । उसमें मेरा एक प्रश्न भी आज कोटा जिले में जो स्थगन प्रस्ताव गौ वंश के संबंध में प्रस्तुत किया था ....

(व्यवधान)

मेरा चैलेंज है कि इस सत्र में तो क्या, अगले सत्र में भी इसकी जानकारी नहीं आएगी । इसका कारण यह है कि आज ही....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि आज की तारीख में ही एक प्रश्न सं. 184; श्री हरीश शर्मा का आया है और उसमें यह आरोप लगाया गया है कि गौ वंश की निकासी कोटा से हुई है । मेरा निवेदन करना है कि जवाब आज तक नहीं आया, और न आएगा । नहीं आने का कारण क्या है कि वहां से सारी पत्नावलियां गायब कर दी गई हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, इस पर भाषण नहीं होगा । आप चाहें तो इसमें व्यवस्था बदल कर कोई दूसरी व्यवस्था कर दूं, बोलने के लिए अलाउ कर दूं । इसकी भी तैयारी है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : नहीं, तो आप चाहते क्या हैं ? आप इसी समय बोलना चाहते हैं तो अवसर दे दूंगा ।

श्री दाऊदयाल जोशी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, जिस समय आप इजाजत देंगे, उस वक्त बोलूंगा लेकिन ....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): मान्यवर, भूतपूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने इस पर यहां पर एक बात.....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया, बैठ जाइये, आपको अवसर दे दूंगा ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ....

श्री अध्यक्ष : आपका एक पाइन्ट आफ

(श्री अध्यक्ष)
आर्डर मैंने स्वीकार कर लिया, अब दूसरा पोइन्ट आफ आर्डर है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपने यह कहा कि कोटा के वाणिज्य महाविद्यालय के लिए आप बोल चुके हैं, बिलकुल ठीक। मैं केवल एक सूचना शिक्षा मंत्री को दे रहा हूं। आज भूख हड़ताल को दस दिन हो गए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 11 किलो वजन उसका कम हो गया, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है, उसका आप जवाब दे दीजिए। उसकी जान बच जाएगी। कोटा में आग लग जाएगी। आप कृपया, उसके बारे में निवेदन कर दें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री शांतिदयाल जोशी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, ये दो तार आ चुके हैं, 11 किलो वजन कम हो गया है। माननीय विधि मंत्री जी, जो पहले कोटा से आये थे, उन्होंने कहा कि आपत्ति की बात यही है....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि कोटा में जिस प्रकार की विशेष परिस्थिति हो रही है उसमें यह व्यवस्था कि एडजोर्नमेंट मोशन पर पहले चर्चा हो चुकी थी अब उस पर चर्चा की गई तो अव्यवस्था फैलेगी, तो, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अव्यवस्था फैलेगी, यह किस ने कहा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके रूल्स की अव्यवस्था होगी।

श्री अध्यक्ष : अवहेलना होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अवहेलना होगी।

श्री अध्यक्ष : नये तथ्य मेरे सामने लाये ही नहीं गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई राजनैतिक मामला नहीं है। सरकार से मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि सरकार स्वयं इस पर बोलती तो ज्यादा अच्छा होता। कोटा की जिस प्रकार की विस्फोटक स्थिति हो रही है वह विस्फोटक स्थिति, अगर उस लड़के के कुछ हो गया तो किसी के कण्ट्रोल में आने वाली नहीं है। बार बार तार और चिट्ठियां विधायकों के पास आते हैं, उसके कारण, अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में एडजोर्नमेंट मोशन के जरिये या किसी अन्य प्रकार से सरकार का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता महसूस होती है। रात से दुनियां भर के सदस्यों के पास तार आ रहे हैं। लड़के की हालत खराब हो रही है। लड़के की हालत और बिगड़ते हुए, खराब हो गई और मृत्यु हो गई तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि एडजोर्नमेंट मोशन का सवाल ही नहीं है, वहां की स्थिति कण्ट्रोल करना मुश्किल होगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से, हम नहीं चाहते कि वह लड़के की जो भी मांगें हैं उनको किसी तरह से मीट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप वक्तव्य दें। वक्तव्य दें तो हम उस पर बातचीत करें, विद्यार्थी से मिलें

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
और उनको समझायें । आज सरकार एक तरफ अड़ी हुई है, विद्यार्थी एक तरफ हैं । इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की बीच में एडजस्ट होने की स्थिति नहीं है । वहां के छात्र एक मांग को लेकर इस प्रकार से उद्वेलित हैं । अध्यक्ष महोदय, मांग वाजिब है इसमें तो किसी प्रकार से कोई इन्कार नहीं कर सकता । मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार भी इन्कार नहीं करेगी । क्वेश्चन यह है कि किसी प्रकार से सैटल किया जावे । सरकार को कुछ कहना चाहिए इसीलिए बार-बार एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया जाता है । नहीं कहना चाहते हैं तो मर्जी की बात है ।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या, इस पर भाषण नहीं होगा ।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती । मैंने कल आपको एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया था नाथपा झाकड़ी के विषय में आपने उसको, सरकार को जानकारी के लिए भेजा है । क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार ने जानकारी दे दी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : जितने भी अन्तर्राज्यीय बिजली और सिंचाई के विवादों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से मैं तजबीज कर रहा हूं कि यह सत्र समाप्त हो उससे पहले वक्तव्य दिया जावे, उसमें यह सभी जितने भी प्रस्ताव हैं वे उसमें रखेंगे और 25 तारीख को शायद यह वक्तव्य हो ।

सुश्री पुष्पा जैन : यदि अध्यक्ष महोदय, 25 से पहले रख दें ।

श्री अध्यक्ष : मंत्रियों की सुविधा को भी मुझे देखना पड़ता है ।

सुश्री पुष्पा जैन : हमारी सुविधा का भी, यदि ध्यान रखा जावे ।

श्री अध्यक्ष : 25 ठीक है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, कोटा के मामले में.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, पहले गौ-वंश पर आइये । इसके लिए आपका नाम पुकार लिया गया है । पहले गौ वंश की निकासी के बारे में कहें ।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : हमारा एक काल अटेन्शन पड़ा है....

श्री अध्यक्ष : किस के बारे में ?

श्री यदुनाथसिंह : 14 तारीख को हमने पढ़ा, यहां पर अकाल की स्थिति है, खाद्यान्नों की कमी है, अध्यक्ष महोदय, और वहां केन्द्रीय मंत्री ने वक्तव्य दिया है कि राज्य सरकार इसके लिए दोषी है । इसलिए....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चारे की उपलब्धि के बारे में, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया है । इसकी जानकारी ले लें, मैं आपको बता दूंगा ।

श्री दाऊदयाल जोशी, गौ वंश की निकासी के बारे में ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा सत्र में गौ वंश की निकासी को लेकर दो बार सदन में चर्चा

(५५)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

हुई । उसके परिणाम स्वरूप पिछली सरकार ने 30 अगस्त, 1980 को एक आदेश प्रसारित किया, जिसमें कहा गया कि कोटा से रेल से या रोड़ से किसी प्रकार से गौ वंश की निकासी नहीं की जा सकेगी । इसकी पालना तुरन्त जिलाधीश राजस्थान भर में करें । उस आदेश के बावजूद भी कोटा नगर के माल गोदाम से 13-1-81 से लेकर 10-6-81 तक वैगन नम्बर के आधार पर 641 वैगनों के माध्यम से गौ वंश का लदान हुआ । मालपुरा में कसाई बूंदू खां, जिसका जाली नाम मिश्री वल्द मेवा है, इसी प्रकार से कय्यूम खां वच्चू खां चार कसाई हैं । कोटा के जिलाधीश महोदय के बजाय उप-जिलाधीश महोदय रतनलाल जी के यहां प्रार्थना-पत्र पेश किया, असिस्टेन्ट कलेक्टर के यहां पेश किया कि चूंकि राजस्थान में अकाल की स्थिति बनी हुई है, राजस्थान के बाहर गौ वंश की पूजा हो रही हैं, वहां पूजते हैं, आदर से देखते हैं, इसलिये सारे गौ वंश को राजस्थान से बाहर पूजने के लिये ले जा रहे हैं । वहां के मेडिकल डायरेक्टर से परमीशन ली गई, उनसे पूछा गया कि जानवर यहां से ले जा रहे हैं वह कटने के लिये तो नहीं जा रहे हैं ? डाक्टर ने लिख दिया कि कटने के लिये नहीं जा रहे हैं । पूजने के लिये जा रहे हैं ।

इस प्रकार कोटा से लगातार एक के बाद एक वैगन गये 13-1-81 से लेकर 10-6-81 तक ऐसा कोई दिन बाकी नहीं गया जिस दिन गौ वंश नहीं गया हो, गौ वंश की निकासी जारी रही । मेरा निवेदन यह था कि जब मैंने जानकारी चाही प्रश्न के माध्यम से, तो उत्तर दिया, आज यह जानकारी नहीं है। राज्य सरकार जानकारी नहीं देगी । जब स्पष्ट आदेश दिये पिछली सरकार ने कि गौ वंश की निकासी राजस्थान से नहीं होगी, तो फिर किस आधार पर गौ वंश की निकासी हुई ? कौन व्यक्ति इसके लिये जिम्मेवार है । किन कारणों से यह हुई ? राजस्थान से गौ वंश ले जा रहे हैं

श्री अध्यक्ष : दो-दो मिनट माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है जो राजस्थान का गौ-वंश तेजी से बाहर जा रहा है कटने के लिये जा रहा है; उसको रुकवाने की आप कृपा करें । राजस्थान में एक मात्र जीवनयापन का खेती के बाद दूसरा कोई आधार है तो वह गौ वंश है । इसकी रक्षा करने की कृपा करें । माननीय कृषि मंत्री जी यहां विराज रही हैं; निश्चित रूप से मेरे प्रश्न का उत्तर देंगी और जांच करवायेंगी कि कितनी गौ निकलीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह ।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि आपने इस प्रश्न को लोक महत्व का नहीं माना है लेकिन जो नदबई तहसील में एक सरपंच द्वारा वहां के रेकार्ड में हेराफेरी करने का स्पष्ट मामला 10 तारीख को तहसीलदार ने पकड़ा, उसके पहले पता नहीं कितन दिनों से रेकार्ड में हेराफेरी की जा रही है । मेरे पास उसकी फोटोस्टेट कॉपी मौजूद हैं । वहां पर वह सरपंच अपने आपको एस.पी. का रिश्तेदार बताकर, लोगों की जमीन पर से जबर्दस्ती फसल कटवाने का काम कर रहा है । इससे वहां पर टेन्शन मौजूद है । लेकिन आपने लोक महत्व का नहीं माना है और यह उचित समझा कि दो मिनट में अपनी बात कहूं ।

(श्री यदुनाथसिंह)

मैं तो चाहता था कि सरकार सारी जानकारी मंगा ले । अध्यक्ष महोदय, एक नामान्तरण की प्रति मेरे पास है । मेरे पास तीन मामलों की स्पष्ट फोटोस्टेट कॉपी मौजूद हैं । नकल है जिसमें "स्वीकृत किया जाता है" में शब्द 'स्वीकृत' में सरपंच ने रेकार्ड चोरी करके "अ" बढ़ाया है, उनकी फसल कटवाने के लिये । पुलिस को ले जाकर उनकी फसल कटवाई है ।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है । इस मामले में राजनैतिक दबाव देकर, सरपंच को बचाने की कोशिश की जा रही है । मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन था कि इस तरह के मामले हो सकते हैं, सत्ताधारी दल का सरपंच हो सकता है, और आम तौर पर सरपंच होते हैं वह उस पार्टी के बन जाते हैं । इस प्रकार का यह मामला है । मैं रेवेन्यू मिनिस्टर से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले की जांच कराई जाये । पता नहीं, कितने लोगों के रेकार्ड में हेराफेरी की गई है। वहां पर जो गड़बड़ी की गई हैं, उसकी रिपोर्ट तहसीलदार ने कलेक्टर को दी है। लेकिन कलेक्टर, भरतपुर पर यह दबाव डाला जा रहा है कि इस मामले को दबाया जाये । वहां पर लोगों में असन्तोष है । लोगों को गिरफ्तार करके ट्रेक्टर बंद करवा दिये गये हैं जब कि उनके कब्जे हैं, और खातेदारी मौजूद है । लेकिन नामान्तरण में, नाम स्वीकृत को काटकर बाद में अस्वीकृत किया गया, जिसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है । मैं यह निवेदन करना चाहता था, सरकार इसकी जानकारी लेती तो स्थिति स्पष्ट होती । इसलिये मैं रेवेन्यू मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को स्वयं मंगाकर इसका अवलोकन करें । यदि सरपंच दोषी है तो रेवेन्यू मिनिस्टर से निवेदन है कि उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये ।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): सवाई माधोपुर जिले की ओर राजस्थान सरकार की उदासीनता रही है । इस संबंध में, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिला सवाई माधोपुर एक पिछड़ा हुआ जिला है । वहां पर अधिकतर गांवों में काश्तकारों की संख्या ज्यादा है । 70 और 75 प्रतिशत पूरे क्षेत्र में शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग रहते हैं । किन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि सवाई माधोपुर जिला हैडक्वार्टर होते हुए भी, वहां पर लॉ कालेज नहीं है । दूसरा न पोस्ट-ग्रेजुएट का कोई कालेज है । इसी प्रकार से सारे जिले में जहां हायर सैकण्डरी में संस्कृत है, वहां किसी भी एक कालेज में सब्जेक्ट संस्कृत का नहीं है । इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा साधन होते हुए भी, भूमि होते हुए भी जिले में एग्रीकल्चर का कालेज नहीं है । राज्य सरकार से गत सत्र में भी मैंने निवेदन किया था, सवाई माधोपुर में सब-डिवीजन में ग्राम नलायता एक ऐसा स्थान है जहां पर एक हजार बीघा भूमि उपलब्ध है, मकान बने हुए हैं, यदि राज्य सरकार चाहे तो आसानी से एग्रीकल्चर कालेज वहां खोला जा सकता है । यदि आवश्यकता पड़ी तो जनता के सहयोग से भी हम सहयोग देंगे । किन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि स्कूलों और कालेज का खोलना तो दूर रहा, बल्कि शिक्षण संस्था जो खोली गई हैं वे भी जिले में मनमाने तरीके से खोली हैं ।

श्री अध्यक्ष : पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज का प्रश्न है ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर कालेज खोला जाये। अगर कालेज नहीं खोला गया तो वहां के छात्रों में भयंकर असन्तोष बढ़ रहा है जो आगे चल कर क्रांति का रूप ले सकता है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि उद्योग की दृष्टि से फर्टीलाइजर का कारखाना लगाने की बात राज्य सरकार कर रही थी। इस सरकार द्वारा सवाई माधोपुर के पक्ष में रिपोर्ट दी गई थी। किन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि वहां हजारों मजदूर काश्तकार हैं, सब प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, किन्तु अभी तक राज्य सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है। इसलिये मेरा निवेदन है कि खाद का कारखाना मंजूर करवाया जाये और सवाई माधोपुर में खुलवाया जाये जिससे वहां के हजारों मजदूर जो बेकार बैठे हुए हैं, उनको अच्छी प्रकार से रोटी और रोजी का साधन उपलब्ध हो जायं। इसी प्रकार से मेरा.....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : निवेदन है कि हमारे यहां सीमेण्ट फैक्ट्री है। उसकी ऐसी स्थिति है कि वह अपने अंतिम क्षणों में सांस ले रही है। राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि उसे अपने अधीन ले लें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : मेरा निवेदन है कि उस फैक्ट्री की जो स्थिति है, उसमें जोर डाला जा रहा है उसको समाप्त कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि हमारे जो पहले स्टेट कमिश्नर ××× थे, उनको वहां व्यवस्थापन की दृष्टि से डायरेक्टर लगाया गया है। मेरा निवेदन है कि दारू के मामले में जिसने राजस्थान में करोड़ों का घोटाला किया था उसको सीमेंट फैक्ट्री में बैठा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : मानहानिकारक मामले नहीं उठायें। कृपया, अपने आपको स्थगन प्रस्ताव तक ही सीमित रखें।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : सीमेंट फैक्ट्री समाप्त करने की दृष्टि से ऐसा किया है। मेरी मांग है कि उद्योग की दृष्टि से सवाई माधोपुर जिले के साथ ज्यादा से ज्यादा सहयोग किया जाये।

श्री अध्यक्ष : कुमारी पुष्पा। श्री घनश्याम तिवाड़ी। बीज निगम द्वारा खरीद के विषय में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस बार भगवान ने वर्षा नहीं की, अकाल पटका। लेकिन अगर समय पर वर्षा हो भी जाती तो भी निश्चित था कि अकाल पड़ता। इसका कारण यह है कि राजस्थान बीज निगम ने जितनी बड़ी चीटिंग और जितना बड़ा अन्याय किसानों के साथ किया, उतना शायद कभी नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बाजरे के बीज की खरीद के लिये 27 हजार क्विंटल का प्रावधान था जिसमें से 16 हजार क्विंटल बीज नेशनल सीड्स कार्पोरेशन से खरीदा गया और बाकी प्राइवेट फर्मों के साथ बातचीत तय हुई। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये पहले से कोई बात नहीं हुई। जब सीजन आया तो

××× नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
बहुत बड़ी डिमाण्ड भेज दी गई, यहां के सैक्रेटरी × × × के द्वारा.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपने स्थगन प्रस्ताव में किसी का नाम नहीं लिखा है। मानहानिकारक एक नाम ले रहे हैं जब कि जो पद है किसी व्यक्ति का उसमे पुकारें। इस संबंध से मैंने आपको अवसर भी दिया था जब कृषि की मांग विचाराधीन थी। उसमें आप हिस्सा लेते। उस समय मंत्रीजी उत्तर भी दे सकते थे लेकिन आपने ऐसे माध्यम को अपनाया है कि सरकार की ओर से शायद उत्तर न आवें। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि किसी को नाम से न पुकारें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह सक्रेटरी साहब ने गलत रिपोर्ट बनाई जिसके आधार पर 40 हजार क्विंटल बाजरे का बीज हमको खरीदना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जब 6 महीने पहले, 8 महीने पहले जहां से बीज खरीदना होता है वहां पहले ज़मीन देखी जाती है, राजस्थान सीड कार्पोरेशन की देखरेख में क्षेत्र तय होता है और सारा काम होता है। पौधों पर छिड़काव होता है, उसके बाद स्टेट के सीड कार्पोरेशन के द्वारा टेस्टिंग होता है, फिर राजस्थान सीड कार्पोरेशन के थेलों में भर कर सीड भेजा जाता है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जब यह सारी कार्यवाही होनी थी उस समय, एक गलत प्राइवेट फर्म, जिसका नाम कार्तिक खेती वाड़ी कंपनी, गुजरात है, 3 हज़ार क्विंटल बाजरे का बीज खरीदना था, उसको 5 हज़ार क्विंटल बाजरे का बीज बिना किसी कार्यवाही के, नियमों को ताक में रख कर, अध्यक्ष महोदय, एक लेटर के ऊपर खरीदने के लिये आर्डर दे दिया। अध्यक्ष महोदय, उस फर्म ने न तो गुजरात सीड कार्पोरेशन को लैटर भेजा, न राजस्थान सीड कार्पोरेशन को लैटर भेजा, बल्कि वह फर्म सीधी गई सचिवालय में, और सैक्रेटरी महोदय के यहां जाकर उन्होंने लैटर टाइप किया। उस लैटर पर चार लाइन के हाशिये पर आर्डर लिख दिया कि आर्डर तुरन्त दे दिया जाय। यह आर्डर देने के पश्चात् राजस्थान सीड कार्पोरेशन के दफ्तर में यह लैटर 27 तारीख को जाकर दर्ज कराया गया, उससे पहले आर्डर दिया जा चुका था। अध्यक्ष महोदय, उसके दो दिन बाद, 3 हजार क्विंटल की जगह 8 हजार क्विंटल का आर्डर कैसे कर दिया गया और वह भी किस दर पर ? उस समय गुजरात की दूसरी कंपनियों ने 510 रु. प्रति क्विंटल और 555 रु. प्रति क्विंटल, और 520 रुपया प्रति क्विंटल के आधार पर कहा था कि हम बीज सप्लाई करने के लिये तैयार हैं जब कि इस कंपनी की रेट 565 रुपये प्रति क्विंटल थी, इस कंपनी को बाजरा बेचने का आर्डर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में पर्चेज रूल्स बने हुए हैं उसमें स्पष्ट नियम है कि किसी भी व्यक्ति को टैन्डर काल किये बिना, और किसी प्रकार की स्वीकृति लिये बिना, बाजरे के बीज खरीदने का कोई हक नहीं है। लेकिन कोई टैंडर काल नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो नार्मल प्रोसिजर है कि टेंडर काल न करें तो क्या करें इसके लिये रूल्स में लिखा है:—

"Rule 2.5—Purchase of certified Kharif seed—While confirming the action of the manage-

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ment in regard to purchase of seeds as contained in the agenda note from the companies other than National Seeds Corporation the Board decided that the purchase of seeds without following the normal procedure of inviting upon tenders as contained in the purchase rules of the company be made by the Managing Director in consultation with Manager (Finance) with the approval of the management."

तो इस सौदे में न तो कोई सैंक्शन हुई, न टैंडर काल किया गया, न मार्केटिंग डिवीजन के मैनेजर से पूछा गया। किसी को नहीं पूछा गया और एक खाली कागज पर जिस कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं, कोई नाम नहीं, जिसने जयपुर में पत्र लिखा उसको वहीं पर आर्डर प्लेस कर दिया गया और राजस्थान का सीड कार्पोरेशन जो इस सौदे से पहले 13 लाख के फायदे में चल रही थी, वह आज के दिन 70 लाख के घाटे में चला गया है। राजस्थान सीड कार्पोरेशन की 80 प्रतिशत चुकता पूंजी इसमें फंसी है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद सैक्रेटरी साहब को फिर एक दिन सपना आया, और सपने में एक लैटर और ड्राफ्ट कर दिया कि पांच हजार क्विंटल बाजरे का बीज और भेज दें। यानी इसके अलावा पांच क्विंटल का और आर्डर कर दिया। न तो कोई कंपनी का टैंडर है, न कोई कंपनी ने लैटर लिखा, न डायरेक्टर एग्रीकल्चर या डिस्ट्रिक्ट्स एग्रीकल्चर आफिसर की मांग थी, इसके बावजूद लैटर भेज दिया गया। वह लैटर जाने के बाद कंपनी का पत्र आया कि हमारे पास इतना बाजरा नहीं है इस लिये पांच और कंपनियों के नाम हमारे पास हैं। वह लैटर मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। उस कंपनी ने कहा कि हमारे पास बाजरे का बीज नहीं है....

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखें। पत्रों को पढे नहीं, यों ही बता दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जी हां, अध्यक्ष महोदय, बिना जानकारी प्राप्त किये, सचिव महोदय ने उसी दिन, जिस दिन लैटर प्राप्त हुआ, कोई नेशनल सीड कार्पोरेशन के दफ्तर में प्राप्त नहीं किया, सभी लैटर सचिवालय में प्राप्त हुए, सचिवालय से आर्डर भेजे गये, नेशनल सीड कार्पोरेशन के लैटर पैड पर। वह आर्डर देने के पश्चात् लैटर गुजरात में पहुंच गया उसके दो दिन पश्चात् राजस्थान सीड कार्पोरेशन के आगमन रजिस्टर में पत्र दर्ज किया गया। वह आर्डर उनके पास चला गया जिस पर उन्होंने कहा कि पांच और कंपनियां हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी जानकारी मिली है कि इस प्रकार की पांच कंपनियां कोई भी नहीं है गुजरात में। केवल बाजरा खरीदने के नाम पर, सारी की सारी कंपनियों के नाम झूठे दिये गये हैं। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, लैटर आ गया। वह लैटर था कि हम इतनी जल्दी बाजरा सप्लाई नहीं कर सकते। बाजरे की टैस्टिंग कराने के लिये गुजरात सीड कार्पोरेशन में नियम है कि जब तक गुजरात सीड कार्पोरेशन टैस्ट नहीं कर लेता, तब तक उसको राजस्थान की थैलियों में पैक नहीं किया जाता इसलिये, अध्यक्ष महोदय, लैटर आया कि गुजरात सीड कार्पोरेशन को लैटर लिखिये कि इसमें छूट दें हम को, और बिना टैस्ट कराये हम को बीज खरीदने की अनुमति दी जाय। वह पत्र

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भी लिखा। खुद ही तो पत्र लिखने वाले थे सो उसी दिन पत्र लिख दिया गुजरात सीड कार्पोरेशन को एग्रीकल्चर सैक्रेटरी ने, राजस्थान सीड कार्पोरेशन के लैटर पैड पर कि इस फर्म को बीज है या बाजरा है, बिना टेस्ट कराये बिना सारी कार्यवाही कराये बेचने की अनुमति दी जाय।

इस पत्र के जाने के पश्चात्, अध्यक्ष महोदय, वहां से आज्ञा हुई और बिना टैस्ट किये हुए बाजरा आया। उसी दिन ग्रोवर एंड कम्पनी का लैटर प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया कि हमें भी गुजरात सीड कार्पोरेशन से बिना टैस्ट कराये बेचने की अनुमति दी जाय, लेकिन उसको रिफ्यूज कर दिया गया। केवल कार्तिक खेती वाड़ी कंपनी को अनुमति दी गई। अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात् 13 हजार क्विन्टल बाजरे का बीज अनधिकृत रूप से खरीदा गया। इस फर्म कार्तिक खेती वाड़ी कंपनी ने राजस्थान सीड कार्पोरेशन को यह बेचा 565 रु. के भाव में। इसी फर्म ने जयपुर की एक फर्म एग्रो इंडियन सैल्स कार्पोरेशन को 515 रु. के हिसाब से इन्हीं डेट्स में बेचा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कोई स्वीकृति नहीं ली गई, कोई बैंक गारण्टी नहीं ली गई और सारे का सारा जितना सीड्स कार्पोरेशन का पैसा एक संस्था को चुका दिया। सारा का सारा सीड कार्पोरेशन का पैसा एक ही संस्था को दे दिया, और कोई पैसा नहीं रखा। जो राजस्थान की फर्मों का पैसा था वह बकाया रखा, जो गुजरात का पैसा था, वह बकाया रखा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश को 57 लाख का घाटा हुआ। 5 लाख का घाटा हुआ ज्यादा कीमत देने से और 15 लाख का घाटा हुआ शार्टेज और वेस्टेज से क्योंकि बाजरे का बीज पड़ा रह गया, साढ़े 12 हजार क्विंटल बीज पड़ा रह गया। यह बीज खरीदा गया, अध्यक्ष महोदय, जब कि उससे पहले ही लैटर आ गये हैं, ये आये सीकर, जालौर, भीनमाल के एग्रीकल्चर डायरेक्टर्स के कि गुजरात का जो बीज है वह चीपर है जो राजस्थान सीड कार्पोरेशन का बीज है वह उससे चीपर है इसलिये वह नहीं खरीदा जाये, वह खराब है। प्रोसिडिंग्स में लिखा, स्वयं सैक्रेटरी ने लिखा है कि क्योंकि यह लैटर आया है इसलिये यह बीज नहीं खरीदा जाये। उसके बावजूद यह बाजरे का बीज खरीदा गया। उसके बाद में यह आब्जेक्शन आया कि यह बीज बाजरे का बाजार में नहीं उठ रहा है। जब यह नहीं उठ रहा था तो जो राजस्थान सीड कार्पोरेशन का जो बीज था वह तो सारा का सारा चला गया और यह सारा का सारा पड़ा रह गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि दो रुपये किलो का बाजरा खरीदा गया वह 565 रुपये क्विंटल में खरीदा गया और साढ़े सात रुपये किलो के हिसाब से किसानों को बेचा गया। वह दो रुपये किलो का बाजरा था और कुछ नहीं था। साढ़े चार हजार क्विंटल बाजरा पड़ा हुआ है। मेरा चैलेंज है कि अगर उसको टैस्ट किया जाये, सीज किया जाये तो पता लगेगा कि इसमें बड़ी चीटिंग की गयी है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे एक बात समझ में नहीं आयी यह बात तो सब जानते हैं कि ×× कि कैसे आदमी हैं ...

श्री अध्यक्ष : नाम एक्सपंज किया जाये।

××नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनकी प्रतिष्ठा कैसी है, वे काफी इंटेलीजेंट हैं। इस बात को सब जानते हैं कि वे काफी बुद्धिमान हैं और राजस्थान को नुकसान नहीं होने देंगे परन्तु जब उनका स्वयं का स्वार्थ आ जाये तो राजस्थान के किसी भी स्वार्थ को ताक पर रखने के लिये तैयार हो जाते हैं। मंत्री महोदय इस बात को जानते हैं कि ×××

श्री अध्यक्ष : नाम एक्सपंज किया जाये, मैंने बराबर निवेदन किया कि नाम नहीं लिया जाय।

व्यवस्था का प्रश्न

पूर्व सूचना दिये बगैर किसी अधिकारी पर नामजद आरोप

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, नाम उस आदमी का नहीं लिया जा सकता है जिस आदमी का इस मामले से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं हो। जो आज कृषि सचिव हैं उनका नाम लिया जाये, इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता है। एक ही अन्तर पड़ता है कि यह सारा जो कृषि सचिव काम करते हैं उनका नाम नहीं आयेगा। आज किसी अधिकारी का नाम लेना अपराध नहीं है और मैं समझता हूं कि नियमों का उल्लंघन भी नहीं है। अगर अधिकारी को नोटिस दिया जाये तो अधिकारी तो हाउस में नहीं आ सकता है, अधिकारी को डिफेन्ड करना है तो वह काम मंत्री महोदय करेंगे। अगर किसी ऐसे अधिकारी का नाम लें जिसका इस प्रकरण से संबंध नहीं है तो ठीक है कि एक्सपंज किया जाये लेकिन इसको एक्सपंज किये जाने का प्रश्न ही नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : मुझे ऐसा कुछ करने के लिये निवेदन नहीं किया था। एक सिस्टम के माध्यम से आपको अवसर दिया गया था उसके अन्दर मैं मंत्री महोदया को बाध्य नहीं कर सकता कि वे इसका उत्तर दें। अभी जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसमें शुरू में नाम लिया नहीं है इसलिये मैंने निवेदन किया कि इस स्थान पर नाम नहीं लिया जाये। इसलिये तो मैंने पहले ही निवेदन किया था कि इस प्रश्न को अभी नहीं उठाया जाय, बाद में उठा लें। पर उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। चूंकि स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है अतः मैं मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकता हूं कि वह उत्तर दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कौनसी बात हुयी कि किसी अधिकारी का नाम नहीं ले सकते हैं। अधिकारी अगर कोई पैसा खाता है तो क्या हम उसका नाम नहीं ले सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : जैसे अगर मैं इसको रिजेक्ट करता और सरकार को यह आदेश देता की सरकार उस पर वक्तव्य दे तो मंत्री महोदय सारी तैयारी करके आ सकते थे। जब मैंने इसको अस्वीकार किया है तो मंत्री महोदय बाध्य नहीं किये जा सकते है कि वे उत्तर दें। वे चाहें तो उत्तर दें, चाहे तो न दें। मेरा तो पिछले डेढ़ साल में यही प्रोसिजर रहा है कि किसी व्यक्ति का नाम उस स्थिति में लिया जाय जब कि उसको नोटिस दे दें। व्यक्ति को दे नहीं सकते हैं इसलिये मंत्री महोदय को दे दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : पर्टीक्यूलर मामले की सूचना नहीं दी है।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : एडजोर्नमेंट मोशन की सूचना नहीं थी।

××× नाम अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आपने दिया तो सुबह ही था और उस पर ही मैंने निर्णय दिया है। इसलिये आप से आग्रह किया था। मेरा नम्र निवेदन है कि यथासम्भव प्रथा यह है कि व्यक्ति विशेष का नाम छोड़ देते हैं। इसमें सदन की गरिमा है। यदि वह जनहित का विषय है तो इसका उपयोग किया जाय, बहुत खुलकर किया जाये, इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति का नाम लेकर कहना ठीक नहीं है। उस दिन भी मैंने माननीय सदस्य को बताया था कि आपका महत्वपूर्ण मसला है इसको आप तैयार कर सदन में रखें। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि इसको आज ही रखना चाहते हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री **महेन्द्रसिंह** (सांगरिया) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सीड...

एक माननीय सदस्य : इनको तो पूरा करने दें।

श्री **अध्यक्ष** : अभी इन्होंने पूरा नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री **महेन्द्र सिंह** : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय।

श्री **अध्यक्ष** : इनका पूरा नहीं हुआ है, माननीय सदस्य।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सभी कानून कायदे ताक पर रख कर इस प्रकार यहां पर बीज आया। यहां पर आने के बाद भी उस बीज का यहां पर कोई टेस्टिंग नहीं हुआ। फिर यह चार्ज आया कि बीज गलत है। और जगह से यह सूचना आयी कि यह बीज गलत है तो स्वयं सचिव महोदय ने लिखा कि जो बाजार में बीज बिक रहा है वह घटिया क्वालिटी का है उसकी जांच करायी जाय। जगह-जगह से पचास-साठ जगह से नमूने इकट्ठे करने के बाद वह सारा का सारा सही पाया गया। उसके बाद में भी वह 510 और 515 के हिसाब से बिकता रहा और राजस्थान सीड कार्पोरेशन 570 रुपये के हिसाब से किसानों को लूटता रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं सचिव महोदय के बारे में निवेदन कर रहा था, सारी जानकारी मंत्री महोदया को थी, मेरी तो यह धारणा थी कि माननीय कमला जी के रहते हुए इस प्रकार का काम नहीं हो सकता है। मैं यह सारी बात पढ़ रहा था नवभारत टाइम्स में, उसको मैं पढ़कर सुनाता हूं जो उसमें इस स्केण्डल का विवरण छपा, उसमें लिखा है...

श्री **अध्यक्ष** : आप अपनी राय ही इसमें यहां पर व्यक्त कर सकते हैं। दूसरे ने, किसी अखबार ने इसमें क्या राय व्यक्त की है, वह नहीं पढ़ सकते है। आप अपनी तरफ से कह सकते हैं। दूसरे के लिखी हुयी बात पढ़कर सुनाये अपने तर्कों के पक्ष में, यह उचित नहीं नहीं है।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : दूसरे की राय नहीं है।

(12.59 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति पदासीन)

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सारा मामला कैसे प्रकाश में आया। इसके बारे में राष्ट्रदूत में छपा, नवज्योति में छपा, नवभारत टाइम्स में छपा। मैंने देखा कि कई लाख का घाटा उठाकर......

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय ने जो रूलिंग दी है उसके तहत आप अखबार को पढ़ कर नहीं सुना सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आर्डर शीट पढ कर सुना रहा हूं । कार्यवाही का विवरण जिस पर सैक्रेटरी के हस्ताक्षर है, पढ़कर सुनाता हूं.....

"All the above points had already been brought to the notice of the Minister for Agriculture on 30-5-81, when she desired to know the position of availability of seed for farmers of Rajasthan. She expressed a view that immediate arrangements to get another 5000 Qtl.be made and even if this quantity is not sold, it shall be a good buffer stock for next year." इस आर्डर शीट पर कमला जी और राजेन्द्र जैन के हस्ताक्षर हैं । यह पढ़ने के बाद, माननीय सभापति महोदय, यह कह सकता हूं कि इसके अन्दर केवल सैक्रेटरी ××× का ही हाथ नहीं है इसमें मंत्री महोदय और सैक्रेटरी दोनों ने मिलकर राजस्थान सीड कार्पोरेशन को लूट लिया है । राजस्थान के किसानों को बहुत बड़ा धोखा दिया है, ××× इसके अन्दर आपके हाथ बंधे हुए हैं । आपकी हिम्मत नहीं होती है कि आप इसका जवाब दें । आप में हिम्मत होती तो यह अखबार में आपका नाम बराबर आता रहा है । आपका नाम छपा है वह एक अखबार में नहीं छपा है पचासों में छपा है, पचासों दफे छपा है कि 70 लाख का घाटा बीजों में, राजस्थान के बीज निगम का घोटाला आदि । आप में इसकी जांच कराने की हिम्मत नहीं थी । अगर आज भी आप में इसकी जांच कराने की हिम्मत है तो घोषणा कर दें । राजेन्द्र जैन और आपका पर्दाफाश होगा और उचित दंड मिलेगा राजस्थान के किसानों को धोखा देने वाले को, राजस्थान के किसान के साथ अन्याय करने वाले को, राजस्थान के किसान की नैया को डूबाने वाले को, उनके मुंह पर आघात करने वाले को, उनका बीज नष्ट करने वाले को । आने वाला समय कहेगा कि इससे बड़ा धोखा और गद्दारी राजस्थान के किसानों के साथ में और नहीं हो सकती है । सारा बाजरा दो रुपये किलो में खरीदा था और उसको साढे सात रुपये किलो में बेचा ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : दो मिनट का समय दिया था, 20 मिनट बोल गये हैं । सभापति महोदय, दो मिनट की जगह बीस मिनट बोल गये ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सुनने की हिम्मत तो रखो ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य से निवेदन है कि समय का ध्यान रखें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, माननीय खेत सिंह जी कहने के लिए कह रहे हैं, वैसे मन बड़ा राजी हो रहा है ।

(व्यवधान)

××× नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, इस सारे मामले की कभी कहीं कोई शिकायत करने की आवश्यकता नहीं हुई, न एम. डी. से पूछा गया। यह एक बड़ा काण्ड है। दूसरा काण्ड और है, माननीय सभापति जी महोदय, जिसमें मंत्री महोदया का हाथ होने का सन्देह है। दो बार वहां पर एम. डी. की नियुक्ति की गई, गवर्नर की स्वीकृति आ गई, एक बार जौहरी साहब और एक बार मेहता साहब, की दोनों बार स्वीकृति आने के पश्चात् सचिव महोदय मंत्री महोदया के पास गये। मंत्री महोदया ने वापस चीफ मिनिस्टर को कह कर उनकी नियुक्ति रद्द कराई और एम. डी. की पोस्ट वेकेन्ट पड़ी रही। वहां पर सैक्रेटरी ही चेयरमेन होता है, चेयरमेन को कोई राइट्स नहीं होते। चेयरमेन केवल प्रिसाइड करता है मीटिंग को। फाइनेन्स से नहीं पूछा गया, मार्केटिंग डिवीजन के मैनेजर से नहीं पूछा गया, टैण्डर काल नहीं किये गये, दूसरी संस्थाओं से नहीं पूछा गया, बीज को टैस्ट नहीं कराया, बीज की क्वालिटी टैस्ट नहीं कराई गई यहां आने के बाद। बफर स्टाक बनाने का अधिकार नेशनल सीड कार्पोरेशन को है। स्टेट सीड कार्पोरेशन को कापी दी गई है उसके बावजूद भी माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि रिजर्व स्टाक बनाकर कार्यवाही करेंगे। यह सारा का सारा घपला हुआ, किसानों को बाजरे का बीज बांट चुके। यह सारा जो घपला हुआ वह एक करोड़ से उपर जाता है। बीस लाख की तो बन्दर बांट की गई है बाकी 70 लाख का सीड कार्पोरेशन को घाटा हुआ। कितना बीज बोया और कितना पड़ा है। मैं मांग करता हूं, सभापति महोदय, आज मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, इस सारे घपले की जांच करने के लिये सबसे पहले सैक्रेटरी को निलम्बित करो और, कृषि मंत्री कमसाजी को बरखास्त करो और उसके बाद में घपले की जांच सी. बी. आई. को सुपुर्द करो जिससे इनको शिकंजे में जकड़ा जावे।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। स्थगन प्रस्ताव जो स्वीकार किये जाते हैं उन पर तो पूरी की पूरी बहस हो जाती है और जो अस्वीकृत होते हैं उन पर भी आधा घण्टा तक बहस चलती रहे, क्या यह नियमों के तहत उचित है।

(1.5 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आर्डरप्लीज, इसमें और भी प्रश्न है। इस तरह से दो मिनिट, तीन मिनट होते हैं, माननीय सदस्य ने बहुत लम्बा समय ले लिया। अब यह समाप्त हुआ। मंत्री महोदया, कुछ कहना चाहेंगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज डाल दिया गया, किसान तबाह हो गये। किसानों को घाटा हो गया हो वह किसान अपनी भावनाओं को किस प्रकार से व्यक्त करें? आप ही बतावें, किस माध्यम से उठा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आज की कार्यवाही से हट कर, दूसरे विषय को लिया है। आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं, आप अच्छी तरह से लाना जानते हैं। वह तरीका बता देते तो कठिनाई उत्पन्न नहीं होती।

श्री महेन्द्रसिंह (सांगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सीड कार्पोरेशन ने हां कि खेती बाड़ी कम्पनी से जो बीज

(श्री महेन्द्र सिंह)
खरीदा उसका सौदा 5 हजार क्विण्टल का तय हुआ था कि हम खरीदेंगे। उसके बाद हमारे माननीय एम. डी. साहब ने कहा कि 5 हजार क्विटल के बजाय 8 हजार क्विण्टल दे दो। उन्होंने कहा कि हमारे पास तीन हजार क्विण्टल बीज और है। अगर आप लेना चाहते हैं तो वह बीज मैं आपको आठ हजार क्विण्टल भी दे सकता हूं। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ कि उस वक्त सौदा किया गया। उसने लिखकर दिया, अध्यक्ष महोदय, तीन हजार क्विण्टल बीज मेरे पास बकाया है, जो मैं आपको देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद क्या हुआ, राजेन्द्र जैन ने आर्डर टाइप करके....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री महेंद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आठ हजार क्विण्टल का सौदा तय हुआ उसके बाद में उन्होंने कहा कि ......

श्री अध्यक्ष : लम्बी चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र सिंह : बीज तैयार था, उन्होंने कहा उनसे, हमें बीस हजार क्विण्टल बीज चाहिए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आठ हजार क्विण्टल ही बीज और है जो मैं आपको दे सकता हूं। उसके बाद कई बीज कम्पनियां हैं जिनसे लेकर दे सकता हूं, मेरे को परमीशन दी जाय। अध्यक्ष महोदय, आठ हजार क्विण्टल बीज खेती वाड़ी कम्पनी ने दिया। उसके बाद रेमण्ड सीड कम्पनी, बड़ौदा, भगवती सीड कम्पनी, खेड़ा और प्रगति सीड कम्पनी, नदियाद, सीड कम्पनी नहन्वा। अध्यक्ष महोदय, जिस पार्टी से आठ हजार क्विण्टल का बीज तय होता है उसी पार्टी को कहा जाता है कि बीस हजार क्विण्टल हमें दो। अध्यक्ष महोदय, उसी पार्टी के पास आठ हजार की बजाय बीस हजार क्विण्टल बीज कहां से आया? अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि वहां से बीज नहीं दिया। गांवों में जाकर किसानों से दो रुपये किलो, और डेढ़ रुपये किलो के भाव से खरीदा और राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन को बीज दिया।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री महेन्द्र सिंह : वह गलत दिया गया और करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ, बीस क्विण्टल बीज खरीदा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री महेंन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो बीस हजार क्विण्टल बीज खरीदा, इतने बीज की जरूरत नहीं थी। कभी इतना बीज नहीं खरीदा गया। सन् 66-67 में जो बीज खरीदा था उसको अकाउण्ट्स कमेटी के सामने बट्टा खाता डालने के लिए कहा। अध्यक्ष महोदय, अगले साल देख लीजियेः 70 लाख का घाटा हुआ कार्पोरेशन को, अकाउण्ट्स कमेटी के सामने आया तो यह कहा कि बट्टा खाते डाल दिया जाय। इसी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्रीमती कमला (कृषि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस स्थगन प्रस्ताव के सिलसिले में माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रगट किये हैं, सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस बावत माननीय सदस्य को कृषि विभाग की अनुपूरक मांगों पर विचार करते समय

(श्रीमती कमला)

अवसर दिया गया था कि वह इस मुद्दे को उठाते जिससे कि मैं उस समय उत्तर दे सकती । लेकिन शायद यह सोचकर कि सरकार अपनी बात न कह सके, इन्होंने फिर आज उसका लाभ उठाने की कोशिश की । लेकिन मैं निवेदन यह करना चाहती हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इस मामले में इतनी दुर्गन्ध देखी, और घपला देखा, इतनी अनियमिततायें देखी उनको यह भी देखने की जरूरत थी कि दरअसल राजस्थान में कितने हजार क्विण्टल हाई ईल्डिंग वेराइटी के बाजरे की जरूरत थी और उसके मुताबिक बीज निगम ने किस प्रकार से उसका नियोजन या उसका प्रबन्ध किया तो शायद इस प्रकार की बात, ऊंची से ऊंची यह भी कही गई कि अखबारों में छपा । और मुझे अफसोस है कि एक माननीय सदस्य सरकार की एक फाइल का इस तरह से फोटो स्टेट करके लाये क्योंकि जब तक फाइल दफ्तर से बाहर न जावे, तब तक फोटो स्टेट कॉपी हो नहीं सकती । माननीय सदस्य यह काम करने लगे, सरकारी फाइल को बाहर ले जाकर फोटो स्टेट कापी करके वह लाये, वह कितना उचित और नैतिक या अनैतिक कार्य है, मैं नहीं कह सकती । लेकिन, माननीय सदस्य, यह····

श्री हजारी लाल शर्मा (पिलानी) : यह तो सरकार की इनएफिशियेन्सी है ।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय के नोटिस में ला रही हूं । मुझे इस बात का डर नहीं है, चोरी से बाहर लाकर फोटो स्टेट कराई लेकिन उससे मेरे पर कोई बड़ा भारी वज्रपात होने वाला नहीं है, यह उन्हीं के आचरण की बात मैंने यहां पर रखी है ।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : आचरण नहीं, जैसा हजारीलालजी ने कहा, यह चिंता की बात है, सरकारी फाइलें बाहर निकल जायं, और उनकी फोटोस्टेट कापीज हो जायं····

श्रीमती कमला : वह तो देखने की है तो हम देखेंगे, लेकिन माननीय सदस्य के लिये निवेदन कर रही थी । माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले वाली खरीफ की फसल में इस प्रकार की मांग थी कृषि विभाग की तरफ से। हम कितना एरिया कृषि के लिये देंगे, उसके लिये कितना हाई ईल्डिग सीड चाहेंगे, और किन-किन तारीखों में कितना-कितना सीड डिलीवर होना चाहिये, यह प्रोग्राम हर साल कृषि विभाग बीज निगम को देता है । इस प्रकार पिछली खरीद के समय में कृषि विभाग ने निगम को जो बीज की जरूरत थी बनाकर दी थी । उसके बाद राजस्थान बीज निगम ने कुछ बीज दिया । हमारा जो राष्ट्रीयस्तर का भारत का बीज निगम है उसको हमने मांग भेजी, कुछ दूसरे राज्यों के बीज निगमों को अपनी मांग भेजी, लेकिन उसके बावजूद भी पिछली खरीद के समय में जहां हमारी मांग 14 हजार क्विंटल की थी उसके मुकाबले में तमाम कोशिश करने के बावजूद भी वह हाई ईल्डिग बाजरा सिर्फ 6,913 क्विंटल दे पाये । उसके कारण से हमको इतनी परेशानी हुई थी । जो नेशनल सीड निगम है, वह आखिरी वक्त तक कहता रहा कि आपकी जितनी माँग है हमने स्वीकार की है, वह आपको जरूर देंगे लेकिन आखिरी समय में, आखिरी सप्ताह में हमको कह दिया कि हम आपको यह बीज सप्लाई नहीं कर सकते ।

(श्रीमती कमला)

इसी प्रकार जो आंध्र और गुजरात के बीज निगम हैं उनको भी हमने मांग दी थी। उन्होंने भी हमारी मांग की पूर्ति नहीं की। नतीजा यह हुआ कि जितना एरिया हाई ईल्डिंग वैराइटीज के बाजरे के नीचे जाना चाहिये था वह नहीं जा पाया। इस कारण से मैंने दो बार कृषि अधिकारियों और बीज निगम के अधिकारियों की खरीफ आने से पहले मीटिंग की और उनको पाबंद किया कि बीज ऐसी चीज है जिस पर आने वाले समय में खेती निर्भर करती है। अगर बेसिक इन-पुट आप समय पर उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो आगे हम किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे। इसलिये पिछली बार जो घटी है उस तरह की आगे नहीं घटनी चाहिये और आपको हर प्रकार की कोशिश करनी है। तमाम राज्यों में अधिकारी भेजें, उनके बीज निगमों से बात करें। नेशनल सीड निगम से कहिये कि पिछली बार आखिरी समय में आपने ना की थी। ऐसी स्थिति पैदा न करें, जितना हमको हाई ईल्डिंग बीज चाहिये वह हमको मिलना चाहिये।

इससे पहले खरीफ की फसल में हाई ईल्डिंग वेराइटी का एरिया था वह सिर्फ 8-9 लाख हैक्टेयर्स था। हमने खरीफ के अन्दर कोशिश की कि 15 लाख हैक्टेयर्स हाई ईल्डिंग का एरिया लें जिससे हमारा प्रोडक्शन पहले पेमें 27 लाख टन था उसके मुकाबले में हम 35-36 लाख टन कर सकें। उसके लिये तमाम तैयारियां की गई, तमाम अधिकारियों को पाबंद किया और तमाम बीज निगमों को सख्ती से कहा गया कि वे हमको निर्धारित अवधि में निर्धारित मात्रा में बीज उपलब्ध करायें। इसके अनुसार जो पहले मांग कृषि विभाग की तरफ से बीज निगम को दी गई, वह थी 39,930 क्विण्टल्स की। जो पहले मांग आई सीड निगम के पास में कृषि विभाग से वह 39,930 क्विटल की मांग थी। जिलेवार मांग के आधार पर कृषि विभाग ने तैयार की और उसके बाद में जो लेटेस्ट उन्होंने मांग दी, उसको बदल कर 29 नवम्बर को दी। उसके बाद उन्होंने 2-5-81 को मांग दी वह 28,592 क्विटल थी, जो उनकी मांग थी वह दी गई। इसके मुकाबले में बीज निगम ने 18 हजार क्विटल नेशनल सीड निगम से देने के लिये कहा और बाकी जो हमारा कोटा था उसकी दूसरे सीड निगम है राज्यों के उनको मांग भेजी।

उसके साथ-साथ में जो उस स्टेट की सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज, सर्टिफाइड सीड भेजने वाली जो एजेंसीज थी उनको प्राथमिकता के तौर पर हमने पत्र लिखा, लेकिन जब तक नेशनल सीड निगम ने हमसे कह दिया कि हम आपको 18 हजार क्विटल बाजरे का बीज देंगे तब तक हमने उनसे नहीं लिया। लेकिन जून के महीने में आखिरी समय में फिर पहले की तरह नेशनल सीड निगम ने हमको कह दिया कि हम 18 हजार क्विटल आपको नहीं दे पायेंगे, आप मांग को रिवाइज करें, हम सिर्फ 9 हजार क्विटल दे पायेंगे। यह एक तरह से अचानक स्थिति बनी। इसके बाद जो तीन-चार एजेंसीज सीड सप्लाई करने के लिये थीं उनको दिया। उनमें से एक एजेंसी ने 3 हजार क्विटल सर्टीफाइड सीड सप्लाई करने के लिये कहा। उन्होंने भी कुछ समय के बाद मना कर दिया कि हम आपको स्टेंडर्ड के अनुसार बीज सप्लाई नहीं कर पायेंगे। इस कारण से मैंने खुद ने पहले आंध्र के कृषि मंत्री से बात की और कर्नाटक के कृषि मंत्री से बात की। उन्होंने 100 कौर के बीज पर पाबंदी लगाई थी कि हमारे यहां से बाहर

(श्रीमती कमला)

नहीं जायेगा। हमने उनसे कहा, अगर आपकी मांग की पूर्ति हो चुकी है तो मेहरबानी करके, हमारे राज्य की मांग की पूर्ति होने दीजिये और रोकिये मत, क्योंकि हमें जरूरत है। स्टेट टू स्टेट हमको दे दिया जाय, तो हमारी मांग की पूर्ति हो सकती है। उन्होंने कहा, मैं अपने निगम से बात करूंगा। अगर दे सकते हैं तो देंगे, अन्यथा स्थिति बहुत कठिन है। हमारे लिये भी पूरा नहीं पड़ रहा है। तो वह नहीं दे पाये।

इसके बाद कर्नाटक के मंत्री से मैंने बात की। उन्होंने भी अपनी असमर्थता जाहिर की। इन परिस्थितियों में जो एजेन्सीज इस कमी की पूर्ति करने के लिये सामने आ सकती थीं उनको हमने अपनी मांग दोहराई और उन्होंने मांग की पूर्ति कर दी। उसके बावजूद भी मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जहां 28 हजार कुछ की मांग रखी गई, 28,592 उसके मुकाबले में बीज निगम भाग-दौड़ करने के बावजूद भी हमको जितना दे पाये, वह 24,838 क्विंटल इकट्ठा कर पाये। 24,838 क्विंटल जो हमारी बीज की जरूरत थी वह तमाम उपलब्ध करने के बाद हमारे स्टेट में जिस तरह से बरसात की स्थिति हुई वह अगर नहीं होती तो मैं समझती हूं यह बीज भी हमें कम पड़ता। लेकिन आपको रिलीफ मंत्री ने बताया था और आपके पास भी जानकारी है, 17 जिलों की हालत तो यह है कि वहां एवरेज से बहुत अधिक कम बरसात हुई, और कुछ एरियाज में बरसात जब शुरू हुई तो अचानक बहुत जगह पर अत्यधिक बरसात पड़ गयी। बाकी जगह बरसात नहीं हुई। कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति हुई कि बीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंच गया। उनकी मांग के अनुसार बीज पहुंच गया, उनकी मांग के अनुसार वितरण के लिये, बरसात की उम्मीद में बीज रखा गया, लेकिन नतीजा यह हुआ कि जहां हमने 24 हजार क्विंटल सप्लाई करने के लिये इकट्ठा किया था उसके मुकाबले में 13,801 क्विंटल बीज हमारा वितरित हो पाया। बाकी जिलों में या तो बारिश नहीं हुई या इस तरह की बारिश हुई कि वहीं का वहीं पड़ा रहा। इस कारण से हमारा बीज रह गया।

अगर बरसात नहीं होती और बरसात की स्पेसिंग सही हो जाती तो हमारा बीज नहीं पड़ा रहता, न इस प्रकार की स्थिति आती क्योंकि पिछली बार 50 प्रतिशत बीज, बीज निगम हमको दे पाया इसलिये तकाजा करके, हम पूरी पाबंदी करके, जरूरत के अनुसार सीड था उससे भी 3-4 हजार क्विन्टल कम ही ले पाये, फिर भी करीब-करीब आवश्यकतानुसार हम बीज ले पाये। यह कहना गलत है कि अनावश्यक तौर से इतना बीज इकट्ठा कर दिया, घपला कर दिया और मंत्री महोदय भी खा गई, और सचिव भी खा गया। जो मांग दी है उसके अनुसार बीज लिया गया है, उसकी ओर मेहरबानी करके देखें और पिछले वर्ष के आंकड़े देखें तो आप खुद समझेंगे कि कहीं कोई बदनीयति का सवाल नहीं है और इस तरह की बातें कहना यह सरासर गलत है।

एक एजेन्सी जो खराब दे रही थी या नहीं दे पा रही थी उसको हमने जब मना कर दिया और उसका सब्सीट्यूट दूसरी एजेन्सी को कर दिया तो उसमें कौनसी बड़ी बात हो गई। जब नेशनल सीड निगम ने मना कर दिया, एक पर्टीक्यूलर एजेन्सी ने कह दिया कि हम नहीं दे पायेंगे तो पहले जो कोटा दिया

(श्रीमती कमला)

हुआ था, हमें पिछली एजेन्सी से लेना था। राज्य के बीज निगम ने मना कर दिया, नेशनल सीड निगम ने मना कर दिया लेकिन जिन्होंने भी दिया वह स्टेट सर्टीफिकेशन एजेन्सी से वह सीड सर्टीफाइड है इसलिये यह कहना कि बाजार से किसानों को दिलवाते हैं, वितरित करते हैं, सरासर गलत है।

ठीक है किसी एक मुद्दे पर आपके पास ऐसी कोई जानकारी हो कि साहब, फलां जगह पर जो सीड अलॉट किया गया है उसमें गलती है तो हम उसकी जांच करवा सकते हैं। मुझे खुद को इसकी जानकारी मिली जब, तब मैं झालावाड़ के दौरे पर गयी थी। झालावाड़ के कुछ एरियाज में मुझे जानकारी मिली कि एक लोट वहां गया, कुछ एरिया में उसका जर्मिनेशन खराब हो गया है। मैंने उसी वक्त अफसर को भेजा और उसकी जांच करवायी। मुझे पता लगा कि यह लोट जो गुजरात की सीड कार्पोरेशन ने भेजा है, जो लोट मिला उससे कुछ एरियाज में तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ, लेकिन कुछ एरियाज में प्रोडक्शन खराब हुआ। तो हमको उसका कम्पनसेशन तो देना ही देना है लेकिन यह कहें कि उस लॉट का सीड एक जगह तो कैसे जर्मिनेट हो गया और दूसरी जगह वह जर्मिनेट क्यों नहीं हुआ तो इसके और भी कई कारण होते हैं, वह ज्यादा बरसात में बो दिया होगा, या कम बरसात में बो दिया होगा या जिस तरह की टेक्निक बतायी गई थी उस तरह से नहीं बोया गया हो, या और कोई भी कारण हो सकते हैं, जो उसका लोट आया उस लोट में ऐसी कुछ थैली सीड की आ गयी होगी जो कि खराब होगी इसकी हम जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद में जिस किसी का इसमें कसूर है उसके पेमेन्ट में कटौती की जायेगी। अगर किसी एजेन्सी की गलती है तो अभी तक उन एजेन्सीज को पूरा पैसा नहीं दिया गया है, उसमें किसी का तो दो लाख रुपया बाकी है, किसी का चार लाख रुपया बाकी है, किसी का एक लाख रुपया बाकी है, इस तरह से उनके पैसों के पेटे में कटौती करके पेमेन्ट किया जायेगा। यह अखबारों की जो कटिंग आप लाकर रख रहे हैं यह यहां पर यह क्यों आई है और कैसे आयी है यह सारी मेरी जानकारी में है। मैं यह भी जानती हूं कि कैसे पैसों को लाने के लिये आई। यह सब मुझे मालूम है। वह क्यों दी गयी है वह भी मैं जानती हूं। इसलिये इस बारे में, मैं चर्चा करना नहीं चाहती हूं लेकिन इस तरह से व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाना कि खा गये, पी गये, किसानों को बर्बाद कर दिया, बिना पूरी जानकारी के इस तरह से कहना अनुचित है और इसको मैं सरासर गलत मानती हूं। माननीय सदस्यों को इतना भरोसा दिलाना चाहती हूं कि अगर किसी की कोई गलती इसमें पाई गयी तो मैं उसके खिलाफ में सख्त कार्यवाही करूंगी, इसमें कोई कसर नहीं रखी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें, अध्यक्ष महोदय, एक दो तथ्यों के बारे में मैं जानकारी करना चाहता हूं। 24 हजार क्विंटल सीड आया....

(व्यवधान)

आपके यहां पर बिना टेस्टिंग के सीड आया।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, आप

(श्रीमती कमला)
एक-एक मामले की डिटेल मुझसे आकर ले लें। मैं आपको बता दूंगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप इन्क्वायरी कराने से क्यों घबरा रही हैं ? आप इन्क्वायरी क्यों नहीं करवा रही हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर, ऑर्डर।

श्रीमती कमला : आपने जो भी पूछा वह मैंने बता दिया। जितनी जानकारी थी, वह बता दी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप इन्क्वायरी क्यों नहीं करवा रही हैं ? आप इन्क्वायरी करायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वहां पर कोई फर्म से माल लेकर सबको डुबोया गया है। 70 लाख रुपये डूब गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह आपको मालूम नहीं होगा, सरकार ने डेढ़ करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है जो कि आपकी सरकार ने कभी नहीं बांटी थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया, स्थान ग्रहण करें। श्री राजबहादुर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : एक दो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाये हैं। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि अभी कुछ लोगों के पैसे बाकी हैं तो कितने लोगों का पैसा बाकी है कितना, कितना।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, उन लोगों से, किसी से कोई गारण्टी नहीं ली गयी, और न ही कोई सिक्योरिटी ही उनकी ली गयी।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह बात गलत कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीरसिंह कौशल, श्री हीरालाल आर्य, श्री अनंग कुमार जैन । श्रीराम कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, कोटा द्वारा जल प्रदूषण ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अयक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था ।

श्री अध्यक्ष : नाम पुकारा उस वक्त आप कहाँ थे । आप उपस्थित नहीं थे । अब आप फ्रोट पर ही रहिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल : यह भ्रमणशील शल्य चिकित्सालय विभाग के कर्मचारियों का धरना एवं भूख हड़ताल के संबंध में ही है ।

श्री गोपाल पचेरवाल : जी हां । साहब ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है उसमें यह निवेदन है कि सरकार ने गांवों में विशेषतौर से गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिये एक भ्रमण शल्य चिकित्सालय की स्थापना की है । मेरा यह निवेदन है कि जब से श्री जी. सी. शर्मा को निदेशक बनाया गया है, तब से उसमें उनके द्वारा बहुतसी अनियमित्तायें की जा रही हैं । उन अनियमित्ताओं के कारण वहां के कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष है । इस कारण वहां पर वहां के कर्मचारियों ने धरना एवं भूख हड़ताल की है । उन कर्मचारियों ने चिकित्सा मंत्री जी के यहां पर भूख हड़ताल की और धरना दिया, तो वहां पर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस के अधिकारियों द्वारा उन लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया । आज उनकी हालत चिन्ताजनक है । लेकिन इस सबके बावजूद उन लोगों ने भूख हड़ताल कर रखी है । इस तरह की उनकी मांग है कि भ्रमण शल्य चिकित्सालय में अनियमित्तायें की जा रही है और वहां जो दवायें हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उनका जो पैसा है उसका मिस-यूज किया जा रहा है, वहां पर जो बैड्स हैं, उन पर दूसरे लोगों को रखा जा रहा है । और जिनका हक है उनको नहीं रखा जा रहा है ।

इस प्रकार जो गरीब लोगों को शल्य चिकित्सालय का लाभ पहुंचना चाहिये वह उन्हें नहीं पहुंच रहा है । इससे मजदूर और गरीब लोगों में भारी असन्तोष है । यह गरीब जनता की सुरक्षा के लिये बनाया गया था लेकिन उनके लिये उपयोग नहीं हो रहा है । आज स्थिति यह है कि सरकार उनकी वाजिब मांगों को दबाना चाहती है । सरकार उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है । उनकी जो वाजिब बातें हैं उनके लिये उनसे सम्मानपूर्ण तरीके से बात करने को तैयार नहीं है । वह जो लोग सही तथ्य सामने लाना चाहते हैं, उनकी जांच कराने की आवश्यकता है, पर वह न होकर उसको टाला जा रहा है । श्री जी. सी. शर्मा के खिलाफ में जांच करवाना नहीं चाहते हैं । मंत्री महोदय से यह बात की गयी तो उन्होंने कहा कि मैं जांच करवा लूंगा । पर आप जांच कब करवा लेंगे । मजदूरों की जो सही बात है, कर्मचारियों की जो सही बात है, किसानों के जो लाभ की बात है जो उनको लाभ पहुंचना चाहिये वह लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है । उसकी जांच करवाने की आवश्यकता है । वह नहीं करायी जा रही है । उसकी जल्दी जांच करायी जाये, यह मेरा निवेदन है । इसके साथ, श्रीमान्, जो वहां के कर्मचारियों की वाजिब मांग है,

(श्री गोपाल पचेरवाल)

बात स्वीकार की जाय । ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ में जांच कराकर उन्हें दण्डित किया जावे ।

श्री अध्यक्ष : श्री राज बहादुर ।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीर सिंह कौशल ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, कोटा के श्री राम कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स का दूषित जल निकलता है, वह निर्धारित मात्रा से भी अधिक रसायन के साथ निकलता है। इसके कारण उस क्षेत्र के लोगों में बहुत ही असन्तोष फैला हुआ है । कानून के अन्तर्गत जिस मात्रा में केमिकल होना चाहिये, उससे वह अधिक होता है; उसका पानी नदी में, नाले में जाता है, उसके कारण वहां पर किसानों की जो खेती होती है वह खेती बरबाद हो रही है । इसके अतिरिक्त उसके कारण आज वहां पर सैकड़ों पशु प्रतिमाह मर रहे हैं । कानून के मौजूद होने के बावजूद भी कानून की क्रियान्विति नहीं हो रही है । कलेक्टर, कोटा ने श्रीराम कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स को नोटिस दिया, और उन्हें यह कहा कि आपके यहां का पानी सीमेंटेड पाइप लाइन से निकलना चाहिये । लेकिन वह कानून को मानने को तैयार नहीं है और कोटा के कलेक्टर के आदेशों की पालना नहीं हो रही है । उस क्षेत्र का किसान और उसकी खेती बरबाद हो रही है । पशु मर रहे हैं । वहां के समाचार-पत्रों ने भी एक तरह से इस कार्य की निन्दा की है लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है क्योंकि वहां का उद्योगपति इतना प्रभाव रखता है कि वह कलेक्टर के आदेशों को मानने को तैयार नहीं है । कानून की पालना नहीं हो रही है । इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि जो कानून इस संबंध में बने हुए हैं, उनकी क्रियान्विति अच्छे ढंग से करायी जाये । वहां पर इसके पहले कि किसान आन्दोलन करें सरकार को समय रहते उचित कदम उठाने चाहिये । जो उद्योगपति है उसके दबाव में नहीं आये, ऐसा मेरा निवेदन है ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है इसमें ।

श्री अध्यक्ष : नाम है पर जिस सदस्य का नाम हो वह बोले, यह जरूरी नहीं है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं दूसरे तथ्य बताऊंगा ।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार उद्योगपति से दबती है, मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि न तो मैं उस उद्योगपति को जानता हूं और न सरकार उसके प्रभाव में आने वाली है । सरकार उसके दबाव में आने वाली नहीं है । उद्योगपति से जहां तक कानून की क्रियान्विति का सवाल है, इसके लिये फण्ड्स और दूसरी बात है, इस मामले को किस तरह से किया जाय, मैं इसको देखकर इसके ऊपर निश्चित रूप से कार्यवाही ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्रीजी ने कहा है कि उद्योगपतियों के दबाव में सरकार नहीं है । एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार

(श्री दाऊदयाल जोशी)

ने, वाटर वर्क्स, सिंचाई मंत्री, श्री राम केमिकल्स से बात की है। यह मेरा सीधा आरोप है। मेरा निवेदन है कि श्रीराम केमिकल्स का जो गन्दा पानी, दूषित पानी निकलता था, उसको लेकर कोटा में बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ 3 साल पहले, एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला और जुलूस निकलने के बाद सरकार और श्री राम केमिकल्स के बीच में फैसला हुआ। फैसला यह हुआ कि इसी जल को पाइप के द्वारा चम्बल नदी के बीच में डाला जायेगा····

श्री अध्यक्ष : बात कही जा चुकी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : ....चम्बल नदी के बीच में डाले जाने की बात है। चम्बल नदी के बीच में नहीं डालकर नायकपुरा तक पाइप लाकर छोड़ दी। इस नायकपुरा के बाद गांव आता है, झावरखेड़ी····

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर। समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : और झावरखेड़ी के बाद गांव आता है हाथीखेड़ा, और हाथी खेड़ा के बाद गांव आता है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहुत गांव आते होंगे।

आॅर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : उनमें जानवर मर गये हैं, आज वहां पशुधन समाप्त हो रहा है। दूषित जल पीने के बाद में व्यक्ति बीमार हो रहे हैं। पाइप लाइन जो चम्बल नदी में डाली जानी थी, चम्बल नदी वहां से 4½ किलोमीटर पड़ती है। 4½ किलोमीटर का पैसा उसने किसको दिया, क्यों दिया ? कोटा की जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं इससे बड़ी हेय बात और नहीं हो सकती। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय उर्जा मंत्री, उद्योग मंत्री और सिंचाई मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि जो यह कह रहे हैं कि हम पाक हैं, वह 9 लाख रुपया तो वसूल कर लें। आप पाक नहीं हैं, महाराज····

श्री परसराम मदेरणा : महाराज, जो पैसा बाकी है वसूल कर लिया जायेगा। आप इस तरह से आरोप मत लगाइये सदन में····

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। आज तक वसूल नहीं हुआ..

श्री परसराम मदेरणा : आप इस तरह से बेसलेस आरोप लगायेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : बिल्कुल कहूंगा। मेरा तथ्यों के साथ आरोप है। आपको जवाब देना पड़ेगा·····

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा, अगर बेसलेस आरोप लगायेंगे तो, ××× मैं सुन नहीं सकता कि क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वैसी की वैसी हालत आपकी भी है। वह भी सुनाई नहीं दे रही है।

श्री परसराम मदेरणा : आप भी जो बीच में बोल रहे हैं, वह भी सुनाई नहीं दे रहा है।

××× अभिव्यक्त माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि आप वसूल नहीं कर सकते । पिछली सरकार भी वसूल नहीं कर सकी और 9 लाख रुपये आप इस साल में भी वसूल नहीं कर सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी । जयपुर मेटल और इलेक्ट्रिकल्स लि., जयपुर में उत्पादन की कमी के संबंध में ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, कल अनुमति दी है इस संबंध में । मैंने जब पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया था तो आपने व्यवस्था दे दी थी । पांच दिन के बाद यह आ गया । आपने कहा था कि कल बोल लेना ।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, घना सैंक्चुरी के संबंध में कुछ कहना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम दो दफा पुकारा मैंने ।

श्री मेघराज तावड़ : गोगुन्दा तहसील के सरपंच काछुआ ग्राम के बारे में ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गोगुन्दा तहसील में काछुआ ग्राम के सरच और कुछ सरपंचों ने हमेशा किसान और आदिवासियों के साथ धोखा किया है । वह जब भी अनाज और शक्कर लाते ब्लेक में बेचते रहे । हमारे कुछ लोगों ने जाकर सील लगाकर ताला लगाया । लेकिन रातों रात तरह बदल दिये । रातों रात दूसरों से चाबी लाकर ताला तोड़कर फिर सारी बोरियों की पूर्ति कर ली । फिर भी एक बोरी शक्कर कम मिली वहां पर । इसके बाद डी. एस. ओ. से शिकायत की । उन्होंने फर्जी कूपन बनाये, डुप्लीकेट कूपन डी. एस. ओ. से पकड़वाये, उसके बाद भी डी. एस. ओ. ने उनके ऊपर केवल 25 रुपया जुर्माना करके छोड़ दिया । हमने कहा कि उसको दोषी मान लिया गया, 25 रुपया फाइन कर दिया, उसके बाद दुबारा लाइसेन्स देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, डी. एस. ओ. भी ऐसे काले कारनामों में लिप्त है । उन्होंने शक्कर का घोटाला करने वाले को दुबारा लाइसेन्स दिया । हमने कलेक्टर साहब से भी बात की थी । उस समय भी डी. एस. ओ. बैठे हुए थे । उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैंने खाद्य मंत्री जी को और सहकारी मंत्री महोदय को भी लैटर लिखा । उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है । तो मेरी समझ में नहीं आती, अध्यक्ष महोदय, आपके सरपंच जो भ्रष्ट हैं, जिन्होंने आदिवासियों को आधी छटांक भी शक्कर नहीं दी, हमेशा ब्लेक में बेचते रहे वह, पत्थर के बाट रखकर हमेशा गेहूं दिया करते थे, कम तोलते थे । उन्होंने पोन किलो का बाट रखा, वह पाया गया फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी । उस समय तत्कालीन मंत्री श्री हनुमान जी ने उनको बचाया····

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री मेघराज तावड़ : इसी तरह से सेंट्रल का सरपंच है उसने फर्जी मस्टर रोल

(श्री मेघराज तावड़)

पर साइन करवा कर लोगों से पैसा वसूल कर लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों को नहीं दबाया जाये ताकि दूसरे सरपंचों को सबक मिल सके। क्योंकि कांग्रेस का सरपंच है इसलिये उसको बचाया जा रहा है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह कह देना चाहता हूं कि वास्तव में अगर आप वितरण व्यवस्था को सही मायने में लागू करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री मेघराज तावड़ :...तो ऐसे सरपंचों के खिलाफ उचित कार्यवाही करके, दोषी सरपंचों को निलम्बित करें। आज भी सरपंचों को, अध्यक्ष महोदय, लाइसेन्स कोटा दिया जा रहा है। मेरा यही निवेदन है कि उनके खिलाफ कार्यवाही कराई जाये।

श्री अध्यक्ष : रामकिशोर मीणा। नये जिलों के संबंध में।

श्री रामकिशोर मीणा (सीकराय) : अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिये, जितने जिले छोटे होंगे उतना ही प्रशासन हमारा चुस्त होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए यह मांग 1972 से लगातार इस विधान सभा में उठायी जा रही है। जनता शासन ने चार स्थानों पर जिले बनाने की घोषणा कर दी थी लेकिन पहाड़िया सरकार ने बदले की भावना से, क्योंकि जनता पार्टी वाले कर गये थे उसको लागू नहीं किया और उसको बराबर टालते रहे। उन्होंने कहा कि चार के बजाय 6 बनायेंगे, 7 बनायेंगे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है जितने भी ज्यादा जिले बनाये जा सकें, उतने बनाये जाने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे जयपुर जिले को ही लिया जाये। यहां 19 कान्सटीट्यूएन्सी हैं। जयपुर से दूरस्थ स्थान पड़ते हैं जैसे सिकराय है, दौसा है वहां पर जिला अधिकारी, जिला एस. पी. और जिला कलेक्टर साल में मुश्किल से एक बार भी और वह भी घंटे से ज्यादा नहीं पहुंच पाते। इस कारण से प्रशाशन के बारे में किस तरह से वह अपना सही दृष्टिकोण रख सकते हैं। सही दृष्टिकोण नहीं रख सकते हैं। इस कारण से प्रशासन में जो आज कार्यकुशलता होनी चाहिये वह नहीं हो पाती। यह बहुत जरूरी है। पहाड़िया सरकार ने भी यह कहा था यहां पर कि 5-6 जगह जिले घोषित किये जायेंगे। एक कमेटी भी गठित की थी। वह कमेटी क्योंकि पहाड़िया सरकार की देन थी वर्तमान सरकार द्वारा उसको भी बराबर टालने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे जयपुर जिला है, जयपुर जिले में 'अ' और 'ब' नाम के दो कार्यालय चल रहे हैं हर विभाग के, और उनके कार्यालय अलग अलग हैं। दौसा में तो आज हालत यह है कि सिर्फ जिला एस. पी. और कलेक्टर के अलावा सारे दफ्तर दौसा में शिफ्ट हो चुके हैं। वहां पर कोई अन्य वित्तीय कठिनाई की भी संभावना नहीं है। इस कारण से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दौसा अब से पहले जिला होजाता.....

(65)

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामकिशोर मीणा : लेकिन एक मंत्री और सांसद के आपसी टकराव के कारण, दौसा का निदान नहीं हो रहा है। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि इसको राजनैतिक अखाड़ा नहीं बनायें। प्रशासन को चुस्त बनाने के लिये जनता के हित में दौसा को अविलम्ब जिला घोषित किया जाये, और अन्य स्थानों पर भी जिला केन्द्र स्थापित किये जायें जिससे जनता को लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री समर्थ लाल।

(व्यवधान)

नहीं मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मोहनलाल बंशीलाल (दौसा) : मुझे बोलने का मौका दिया जाये एक मिनट।

माननीय अध्यक्ष जी, जयपुर जिले के बारे में कई दफा सवाल उठा, दौसा जिला बनाने के लिये। डूंगरपुर तीन तहसीलों का जिला है जब कि दौसा हमारा चार तहसीलों का सब-डिवीजन है। डूंगरपुर में सिर्फ तीन तहसीलें हैं और दौसा ऐसा क्षेत्र है जहां से सवाई माधोपुर, गंगापुर, करौली और भरतपुर का रास्ता है, एक बड़ा कस्बा है, और काफी आबादी है। सब-डिवीजन होते हुए अखबार में निकला जयपुर जिला के जयपुर ग्रामीण क्षेत्र को दौसा जिला बना रहे हैं। इसको दौसा जिला क्यों नहीं बनाया जा रहा है जब कि और जिले बन रहे हैं। दौसा ने क्या गुनाह किया है, अन्याय किया है कि जब जिलों को बनाने की बात आती है तो दौसा का सवाल पीछे डाल दिया जाता है। जयपुर की 19 तहसीलें हैं, और 19 विधायक हैं, जयपुर जिले के कारण लोगों को परेशानी होती है। कचहरी और दफ्तर के लिये उन्हें दूर जाना पड़ता है। उनकी सुविधा के लिये मैं निवेदन करता हूं कि जब आप और जिले बनायें तो दौसा को जिला जरूर बनायें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए क्षमा करें, मैं थोड़ा समय लूंगा। अध्यक्ष महोदय, जिलों के निर्माण की चर्चा चल रही है, बारां जिला बनने के लिए सब से उपयुक्त है, ऐसी सब लोगों की मान्यता है। कोटा के लिए शाहबाद और किशनगंज के लोगों को 150 किलोमीटर जाना पड़ता है। कोई कलेक्टर और डी.एस.पी. जो कोटा जाते हैं वे बिना कार्यवाही किये वापस आ जाते हैं। इस कारण वह एरिया अशांत एरिया है, आदिवासी एरिया है। बारां को जिला बनाने के लिए और जिलों के आधार पर चर्चा की जाये। वहां इतनी अव्यवस्था है कि पिछले सात दिनों के अन्दर-अन्दर सात बम विस्फोट हो चुके हैं लेकिन, श्रीमन्, कोई समुचित कार्यवाही इसलिये नहीं हो सकी कि.....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : वहां की प्रशासनिक व्यवस्था अस्तव्यस्त है। इसलिये वहां जिले का निर्माण किया जाना व्यवस्था ठीक करने के लिये आवश्यक है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दो-दो सरकारें जब जिले बनाने की बात को स्वीकार करती हैं तो उसकी क्रियान्विति में विलम्ब क्यों हो रहा है। इससे वहां प्रशासन चुस्त होगा, वहां अच्छी व्यवस्था होगी, शांत व्यवस्था होगी, और जिले के गरीब लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। पास में ही उनको न्याय मिल सकेगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस जिले का निर्माण शीघ्र किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री समर्थलाल। श्री बहादुरसिंह, श्री मेघराज तावड़। माही बांध परियोजना में ग्रामवासियों····

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह स्थगन प्रस्ताव इसलिये दिया है ताकि आपके माध्यम से सरकार और मंत्रियों का ध्यान आकर्षित कर सकूं। आज जो 98 में से 18 गांव हैं, उन 18 गांवों में आदिवासियों की हालत इतनी ख़राब है कि वह पहाड़ों पर जाकर बैठे हैं। सरकार भी यह नहीं कहती कि इनको बसाया जायेगा। जो कि अतिवृष्टि से उनके गांव डूब गये हैं, सरकार यह कहती है कि उनको जमीन दी गई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उन लोगों को जमीन नहीं दी गई है। वह केवल कागजों में लिखी गई है।

आदिवासी नहीं जानते हैं कि उनको जमीन दी गई है। सरकार की तरफ से कहा गया कि जमीन अलाॅट कर दी गई है। वह आज भी जंगल में जाकर बैठे हुए हैं उनको जमीन नहीं मिली। जंगलात विभाग की तरफ से, उनको इस तरह परेशान किया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं। उनको बैठने-रहने के लिये जमीन नहीं दी गई। मुआवजा दे देने से काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिये उनकी ठीक व्यवस्था की जाये, उनको बसाया जाये। मैं कहना चाहूंगा कि विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाये वह कमेटी वहां दौरा करे और वास्तव में देखे कि उनको बसाया गया है या नहीं। आदिवासियों की हालत बहुत गम्भीर है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं बड़े पुरजोर शब्दों से कहना चाहता हूं कि उनको बसाया जाये, आज जो जंगल काटे जा रहे हैं उनको काटने से रोका जाये। चाहे सरकार इसके खिलाफ कितनी भी कार्यवाही करे, चाहे उन्हें जेलों में डाल दे, अगर आदिवासी यह सोच लें कि हमें जंगलों में रहना है तो आप चाहे गोलियां चलायें, कितनी भी कार्यवाही करें, उनको बसाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा। घना बर्ड सैंक्चुरी को बचाया जाये, और उसकी उन्नति की जाये। सैंक्चुरी में एक नहर होकर गांव जाती है उस नहर का नाम जाटोली नहर है। जाटोली नहर बन्द कर दी गई है। नहर से वहां के गांव के लोगों को पानी मिलता है, लेकिन बन्द होने के कारण गांव के लोगों को पानी नहीं मिलता है। मेरा निवेदन है कि उस नहर को दुबारा चालू किया जाये। दूसरे वहां पर मवेशी चरने जाते थे। सैंक्चुरी में उनको चरने की छूट दी जानी चाहिये। लेकिन यकायक उसको बन्द किया जाये तो आज के जमाने में वैसे ही दूध की किल्लत है, डेयरी की कोई सुविधा नहीं है। इसलिये मवेशियों को वहां चरने की इजाजत देनी चाहिये। इस नेशनल पार्क में लोगों को जाने की सुविधा देनी चाहिये। वहां पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ सूख रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष : पक्षियों के बैठने की जगह कहीं नहीं रही ?

श्री राज बहादुर : नहीं, सूखे पेड़ों के ऊपर जाकर बैठते हैं।

श्री अध्यक्ष : कुमारी पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (ग्रामेर): अध्यक्ष महोदय, इम्पोर्टेड कटिंग मशीन से संबंधित मेरा स्थगन प्रस्ताव है। मकराना में पत्थर काटे जाते हैं जिनमें मजदूर अपने हाथों से कटाई और घिसाई का काम करते हैं। 1972 में कोई भी इम्पोर्टेड मार्बलकटिंग मशीन नहीं लगाई गई थी, और न ही सरकार ने इजाजत दी। लेकिन 1972 में दो मशीनों की इजाजत दी गई। किन्तु लोगों के रिप्रेजेन्टेशन, मजदूरों के रिप्रेजेन्टेशन पर रोक लगा दी गई, और सरकार ने उस पर एक कमेटी कायम की। कमेटी में अध्यक्ष महोदय, एक्सपर्ट गये, और उन्होंने अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी कि अगर यहां पर इम्पोर्टेड कटिंग मशीन की इजाजत दी गई तो हजारों की संख्या में मजदूर बेकार हो जायेंगे और स्माल यूनिट करीब-करीब खतम हो जायेंगी।

इस पर 1977 में दुबारा यह इम्पोर्टेड कटिंग मशीन लेने के लिये लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया। उस पर एक्सपर्ट की हाई पावर कमेटी बिठाई गयी, उस हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि एक्सपोर्ट की दृष्टि से देखते हुए, और दूसरे देशों में विकास की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, हमें इस मशीन की इजाजत देनी चाहिये। लेकिन एक से अधिक मशीन को इजाजत नहीं देनी चाहिए, अन्यथा स्माल स्केल यूनिट को बड़ा भारी धक्का लगेगा और हजारों की तादाद में मजदूर हो बेकार जायेंगे। लिहाजा यह नियम बनालें कि क्लियरेंस हो जाने के बाद, एन. ओ. सी. दिया जाये और वह एन. ओ. सी. बड़ी सख्ती से दिया जाये, और यह बड़े ध्यान से देखा जाये कि कहीं एक से अधिक मशीन तो नहीं खरीदी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहती हूं कि वर्तमान सरकार से पूर्व श्री पहाड़िया जी की सरकार के समय उक्त सारे नियमों को ताक पर रख कर, वहां के बड़े-बड़े लोगों को, वहां के बड़े-बड़े उद्यमियों को, एक से अधिक मशीन लगाने की इजाजत दी गई। वो मशीन किस तरीके से दी गई, अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : जल्दी कीजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, पहली मशीन मैसर्स ओसवाल मार्बल को दी गई। इस पर डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, नागौर ने बहुत ही सख्ती से लिखा भी था कि इस कम्पनी के पास आलरेडी एक मशीन है और वह जैन मार्बल्स के नाम से है। इसके बाद तो सारे नियमों को ताक पर रखकर ओसवाल मार्बल्स नाम की उसी पार्टी को मशीन उपलब्ध करवाई गयी। अध्यक्ष महोदय, दूसरी मशीन उपलब्ध करवाई गई मैसर्स एफ. एफ. एंटरप्राइज को। जिसके पास कोई एन. ओ. सी. नहीं था। सैक्रेटरी इण्डस्ट्रीज को बड़ी सख्ती से बता दिया था कि इस पार्टी के पास कोई क्लियरेंस नहीं है लिहाजा इसे मशीन नहीं दी जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि इसी पार्टी के पार्टनरशिप में श्री सुशील गुप्ता को, पहाड़िया जी के असिस्टेंट सैक्रेटरी थे, उनके भाई को मशीन दिलाई गयी। इसमें भी सारे नियमों को ताक पर रखकर परमिशन दी गई। अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन : और उस पार्टी को मशीन की इजाजत दी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करने जा रही हूं।

(श्री सुश्री पुष्पा जैन)

अध्यक्ष महोदय, तीसरी मशीन दी गई बाबुलाल जैन को। बाबू लाल जैन के पास कोई एन. ओ. सी. नहीं था, कोई नियमों में प्रावधान नहीं था। उसके बावजूद इनको मशीन की इजाजत दी गई। अध्यक्ष महोदय, एक और इजाजत दी गई, एन. ओ. सी. दिया गया तब जब कि पहाड़िया जी ने इस्तीफा दे दिया था……

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन : ये यह बहुत बड़ा धोखा है, वहां हजारों मजदूर बेकार हैं, छोटी छोटी यूनिट खतम हो रही है, इस मामले की जांच करायी जाय। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी यह बड़ा संगीन मामला है, इसे आप लाइटली न लें। आप जल्दी से जल्दी मकराना में जाकर इसकी जांच करवायें, और जो भी लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त एक्शन ले सकते हैं, वह लें।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी। दो मिनट।

श्री बंशी लाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है—

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री बंशी लाल पटवा : हम आपके जुरिसडिक्शन को मान रहे हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं आसन को थोड़ा खुलासा करना चाहता हूं, मेरे ख्याल में आसन को ध्यान है कि मेरी कान्सटीट्यूएन्सी में शहरी वोटर नहीं रहते हैं, मेरे बीकानेर शहर में 45 हजार वोटर हैं इसलिए मैं सूरसागर और गंदे नाले की समस्या को बार बार उठा रहा हूं और अकाल बाढ़—

श्री अध्यक्ष : बार-बार यहां उठाने की इजाजत नहीं है। एक प्रश्न को वापस। यह अभी बताया है इसलिए दो मिनट में फर्माना चाहें तो फर्मा दें।

श्री देवी सिंह भाटी : इसीलिए तो दुःख है कि मैंने पूर्व में बाढ़ आने के कारणों के लिए पत्र लिखा अकाल बाढ मन्त्री महोदय को, स्वायत्त शासन मंत्री को, उसके बाद भी कोई जांच नहीं हुई। महज एक म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की लापरवाही की वजह से सूरसागर और गन्दे नाले में 26 लाख रुपया खर्च किया गया। उनकी लापरवाही से बीकानेर के जिनानी और हनुमान हत्थे के दो मोहल्लों में पक्के मकानों का दो करोड़ का नुकसान हुआ। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं बार बार यह मामला उठाना चाहता हूं। इस बार यदि अभी से स्वायत शासन विभाग ध्यान नहीं देगा तो फिर अगर आज की स्थिति में वहां आधा इंच वर्षा हो जाती है तो फिर बाढ़ की स्थिति भुगतनी पड़ेगी। अगर आदमी और बच्चे मर जायें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊ, फोटो भी मैं साथ लेकर आया हूं, ये सब हैं……

श्री अध्यक्ष : फोटो की इजाजत नहीं दूंगा माननीय सदस्य। दो मिनट में यदि आप फर्माना चाहें, तो आप फर्मा दें। फैक्ट रख सकते हैं।

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसलिए स्वायत्त शासन विभाग और अकाल बाढ राहत मंत्री इस ओर ध्यान देकर सूरसागर और गन्दे नाले के जिनानी और हनुमान

(श्री देवीसिंह भाटी)

हत्था जो बनाये हैं, उसकी तुरन्त सफाई करवायें, और जो सुनार लोग पड़ोस में बसे हुए हैं, उनको बचायें। वरना मैं आपको चेतावनी देता हूं कि वहां महामारी फैलेगी। जो मैं बार-बार उठा रहा हूं, अगर आप इसे ढिलाई और लापरवाही से इसको देखेंगे तो इसके बहुत गम्भीर परिणाम होंगे। बीकानेर की जनता विशेष रूप से जिगनानी और हनुमान हत्थे की जनता बहुत ज्यादा क्रोधित और उत्तेजित हो रही है कि यदि हमारी सरकार ने इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया तो हम आन्दोलन करेंगे, सरकारी कामकाज को ठप्प कर देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री महोदय को जिरतानी मोहल्ले और हनुमान हत्थे के पास जो सूरसागर और गंदा नाला है, जिस पर 26 लाख रुपये खर्च हो गये हैं, ड्रेनेज है उसकी तुरन्त सफाई करायी जाय, क्योंकि बाढ़ आने से पहले, 16-7-1981 से पहले एक लाख रुपया एक महीने पूर्व में भूतपूर्व एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा खर्च किया गया, यह कहकर कि इसकी सफाई करवायी गयी, वहां बाढ़ आने के बाद——

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री देवी सिंह भाटी : सफाई की गयी, एक लाख रुपये कागजों में खा लिये गये। इसके कारण बाढ़। और आज भी अगर इसका मुआयना मौके पर किया जाय और जांच की जाय तो मैं निश्चित तौर से आपको वहां ले जाकर बताऊंगा कि किस तरह नाला मिट्टी, गन्दगी से भरा पड़ा है और अटा पड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी ओर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री…

श्री राज बहादुर : 295 में मुझे कुछ निवेदन करना है। मैंने परमिशन मांगी थी।

श्री अध्यक्ष : कल लेलीजिये, उसको। आज बहुत देर हो जायेगी।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरी अर्ज तो सुन लीजिए। आपके जुरिस्डिक्शन को मैं चैलेन्ज नहीं कर रहा हूं, मेरा निवेदन है कि मैंने मन्दिर में मूर्ति की चोरी के बारे में दिया है। भीलवाड़ा में एक दिगम्बर जैन मन्दिर से मूर्ति चोरी हो गयी, और...

श्री अध्यक्ष : मैंने जानकारी मंगवायी है।

श्री बंसी लाल पटवा : जानकारी का कोई सवाल ही नहीं, हुकुम। आप रिजेक्ट कर दो।

श्री अध्यक्ष : आज मैं इजाजत नहीं दूंगा, कल अगर चाहेंगे तो कल इजाजत दे दूंगा। आज दो घण्टे का समय जीरो आवर में चला गया। आपको भी कल अवसर दूंगा। आज समय ज्यादा हो गया है।

श्री राज बहादुर : 295 में आज नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री राज बहादुर : आज ही।

श्री अध्यक्ष : कल।

श्री राज बहादुर : हम तो आपकी आज्ञा मानने वाले हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जिला जैसलमेर में भीषण अकाल की स्थिति के बावजूद गायों के प्रवेश एवं तस्करी की रोकथाम न होना

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री चन्द्रवीर सिंह-नियम 131 के अन्तर्गत अकाल राहत मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(70)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत क्षेत्र, जिला जैसलमेर में भीषण अकाल की स्थिति होते हुए भी गायों का प्रवेश एवम् तस्करी की रोकथाम न होने की स्थिति की ओर अकाल राहत मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा । हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बालमीर भाट द्वारा हजारों गायों को लेकर जैसलमेर में प्रवेश कर रहे हैं और कर चुके हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी परिचित हैं, कि ये भाट जो गाये लाते हैं, वे बहुत ही रद्दी किस्म की गाय होती हैं । ढांडर, रद्दी गायें, जो कभी दूध नहीं दे सकतीं, कभी बिया नहीं सकती । बाढ़ बूढी, ठाडी बालदिये भाट हैं, इसके अलावा भी, अध्यक्ष महोदय, ये जो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा और अनेक स्थानों से गाय ले के पश्चिम राजस्थान में आते हैं, और तो और अध्यक्ष महोदय, ये बाढ़ आंकल बड़दों को खराब कर देती हैं, आंकल बड़द से माननीय मन्त्री महोदय परिचित हैं——

श्री अध्यक्ष : आंकल सांड होता है बड़द नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कैसे कहा कि आंकल सांड से मन्त्री महोदय परिचित हैं ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : मुख्य मंत्री महोदय जानते हैं,आंकल सांड वह होता है हिन्दु सस्कृति के तहत जिसको सार्वजनिक सांड बनाकर छोड़ा जाता है, उससे परिचित हैं । उसका मतलब है अध्यक्ष महोदय, ये गायें चोरी करके लाते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, इन गायों के आने से अनेक बीमारियां फैलती हैं । हमारे यहां की नस्ल भी इनके आने से खराब होती है । माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गाये जो बेचते हैं, ये बोर्डर पर चीजों के के एवज में बचते है, एक रेठ के एवज में एक गाय, एक दो किलो बाजरे के एवज में बड़द और यहां तक कि खाली बोरी के एवज में भी वे एक गाय दे जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेंटली इस भीषण अकाल की स्थिति में हमारे यहां चारे पानी की कमी है । शिव से आने वाले माननीय सदस्य इसको भी गौर से सुन रहे हैं, इस भीषण अकाल की स्थिति में भी बाड़मेर और जैसलमेर जिले में हजारों गायें प्रवेश कर चुकी हैं । आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को जानकारी देनी है कि ये गायें बालदिये भाटों द्वारा इन जिलों में लायी जाती है, वे अल्टीमेटली पाकिस्तान में तस्करों द्वारा भेजी जाती है । ये गायें पाकिस्तान में कटती हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि अभी जो जिला जैसलमेर बाड़मेर में बालदिये भाट गायें लेकर आये हैं, उनको तो वहां से वापस करवाया जाय, और आइन्दा के लिये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि रामदेवरा से गायों को आगे नहीं आने दिया जाय । फ्यूचर में इस तरह की व्यवस्था हो ताकि जो परेशानी आज देखनी पड़ती है, वह नहीं देखनी पड़ेगी । शिव से आने वाले माननीय सदस्य भी इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि शिव तहसील की भी समस्या है, चौहटन की भी समस्या है, और बाड़मेर की भी यही समस्या है । मेरा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि तुरन्त बाड़मेर जैसलमेर से वापस किये जायें ताकि पाकिस्तान में इनकी कटाई से यह बच सकें ।

श्री अमीन खां (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जैसलमेर से आने वाले माननीय.......

श्री परसराम मदेरणा (मंत्री, बाढ़ एवं अकाल राहत): प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम-131 में जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को रखते हैं, वही सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। आपको अगर उसके बाद कुछ प्रश्न पूछना हो तो नियम के अनुसार आप मुझे प्रश्न पूछें....

(1.53 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुडावत, सभापति, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश जैसलमेर से प्राप्त सूचना के अनुसार फलोदी तहसील की ओर से बालदिये भाट 1500 गायें लेकर हाल ही में पोकरण सब डिवीजन के क्षेत्र में आये थे इसमें से 1200 गायों ग्राम रामदेवरा में से होती हुई बीकानेर जिले में चली गई हैं। शेष 300 गायों को नाचना के उत्तर में स्थित ग्राम रायचन्दवाला, भारेवाला एवं माला आदि ग्रामों में ले गये हैं। इसी प्रकार बालदिये भाट 600 गायें लेकर जैसलमेर सब डिवीजन में आये थे जिनमें से 300 गायें ग्राम लूसार, करडा, हतार एवं फलोदी के लोगों को बेच दी हैं। बाकी गायें इसी क्षेत्र में हैं। गायों के पाकिस्तान में जाने की कोई सूचना अब तक जिला प्रशासन को नहीं मिली है। सीमा पर स्थित बी. एस. एफ. की सभी चौकियों एवं पुलिस दोनों पूर्व में ही सतर्क हैं तथा उन्हें भविष्य में और अधिक सतर्कता बरतने के निदेश दे दिये गये हैं।

श्री अमीन खां: सभापति महोदया, अभी 1-2 तारीख को मैं खुद मेरे गांव से रवाना हुआ था। बाडमेर तहसील के देसूरी गांव में जिनको गाडोलिया भारेवाल कहते हैं, वे गायें ले आए। हम खुद गायपालक आदमी हैं। इन से बहुत ज्यादा नफरत है। ये गाय वाले थरपारकर नस्ल का भी सत्यानाश कर रहे हैं। ये गायें ऐसी हैं जो कोई काम नहीं आती हैं। ये गाय पालक ही बाहर से लाकर हमारी गायों की नस्ल खतम करते है, खराब करते हैं और पाकिस्तान में चोरी से ले जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन पर जोधपुर से आग बिल्कुल रोक लगा देनी चाहिए कि आग नहीं जावें। इनका जैसलमेर जिले में जाना बिल्कुल बन्द करें ताकि हमारी नस्ल को नुकसान न पंहुचे और पाकिस्तान न जा सके। इन दो जिलों के मवेशियों के लिए तो हम मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश और गुजरात में इनको ले जाने की व्यवस्था करें वरना गायें मर जायेंगी। ये गाय हमारी तरफ से पाकिस्तान नहीं जा सकें, इसकी सख्ती से आप रोकथाम करें।

श्री परसराम मदेरणा: माननीय सभापति महोदया, जहां तक बारह सौ से अट्ठारह सौ लाने की बात बताई है, ऐसी सूचना जिलाधीश ने दी है। इसी प्रकार से जैसलमेर जिले में या जोधपुर जिले के बारे में हमें सूचना मिली है। हमारी इन्फार्मेशन के अनुसार 25 हजार गायें जैसलमेर जिले में हैं। इन दो जिलों की गाय आपके वहां चरने के लिए आई हैं। इसलिए आप सभी जानते हैं कि इनको पाकिस्तान बोर्डर पर ले जाकर स्मगलिंग नहीं करते लेकिन जो दूसरे चोर और स्मगलर होते हैं उनको बेचते हैं। वहां पर गाय रखते हैं, गायों के ढोर के ढोर रहते हैं और लोग हमेशा घूमते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब गाय ज्यादा होती हैं तो ज्यादा होने के बाद वहां पर जाती है। आपका आरोप यह है कि दूसरी ओर वह लोग कहीं पर ले जाकर पाकिस्तान में

(श्री परसराम मदेरणा)
स्मगलिंग नहीं करें । वह तो स्वयं स्मगलिंग नहीं करते बल्कि दूसरे लोगों को बेचते हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि आज जब चारे की विषम परिस्थिति है तब जैसलमेर जिले में चारा उपलब्ध है तो वहां से गायों को निकाल दें, और निकालने पर उनको माईग्रेटिंग रूट पर नहीं ले जायेंगे, गायें छोड़ कर भाग जायेंगे, और गायें मर जायेंगी बीच रास्ते में । इसलिए यह सतर्कता तो बरतनी बहुत जरूरी हैं, कड़ी निगरानी रखनी तो बहुत जरूरी है कि कौन कौन लोग चोर हैं, और कौन-कौन स्मगलर हैं, इस प्रकार का धन्धा करते हैं। हमने पहले भी निर्देश सतर्क रहने के लिए दिये हैं, और भविष्य में भी देंगे । लेकिन इन गायों को वहां से निकालने के बारे में निवेदन है, जोधपुर जिले में आयेंगी गायें । तो जोधपुर से लेकर कोटा तक माइग्रेटिंग रूट पर हम गायों को डालते हैं तो वे जायेंगी नहीं । मैं ऐसा समझता हूं कि वे नहीं जायेंगी, और अगर जायेंगी तो भी इतना लम्बा रूट है, उनकी गायें आ नहीं सकेंगी । इसलिये वहां पर सतर्कता बरतना ज्यादा जरुरी है । रही बात गायों की नस्ल की कि वह खराब हो जायेंगी । थरपारकर की अच्छी नस्ल हैं । दूसरी नस्ल की आने से यहां की ब्रीड को हानि पहुंचेगी, यहां की नस्ल खराब होगी । गायों से नस्ल कैसे बिगड़ सकती हैं । हां यह हो सकता है कि अगर सांड खराब हो, जैसा कि जैसलमेर के माननीय सदस्य कह रहे थे, उनकी बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन गायों से नस्ल खराब नहीं होती है । लेकिन यह बात ध्यान में रखी जायेगी कि स्मगलिंग या दूसरे किसी तरह के मामले जो हैं ...

श्री अमीन खां : सांड भी हैं, और बैल भी हैं । जो मैं कह रहा था वह हैं। उनसे हमारी गायों की नस्ल खराब होती है, हुई है काफी नस्ल पर असर हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : सांडों से हो सकती है । गायों से गाय की नस्ल खराब नहीं होती है ..

श्री अमीन खां : बैल भी हैं, साहब, ऐसे ।

श्री परसराम मदेरणा : सांड के लिए जहां तक जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, वह ज्यादा नहीं होते हैं । आखिर सांड तो उनके पास होते नहीं । एक-आध होते हों तो मुझे मालूम नहीं ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : सांड को भी साथ लेकर आते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा: सांड तो ज्यादातर जैसलमेर के हैं और थारपारकर ब्रीड के हैं । और थारपारकर ब्रीड के अगर आते हैं तो ब्रीड सुधरने की ज्यादा सम्भावना है, बिगड़ने की सम्भावना कहां है ?

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि नस्ल खराब होती है तो हमारे जिले में भेज दी जावे । हम नस्ल सुधार ने के लिए काम करेंगे ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय, आप यह तो मानते हैं कि इस तरह की रद्दी नस्ल की जो गाय आती हैं, जो कभी दूध नहीं दे सकतीं, जो कभी बियां नहीं सकतीं, बूढ़ी-

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

ठाड़ी जो गायें हैं उनका क्या उपयोग हो सकता है। आपने भी अभी यह बताया कि पोसीबलिटी है। जिला प्रशासन को यह चिन्ता नहीं है कि गायें पाकिस्तान में जाती हैं या नहीं। जहां तक मेरी जानकारी है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह हकीकत है कि गायें पाकिस्तान में जाती हैं और पाकिस्तान में कटती हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बोर्डर के अगर ज्यादा नजदीक नहीं जा सके तो बोर्डर से कम से कम पचास किलोमीटर पीछे करना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा: इस प्रकार की गायें बोर्डर पर नहीं जायेंगी, यह तो आदेश दे दिये गये हैं कि बोर्डर से बहुत दूर रहें। लेकिन बोर्डर से बहुत दूर रखते हुए भी निष्क्रमण के लिए जैसलमेर जिले के अन्दर ले गए। जैसलमेर जिले के अन्दर घास है, फलोदी के लोग और दूसरे लोग भी यह समझ रहे हैं कि जैसलमेर में कुछ घास है। यह आपके शिव के और दूसरे लोग समझते हैं कि जैसलमेर में घास है इसीलिए शिव और आपके उस इलाके से जैसलमेर के गांवों में निश्चित तौर पर, आप जानते हैं इस बात को, गायें गई हैं। जैसलमेर में घास कितनी उपलब्ध रहेगी, कितनी सफीइस होगी, नहीं होगी, कितनी अवधि के लिए, यह बात अलग है।

इसलिए जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि हमारे यहां घास नहीं है और गायें ज्यादा आ रही हैं। कुछ गायें वहां से वापस लौटना शुरु हो गई हैं इसलिए वहां पर घास ज्यादा उपलब्ध नहीं है और वीड की जो थोड़ी बहुत घास है वह बहुत मोटी है, चरने के लायक नहीं है। आपने यहां पर एक बात बताई थी कि पानी की व्यवस्था कर दी जावे। आपके इस वाद-विवाद के होने के बाद में, दो दिनों की चर्चा के बाद मैंने पी. एच. ई. डी. को इस बात के आदेश दिये हैं कि पाइप लाइन को और आगे बढ़ाया जावे ताकि लोगों को सुविधा उपलब्ध हो सके। बोर्डर के ऊपर तो सतर्कता बरत लेंगे, लेकिन बिल्कुल वहां से निकाल दें तो निकाल देने के बाद जैसलमेर से घास की उपलब्धि करानी होगी। आपने एक बात कही कि गायें दूध देने वाली नहीं हैं। हर आदमी के पास पांच-चार गायें दूध देने वाली होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन हर एक आदमी के पास बांगड़ी गायें होती हैं। इसलिए बांगडी गायों को निकाल दें, वहां से तो दूध देने वाली गायों का प्रतिशत तो बहुत ही कम होता है। सौ गायें जैसलमेर में एक आदमी के पास हैं और जो आदमी सौ गायें रखता है जैसलमेर में तो उसमें से ज्यादा से ज्यादा 15 गायें एक साथ दूध देने वाली होंगी, बाकी 85 गायें तो बांगड़ी ही होंगी, दूध देने वाली नहीं होंगी, बांगडी होंगी तो उन बांगड़ी गायों को निकाल देने का प्रश्न कहां है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जैसा कि अभी फर्माया कि बोर्डर पर गायें नहीं जाती हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वाला और भीरेवाला गांव बिल्कुल बोर्डर पर हैं।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी: आपने आदेश प्रसारित किये हैं ऐसे भाटों की गायों के लिए उसमें तो दूसरों की भी गायें होंगी तो हमारी तो मुश्किल हो जाएगी।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा: दूसरों की नहीं केवल भारतीयों की हैं।

श्री देवीसिंह भाटी: हमारे गांवजो बोर्डर पर बसे हैं उनका ध्यान रखावें।

श्री परसराम मदेरणा: बोर्डर के बारे में माननीय सदस्यों की यह कल्पना है कि गायों को कहीं ले जाकर बेचते हैं। उनके बारे में ऐसा है कि बोर्डर पर घास है वहां पर दूसरे लोगों को नहीं जाने देंगे तो उसके आगे जाकर के जो पश्चिम का एरिया है, उस एरिया के अन्दर छोटे छोटे कुएं हैं और वह दस दस मील, आठ-आठ मील, नौ-नौ मील पर हैं, वहां पर गायें पहले भी जाती रही हैं और आज भी निश्चित रूप से जायेगी क्योंकि पानी के सोर्सेज हैं।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी: माननीय सभापति महोदया, यह धारणा नहीं है,हकीकत है कि पाकिस्तान गायें भेजी जाती हैं और वहां पर कटती हैं।

शासकीय वक्तव्य

मनोहर थाना पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशन पर ग्राम सेवक श्री गोपाल सिंह की निर्मम पिटाई और उसकी मृत्यु

श्री सभापति: शासकीय वक्तव्य।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, गृह): सभा नेत्रीजी, आपकी आज्ञा से मेरा निवेदन है।

श्रीमती गोदावरी, पत्नी घासीलाल, कांस्टेबल ने दिनांक 8-8-81 को प्रातः 8-30 बजे थाना मनोहर थाना पर, जबानी रिपोर्ट की कि प्रातः 7-00 बजे जब वह मकान के नीचे नल पर पानी भरने गयी थी तो वहां पर उसकी पसड़ोन श्रीमती फूलकंवर बाई, पत्नी श्री गोपालसिंह, ग्राम सेवक भी पानी भरने आयी थी। बच्चों के मामले को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो गया। फूलकंवर बाई ने उससे गाली गलोच किया एवं एक बाल्टी की सिर पर मारी।

थाने के रोजनामचे में उक्त रिपोर्ट रपट संख्या 209 पर अंकित की गयी। मामला धारा 323/504, आई. पी. सी. का पाये जाने पर रहबरी अदालत दिया गया।

श्रीमती गोदावरी बाई ने पुनः उस ही दिन सायंकाल 4-30 बजे थाने पर उपस्थित होकर एक जबानी रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह की घटना को लेकर आधे घण्टे पूर्व श्रीमती फूलकंवर बाई और उसके पति श्री गोपालसिंह ने उनके मकान के बाहर आकर गाली गलोच किया और जान से मारने की धमकी दे गये, उसे इन लोगों से जान का पूरा खतरा है।

उक्त रिपोर्ट भी थाने के रोजनामचे में रपट सं. 219 पर अंकित की गई। मामला शान्ति भंग का पाये जाने पर, 107 सी.आर. पी. सी. के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु दर्ज किया गया कांस्टेबल गोवर्धन सिंह को गोपालसिंह को बुलाने हेतु भेजा गया। यह कांस्टेबल गोपालसिंह, ग्राम सेवक को लेकर थाना मनोहर थाने में 5-00 बजे शाम को आया। थाने पर मुस्तगीसा गोदावरी बाई एवं ग्राम सेवक गोपालसिंह के आपस में समझौता हो गया और दोनों थाने से उसी समय रवाना हो गये। इसको भी रिपोर्ट रोजनामचे में रपट संख्या 221 पर अंकित है। दिनांक 9-8-81 को प्रातः 8 बजे श्री सुरेश-चन्द्र सोमानी, विकास अधिकारी, मनोहर थाना

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

श्री श्यामसुन्दर, पटवारी एवं अन्य पंचायत समिति के कर्मचारीगण थाना मनोहरथाना पर आये और थाना अधिकारी को सूचित किया कि गोपालसिंह ग्राम सेवक जिसे कल थाने पर बुलाया गया था, रात को मर गया है इस पर कार्यवाही की जाये। उक्त सूचना की रिपोर्ट भी थाना मनोहरथाना रोजनामचा में रपट संख्या 246 पर अंकित की गई। तत्पश्चात् श्री सुरेश चन्द्र, विकास अधिकारी ने थाने पर 12.35 बजे एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसमें दिनांक 8.8.81 को श्री गोपालसिंह ग्राम सेवक की पत्नी में कांस्टेबल घासीलाल की पत्नी में झगड़ा होने पर पुलिस थाना द्वारा गोपालसिंह को थाने पर बुलाया जाकर उसके साथ ज्यादती करने के कारण मृत्यु हो जाने का आरोप लगाया। इस रिपोर्ट को रोजनामचे में अंकित कर पुलिस द्वारा 174 सी. आर. पी. सी. के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : होम मिनिस्टर की तरह बोलो, जरा जोर से।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप क्या फर्मा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोर से बोलो, होम मिनिस्टर की तरह।

एक माननीय सदस्य : क्या बीमार की तरह बोल रहे हो।

श्री भैरोंसिंह गूर्जर : इतनी जोर से बोल रहे हैं, बैटरी लगवा लो, आप।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सूचना मिलते ही उप-अधीक्षक पुलिस, अकलेरा एवं एम. डी. एम. अकलेरा, थाना मनोहर थाना पहुंचे। मृतक गोपालसिंह की लाश का पंचायत नामा बनाया जाकर, पोस्टमार्टम कराया गया तथा लाश को उसकी पत्नी को सुपुर्द कर दिया गया। डाक्टरी जांच से मृतक गोपालसिंह के बदन पर कोई भी चोट होना नहीं पाया गया। डाक्टर ने मौत का कारण बताया। शरीर के अवयवों को विशेषज्ञ की जांच हेतु सुरक्षित रखा।

इस घटना को लेकर दिनांक 9-8-81 को श्री सुरेशचन्द्र, विकास अधिकारी के नेतृत्व में राज्य कर्मचारीगण, जिनमें मास्टर व पटवारी सम्मिलित थे, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की तथा थाने के समक्ष प्रदर्शन किया। ग्राम सेवकों ने जिलाधीश कार्यालय के समक्ष भी दिनांक 9-8-81 को प्रदर्शन किया, और उनके प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक से मिलकर जांच की मांग की। दिनांक 20-8-81 को पांच ग्राम सेवक जिलाधीश कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे। श्री गोपालसिंह की मृत्यु के संबंध में उप-पुलिस अधीक्षक, अकलेरा जांच कर रहे थे। अब इस जांच को मजिस्ट्रेट द्वारा कराने के आदेश दे दिये गये हैं। जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़ को भी यह निर्देश दे दिये गये हैं कि वे संबंधित मजिस्ट्रेट से इसकी जांच कराकर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके साथ ही थाने के इंचार्ज ए. एस. आई., श्री पुरुषोत्तम को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : सभापति महोदया, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया कि मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है। मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि किस मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की है, उनका नाम बताने का कष्ट करेंगे? किस तारीख को आदेश प्रसारित किये गये हैं? एक.........

(76)

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक-एक करके पूछ लें। यह जिस वक्त आपने स्थगन प्रस्ताव दिया था पूर्व में और सरकार को इसकी सूचना प्राप्त हुई थी, तो जब मेरे पास उत्तर बनकर आया था उसी समय आदेश दिये थे। एग्जेक्ट डेट तो याद नहीं, पांच छह रोज पहले की बात है। मैंने उसी रोज आदेश दिये, इस मामले को लेकर जनता में रोष है, इसलिये इस मामले की जांच मजिस्ट्रेट से करायी जाये। इस बात के आदेश जिलाधीश, झालावाड़ को दिये गये हैं। जिसकी नियुक्ति की गई है, वहां जो एस. डी. ओ. होगा उसके नाम की जानकारी मुझे नहीं है, जो कुछ भी कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग): माननीय सभापति महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने बताया, गोपालसिंह और उनकी पत्नी ने वहां जाकर घासीलाल की औरत को धमकाया है यह सब असत्य है। मैं वहां होकर आया हूं। गोपाल सिंह से, औरत से मिल कर आया हूं। उन्होंने बताया कि दोनों औरतों में झगड़ा हुआ है। घासी पुलिसमेन है, पुलिसमैन होने का मतलब यह नहीं है कि वह कोई टोप होवे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, उन्होंने स्पष्ट बताया कि दोनों औरतों में झगड़ा हो गया। झगड़ा औरतों में हुआ और बुलाया गोपालसिंह को। वहीं डराया, धमकाया। वह हार्ट का पेशेन्ट था, 8 तारीख की घटना है, माननीय सभापति महोदया, वहां पर नगर की जनता से मैंने यह सारी जानकारी ली है। क्या यह सच है कि दोनों औरतों में झगड़ा हुआ? आपके वहां महिला पुलिस नहीं थी, महिला पुलिस नहीं होने के नाते महिलाओं को नहीं बुलाया। जो ग्राम सेवक है जिन औरत में झगड़ा हुआ था घासी की औरत और घासी ने यह सारा षड्यंत्र रचा, रफीक, गोवर्धन और वहां का एक, तीनों उसको बुलाने घर पर आये, क्या यह सत्य है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदया, मैंने स्वीकार किया है। माननीय सदस्य ने गौर से वक्तव्य सुना नहीं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : कहां स्वीकार किया है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह क्या है पढ़ कर सुनाऊं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : दोनों औरतों में झगड़ा था। गोपालसिंह बीच में नहीं था। क्या आपने गौर किया है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने शुरू में कहा है, दोनों औरतों में पानी भरने को लेकर झगड़ा हुआ। मैंने पहले पैराग्राफ में इस बात को कहा है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : मेरा मतलब है आपके विभाग को गोपाल सिंह को बुलाने का क्या अधिकार था ? यह बताइये आप।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो रिपोर्ट थाने पर उस महिला ने जाकर की, उसने कहा, रिपोर्ट लिखायी कि महिला और उसके पति ने पानी के मामले को लेकर हमारे साथ झगड़ा किया। पुलिस ने थाने में बुला लिया तो कोई जुर्म नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है। दुबारा रिपोर्ट की, घासी दुबारा पहले जाकर कि पुनः झगड़ा किया। जान से मारने की धमकी दी है। उनको बुलाया, वहां पर राजीनामा हो गया, और वह घर चला गया। मैंने वक्तव्य में इस बात को स्वीकार किया है, कोई छिपाने की कोशिश नहीं की है मैंने।

श्री अनंत कुमार जैन : जैसा मंत्री महोदय ने फर्माया, मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दे दिये गये हैं, क्या आपने न्यायिक मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश किये हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : न्यायिक मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश नहीं होते हैं, एग्जीक्यूटिव के होते हैं ।

श्री अनंतकुमार जैन : मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है, एस. डी. ओ. के लिये फर्माया कि एस. डी. ओ. से जांच करवायी जाये । तो झालावाड़ जिले में दो एस. डी. ओ. तैनात हैं । एक एस. डी. ओ. श्री ...... तैनात हैं । वह स्वयं घटना मीणा कांड में अभियुक्त है । उसने उस कांड को दबाया है । मृतक व्यक्ति की उसने जमानत ली है । कहीं ऐसा न हो कि वहां के जिलाधीश महोदय उससे जांच करवायें । वह स्वयं दोषी है, स्वयं अभियुक्त है । उससे जांच करायी गयी तो उससे कोई फायदा नहीं है । या तो इस प्रकार के आदेश प्रसारित कर दें, झालावाड़ जिले में जो एस. डी. ओ. कार्यरत हैं उसके नाम के आदेश प्रसारित कर दे ताकि वह जांच करे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इस मामले को देखूंगा कि जांच किससे करायी जाये ।

श्री अनंत कुमार जैन : आपने स्वयं ने विधान सभा में वक्तव्य दिया...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप जिससे कहें मैं उससे जांच करा दूं । सरकार की कोई मंशा नहीं, कोई इरादा नहीं है, दोषी व्यक्ति को संरक्षण देने की आप जिससे कहें उससे जांच करा दूंगा । जिस मजिस्ट्रेट से चाहें उससे करा दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमाल किया आपने ।

केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक उपभोग की वस्तुओं का राज्य को अपर्याप्त आवंटन एवं उदयपुर व जयपुर जिलों में उनका अपर्याप्त वितरण

श्री सभापति : श्री घासी राम ।

श्री घासी राम यादव (राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति) : श्री सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह वक्तव्य पढ़ रहा हूं ।

राजस्थान राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा प्रमुख रूप से गेहूं, चावल, लेवी की चीनी, सीमेंट, नियंत्रित मूल्य का कपड़ा एवं आयातित खाद्य तेल आदि का आवंटन किया जाता है । आज इसकी उपलब्धि निम्नानुसार है :– गेहूं 60 हजार मैट्रिक टन मासिक, आवंटन 15 से 20 हजार मैट्रिक टन, वितरण 15 से 20 हजार मैट्रिक टन । चावल 5 हजार मैट्रिक टन......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बड़ा इम्पोर्टेन्ट मामला है, थोड़ा सा धीरे से पढ़ें ।

एक माननीय सदस्य : जोर से ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं धीरे से, आवाज तो जोर की है, स्पीड कम रखें ।

एक माननीय सदस्य : हां, शुरू से ।

श्री घासी राम यादव : मांग हम केन्द्रीय सरकार से करते हैं 60 हजार मैट्रिक टन मासिक......

श्री राज बहादुर : 60 या 7 ।

श्री घासीराम यादव : सिक्स्टी, सिक्स जीरो । आवंटन हम को किया जाता है 15

(श्री घासीराम यादव)

से 20 हजार मैट्रिक टन, वितरण पूरा हो जाता है। चावल की हमारी मांग है पांच हजार मैट्रिक टन मासिक, और आवंटन होता है 5 हजार मैट्रिक टन। लेकिन अभी पूरा उठा नहीं पाते है पांच सौ से हजार टन इसका वितरण किया जाता है। मांग कम है। लेवी की चीनी, उसकी मांग है, 16 हजार मैट्रिक टन मासिक, आवंटन इसका हमारे को होता है 12,757 मैट्रिक टन। और वितरण हम पूरा कर देते हैं। सीमेन्ट तीन लाख 50 हजार मैट्रिक टन की मांग हैं हमारी प्रति तिमाही की और आवंटन होता है 1,30,200 मैट्रिक टन, नियंत्रित मूल्य का कपड़ा 5,400 गांठें मासिक की मांग है लेकिन केवल 849 गांठें ही मिलती हैं। अप्रेल 81 से और सारा कोटा वितरित कर दिया जाता है। खाद्य तेल 5 हजार मैट्रिक टन मासिक इसका मिलता है 3,850 मैट्रिक टन. मासिक नहीं, वार्षिक है और 2 हजार मैट्रिक टन वितरित कर दिया जाता है। डीजल और कैरोसिन के विक्रय से मार्च, 81 से नियंत्रण हटा लिया गया है। इन दोनों ही वस्तुओं की राज्य में कोई कमी नहीं है।

केन्द्र सरकार ने भविष्य में भी डीजल आवश्यकतानुसार देने का आश्वासन दिया है। 5 हजार मैट्रिक टन सीमेंट का आवंटन प्रथम तिमाही में हुआ था। इसके अतिरिक्त द्वितीय एवं तृतीय तिमाही में क्रमशः 10 हजार और 15 हजार मैट्रिक टन सीमेंट राहत कार्यों के लिये मिली। राजकीय विभागों, स्थानीय निकायों, संस्थाओं आदि को आवंटन करने के पश्चात् सार्वजनिक विक्रय हेतु 38,050 मैट्रिक टन सीमेंट त्रैमासिक प्राप्त होती है। आयातित खाद्य तेल (आर. बी. डी.), पाम आयल एवं रेपसीड आयल राज्य में गत वर्ष तक लोकप्रिय नहीं था। भावों में वृद्धि होने के कारण इन तेलों की अब कुछ मांग बढ़ने लगी है।

गेहूं, चावल एवं आयातित खाद्य तेल स्थानीय भारतीय खाद्य निगम के डिपो एवं राज्य व्यापार निगम के डिपो से मिलता हैं व नियंत्रित मूल्य का कपड़ा राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ को दिया जाता है। जो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से वितरित करने की व्यवस्था करता है। सीमेंट तथा चीनी विभिन्न मिलों से एजेन्टों के मार्फत मंगवायी जाती है। चीनी के लिये राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ को राजकीय प्रतिनिधि एवं थोक विक्रेता नियुक्त किया हुआ है। सीमेंट प्रमुख रूप से राज्य में स्थित 6 सीमेंट फैक्ट्रियों से मिलती है। अधिकांश चीनी महाराष्ट्र की मिलों से एवं कुछ उत्तर प्रदेश एवं गुजरात की मिलों से प्राप्त होती है। मिलें निर्धारित मूल्य पर सहज रूप से चीनी दे रही है। महाराष्ट्र अथवा अन्य किसी भी राज्य में कठिनाई नहीं है।

गेहूं, चावल, सीमेंट एवं आयातित खाद्य तेल का विभिन्न जिलों को आवंटन उपलब्धि के आधार पर किया जाता है। चीनी एवं नियंत्रित मूल्य के कपड़े का वितरण सन् 1971 की जन संख्या के आधार पर किया जाता है। अब तक की स्थिति से स्पष्ट है कि लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं का केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यकता से कम आवंटन किया जाता रहा है।

(श्री घासीराम यादव)

सन् 1971 में राज्य की जन संख्या 2,57,65,806 थी जो अब अस्थायी आंकड़ों के अनुसार 3,41,08,292 हो गई है। यह वृद्धि 32.38 प्रतिशत है। इससे आवश्यक वस्तुओं की आवंटित मात्रा में और अधिक, कमी अनुभव होने लगी है।

प्रति व्यक्ति प्रति माह गेहूं की वितरण मात्रा 10 किलो प्रति व्यक्ति, चावल 6 किलो प्रति राशन कार्ड, लेवी चीनी 425 ग्राम, नियंत्रित मूल्य का कपड़ा 10 मीटर प्रति राशन कार्ड, आयातित खाद्य तेल 400 ग्राम निर्धारित किया हुआ है। लेकिन अभी खाद्य तेल को छोड़कर शेष वस्तुएं निर्धारित मात्रा में उपभोक्ताओं को वितरण नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उपलब्धि बहुत कम है। जिलाधीशों को उपलब्धि के अनुसार अपने स्तर पर गेहूं, चावल एवं चीनी प्रति व्यक्ति वितरित करने के लिये अधिकृत किया हुआ है। आयातित खाद्य तेल नगरपालिका क्षेत्रों में ही वितरित किये जाने के आदेश हुए हैं। इस समय सबसे अधिक मांग गेहूं की बढ रही है। चावल की राज्य में विशेष खपत नहीं है। सीमित मात्रा को ध्यान में रखते हुए जिलाधीशों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे चावल की खपत बढायें एवं गेहूं का वितरण सर्वप्रथम, दूरस्थ सूखा ग्रस्त एवं बाढ से प्रभावित क्षेत्रों में करें।

जयपुर एवं उदयपुर जिलों में प्रमुख वस्तुओं का आवंटन निम्नानुसार है :—

	जयपुर	उदयपुर
गेहूं	1800 मैट्रिक टन प्रति माह।	1500 मैट्रिक टन प्रति माह।
लेवी चीनी	1231 ,, ,,	900 ,, ,, ,,
नियंत्रित मूल्य का कपड़ा	90 गांठे प्रति माह।	73 गांठे प्रति माह
सीमेंट	7500 मैट्रिक टन प्रति तिमाही।	3300 मैट्रिक टन प्रति तिमाही।

माह जुलाई, 81 में अतिवृष्टि से आवागमन के मार्ग एवं साधन अवरुद्ध होने के कारण सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। लेवी चीनी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। मई, 81 तक की लेवी चीनी लगभग सभी जिलों में वितरित की जा चुकी है। जयपुर जिले की जमवा रामगढ़ तहसील की 6 ग्राम पंचायतों (जमवा रामगढ, रायसर, लालवास, रायपुर, डागरवाड़ा एवं थली) में केवल एक माह फरवरी, 1981 की चीनी नहीं पहुंच सकी है जिसका वितरण अब करवाया जा रहा है। माह जून, 1981 की चीनी का राज्य के अधिकांश जिलों में वितरण हो चुका है एवं कुछ जिलों में हो रहा है। जयपुर शहर में जुलाई, 1981 में चीनी का वितरण हो रहा है एवं उदयपुर शहर में अगस्त, 1981 की चीनी का वितरण हो रहा है। राज्य सरकार एवं उपभोक्ता संघ इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि माह अगस्त, 1981 की समस्त लेवी चीनी राज्य भर में इस माह के अन्त तक वितरण हेतु उपलब्ध करवाई जावे एवं माह सितम्बर, 1981 की चीनी दीपावली के पूर्व वितरित हो सके।

आवश्यक वस्तुओं की कमी एवं मूल्यवृद्धि से कोई भी व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता।

(80)

(श्री घासीराम यादव)

इस परिस्थिति में सीमित मात्रा का अच्छे से अच्छे ढंग से वितरण करने का सरकार प्रयत्न कर रही है। साथ ही केन्द्र सरकार से अधिकाधिक मात्रा प्राप्त करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। स्थिति इस दिशा में नियंत्रण में भी कही जा सकती है कि खुले बाजार में प्रत्येक आवश्यक वस्तु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

श्री राजबहादुर : सभापति, महोदया, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किया है, जो जनोपयोगी, जनावश्यक वस्तुएं हैं उनके संबंध में। इस संबंध में जो वक्तव्य निकाले हैं, जो चर्चा उठी है, महाराष्ट्र में सीमेंट, चीनी, पेट्रोलियम पदार्थ पर और इन पर कुछ प्रीमियम एकत्र किया गया और सीमेंट का कोटा दिया गया और पेट्रोलियम पदार्थों का कोटा किया गया, सभापति महोदया. . . .

श्री घासीराम यादव : सभापति महोदया, यह गलत बात है। महाराष्ट्र में क्या हुआ उसके मुताबिक यह कहना कि हमारे यहां क्या हुआ। क्या नहीं किसी नियम के . . .

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): चीनी महाराष्ट्र से आती है सीमेंट महाराष्ट्र से आती है, इसलिये उसका हवाला दे रहे हैं।

श्री राज बहादुर : मैं बिना कारण के नहीं बोलता। स्वयं मंत्रीजी ने कहा है कि चीनी महाराष्ट्र से आती है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। चीनी और सीमेंट की मूल्य-वृद्धि के बारे में कोई इन्कार नहीं कर सकता। यह निश्चित बात है कि जो देश का कानून है और चोर बाजारी, जमाखोरी रोकने के लिये, होर्डिंग रोकने के लिये 30 कानून का उल्लंघन होता है और महाराष्ट्र के सत्ताधारी यदि स्वयं करते हैं यानी—

चि कुफ़ अज काबा बरखेज द
कुजा मानद मुसलमानी।

अगर काबे से ही कुफ़ फैलता है तो मुसलमानी कहां रहेगी।

अगर शासक दल के मंत्री ही ऐसा करते है, मुख्य मंत्री ही ऐसा करते हैं तो राजस्थान की जनता, सारे देश की जनता भुगतेगी, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

श्री घासीराम यादव : हमारी जो मांग है उससे कम मिलता है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : बीच में बोलते हैं आप।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, महाराष्ट्र के ऊपर विचार नहीं किया जा रहा है। केवल रेफरेन्स में नाम आ गया है।

श्री राज बहादुर : राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के 1980-81 के प्रतिवेदन के कुछ अंश, दो तीन आंकड़े पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं, चीनी के संबंध में जो कहा गया उसके बारे में और सीमेंट की व्यवस्था के बारे में। चीनी मार्च, 1981 तक 12,757 प्रति माह अलॉट की जाती है जिसमें 485 ग्राम प्रति व्यक्ति, प्रति माह वितरण सीमा रखी गई है।

(श्री राज बहादुर)

लेकिन यूनिट संख्या में वृद्धि हो जाने से वितरण में कमी की जा रही है। अधिक आवंटन के लिये राज्य सरकार, को लिखा गया है। माह सितम्बर, 80 से 15 नवम्बर, 1980 तक दो महीने तक के लिये आवंटन केन्द्रीय सरकार ने किया था। 16 हजार 600 मैट्रिक टन कुल मिली थी जब कि डिमान्ड एक ही महीने की थी यह। सीमेंट के बारे में विशेष रूप से आंकड़े रखना चाहता हूं। सीमेंट के बारे में कहना चाहता हूं कि सैकण्ड तिमाही 80 में, थर्ड तिमाही 80 में, फोर्थ तिमाही 80 में और फर्स्ट तिमाही 81 में, प्रत्येक तिमाही में 3 लाख 50 हजार और 970 मैट्रिक टन हमारी डिमान्ड थी और केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुई 1 लाख 24 हजार, एक लाख तीस हजार दो सौ, एक लाख तीस हजार दो सौ और एक लाख 35 हजार दो सौ याने कि लगभग तिमाही।

इसलिये मैंने यह स्थगन प्रस्ताव मूव किया था। मैं तीन-चार बातें सामने लाना चाहता था, एक तो जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना अनिवार्य है, इस सारे संदर्भ में कहना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि हमारे सारे देश में रूल ऑफ लॉ या कानून का राज माना जाता है या नहीं? और अगर कानून का राज है, तो कानून तोड़ जाते हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। बहुत मांग की गयी जांच के लिये लेकिन जांच के लिये कोई तैयार नहीं हुआ। अपराधी की जांच तो क्या सारे घोटाले की विभागीय इन्क्वायरी के लिये तैयार नहीं हुआ। एक मामूली इन्क्वायरी तक के लिये कोई तैयार नहीं हुआ। इसमें जो प्रस्ताव आये, सार्वजनिक रूप से आये, संसद के समक्ष रखे गये, महाराष्ट्र की विधान सभा में रखे गये। यह बात नहीं है कि यह एक व्यक्ति ने किया, एक मुख्य मंत्री ने किया है। जो इश्यू है वह यह है, इतने लेक आफ इन्टग्रिटी के साथ हमारे देश में शासन चलता है। इस भ्रष्टाचार में देश का शासन चलने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर पैसे इकट्ठा करने के लिए सीमेंट की हर बोरी पर पैसा लेते हों तो स्वभावतः उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। फ्री सेल में जब दिया जायेगा कोटा तो फ्री सेल में सिवाय ब्लैक मार्केट के और किसी को नहीं मिलता है। किसी को भी कोटा मिलता है फ्री सेल का तो ब्लैक होता है। कोटा या अलाटमेंट नहीं मिलना चाहिए। अगर वह मिलता है तो वह ब्लैक में ही जायेगा। इसका प्रभाव हमारे राजस्थान पर भी पड़ेगा, और सारे देश पर पड़ेगा।

जैसा कहा गया कि मूल्य वृद्धि हो रही है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। दूसरा इश्यू यह है कि लोगों का शासन पर से विश्वास हट जायेगा, इस शासन प्रणाली से विश्वास हट जायेगा अगर इस तरह से पैसा लिया जायेगा तो। अगर कोई छोटा मोटा व्यापारी एक बोरी चीनी को ब्लैक करता है या सीमेंट की एक बोरी ब्लैक की जाती है तो उसको दण्ड दिया जाता है और यहां इस भ्रष्टाचार की जांच कराने को भी तैयार नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़: यहां की नहीं, यह महाराष्ट्र की बात है।

श्री राज बहादुर: महाराष्ट्र का प्रभाव यहां पर भी पड़ता है ...

(82)

(श्री राज बहादुर)

(व्यवधान)

अपने ऊपर जब बात आई तो चर्चा रोकना चाहते हैं।

तुम्हारा खून है खून हमारा खून पानी है।
तुम्हारा गम है गम, हमारा गम कहानी है।

मैं आपसे बहुत विनम्रता से निवेदन करता हूं कि आप गम्भीरता से सोचिये, जनता जनार्दन के लिये....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अगर आप स्थानीय समस्या लें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री राज बहादुर: स्थानीय समस्या के बारे में ही कह रहा हूं उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। एक बात मुझे यह कहनी है कि यह वक्तव्य श्रीमती गांधी का बहुत मोटे अक्षरों में छपा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: खेतसिंह जी को तकलीफ इसलिये हो रही है कि यह काण्ड वहां पर ही क्यों हुआ, यहां पर क्यों नहीं हुआ।

श्री खेतसिंह राठौड़: यह बात नहीं है। इसका इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री राजबहादुर: इसमें कहा गया है कि सरकार सार्वजनिक जीवन में सर्वोच्च आचरण का परिचय देगी। क्या सर्वोच्च आचरण का यही परिचय दिया गया है कि जिसने कुकर्म किया है, भ्रष्टाचार किया है उसको प्रश्रय मिला है। उसके खिलाफ इन्क्वायरी हो तो सारे देश को पता लगे, देश में शान्ति हो, और राजस्थान के लोगों में भी शान्ति हो। राजस्थान की जनता को भी विश्वास हो कि सरकार द्वारा सर्वोच्च आचरण का परिचय दिया जा रहा है। इन्क्वायरी हो और साथ में जो दोषी पाया जाये उसको दोष के अनुसार हमारे यहां पर जैसा कानून है उस के मुताबिक दण्ड दिया जाये। पता चले कि यहां कुल ब्लैक ला है या नहीं है। यह प्रश्न यहां पर उठता है कि जो हमारा सिस्टम है लोगों का उसके प्रति विश्वास रहेगा या नहीं, इसका प्रश्न उठता है। अधिक न कह कर क्योंकि बहुत से सदस्यों को अपनी बातें कहनी है यह कहना चाहता हूं कि आप बतायें कि क्या मूल्य वृद्धि नहीं हो रही है? आप भी इसको कह रहे हैं। क्या जो महाराष्ट्र में हुआ है उसका प्रभाव यहां पर नहीं पड़ता है? सारे शासन में जो वितरण व्यवस्था है वह गड़बड़ा गई है। एक तरह से सारे देश में उथल-पुथल हो जाती है। तो क्या जो महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में हो रहा है, क्या हमारे यहां उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आपसे आश्वासन चाहता हूं कि जो काण्ड महाराष्ट्र में हो रहा है, वह यहां नहीं होगा। यह आपको कहना पड़ेगा। अगर उसको समझते है कि ठीक है, तो वैसा कहिये। अगर उचित नहीं समझते है तो कहें कि वह यहां नहीं होगा। हम सीमेंट के ऊपर, चीनी के ऊपर चन्दा इकट्ठा नहीं करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़: बिल्कुल।

श्री राज बहादुर: हम नहीं करेगा। तीसरी बात यह है कि जो कानून तोड़ेगा, चाहे वह मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई जन-साधारण हो, सब के साथ समान रूप से व्यवहार होगा, यह आपसे आश्वासन चाहता हूं। चौथा यह बतावें कि यह जो

(श्री राज बहादुर)
मूल्य-वृद्धि हो रही है इसको कैसे रोकेंगे, यह बता दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भी दो जानकारी करना चाहता हूं। एक तो मंत्री महोदय सही सूचना हो तो बता दें कि अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर में कितना गेहूं का आवंटन किया गया था और आपने कितना लिया है? डिमाण्ड तो आपने बता दी है लेकिन एक्चुअली हमने कितना उठाया है इन महीनों में, यह बता दें। दूसरी जानकारी यह करना चाहता हूं कि चीनी के मामले में एक विवाद चल रहा था। उपभोक्ता संघ और अर्पित एण्ड कम्पनी के बीच में जो महाराष्ट्र की कम्पनी थी। पहले आपने ट्रान्सपोर्टेशन का काम, कान्ट्रेक्ट कम्पनी को दिया था। उससे हटा कर अब उपभोक्ता संघ को दे दिया है। इसका क्या कारण है, यह बतायें?

श्री घासीराम यादव: यह जो गेहूं के बारे में पूछा है फैक्ट्स तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन अनुमानतः यह सही है कि लगभग 15 हजार टन हमको बराबर वितरण के लिये मिलता रहा है। एफ. सी. आई. से 15 हजार टन बराबर मिल रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मेरी जानकारी यह है कि अगस्त, सितम्बर में कुछ कम मिला है।

श्री घासीराम यादव: नहीं, बराबर मिला है, बल्कि अगस्त में हमको 18 हजार टन मिला है। रिलीफ के कारण से ज्यादा मिला है। एक बात यह है कि हमको बराबर 15 हजार टन मिला है बल्कि इस महीने तो 18 हजार टन मिला है। दूसरी बात यह कही गयी कि अर्पित कम्पनी को जो कान्ट्रेक्ट दिया गया था उसके बारे में तो 40 हजार टन का रह गया था। बैक लॉग हो गया था। इसके लिये हमने टेन्डर लेकर दिया था। इस दृष्टि से दिया गया था कि उपभोक्ता को चीनी मिले, परन्तु जब यह सवाल आया कि यह एक प्राइवेट कम्पनी है और अगर थोड़ा सा मुनाफा भी है तो यह क्यों लें। इसलिये इसको बंद करके वापस उपभोक्ता संघ को दे दिया है। हम चाहते हैं कि फायदा उपभोक्ता संघ को हो जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो पहले अर्पित एण्ड कम्पनी को क्यों दिया था? अगर आप यह चाहते हैं कि फायदा उपभोक्ता संघ को मिले तो पहले क्यों दिया था।

श्री घासीराम यादव : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि चार-पांच महीने की चीनी करीब हजार टन बैक लोग हो गयी थी, जनवरी से नहीं उठा रहे थे। वे एक तरह से फेल हो गये थे, यह काम नहीं कर पाये इसलिये दोनों को दिया। कुछ इनको दिया गया और कुछ उनको दिया गया। कोटेशन लेकर दिया गया था, वह तो उपभोक्ताओं की दृष्टि से दिया था। अब क्या हो रहा है। वापस देरी हो रही है फिर, इसमें सुस्ती आ गयी है और आज कहते हैं कि उदयपुर, जयपुर में चीनी नहीं मिल रही है या देरी हो रही है। यह तो आप जानते ही हैं कि सरकारी संस्थान थोड़ी सुस्ती से चलते हैं, और प्राइवेट संस्थान थोड़ा तेज चलते हैं,...

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी: उपभोक्ता संघ को 16 रुपया प्रति बोरी देते थे और अर्पित एण्ड कम्पनी को आपने 31 रुपया का किराया दिया है।

श्री घासीराम यादव: नहीं, हमने बराबर दिया है दोनों को।

(व्यवधान)

मेरी बात सुन लें। 307 रुपया जो मिल से मिलता था क्विंटल के हिसाब से और 36 पैसे हम देते थे, अर्थात 36 और 6,42 हो गये

(व्यवधान)

307 के बजाय रुपये ले लें, 36 रुपया दिया उस रुपये भुगतान के बाद सिर्फ 3 रुपये बचते थे मुनाफे के। इतना ही उसको फायदा होता था और यही हमने उपभोक्ता संघ को दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपभोक्ता संघ को पहले आप क्या देते थे? 16 पैसे प्रति किलो देते थे। उसके बाद जब आपने यह काम अर्पित एण्ड कम्पनी को सोपा तो उसको 32 पैसे प्रति किलो कर दिया और फिर उपभोक्ता संघ को भी वही पैसे दिये। लेकिन उपभोक्ता संघ को यह रेट ही आपने, अर्पित एण्ड कम्पनी से कान्ट्रेक्ट करने के बाद में। वरना पहले तो आप 16 पैसे ही दिया करते थे। आप देख लें, यह सही है।

श्री घासीराम यादव : माननीय सदस्य, मेरा निवेदन यह है कि पहले चीनी का भाव था 285 रुपये प्रति क्विंटल और फिर वह हो गया 350 रुपये प्रति क्विंटल उसके बढ़ने से और दूसरे भाव भी बढ़ गये। खर्चा भी बढ़ गया और उसका हिसाब दूसरा हो गया। उससे पहले उपभोक्ता संघ को दो करोड़ तीन करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता था.....

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : श्रीमान, चीनी के भाव बढ़ने से किराया बढ़ाने का क्या संबंध है··

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो साफ बात है कि......

श्री घासीराम यादव : यह मेरे वक्तव्य का हिस्सा नहीं है ··

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री यदुनाथ सिंह : यह समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री सभापति : शान्त रहें। एक एक करके प्रश्न पूछ सकते हैं। स्थान ग्रहण करें।

श्री घासीराम यादव : अर्पित कम्पनी को भी उतना ही दिया गया है। आप ही अभी कह रहे थे कि उदयपुर में, जयपुर में चीनी नहीं मिल रही है। जितनी हमारी मांग है उसके हिसाब से केन्द्रीय सरकार दे रही है। यह जो अर्पित कम्पनी के बारे में कहें, उसमें मैं कह रहा हूं कि पहले चीनी के भाव 285 रुपये थे और अब 350 रुपये हो गये हैं। यह सारी की सारी रेट्स रिवाइज हो गयी हैं जो अर्पित एण्ड कम्पनी को दिया है, वह ही उपभोक्ता संघ को दिया गया है। दोनों को बराबार दिया गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने, सभापति महोदय, 16 तारीख को चीनी के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव रखा था। मन्त्री महोदय ने एडमिट भी किया कि फरवरी माह से चीनी नहीं मिल रही। मैं कहना चाहूंगी कि चीनी नहीं मिलती है क्योंकि उपभोक्ता संघ चीनी लाया है केवल 40 प्रतिशत कोटा दिल्ली से उठा कर लाया वह भी 4 महीने बाद में। 60 प्रतिशत चीनी उठा कर नहीं लाये। यह बतादें, मंत्री महोदय, वह दुकानदार कौन से 40 आदमियों को छांटकर चीनी दे और बाकी 60 आदमियों को छोड़ दें? दूसरी बात मंत्री महोदय ने कही कि 425 ग्राम चीनी हम दे रहे हैं, मेरे यहां जमवा रामगढ़ में 300 ग्राम चीनी मुश्किल से दे पाये हैं। मंत्री महोदय यह भी बता दें कि जयपुर में जो 17-18 दुकानें है यहां नहीं, तीन मेरे क्षेत्र में है वहां उस क्षेत्र को फरवरी माह से चीनी नहीं दी गयी इसलिए नहीं दी गयी कि आपकी चीनी बह गयी। जो आपको प्रमाणित करके दे दिया गया, आपने उनको कोटा आवंटन नहीं किया वे उपभोक्ता घर बैठे हैं। मंत्री महोदय, कब आप चीनी देंगे और कब वे खायेंगे। आप कहते हैं, बाजार में समुचित मिल रही है। बाजार में चीनी तो उनके लिए मिल रही है जिनकी जेब में पैसे है। जिस गरीब के पास पैसा नहीं है वह कहां से खायेगा। चौथी बात, गेहूं जो 10 किलो प्रति व्यक्ति आपने इस महीने दुकानों को दिया है वह एक किलो प्रति व्यक्ति उठाया है 5 किलो प्रति व्यक्ति बांटने को कहें, फिर उपभोक्ताओं की लाइन लगी पड़ी है। कैसा तरीका है आपका वितरण करने का? अगर उठाने वाले आपके नहीं उठा रहे तो दूसरे को दे दीजिए उठाने का ठेका और वितरण करिये। आप दोहरी नीति रखते हैं। एक ओर तो राशनिंग रखते हैं और दूसरी ओर खुला रखते हैं। दोहरी व्यवस्था में आदमी को फांसते हैं। अगर वितरण व्यवस्था नहीं कर सकते है तो छोड़ क्यों नहीं देते ?

श्री घासीराम यादव : माननीय सदस्या ने जो प्रश्न उठाया है फरवरी माह के लिए तो मैं पहले ही मान चुका हूं 6 पंचायतों को चीनी नहीं बंट पायी है। वह अब बंट रही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह भी मेरा ही है इलाका।

श्री घासीराम यादव : गलती से रह गये। जिन पंचायतों में रह गयी हैं उनमें बंटवाई की कार्यवाई हो रही है। अब आइंदा कोई शिकायत नहीं आयेगी। बाजार में चीनी जो खुले रूप से नहीं मिल रही है, मैं कहना चाहूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मिल तो रही है लेकिन महंगी मिल रही है, जनाब।

श्री घासीराम यादव : आपको हमारी सरकार की तारीफ करनी चाहिए। जो चीनी पहले 7.50 रु. थी वह अब 5.50 रु. किलो मिल रही है और मिलेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 2 रुपये 75 पैसे किलो मिल रही थी उसके बाद 22 रु. किलो बिकी।

श्री घासीराम यादव : आपको बधाई देनी चाहिए जो चीनी 7-8 रुपये किलो बिक रही थी वह अब 5.50 रुपये किलो मिल रही है। यह कीमत और भी कम होने वाली है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं इनकी तारीफ करूं, इनको मान-पत्र दूं.....

श्री सभापति : माननीय सदस्या, बीच में मत बोलिये । जब बोल लें, तब......

श्री यदुनाथ सिंह : जनता शासन काल में चीनी ढ़ाई रुपये किलो बिकी थी.....

(व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : जितनी कम होगी, हम उसी हिसाब से देंगे । इसमें दिक्कत क्या है........

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर अब तो मंत्री महोदय के पास आ गया होगा । मैंने यह जानकारी चाही थी, श्री चन्दन मल जी, नाम तो नहीं लेना चाहिए, खाद्य मंत्री उस समय थे, ने कहा था कि राजस्थान को बीस हजार टन गेहूं का आवंटन होगा । उतना हम लेकर आते हैं, उनके इस स्टेटमेंट के बाद मेरी जानकारी है कि हमें गत माह में कम आवंटन हुआ और जितना आवंटन किया गया उससे कम हमने उठाया है। इसका क्या कारण है ?

श्री घासीराम यादव : 30 हजार टन किसने कहा था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 20 हजार की घोषणा की थी । 20 हजार टन की इन्होंने जिस समय जानकारी दी उसके बाद से लगातार हमें आवंटन कम हुआ है । इसका क्या कारण है ?

श्री घासीराम यादव : यह 20 हजार टन की आपको जानकारी कब की है ?

श्री चन्दन मल बैद : मार्च या अप्रैल में दी होगी ।

श्री घासीराम यादव : उसके बाद से कभी कम नहीं हुआ । 15 हजार टन बराबर मिल रहा है। 20 हजार टन हो गया और ज्यादा होने की उम्मीद है । नवम्बर से जनवरी तक साढ़े चौदह लाख टन का बफर स्टाक था या साढ़े तेरह लाख टन का । विरोधी दल के नेता की जानकारी के लिये मैं बताना चाहता हूं । जब आपका शासन आया तो हमने जो इकट्ठा किया था उसमें से करीब 7 लाख टन खराब कर दिया और आपने अपने शासन काल में 50 हजार टन करीब करीब हर माह बंटवाया । अब कम हो गया तो कम ही मिलेगा ।

एक माननीय सदस्य : और जो केन्द्रीय मंत्री संसद में घोषणा कर रहे हैं कि राज्य सरकार की नीति की वजह से ज्यादा इकट्ठा नहीं हुआ उसके बारे में क्या स्पष्टीकरण है आपका ?

श्री घासीराम यादव : उस समय लेवी लेने का सीजन था, बाजार भाव ऊंचे थे ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : यह बात नहीं है, आपने तो चना भी बाहर निकाल दिया ।

श्री घासीराम यादव : सिर्फ गंगानगर में 10 हजार टन हम इकट्ठा कर पाये, क्योंकि वहां सपोर्ट प्राइस बराबर थी । क्या वे दे देते हमको 130 के भाव में, जब कि 150 का भाव चल रहा था ।

श्री यदुनाथ सिंह : किसान से तो 110-120 इस साल भी लेना है

(श्री यदुनाथ सिंह)

सरकार की तरफ से क्या कमी रही है। उसमें सरकार की मिलीभगत रही। आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है और उसमें मंत्री कोई बात कह रहे हैं तो गंभीरता से यह बात कही होगी।

(व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : सही बात तो यह है कि उस समय कन्ट्रोल रेट का टाइम था। उस समय बाजार में भाव ऊंचे थे। कोई किसान देने के लिए तैयार नहीं था। बाहर जो हो रहा है उसके बारे में 15 मई को चिट्ठी आई तो 15 मई को वह बंद कर दिया। राज्य सरकार की इसमें कोई गलती नहीं थी। यह कोई इस तरह की बात नहीं थी। इसके बाद की बात बता रहा हूं। भावों को रोकने का प्रयत्न किया। भाव क्या गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बढ़ गये।

श्री बालचन्द्र आबबीर : आपके मंत्री का ही है यह स्टेटमेंट......

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मंत्री महोदय को जानकारी दे दूं, शायद उन्हें बहुत बड़ा भ्रम है। जनता पार्टी शासन काल में 7 लाख मैट्रिक टन सही नहीं है, आप जानकारी कर लें 22 लाख मैट्रिक टन छोड़ कर हम गये थे।

(व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : गलत बात है। यह एफ. सी. आई. के आंकड़े हैं। साढ़े 13 लाख या साढ़े बारह लाख टन था उस वक्त 77 में, अब साढ़े तीन लाख टन रह गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपको बताये, यह भी आफिशियल फिगर्स है, मेरे फिगर्स नहीं है।

श्री घासीराम यादव : मैं भी आफिशियल बता रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो एफ. सी. आई. के फिगर्स को आफिशियल फिगर्स बता रहे हैं।

सभापति महोदय, दूसरा प्रश्न अभी यह उठाया कि प्रोक्योरमेन्ट क्यों नहीं किया। किसानों को रियायत या सहयोग करने की भावना व्यक्त की। बाजार में उस समय भाव ज्यादा थे और हमारी रेट्स कम थीं। किसानों ने हमको नहीं दिया। केन्द्रीय कृषि मंत्रीजी ने लोक सभा में क्या कहा, और राज्य सभा में क्या कहा, आप क्या कहते हैं। उन्होंने जो कहा, वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं :—

"As regards foodgrains, the Hon. Member would appreciate that at times we cannot fully meet the demands from the States. We experienced this year that inspite of repeated instructions from the Central Government, the Rajasthan Government took no action for procurement of any foodgrains, with the result that, we feel, that most of the foodgrain that was produced in Rajasthan, was taken out of the State."

श्री घासीराम यादव : यह जो कहा वह तो ठीक है। इस स्टेटमेंट के बारे में, सभापति महोदय, मैं जवाब दे चुका हूं। जैसा

(श्री घासीराम यादव)
विरोधी दल के नेता महोदय ने बताया, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि प्रोक्योरमेंट में सिवाय गंगानगर के और किसी ने नहीं दिया। आप शासन में होते...

श्री भैरोंसिंह शेखावत: होते या नहीं होते, यह बात नहीं है।

श्री घासीराम यादव: जो होना चाहिये..

(व्यवधान)

इसमें गवर्नमेंट की क्या गलती थी, 150 के भाव चल रहे थे, 120 में कैसे देते। आपने दूसरी बात कही है, हो सकता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को किसी ने इतला दे दी। 15 तारीख को हमारे पास तार आया कि ऐसा सुना जाता है कि राज्य से गेहूं बाहर जा रहा है गुजरात से भाव तेज है, महाराष्ट्र से भाव तेज है, पंजाब से कम हैं, यू.पी. से कम है। हो सकता है दूसरी जगह से गेहूं आ रहा हो, और वहां से दूसरी जगह जा रहा हो। जिस तारीख को तार आया उसी तारीख को हमने गेहूं का एक्सपोर्ट बन्द कर दिया। इसमें राजस्थान सरकार की क्या गलती रही, यह बताइये।

श्री मेघराज तावड़: समापति महोदय,

(व्यवधान)

जब वह बाहर हो जाय उसके बाद सरकार एक्शन लेगी। यहां रहे तब तक सरकार एक्शन नहीं लेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: समापति महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था, आपने बताया 15 तारीख को हमारे पास टेलीग्राम आया। यह सही है कि आपने 15 तारीख को ही नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया। यह भी सही है कि आपने स्टाक की पोजिशन को रिड्यूस किया, सब कुछ किया लेकिन जो मन्त्रीजी ने स्टेटमेंट दिया वह किसी डेट या महीने की परिधि में बंधा हुआ नहीं है। जिस दिन वह बोले उस दिन तक की उनकी जानकारी है। उस अवधि तक राजस्थान में प्रोक्योरमेंट केवल इसलिए नहीं हुआ कि राजस्थान में जो अनाज पैदा हुआ था वह अनाज राजस्थान से बाहर चला गया। इस बात को आपने भी स्वीकार किया कि 15 तारीख से पहले गया था।

श्री घासीराम यादव: गया कहां, चोरी छिपे तो जाता रहता है। सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली। किसी ने शिकायत की राज्य सभा में तो राज्य सभा में जाकर पूछो। हमने तो उनके लाइसेन्स...

(व्यवधान)

बन्द कर दिये। आज भी व्यापारी बढ़ाने की बात कहते है, लेकिन हम नहीं मानते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: समापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय अलवर से आये हैं, राज्य सभा में जाने की जरूरत नहीं। आपको शायद इस बात की जानकारी होगी कि केन्द्रीय कृषि मंत्री राव वीरेन्द्र सिंह अलवर में आये और आपके साथ में थे।

श्री घासीराम यादव: आये थे, मैं भी उनके साथ था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: राजस्थान में प्रोक्योरमेंट नहीं होगा तो राजस्थान में जो अलाटमेंट हो रहा है वह कम होगा।

श्री **घासीराम यादव** : ऐसा मेरे सामने नहीं कहा ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : सभापति महोदया, अब तक सही बात कह रहे थे। अब मंत्री महोदय मुकर गये । आप भी वही परिपाटी रखना चाहते हैं ।

श्री **घासीराम यादव** : जो फैक्ट है वह फैक्ट है।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : दूसरे दिन अखबारों में छपा । आपके सामने यह बात कही गई ।

श्री **घासीराम यादव** : किसी अखबार में नहीं छपा ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: पत्रिका में छपा हैं।

श्री **घासीराम यादव** : पत्रिका तो आप जानते है किसका अखबार है ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : पत्रिका किसका अखबार है ?

श्री **घासीराम यादव** : It is any-bodys guess.

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, अभी बिहार सरकार ने प्रोक्योरमेंट नहीं किया । प्रोक्योरमेंट नहीं होने के कारण जो उनको बीस हजार टन आवंटन किया जाता था, उसको घटाने के कारण केन्द्रीय सरकार ने निर्णय दिया कि प्रोक्योरमेंट नहीं किया । उनका प्रोक्योरमेंट का टार्गेट एक लाख टन था, उस एक लाख टन में से शायद आठ हजार टन ही वह प्रोक्योर कर पाये । राजस्थान में एक लाख टन का टार्गेट है और मेरी जानकारी में 10 हजार टन ही प्रोक्योर कर पाये हैं । कहीं ऐसी पोजीशन तो नहीं आ रही है जैसा राव वीरेन्द्र सिंह ने अलवर में चेतावनी दी थी उसको बिहार में एग्जिक्यूट कर दिया और बीस हजार से आठ हजार अलाटमेंट पर ले आये ? कहीं राजस्थान में इस प्रकार की पोजीशन तो नहीं आ रही है । मेरी जानकारी के अनुसार आपकी चली नहीं है । थोड़ी सी जानकारी मिली है ।

श्री **घासीराम यादव** : मैं, सभापति महोदया, कई बार निवेदन कर चुका हूं, अलाट-मेंट घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : आप फिगर्स बता दीजिये ।

श्री **घासीराम यादव** : पहले 15 मिल रहा था, 15 से 18 हुआ और उसके बाद 20 हुआ। आप बड़े विद्वान हैं, समझदार हैं, आप बार-बार इस बात को कहते हैं कि राव वीरेन्द्र सिंह ने यह कह दिया । आप हमारी गलती बताइये, राज्य सरकार की, हमारी क्या गलती है।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : घासीरामजी, मैं बताऊं, राजस्थान सरकार की गलती यह है कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की जब रिपोर्ट आई और भारत सरकार गेहूं का मूल्य तय करने लग गई उस समय राजस्थान सरकार ने कहा कि 125 रु. गेहूं का मूल्य दिया जाय । इस प्रकार की मांग की । अगर राजस्थान सरकार उस समय मांग करती, 145 रु. कीमत दी जाय तो प्रोक्योरमेंट भी होता और किसानों को राहत भी मिलती ।

(व्यवधान)

श्री **घासीराम यादव** : एक राजस्थान सरकार की सिफारिश से फैसले हो जाते है क्या ?

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : दूसरी जानकारी देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के प्रोक्योरमेंट के पूरे आंकड़े तो नहीं है। उन्होंने प्रोक्योरमेंट के ऊपर दस रुपये प्रति क्विन्टल बोनस दिया, आप भी देते।

श्री **घासीराम यादव** : आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, मध्य प्रदेश में गेहूं की कीमत बढ़ गई।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : आपने प्रोक्योरमेंट नहीं किया उसके बावजूद गेहूं की कीमत क्या है ?

श्री **खेतसिंह राठौड़** : सभापति महोदया, बहुत समय गुजर गया है, बहुत बिजनेस पड़ा है।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : गेहूं का मामला है। शेरगढ़ में पैदा नहीं होता।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : गेहूं का मामला हो गया, बाजरा होता है।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : बाजरे और गेहूं का सवाल नहीं है। यही स्थिति राजस्थान सरकार के सामने आने वाली है। आज के टाइम्स आफ इण्डिया में जो खबर छपी, बिहार को गेहूं कम दिया है उसका कारण है प्रोक्योरमेंट कम किया। बिहार के लेवल पर राजस्थान आता है, इसमें भी प्रोक्योरमेंट कम किया। बिहार जैसा ट्रीटमेंट राजस्थान के साथ होगा। उसकी चेतावनी अलवर में केन्द्रीय मंत्री ने दी है और बाद में राज्य सभा में बोल चुके है। दुर्भाग्य से हमारे राज्य मंत्री और राव वीरेन्द्रसिंहजी के सम्बन्ध अच्छे नहीं है।

श्री **घासीराम यादव** : गेहूं का कोटा बढ़ा दूं तो सम्बन्ध अच्छा मानोगे।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : आप चन्दनमल जी को बीट कर जाओ तब मानूं।

श्रीमती **उजला अरोड़ा** : सभापति महोदया, यह जो इतनी बातें हुई, इसके बारे में जो व्यवस्था हुई वह बता दूं, दो तीन मुद्दे ऐसे हैं···

श्री **घासीराम यादव** : आपके नेता बोल चुके है।

श्रीमती **उजला अरोड़ा** : सरकार वितरण प्रणाली में सुधार करें। इनके इन्सपैक्टर्स विजिट पर जाते नहीं हैं लिखने की डायरी नहीं है। वह केवल दुकान पर जाते है, सर्वोपरि उनके सिर पर कोई केशवदेवजी उतरे है वह सबको 300) रु. प्रति डीलर से लेकर कपड़ा अलाट करते हैं और जिसको मर्जी आये देते हैं और जिसको मर्जी हो नहीं देते हैं। मैं तो बैठ जाऊंगी लेकिन वितरण-व्यवस्था नहीं सुधरेगी। यह जयपुर का मामला है, राजस्थान का मामला है। इस तरह से जिसको चाहे अलाटमेंट कर दें कपड़े का। मुझे बतायें, 4 महिने का कपडा किसको दिया ? आपके खुद के पास रिपोर्ट नहीं है। एक पैसे का भी कपड़ा किसी को नहीं दिया। इन्होंने इतनी गांठे उठाई फरवरी से अब तक उनका स्टाक नहीं है। जो मैंने मुद्दा रखा था स्पेशल कोटा सीमेंट का, माननीय सभापति महोदय, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके परमिट बनाकर हर महीने 5 कट्टे दे देते हैं और जो रोस्टर हैं उनको 6-6 महीने से नहीं मिला है। उनके मकान टूटे हैं बाढ़ में बहे हैं, उनको कोई सीमेंट नहीं दी है। यह किस तरह की है वितरण प्रणाली, बैठकर विचार करें। इस तरह के अधिकारी हैं, एक किलो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

आवंटित करते हैं और कहते दुकानदार से हैं 5 किलो दो। वह कहां से देगा। मैं कहना चाहती हूं कि दुकानदार को मत सताओ, पब्लिक को मत सताओ, यह हाय तुमको ले लेगी। इस तरह की वितरण प्रणाली को ठीक कराइये। चीनी जितनी चाहिये लेकर आओ और जितनी नहीं मिलती है तो प्रेशर डालकर ले आओ, क्षमता रखो। राज्य में हमारे लोग नहीं मानते हैं, हम निकलेंगे, इंदिरा गांधी की जगह पर जायेंगे लेकिन चीनी लेंगे। इस तरह से आप वितरण प्रणाली में सुधार करो।

(व्यवधान)

इस तरह के अधिकारी कर्मचारी है जो दादागीरी करते हैं उनको वहां से हटाओ।

याचिका का उपस्थापन

तहसील नागौर के अकालग्रस्त ग्राम का प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण

श्री **सभापति** : याचिका का उपस्थापन।

श्री **महाराम चौधरी** (नागौर) : सभापति महोदय, मैं तहसील नागौर के अकालग्रस्त ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकृत करवाये जाने संबंधी याचिका देने वाले तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री **सभापति** : अब विधायी कार्य लिया जाय।

(व्यवधान)

नहीं पहले यह विषय आयेगा।

श्री **महाराम चौधरी** : राजस्थान की शिक्षा नीति बिगड़ी पड़ी है।

श्री **सभापति** : आप अपना मद्यनिषेध संबंधी रख रहे है?

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री **खेतसिंह राठौड़** : पहले जो विधेयक कल विचारार्थ था, उसको ही लिया जायेगा।

श्री **सभापति** : आज की कार्य-सूची में नहीं है।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : वह आज की कार्य-सूची में है। पहले उस बिल को पारित करवायें उसके बाद में इसको लिया जाय, वह कल विचारार्थ था।

श्री **सभापति** : आज जो कार्य-सूची निकली है....

(व्यवधान)

श्री **खेतसिंह राठौड़** : उसमें है।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : नहीं है। आज की कार्य-सूची समाप्त होने के बाद लिया जायेगा।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : हमेशा परम्परा रही है।

श्री **सभापति** : जहां तक मेरा खयाल है, इसमें नोट दिया गया है, इसको बाद में लिया जायेगा। हमारे घर पर भी आया था, उससे मुझे याद पड़ता है, बाद में लिया जायेगा।

श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 1981 को...

श्री **सभापति** : पहले मैं अच्छी तरह से देख लूं कार्य-सूची में।

श्री **चन्दन मल बैद** (वित्त मंत्री) : इसमें लिखा है यह आइटम मूल कार्य-सूची दिनांक 22 सितम्बर, 1981 के आइटम संख्या 4 के पश्चात् लिया जायेगा।

श्री **जयकृष्ण शर्मा** (राज्य मंत्री, यातायात) : कल तय यही हुआ था कि पहले इसको पास कराया जायेगा।

श्री **सभापति** : अब विचारार्थ प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : कल रखा था।

श्री **सभापति** : देख लीजिये।

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : राजस्थान यात्री और माल कराधान अधिनियम, 1959 को और संशोधित करने के लिये मैं विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** : सभापति महोदय, कल एक इश्यू उठा था। उस इश्यू पर पहले आपकी रूलिंग हो जाय।

श्री **सभापति** : वह हो गया।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : रूलिंग का प्रश्न नहीं था, आपने कहा···

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : कल माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने यह कहा था कि कल तक के लिये इसको स्थगित कर दिया जाय, हमने एक अपनी तरफ से दिखाया था, जो हमने बिल पेश किया है वह ठीक है। उन्होंने कुछ एतराजात किये थे। वह कहते थे कि कल मैं कुछ ऐसी रूलिंग दिखाऊंगा जो कि चेयर से दी गई हैं। जो भी ऐसा बिल आये जिसके बारे में आवजेक्ट्स और रीजन्स लिखा हुआ नहीं है, वह इस सदन में पारित नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी ओर से कहा था चूंकि यह एक टैक्स का बिल है, इसके अंदर कोई भी आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स नहीं लिखे जाते। मेरा बिल सही है इसलिये इसको विचारार्थ लिया जाये। उनको कोई भी बात कहनी होती तो कहते। उन्होंने कही नहीं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा, कल की उनकी आपत्ति पर कि वे विपक्ष के नेता हैं, इस सदन के माननीय सदस्य हैं, उनका आदर और सत्कार करने की दृष्टि से हमने सोचा वह कुछ कहना चाहते हैं तो आज नहीं कल हो जायेगा, इतनी जल्दी क्या है। एक दिन में अगर वह कहना चाहते हैं तो कह दें। मैं समझता हूं, कल उन्होंने यह भी वायदा किया था कि अगर मुझे कहना नहीं होगा तो मेरी ओर से आश्वासन है कि इसको दो मिनट में ही परित करवाया जायेगा। इस आश्वासन के साथ यह बिल आज के लिये स्थगित किया गया था। इसलिये मैं आपके सामने फिर से प्रस्ताव करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। जैसा अभी मंत्री महोदय कह रहे थे वह ठीक है। एक ही दिन के लिये था। कल चर्चा करते समय माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कुछ उद्देश्य और कारणों पर प्रकाश डाला था·····

श्री **सभापति** : वह सारी बात हो चुकी है। यह ले लिया गया है। आप अपने नेता महोदय को कहलवाइये।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : मुझे पता

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
नहीं। वह सदन की प्रापर्टी हो गई । वह कन्विस कर दें। जो उन्होंने मौखिक रूप से कारण और उद्देश्य कहे थे कि जो लोग इस प्रकार से आहत होंगे एक्सीडेंट्स में....

श्री सभापति : वह बात हो चुकी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किससे हो चुकी, हमको पता नहीं।

श्री सभापति : यह हुआ था उसके बाद में आज के लिये लिखा गया है। इसको वापस यूं का यूं लिया जायेगा, इसका मतलब इसको विचारार्थ लिया जायगा। कल आपके नेता महोदय ने कहा था, हम आपस में बैठकर बात करेंगे, एक नतीजे पर पहुंच जायेंगे। अगर करना होगा तो रख देंगे, नहीं तो विचारार्थ लिया जायेगा।

श्री शिव राम शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : डिबेट दुबारा चालू करायी जाय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपको क्या पता, आप नहीं थे--It was up to the last, मैं केवल जानकारी चाहता हूं। मंत्री महोदय ने कल जो अपने भाषण में उद्देश्य और कारण प्रकाशित किये थे ...

श्री सभापति : आज इस पर लोगों ने बातचीत कर ली है, उस पर आपत्ति नहीं है। इसलिये इसको लिया जा रहा है। आज की कार्य-सूची में है। फिर अपने यहां सैक्रेटरी से पूछ रही हूं। इस मामले में बातचीत हो चुकी विपक्ष से। विपक्षी दल के नेता को ....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सदन में एक बात आई थी। सदन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ था कि उद्देश्य और कारण जो मंत्री महोदय ने दिये हैं उन उद्देश्यों और कारणों में और जो इस बिल में दिया हुआ है इन दोनों में तालमेल नहीं है।

श्री सभापति : इसका जवाब मंत्री महोदय दे चुके थे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वही तो जानकारी चाहते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह कोई जरूरी नहीं है। कोई बिल बनाया जाता है उसमें और उसके आब्जेक्ट्स और रीजन्स में अगर तालमेल न हो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिये तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने जैसे कल यहां एक बात कही थी कि यह टैक्स का बिल है। मैंने सदन को कान्फीडेन्स में लेकर बताने की कोशिश की। यह भी बता दिया कि पांच प्रतिशत का सरचार्ज लगा दिया है। ये आर्डिनेन्स था और आर्डिनेन्स इम्पलीमेन्ट हो चुका है। वह बिल के बाद तो होगा नहीं है। वह तो हो चुका है। इसके बाद एक स्कीम भी इसके लिये बन चुकी है, वह स्कीम पास भी हो चुकी है। मैंने माननीय सदस्यों को कल ही बता दिया था कि वह केबिनेट में पास हो गयी है। वह स्कीम लागू होगी उसके आधार पर किसको कितना पैसा दिया जायेगा, क्या दिया जायेगा, यह कल मैंने कहा था। यह टैक्स का बिल है और कन्सोलिडेटेड फण्ड में इसका पैसा जायेगा। कन्सोलिडेटेड फण्ड में जो पैसा जाता है वह एक हेड के तहत जावेगा और फिर एप्रोप्रियेशन के मार्फत वापस इस सदन में आयेगा तो इस प्रकार यह सदन की प्रोपराइटी ही रहेगी। इसके बारे में जो भी होगा उसको पूछने का आपको हक होगा। मैंने अलग से पांच प्रतिशत इंगित किया है।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

मैं पांच प्रतिशत टैक्स लगा सकता था। मेरी पार्टी, मतलब हमारी सरकार की नीयत साफ है। हमने साफ तौर से यह कहा था कि हमको कुछ धन मुहैया करना है और धन मुहैया करके उन लोगों को देना है जिन लोगों के ऊपर इस तरह का संकट आता है। मैंने आपको कान्फीडेन्स में ले लिया। केवल आपको यही कह देता कि इसमें 5 प्रतिशत बढ़ाना ही है तो आप इसमें दूसरी तरह की बात करते। मैंने पांच प्रतिशत अभी बढ़ाया है और दस प्रतिशत बढ़ाने का अधिकार आपसे लिया है। पांच प्रतिशत बढ़ाया है अभी निकाल दिया। मैं इसलिये यह कहना चाहता हूं कि कहीं भी इसमें एसा नहीं आता। जो भी रूलिंग आपने बताई, आप भी सत्ता पक्ष में बैठे हैं आपको यह मालूम है। यह तो केवल आपको कहना था इसलिये आपने कह दिया। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी माननीय सदस्यों ने हाउस में यह प्रश्न उठाया था कि जिनके एक्सीडेन्ट होते हैं उनके लिये सरकार को कुछ करना चाहिये। जब सरकार कुछ करने जा रही है तो आप दूसरी तरह की बात करने जा रहे हैं। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बात का विश्वास रखें। मैं फिर आप सभी को कहना चाहता हूं कि सरकार की नीयत बिलकुल साफ है। किसी हैड में कनसोलिडेटेड फन्ड का पैसा जावेगा, उन्हीं लोगों को यह पैसा मिलेगा। मैं आपको फिर से विश्वास दिलाना चाहता हू और इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि...

(व्यवधान)

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : अब सन्तोष हो गया। कल जो बताया था और आज जो बताया है उसमें अन्तर पड़ गया है।

श्री **सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : सभापति महोदय, कल ही यह सारा तय हो गया था फिर यह विचारार्थ ले लिया।

श्री **सभापति** : विचारार्थ तो लिया ही जाना चाहिये। अभी बोलना है।

(व्यवधान)

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : अरे भाई, बहुत बोल लिये। इसके बाद भी बड़ा इम्पोर्टेन्ट बिल आने वाला है।

(व्यवधान)

श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : अभी तो फर्स्ट रीडिंग चल रहा है। इसके बाद सैकण्ड रीडिंग होगी।

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाय।

श्री **सभापति** : अभी तो विचारार्थ लिया जायगा। फिर इस पर खण्डश: विचार होगा।

श्रीमती **उजला अरोड़ा** : पहले तो, माननीय सभापति विचारार्थ लिया जाय।

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : कोई बोल ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं। तो फिर मैं तो पारित के लिये कहूं।

श्री **सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1981 विचारार्थ लिया गया।

अब जो माननीय सदस्य बोलना चाहें, वह बोलें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदया, कल एक अमेण्डमेन्ट था उसको हम ला नहीं रहे हैं। इसलिये प्रस्ताव किया जाये कि इसको पारित किया जावे और जो बोलना चाहें माननीय सदस्य वह पारित करने का प्रस्ताव आवे उस पर बोल लें।

श्री सभापति : अब जो बोलना चाहें वह बोल लें।

विधेयक का पारण

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस पर खण्डशः विचार होगा। ऐसे कैसे पारित किया जायगा।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : सभापति महोदया, आप आदेश दें।

श्री सभापति : आप बोलना चाहते हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदया, यह जो बिल लाया गया है, जो अध्यादेश जारी करके अतिरिक्त अधि-भार लगा दिया गया है, मैं राज्य सरकार का कुछ मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इसमें जो प्रस्तावना, उद्देश्य और कारण उद्देश्य दिये हैं, जो संकेत है। एक फाइनेन्शियल बिल होने के नाते इसमें यह स्थिति नहीं आई है कि इतनी आमद इससे होने वाली है लेकिन मैं निवेदन करूं कि कोई करोडों में नहीं होने वाली है यात्री कर की जो क्षमता है उस यात्री कर पर आपने पांच प्रतिशत अधिभार और लगा दिया है। यह लाखों में आमद होगी, ऐसी मेरी मान्यता है करोड़ों में नही होगी।

एक माननीय सदस्य : दो करोड़ होगी।

श्री कैलाश मेघवाल : यह मुझे मालूम नहीं। दो करोड़ होती है तो अच्छा है। तो मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो सरकार राष्ट्रीयकृत सेवाएं दे रही हैं। राष्ट्रीयकृत सेवाएं हम कैसे लोगों को दे रहे हैं ? गरीब आदमियों को आवागमन की सुविधाएं दे रहे हैं। तो सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत सेवायें भी शोषक बनें, इसमें विरोधाभास हो सकता है। आप आज राष्ट्रीयकृत सेवायें दे रहे हैं और बसों से जिस वर्ग के लोग यात्रा करते हैं उस वर्ग के लोगों की क्षमता क्या है और क्या नहीं है। सभापति महोदया, आप स्वयं देवगढ़ से आती है। देवगढ़ में रहने वाले लोगों को आप जानती हैं। सारे राष्ट्र के लोगों की स्थिति किस तरह की है, वह सभी जानते हैं। धीरे-धीरे यात्रियों को अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है। मैं मांग करता हूं कि राष्ट्रीयकृत सेवाओं को अनुदानित आधार पर चलाया जाये। आप बड़ी समाजवादी विचाराधारा की बातें करते हैं और संविधान में समाजवाद के संशोधन का भी आपने उद्देश्य स्वीकार किया है। सभापति महोदया, आप तो रूस होकर आई हैं। आपको मालूम होगा रूस और कम्युनिस्ट कन्ट्रीज में आप जाकर आई हैं। इन समाजवादी देशो में जो बस सेवाएं हैं, आवागमन की सेवायें है, वह पब्लिक एक्सचेकर के आधार पर, अनुदानित आधार पर चलती हैं। मैं हंगरी गया हूं। वहां पर 80 प्रतिशत सेवाएं सब्सिडाइज्ड सर्विसे

(96)

(श्री कैलाश मेघवाल)

हैं वसेज और ट्रेन की। आपने घोषित तो समाजवादी देश किया और राष्ट्रीयकृत आधार पर आप शोषण कर रहे हैं ।

आप एक साल में तीन बार यात्रियों की जेबों के ऊपर भार आवागमन के लिये बढ़ा चुके हैं। यह कौनसा समाजवाद है। मेरी समझ नहीं आता है। सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका यह राजस्थान रोडवेज निगम जो है इसका अपना वर्कशॉप है उस वर्कशॉप में वसों की जो आती हैं चेसिज उनके ऊपर वसों की वोडी बनाने की पूरी व्यवस्था है। मैं, सभापति महोदया, निवेदन कर रहा हूं कि वसों की वोडी वनाने के वर्क शाप का पूरा पैराफरनेलिया वहां होने के बावजूद भी सभापति महोदया, आपके माध्यम से में यातायात मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपके यहां वसों की वोडियां नहीं बनायी जा रही हैं और वहां पर कर्मचारी बहुत कम काम कर रहे है। जितना आपके पास धन्धा है बोडियां बनाने का, क्या उस धन्धे के अनुरूप बसों की वोडियां बनाई जा रही हैं, यह आप पता लगाइये। एक तरफ तो आपको वर्कशाप के ऊपर खर्च करना पड़ रहा है, वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ रही हैं, वहां पर आपने वड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी है, दूसरी तरफ आपके निगम की वसों का निर्माण प्राइवेट दुकानों पर हो रहा है। प्राइवेट फर्म में हो रहा है। वहां पर आपको महंगी दर पर बसों की वोडियां बनानी पड़ रही है। आपके राजस्थान के खजाने को आप भरना चाहते है और दूसरी ओर यह आपका खर्च हो रहा है। वर्कशाप की जो क्षमता है उसके आधार पर काम नहीं हो रहा है और बाजार में महंगी वोडी बनवा रहे हैं। दूसरा, माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप फिर उठ गये ।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : जो एक्सीडेन्ट में मर जावे, उनके परिवारों को कुछ नहीं देना चाहते हैं ।

श्री **कैलाश मेघवाल** : देखिये, मुख्य सचेतक महोदय उस दिन तो आप वड़ी समाजवादी वातें कर रहे थे। समाजवादी देशों में क्या हो रहा है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आज हर काम के लिए उद्देश्य आपने एक अच्छा वता दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या गरीब यात्रियों की जेब पर भार डालना आवश्यक था। जिस तरह से आपके टैक्स का लीकेज हो रहा है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या हो रहा है उसके वाद ? आपने नेशनल परमिट दे दिये, उनसे आमदनी की जा सकती थी। माननीय सभापति महोदया, आपको मालूम है कि पिछली वार भी यह मसला आया था जोनल परमिट और नेशनल परमिट देने के लिए। आपने कमेटी बनाई है और आपके विभाग की ओर से इस तरह के विज्ञापन भी छपे हैं। कुछ उच्च पदस्थ व्यक्तियों के रिश्तेदार और उनके जो मिलने वाले हैं उनको नेशनल परमिट्स दिये गये····

श्री **खेतसिंह राठौड़** : इस विल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री **कैलाश मेघवाल** : आप देखिये। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको समझ में आना चाहिए। आप तो पुराने मंत्री हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अगर नेशनल परमिट दिये जाते तो क्या उनसे आमदनी नहीं होती ।

[redacted]

(97)

(श्री कैलाश मेघवाल)

माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि नेशनल और जोनल परमिट का यह मसला पिछले एक साल से विचाराधीन है और राजस्थान की सरकार आज तक फैसला नहीं ले पाई, और फैसला इसलिए नहीं ले पाई कि नेशनल परमिट दिलाने की बात और जोनल परमिट दिलाने की बात पर लाखों रुपयों की रिश्वत खाई है। तो आज समय आ गया है कि आज उन्हीं लोगों को परमिट दिये जायें, उन्हीं लोगों को जोनल परमिट दिये जायें। राजस्थान सरकार फैसला नहीं कर पाई है और नेशनल परमिट नहीं दिये जाने से आप आमदनी नहीं कर पा रहे हैं। माननीय सभापति महोदया मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि यह कोस्ट निर्धारण पद्धति क्या है? एक्सीडेन्ट्स होते हैं, उन एक्सीडेन्ट्स के जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, जो मर जायें, जो पंगु हो जायें उनको आप पैसा देना चाहते हैं। एक्सीडेन्ट्स होने का एक बहुत बड़े कारण आपकी यह कास्ट निर्धारण पद्धति भी है, कभी आपने इस पर विचार किया है? यह इसलिए निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदया, कोस्ट निर्धारण पद्धति हमेशा उस पर्सन के पक्ष में जाती है। इसमें कास्ट जितने रूप में होती हैं उससे कम तय की जाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदया, इतना गम्भीर मसला है। मैं सुझाव दे रहा हूं और इसलिए सुझाव दे रहा हूं कि यह सुझाव मुख्य मंत्रीजो, जो विराज रहे हैं, राजस्थान सरकार को बहुत हितकारी होंगे। आप इस कास्ट निर्धारण पद्धति को रद्द कीजिए।

आज कई आपरेटर्स हैं, दस या बीस पर्सेन्ट रूट लिये जाते हैं, आपकी कोस्ट निर्धारण पद्धति से तय करते हैं। भीड़ होती है, लोग छतों पर बैठकर यात्रा करते हैं और उससे दुर्घटनायें होती हैं। उन दुर्घटनाओं के कारण मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। बसें ज्यादा चलेंगी तो सेवायें ठीक की जा सकेंगी और एक्सीडेन्ट्स कम होंगे। दूसरे आपने यह देखने की कोशिश की कि ए रूट्स पर किस माडल की बस चल रही हैं बी रूट्स पर किस माडल की बसें चल रही है, और सी रूट्स पर किस माडल की बसें चल रही हैं? मैं, सभापति महोदया, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि मैं माननीय यातायात मंत्रीजी को चुनौती देना चाहता हूं। ए रूट्स के लिए निर्धारित माडल की बसें सारे राजस्थान में ए रूट्स पर बहुत कम चल रही है, पुरानी चल रही हैं। बी रूट्स पर निर्धारित माडल की बसें सारे राजस्थान में बी रूट्स पर नहीं चल रही हैं और सी रूट्स के लिए जो माडल निर्धारित है वह नहीं चल रही हैं। पुराने खटारे न जाने कब के चल रहे हैं। जैसा कि कल कहा गया जिसका हार्न नहीं बजता और सारी बाडी आवाज करती हैं ऐसी बस चलती है। क्या यह एक्सीडेन्ट के लिए माध्यम नहीं बनता हैं? क्या इसके कारण से एक्सीडेन्ट नहीं हो रहे हैं? यह मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, माननीय यातायात मंत्रीजी, आप सारी सूचनायें मंगाइये। आखिर क्या कारण है कि जिस माडल की बस जिस रूट चलनी चाहिए वह नहीं चल रही है? अगर नहीं चल रही है तो आपका विभाग सो रहा है या फिर उन लोगों के साथ मिला हुआ है जो इस प्रकार की बसें चला रहे हैं।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। यातायात मंत्रीजी के पास यदि आंकड़े

(श्री कैलाश मेघवाल)

हों तो बतायें कि राजस्थान का दस दिन में कितना यात्री कर अपने यहां इकट्ठा कर लिया है, और उसमें से कितना राजस्थान सरकार के खजाने में जमा कराया है ? यह जो राजस्थान पैसेन्जर्स टैक्स लगता है, सभापति महोदय, वह तो सरकार में आता है और लाखों रुपयों का धन है जो कि निगम ने वसूल कर लिया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गबन हो जाता है ? परवारो के लिए सात दिन में पैसा वसूल करके जमा कराना आवश्यक है, दूसरे . . . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

महकमों के लिए भी पैसा वसूल करके जमा कराना आवश्यक है । कितने महीनों और कितने साल का निगम के पास यात्री कर का पैसा इकट्ठा है और वह जमा नहीं कराया ? यह भी बतायें कि कितने प्राइवेट बस आपरेटर्स हैं जिन्होंने यात्रियों से यात्री कर का पैसा वसूल कर लिया है और राजस्थान सरकार के खजाने में जमा नहीं कराया है । क्या आप हिम्मत करते हैं यह कहने की ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर किसी आपरेटर ने पैसा जमा नहीं कराया है तो उसके ऊपर मुकदमा चलाने की आप घोषणा करेंगे ? आखिर आप वसूल करेंगे, वह कन्सोलीडेटेड फण्ड में आयेगा और उससे मानव कल्याण की योजनायें करेंगे । लाखों रुपया आज भी पड़ा है, माननीय सभापति महोदया । मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप रोक पाये हैं उन टैक्सी को गाड़ियों को जो कि प्राइवेट होते हुए यात्रियों को ले जाती हैं । ट्रकों का आवागमन है, जिन ट्रकों में यात्री जाते हैं क्या उनको आप रोक पाये हैं ? माननीय विधायक महोदय जानते हैं और देखते हैं कि हर छोटी-छोटी सड़क और रूट पर ट्रकों में दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह सवारियां बैठ जाती हैं और उनसे ट्रक वाले पैसा लेते हैं। उस पैसे पर कोई यात्री कर सरकार को नहीं मिलता है । क्या आप उसको रोक पाये हैं ?

आप तो अधिभार की बात करते हैं । आपको मालूम होगा कि प्राइवेट बस वाले चलते हैं जो बिलकुल चुपचाप आपके अधिकारियों से मिलकर बिना किसी लाइसेन्स या परमिट के छोटे-छोटे रूट्स पर बसें चला रहे हैं, क्या आप उनको रोक सके हैं ? मेटाडोर गाड़ियां चल रही हैं, क्या उनको रोक सके हैं ? तो यह सारे मसले मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि अगर आपको राजस्थान में आवागमन की व्यवस्था सुधारनी है तो यह जो मैंने आपको सुझाव दिये हैं इनको आप पूरा कर लेंगे तो कोई अधिभार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । कुछ आपको संशोधन करने पड़ेंगे कार्यप्रणाली में, इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं, और यातायात मंत्री जी को सुझाव देता हूं कि इन बातों के ऊपर वह पूरे रूप से सीरियसली सोच करके जवाब दें और आश्वस्त करें इस हाउस को, क्योंकि बहुत बड़ी शंका है, जो मैंने आपके सामने रखी है । आपका यह अधिभार गरीब लोगों पर पड़ेगा । सारे कर्मचारी कारों में, हवाई जहाजों में और फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं और गरीब आदमी आज भी हिन्दुस्तान में हैं जिनकी जेब में बस में बैठने का पैसा नहीं है । उनको दस दस और पन्द्रह-पन्द्रह मील पैदल जाने को मजबूर होना पड़ता है । आपने चाहे कितनी ही सड़कें बनाली हो, कितनी ही बसेंब

(श्री कैलाश मेघवाल)

चला दी हों, लेकिन इस बात को जानते हैं कि आदिवासियों के पास जो बसों में बैठने के लिए पैसा भी नहीं है। आप सुविधायें नहीं दे रहे हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज आवागमन आवश्यक हो गया है। सोशियल लाइफ के लिए, रिलीजियस लाइफ के लिए और पालिटिकल लाइफ के लिए याने सब लाइफ के लिए आवागमन आवश्यक है। जो बसों की यात्रा से सीधा संबंध रखने वाले आदमी हैं उनकी जेब पर भार डालते जा रहे हैं। ऐसे बिल को, माननीय सभापति महोदया, मैं समर्थन नहीं दे सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : सभापति महोदया, मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। सभापति महोदया, यातायात मंत्रीजी ने अतिरिक्त भार के रूप में यात्रा-कर का जो यह बिल रखा है........

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदया, कल यह तय हुआ था कि इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा।

श्री बंसीलाल पटवा : क्या यह तय हुआ था की हम अपने विचार प्रस्तुत नहीं करें प्रोसिजर के तहत। यह कोई तरीका नहीं है। इजाजत के साथ बोल रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़: तरीका यह है कि आप पहले तय कर लें और उसके बाद आप कार्यवाही नहीं करें। आपके नेता महोदय ने खुद ने यह कहा था कि इस बिल पर कोई डिस्कशन नहीं होगा।

श्री कैलाश मेघवाल : कहा होगा। आपसे बातचीत हुई होगी।

श्री महाराम चौधरी : यह तय हुआ था कि यह केवल दो मिनट में पारित हो जायेगा। फिर माननीय सदस्य बोल रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। कल तय हुआ था इस बात के लिए।

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय सभापति महोदया, यातायात मंत्रीजी ने जो बिल प्रस्तुत किया है यात्री-कर के रूप में यह बिल लगता तो बड़ा सुन्दर है। माननीय खेत सिंहजी साहब ने भी यह कहा कि आप उनके कल्याण की बात नहीं चाहते हैं क्या? क्या आप किसी रूप में मुआवजा नहीं दिलाना चाहते है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। बहुत स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि किसी का एक्सीडेन्ट हो, किसी की दुर्घटना हो उसको मुआवजा मिले, पैसा मिले। उसके घर वालों को मिले, लेकिन इसका उद्देश्य बड़ा सीधा बताया गया है। कल्याणकारी। लेकिन इस विषय में, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो कुछ भी यह भार बढ़ाया जा रहा है पहले 20 पर्सेन्ट बढ़ाया गया फिर, उसके बाद 20 पर्सेन्ट और टैक्स बढ़ाया यह अतिरिक्त भार 5 से लेकर 10 पर्सेन्ट यातायात मंत्री बढ़ाना चाहते हैं, बिल द्वारा के अधिकार लेना चाहते हैं। इस विषय में मेरा निवेदन यह है कि इस तरह का अतिरिक्त अधिभार लगाने की नौबत ही क्यों आई। जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है उसको कम्पनसेशन के रूप में मुआवजे के रूप में कुछ न कुछ मिले। तो इसलिये कुछ न कुछ आधार हों, इस पर मैंने दृष्टिपात किया। आज जो बसों की हालत है, माननीय मंत्री कहते हैं कि बसों के बारे में जो कुछ हम सुधार करना चाहते हैं, सुधार की दृष्टि से करेंगे। आज एक्सीडेंट क्यों होते हैं,

(श्री बंशीलाल पटवा)

दुर्घटनायें क्यों होती है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया कि बसें राजस्थान में चल रही हैं उनमें दुर्घटनायें क्यों होती हैं। इसके पीछे कारण क्या है? आज जितनी बसें चल रहीं हैं उनमें किसी में भी स्टेपनी नहीं है उसके अभाव में बसें कहीं भी जाती हैं, दो दो घण्टे तक रुकी पड़ी रहती हैं। किसी का टायर कमजोर हैं, किसी का और कुछ कमजोर है।

आज राजस्थान रोडवेज में कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि बसें कई जगह रुकती ही नहीं है, यात्रियों को परेशानी होती है। दूसरी स्टेट में जो बसें चलती हैं उस ओर आप देखें, और दृष्टिपात करें। हरियाणा रोडवेज का आप उदाहरण ले सकते हैं, दिल्ली रोडवेज का उदाहरण ले सकते हैं। उनके किराये भी बहुत कम हैं। उनकी सर्विस अच्छी है। उनके स्टाफ में कंडक्टर और ड्राइवर ठीक से व्यवहार करते हैं, समय पर यात्रा करवाते हैं। हमारी राजस्थान रोडवेज की हालत ऐसी है कि इसके बारे में जितना जिक्र करें वह कम है, आप उसमें सुधार करें, कन्डक्टर ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, जब लोग भीलवाड़ा से या उदयपुर से चलते हैं तो कंडक्टर कहेगा कि मेरे लिये जोड़ी मोजे की और दो बनियान लाना। जैसे कि उसका बाप हो। जब नशाबन्दी थी उस समय कहते थे, रम की बोतल, व्हिस्की की बोतल मेरे लिये ले आना। आप ठीक कहते हैं कि इसमें सुधार किया जाना चाहिये। यदि इन कार्यों में सुधार किया जाये तो हमें इस तरह के अतिरिक्त अधिभार लगाने नहीं पड़ेंगे। उसी से हम फण्ड कलेक्ट कर लगें और धन की व्यवस्था करके जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होंगे उनको हम कम्पनसेशन के रूप में या किसी भी रूप में दे सकते हैं, वह दिया जाना चाहिये।

इसलिये हम चाहते हैं कि दुर्घटना से ग्रस्त लोगों को राहत मिले, मुआवजा मिले, लेकिन राजस्थान सरकार की स्थिति तो यह है कि दुर्घटना हो जाती है उसका मुकदमा जिला स्तर पर सुना जाता है। भीलवाड़ा में एक व्यक्ति की दुर्घटना हुई, उसको दावा करना पड़ेगा उदयपुर में। उसको रोजाना चक्कर लगाना पड़ेगा। वह वहां से लौटकर आयेगा, और उस पर इस तरह से अतिरिक्त भार बढ़ेगा। अगर कभी-कभी वह नहीं पहुंचता है तो उसका मुकदमा खारिज हो जाता है। राजस्थान हिन्दुस्तान का गरीब राज्य है। यहां गरीब लोग यात्रा करते हैं। यहां किराया इतना ज्यादा है कि यात्रियों को कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में यह कहा गया है कि अतिरिक्त भार बढ़ेगा, लोगों को यात्रा करने में और भी ज्यादा कठिनाई होगी। किसी रूप में कम्पनसेशन यदि किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देना है तो उसकी अच्छी व्यवस्था करें। और नहीं तो मुख्य मंत्री राहत-कोष से व्यवस्था करें। कोई रास्ता निकालें, इस प्रकार के रास्ते निकले जाते हैं। और जो लीकेज हैं जैसे मशीन खराब है, कोच खराब हैं, उसकी अच्छी व्यवस्था करें। मैं समझता हूं कि एक-दो महीने के बाद आपकी आमदनी में फर्क पड़ जायगा, यह हमारा अनुभव है। आप थोड़ा परिश्रम कर, अच्छी व्यवस्था करें तो मैं समझता हूं कि व्यवस्था सुधर जायगी।

सभापति महोदय, मैं बसों के बारे में निवेदन करूं कि आज हालत यह है कि बस चलती है, तो उसका हार्न नहीं बजता। हार्न नहीं बजता, लेकिन सारी बस आवाज करती

(श्री बंशीलाल पटवा)

है। इस तरह की बसों की स्थिति है, इस स्थिति को सुधारा जाये। बस नियमित रूप से चलाई जानी चाहिये। यात्री खड़ा रहता है और बस नहीं आती है। इस तरफ आपका ध्यान नहीं है की बस किस रूट पर चलनी चाहिये। इस तरह का आप बिल लाते हैं उसके उद्देश्य कल्याणकारी दिखाते हैं, अधिकार हाथ में लेना चाहते हैं, अधिकार हाथ में लेकर उसका किस तरह उपयोग होगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो अतिरिक्त अधिभार लगाने जा रहे है, मैं उसका विरोध करता हूं। किसी भी स्थिति में हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी स्टेट में जो रोडवेज है, यात्रियों के टिकट की दरें उसके अनुसार, उसी अनुपात में, उसको करनी चाहिये और जो राजस्थान रोडवेज की व्यवस्था है उस सुधार किया जाना चाहिये। जो हालत यहां पर है, उसको कल्याणकारी किया गया है, लेकिन उसके पीछे गरीबों का शोषण छिपा हुआ है। हम इसका विरोध करते हैं। इसको अस्वीकार किया जाना चाहिये। ऐसी व्यवस्था करें, ऐसा मैनेजमेंट करें कि कम्पनेसेशन दे सकें यही निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : मृतकों को मुआवजा दिया जा सकता है और मुआवजा देना भी चाहिये, इसलिये अतिरिक्त कर लगाकर रकम को इकट्ठा किया जा रहा है। इसके बारे में, मैं अपने दो सुझाव देना चाहूंगा। आखिर ऐक्सीडेन्ट होते क्यों हैं? एक्सीडेंट इसलिये होते हैं क्योंकि आपकी बसें ठीक नहीं हैं। बसों में व्यवस्था ठीक नहीं हैं। इनकम्पलीट बसें चलती है, थोड़ी बस चलती हैं और उसके कारण ऐक्सीडेंट हैं। दूसरे ड्राइवर्स चलते हैं वह शराब पीकर चलते हैं। शराब पीकर चलने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तीसरा मेरा सुझाव है कि बसों की संख्या कम है। बसों की संख्या कम होने की वजह से यात्री कई-कई घण्टे बस का इन्तजार करते रहते हैं और जब बस आती है तो लोग बस की खिड़की छत पर, चढ़कर यात्रा करते हैं। भीड़ हो जाती है, इस वजह से भी एक्सीडेन्ट होते हैं। मैं आपके माध्यम से यातायात मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि य जो एक्सीडेंट होते हैं, इनके कारण यह हैं, अगर बसों की संख्या बढ़ाई जाये, बसों की व्यवस्था ठीक हो सके तो एक्सीडेंट कम होंगे और एक्सीडेंट नहीं होंगे। यह जो अतिरिक्त भार गरीबों पर लादा जा रहा है उससे बचा जा सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार पर्याप्त बसें चलवाने की व्यवस्था करें। यात्रियों को सुविधायें दी जायें। दूसरे रोडवेज में इतना गड़बड़-घोटाला है, कंडक्टर टिकट नहीं काटते हैं। अगर कंडेक्टर नहीं काटेगा तो आपका नुकसान होगा। टूल्स व टायरों की खरीद में लाखों का घोटाला होता है उसको आप व्यवस्थित ढंग से देखें। जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो, उसको मुआवजा दें। इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यातायात मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मुआवजा देने के नाम पर जो गरीबों पर यह भार लगाया जा रहा है, वैसे साल में दो-तीन बार और किराये बढ़े हैं और गरीब जनता पहले ही अकाल से जूझ रही है। इसके बाद बसों का किराया बढ़ता जा है। यह जो आप बिल लाये हैं अतिरिक्त कर लगाने का, इसका मैं विरोध करता हूं। यह किसी भी प्रकार से राजस्थान की जनता के हित में नहीं है। राजस्थान

(श्री हीरालाल आर्य)
में एक्सीडेंट कम करने का प्रयास करें तो उचित रहेगा ।

श्री सभापति : यातायात मंत्री ।

श्री जय कृष्ण शर्मा : सभानेत्रीजी, जो बात माननीय सदस्यों ने कही, उनमें से बहुतों पर मैंने कल अपनी ओर से अपने विचार प्रकट कर दिये । फिर भी मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जैसा कल कहा, यह केवल रोडवेज का प्रश्न नहीं है । एक यह जो एडीशनल सरचार्ज रोडवेज के लिए इकट्ठा करने का प्रावधान रखा है, यह जो 18 का प्रावधान है, जो भी स्टेट कैरीजेज चलेंगी, उन सभी के ऊपर यह लाग होगा इसलिए प्राइवेट बसेज पर भी यह लागू होगा । परन्तु चूंकि आपको रोडवेज के लिए कुछ कहना है । आपकी दृष्टि में रोडवेज की कुछ कमियां है उनकी ओर मेरा और सरकार का ध्यान आकर्षित करना है तो मैं यह आपसे कहना चाहूंगा, आपने कहा कि रोडवेज पैसा इकट्ठा कर लेगी और जमा नहीं करायेगी । इसमें जो पैसा देने का सवाल है, जैसा मैंने कहा एक्सीडेन्ट जिनका होगा, उनको पैसा दिया जायेगा, । वह पैसा मैंने कहा है कि रोडवेज कार्पोरेशन देगा । निगम के लिए कहां प्रावधान रखा है, मैंने तो सारी जिम्मेदारी सरकार पर ली है और सरकार ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है ।

आप कहते हैं, पैसे को जमा करायेंगे या नहीं, ये सरकार का निगम है और सरकार निगम से पैसा वसूल लेगी । अगर नहीं कराता है निगम कुछ दिनों के लिए, वह प्रश्न पैदा ही नहीं होता । यह 5 पर्सेन्ट अभी लगा दिया है । 10 पर्सेन्ट तक का तो प्रावधान है और 5 पर्सेन्ट लागू कर दिया है, तो यह जो पैसा आयेगा जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, वह आयेगा सरकार ने इन सब की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, जितना पैसा आयेगा, । उससे तो कोई सवाल जुड़ा है, ज्यादा लाइबिलिटीज आ गयीं तो उसको भी सरकार अपने ऊपर लेगी । इसलिए सरकार ने अपने जिम्मे लिया है, एक स्कीम बना दी है और उस स्कीम के तहत यह सब-कुछ लागू करने जा रहे हैं । यह और दूसरी बहुत सी बातें कह दीं, मैं इस समय कहूं कि रोडवेज की बात कहते हैं, कल मैंने कहा था दो शब्दों में, वह दिन काला दिन था इस रोडवेज के लिए, जिस दिन आपकी सरकार ने जब आप इधर बैठते थे, एक कलम से ग्यारह सौ आदमियों का आपने फैसला किया था, 100 भ्रष्टाचारी लोगों को, अकर्मण्य लोगों को, उन लोगों को जिनको सरकार ने दण्डित किया था, कई जिन पर चार्जेज थे, एक कलम से उनको बहाल कर दिया, उस समय के रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने । आपने यह कहा....

एक माननीय सदस्य : अब क्या कर रहे हो ?

श्री जय कृष्ण शर्मा : यह इमर्जेंसी का मामला है, इमर्जेंसी में ये आदमी निकाले गये थे । आज आप कहते हैं । गये थे कि विरोध करते हैं, लेकिन रोडवेज में दुर्दशा आपने पैदा की है, अगर 76 से पहले का रोडवेज उठाकर आप देखें तो रोडवेज की व्यवस्था रोडवेज वजट के हालात आज से बहुत अच्छे आपको नजर आयेंगे । परन्तु पाप आप कर गये, उनका प्रायश्चित तो हमको करना है, उनका प्रायश्चित करेंगे । यह आपको विश्वास दिलाते हैं । जो कुछ आपने किया है, हम उसको ठीक करना चाहते हैं, कल भी कहा था, आज फिर कहूंगा

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

चाहता हूं, रोडवेज में कुछ कमियां है, कुछ खामियां है, कुछ आपको दिक्कत है, उससे मैं इन्कार नहीं करता। आज भी मैं हां करता हूं, उसको सुधारने का राज्य सरकार प्रयत्न करेगी, यह भी मैंने कल वादा किया है,आज फिर करता हूं। यह बात मैं नहीं कहता कि जो आपने बात कही है, आपने अपने दर्द के साथ, आपने जनता की दिक्कतों को देखते हुए की हैं, कोई आपकी स्वयं की दिक्कत नहीं है, यह जनता की दिक्कत है, और आप जनता के प्रतिनिधि है, इसलिए जो भी बात आपने हाउस में कही है, आपने सही तौर से बात कही है। जनता की समस्याओं को लेकर कही हैं, उसको सुधारने का मैं सोचूंगा। जल्दी से जल्दी प्रयत्न करेंगे, यह भी कल मैंने हाउस के अन्दर आश्वासन दिया था। फिर आपने कहा नेशनल परमिट नहीं मिले, हाई कोर्ट में चले गये तो हाई कोर्ट से बड़े तो आप भी नहीं है। हाई कोर्टमेंकेस किया हुआ है, हाई कोर्ट का फैसला आ जायेगा। माननीय सदस्य, अजमेर वाले, तब हम फैसला कर देंगे, जिनको मिलेगा उनको मिल जायगा, ऐसे तो नेशनल परमिट कभी बांटे नहीं हैं, दे तो दिये नहीं। अखबारों में क्या निकलता है, तो यह निकलता रहता है. अखबार हैं, अखबार तो रोज आपके सामने भी आते हैं, सरकार तो......

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्रभारी मन्त्री महोदय, आप इसमें ध्यान दो, इसमें लोगों के रिश्तेदारों ने पैसा कमाया है, सरकार की विज्ञप्ति निकली है, माननीय मन्त्री महोदय, ध्यान रखें, सरकार की ये विज्ञप्तियां निकली हैं।

श्री जय कृष्ण शर्मा : मैं आपको कहूं जिस चीज का वजूद नहीं, जो चीज कहीं मिली नहीं, जो नेशनल परमिट किसी को वितरण नहीं हुए इस, बारे में कम्पनसेशन का सवाल ही पैदा ही नहीं होता है।

श्री यदुनाथ सिंह : क्यों निकाली फिर विज्ञप्ति।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सरकार की विज्ञप्ति आपने भी पढ़ी है।

श्री कैलाश मेघवाल : प्रभारी मन्त्रीजी के दस्तखत से निकली है। सदन के अन्दर मैंने प्रस्तुत की है।

श्री जय कृष्ण शर्मा : मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा बहुत से माननीय सदस्य समझते हैं कि यह कोई मुआवजा है या मुआवजा नहीं, एक्सग्रेसिया है उनको कोर्ट में जो क्लेम करने का हक नहीं मिलने वाली बात है, ऐसा एक मुआवजा है, जिसके लिए उदयपुर या भीलवाड़ा में दावा करेगा, एक्सग्रेसिया है, उनके राइट्स छीने नहीं हैं, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा, यह तो ऐसा है कि आपकी डिमाण्ड पर, इस हाउस की राय पर, सबको देखते हुए यह चीज लाया गयी है इसलिए हम चाहते है कि माननीय भावना से सोच कर कि यह मानव के साथ दुर्घटना होती है उस समय दुःख होता है, दुखी मानव है, हमको उसकी सहायता करनी हैं, उस दृष्टिकोण से हमने यह बिल लाने का प्रयास किया है आशा है आप इसको पारित करेंगे।

श्री सभापति : प्रस्ताव रखिये, पारित करने का।

श्री जय कृष्ण शर्मा : रख दिया पारित करने का तो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्रस्ताव तो कर दिया, अब आप हां, ना कर दीजिए।

श्री सभापति : आप पारित करने का प्रस्ताव करें।

श्री जय कृष्ण शर्मा : कर दिया है, उसके बाद में ही हां, ना करवा देते हैं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

एक माननीय सदस्य : विपक्ष में तो है ही नहीं, 1-2-4 हैं।

राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम (निरसनकारी) विधेयक, 1981

श्री सभापति : राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम (निरसनकारी) विधेयक, 1981 को लिया जाय।

परिनियत संकल्प

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 7, सन् 1981) को अस्वीकार करता है।

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम का पुनः प्रवर्तन

श्री राज बहादुर (भरतपुर): सभापति महोदया, मुझे एक पाइन्ट आफ आर्डर रेज करना है। इस अध्यादेश में, मैं पढ़ रहा हूं एक प्रोविजन है क्लाज 4 में—"Revival of the Rajasthan Excise Act, 1950—Upon the Commencement of this Act, The Rajasthan Excise Act, 1950 (Rajasthan Act, No. 2 of 1950) shall, in relation to liquor, revive and extend to the whole of the State of Rajasthan." मेरी विनती यह है कि कोई भी प्रावधान कान्स्टीट्यूशन में है, असेम्बली की यह पावर असेम्बली के ये अधिकार हैं उनमें कोई प्राविजन रूल्स में नहीं है कि जिसके द्वारा किसी एक्ट को रिवाइव किया जा सके या रिइनेक्ट (Re-enact) हो सकता है। उस प्रक्रिया को पूरी किये बिना जो प्रक्रिया दी हुई हो, या 208 आर्टिकल आफ कान्स्टीट्यूशन के अन्तर्गत जो सारे नियम बने हैं उनका पालन किये बगैर। उसके अन्तर्गत नियम 59 से लेकर नियम 84 तक वह नियम हैं जिनके अन्तर्गत कोई विधेयक पारित होता है या कानून पास होता है या पास किया जा सकता है। प्रथम उस विधेयक को इन्ट्रोड्यूज करते हैं, फिर विधिवत पारित करते हैं। यह अनिवार्य है। हम कहते हैं कि कोई नियम और कोई अधिकार नहीं है कि मात्र एक शब्द अध्यादेश जारी करने में कोई मुर्दा कानून जीवित हो जाय। गवर्नर गवर्नमेंट की एडवाइस पर अध्यादेश जारी करें और फिर कोई dead law revive हो जाए। जहां गवर्नर का अधिकार नहीं है तो 1950 जब कि असेम्बली थी भी नहीं, चुनी हुई या कैसी भी इस प्रदेश में उस समय यह कानून मद्य निषेध (Excise Act) बनाया गया, और अंग्रेजी में बनाया गया था, उसका अधिकृत कोई तर्जुमा भी हमारे पास हिन्दी में नहीं है, उस कानून को पास करके अध्यादेश से

(श्री राजबहादुर)

उसको रिवाइव किया जा सके, ऐसा कोई कानून नहीं है। इस विधान सभा को नहीं अधिकार नहीं है। मेरी विनती यह है कि कोई भी बिल, कोई भी नियम, कोई भी कानून अन्तर्गत कोई भी पीस आफ लेजिस्लेशन बनाने की प्रक्रिया दी हुई है उसके अन्तर्गत यह नहीं हो सकता, कहीं उस प्रक्रिया को पूरी किये बिना, कोई कानून रिवाइव या रिपील नहीं हो सकता।

दूसरी बात जहां तक रिवाइव करने की बात है एक्साइज एक्ट को, उस एक्साइज एक्ट को पुनः Statute बुक पर लाने के लिये आप बिल ड्राफ्ट करते। उस बिल को पूरा लाते। आपके विचार दूसरे हो सकते हैं, उसमें हम भी कुछ दूसरे संशोधन देते। कुछ तो होता। लेकिन जैसा आप कर रहे हैं इस तरह से इस सदन को इसके हक से right से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, वंचित नहीं किया जा सकता है। अमेंडमेंट देने का, और श्रीमान्, इस बिल का विरोध करने का इस सदन को अधिकार है। जो इसके नियम है, नियम 59 से लेकर नियम 84 तक मैं पढ़ूं—अगर आप आज्ञा दे तो, मुझे आपत्ति नहीं है, यह नियम बिल्कुल साफ है। इसके प्रोविजन बिल्कुल साफ है, आर्टिकल आफ दी कान्स्टीट्यूशन में भी बिल्कुल साफ-साफ दिया हुआ है कि कोई लेजिस्लेशन कैसे पास होगा। 196 उसमें दिया है.—

"Subject to the provisions of articles 197 & 198 a bill shall not be deemed to have been passed by the Houses of the Legislature of a State having a Legislative Council, unless it has been agreed to by both Houses, either without amendment or with such amendments only as are agreed to by both Houses."

इसमें किसी repealed bill अथवा लॉ को रिवाइव करने का, या हो सकने का कोई संकेत तक नहीं है। इसको करने के लिये पूरा बिल होना चाहिए। उसमें समस्त प्रावधान होने चाहियें, जो प्रावधान रखने हों वह बिल में आने चाहिएं। पहली बात तो यह है कि इस कांस्टीट्यूशन में जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं और उनके अन्तर्गत जो नियम हैं जो प्रावधान हैं उनके अनुसार किसी dead या repealed law को बिना प्रक्रिया पूरी किये revive नहीं किया जा सकता, जो ऐसे अधिकार दिये हैं राज्य सरकार को या किसी भी विधान सभा को कि वह 'रिवाइव' कर सके किसी एक्ट को जो मर चुका है, खतम हो चुका है तो वह निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ही हो सकता है। इसके अलावा यह कानून तो जब 50 में जन-प्रतिनिधि थे ही नहीं, एक राजप्रमुख ने प्रस्ताव रखा था और राजप्रमुख के जरिये ही चालू हो गया था। कोई विधान सभा थी नहीं। कोई चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, कोई विधान सभा नहीं थी। उस समय के कानून को रिवाइव करने के लिए कौनसा प्रावधान है इस कांस्टीट्यूशन में इन रूल्स में, क्या यह आप बता सकते हैं? ऐसा नहीं है तो हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। हम इसको रिफ्यूज करते हैं। दूसरा बिल अपने आप लेप्स होता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई अधिकार नहीं है पास करने का, किसी कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत अधिकार नहीं है। जो नियम हैं 59 से लेकर 84 तक, उनमें कोई प्रावधान नहीं है संविधान प्रावधान का पालन किये बिना हम कोई कानून बना नहीं सकते हैं। री-इनेक्टमेंट

(श्री राज बहादुर)

रिवाइवल का कोई प्रोविजन नहीं है। मैंने सारी कमेंट्रीज को देख लिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कहीं कोई प्रोविजन नहीं हो सकता, न रिवाइवल का, न रीइनेक्टमेंट का, एक क्लॉज डाल कर किसी बिल में यह कह दें कि सारे कानून को री-इनेक्ट कर लेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि आप बाई-पासिंग कर रहे हैं, कम्पलीटली हमारी विधान सभा और विधायकों के अधिकारों को, हमारे जितने अधिकार हैं उनको बाई-पास करके कानून बना रहे हैं हमें पता नहीं है कि कानून के प्रोविजन क्या हैं, कानून की मंशा क्या है। कानून के प्रोविजन हमारे सामने होने चाहिये। हमें संशोधन रखने का मौका मिलता, वह बात हो सकती थी। किन्तु आपने रिवाइव करने का शब्द इस्तेमाल किया है जगह-जगह पर। अध्यादेश से लेकर विधेयक तक उसमें सारा जो लफ्ज है, रिवाइवल है। रिवाइवल का कोई प्रोविजन कांस्टीट्यूशन में नहीं है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, माननीय भरतपुर से आने वाले सदस्य ने यह कानूनी मुद्दा इस सदन के सम्मुख रखा है। इस विषय पर बहुत गंभीरता से अध्ययन करके ही यह क्लाजेज इण्ट्रोड्यूज किये गये हैं। एक्साइज एक्ट, 1950 जो पहला प्रोहिबिशन एक्ट था उस वक्त जो क्लाज थी और प्रोहिबिशन एक्ट आने के बाद में कुछ प्रोविजन्स एक्साइज एक्ट में डिलिट कर दिये गये, सारा एक्ट रिपिल नहीं किया गया। एक्साइज एक्ट के कुछ प्रोविजन्स को रिपील कर दिया गया। जनरल क्लाजेज एक्ट के तहत कोई भी लॉ जो एक्ट बनता है तो या तो सारा एक्साइज एक्ट खत्म होता। जब एक्साइज एक्ट फोर्स में है तो उसके बाद कुछ प्रोविजन्स को जिन प्रोविजन्स को रिपील कर दिया गया, जिससे बिल को रिवाइव करने के पावर हैं। बाई-स्पेशल अप्लीकेशन उन प्रोविजन्स को रिवाइव किया जा सकता है। इस प्रश्न पर विचार करके यह आर्डिनेन्स लाया गया है, तो मैं निश्चित मत का हूं कि वह प्रोविजन्स रिवाइव किया जा सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं है और यह सब ठीक है।

श्री राज बहादुर : मैं जानना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन के कौनसे आर्टिकल के अनुसार, Rules of Procedure के कौनसे नियम से रिवाइव कर सकते हैं। चाहे सारा एक्ट हो, चाहे सारे एक्ट के कुछ प्रोविजन्स हों, थोड़े बहुत कुछ भी हों, रिवाइव करने का है।

नियम या विधान में प्रावधान क्या, कहां और कौनसा है? Where is it? You have to bring all the law here, on this subject to uphold your step or procedure you have proposed to adopt, re-enact a piece of repealed or dead legislation.

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैं सेक्शन 8 आफ दी जनरल क्लाजेज एक्ट है, उसको पढ़ता हूं:-

"Revival of repealed enactment—In any Rajasthan Law made after the commencement of this Act, it shall be necessary for the purpose of reviving, either wholly or partially, any enactment, wholly or partially, repealed, expressly to state that purpose."

अगर एक्सप्रेस पावर्स हों और रिपील करने के लिये एक्सप्रेस किया गया है है सेक्शन 8 के तहत तो फिर रिवाइव किया

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)
जा सकता है और लीगली एग्जामिन कर लिया गया है।

श्री राज बहादुर : लीगली एग्जामिन करने के लिये we are not bound. क्वेश्चन यह है कि—

The General Clauses Act cannot by-pass, and it cannot deny for overside rights of the Members of this House.

मैं कहना चाहता हूं कि प्राविजन्स ऑफ कांस्टीट्यूशन में जनरल क्लॉजेज एक्ट प्रिवेल नहीं करेगा। कांस्टीट्यूशन में यह प्रोविजन है कि बिल पास होना चाहिए। 196 में और जो हमारे रूल्स हैं कांस्टीट्यूशन से गवर्न होते हैं, वे हैं 59 से लेकर 84 तक।

(3.56 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

इसके अन्दर बिल को पास करने की मर्यादा है। अगर कोई प्रोविजन रखना है "The General Clauses Act will not apply here."

तो मैं विनती करूंगा कि आर्टिकल 196 पढ़ लिया जावे। उसमें यह भी है कि बिना नोटिस ऑफ दी हाउस कोई बिल पास नहीं हो सकता है। आर्टिकल 208 में रूल्स के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद जो रेलेवेन्ट प्रोविजन हैं हमारे रूल्स में, उसमें क्या कोई प्रोविजन है रिवाइवल का? जो एक्ट रिपील हो चुका है, खत्म हो चुका है उसके लिए कुछ तो प्रोविजन रिवाइवल का होता, रूल्स में होता, कांस्टीट्यूशन में होता। अगर ऐसा प्रोविजन होता तो वह माना जा सकता था। अब जनरल क्लॉजेज एक्ट के तहत Rule 82 is empowering rule.

इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि असेम्बली के जो राइट्स हैं, मेम्बरों के राइट्स हैं, आउट राइट किसी बिल को रिजेक्ट करने के या अमेंडमेंट मूव करने के, पेश करने के, उनको समाप्त कर दिया जावे। सन् 1950 से लेकर 1981 तक 31 वर्ष हो गए हैं, वह प्रोविजन जो सन् 1950 में बने थे अब लागू हो सकते हैं या होने चाहिए या नहीं, हम इस पर विचार ही नहीं कर सकते, विचार हो नहीं सकता है। क्योंकि जो कानून रिवाइव करने का प्रस्ताव है उसके प्रोविजन्स या धाराएं भी तो हमारे सामने नहीं है प्रोविजन्स को भी अगर आपने इनकोर्पोरेट किया होता, इन प्रोविजन्स को स्पेसिफाई भी किया होता तो शायद हाउस अपना माइण्ड मेकअप कर सकता था। अब तो उन प्रोविजन्स को भी आपने इनकोर्पोरेट ही नहीं किया। जवाब में आपने झट से कह दिया कि आपने लॉ मिनिस्ट्री की एडवाइज ले ली। लॉ मिनिस्ट्री के हैड तो आप हैं। आप कुछ भी कह दें, उसको कानून नहीं माना जा सकता। कानून वही है जो लिखा हुआ है। कानून वही माना जाएगा जो कि हमारे राइट्स को, जो हमारी अपोर्च्यूनिटीज हैं, उनको छिनाई नहीं करता। इसलिये मैं विनती करूंगा कि आप देख लें इस बात को कि कहीं कोई भी कानून में, कोई भी नियम में किसी एक्ट के किसी प्रोविजन में रिवाइवल हो सकता है क्या?

Without mentioning those, without specifying those.

108

(श्री राज बहादुर)

आपने जो केवल रिवाइवल लफ्ज इस्तेमाल किया है, वह भी देख लें।

"Upon the commencement of this Act, the Rajasthan Excise Act, 1950 (Rajasthan Act No. 2 of 1950) shall, in relation to liquor, revive and extend to the whole of the State of Rajasthan."

Act No. 2 of 1950 है इसके प्रोविजन भी क्या है, वह भी हमारे सामने नहीं है। और अन्य सदन से कहते हैं कि इसे सदन मान ले, और रिपील्ड मुर्दा लॉ को रिवाइव करदे क्या यह वाजिब है? क्या यही स्तर है आपके विधान के प्रति आपकी वफादारी का? आप यह भी सोचने को तैयार नहीं है कि 31 वर्षों में क्या चेंजेज हो गए हैं। वह हमें क्या मालूम? इसलिये रिवाइवल तो हो ही नहीं सकता है।

General Clauses Act cannot come for the rescue of the Government here. They should have brought here a separate bill. They should have mentioned it here.

वह भी तो नहीं किया। अगर वह भी किया होता, प्रोविजन एक्साइज एक्ट के एप्लाई करना चाहते हैं तो यहां मेंशन होता तो भी माना जा सकता था, लेकिन वह भी नहीं है। वह होता तो इण्ट्रोड्यूज करने की स्टेज पर, कंसीडरेशन की स्टेज पर, पासिंग की स्टेज पर हाउस को मौका मिलता राय जाहिर करने का। आज तो कम्पलीट डिनाइल है। It is a complete denial.

सिम्पल क्वेश्चन यह है कि without stating any rule, without any constitutional law, you have brought it only on the basis of the advise of the Law Deptt. of which the Minister is the Head. It all sounds rideculous to say the least.

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, थोड़ासा और विस्तार से समझाइये। मुझे पूरा समझ में नहीं आया।

श्री राज बहादुर : देखिये 196 (2) पढ़कर बताता हूं, जिससे लेजिस्लेशन पास होता है।

It is the relevant article about it—

"196 (2)—Subject to the provisions of Articles 197 & 198 a bill shall not be deemed to have been passed by the House or the Legislature of a State having a Legislative Council, unless it has been agreed to by both Houses, either without amendment or with such amendments only, as are agreed to by both Houses."

"A Bill shall not be deemed to have been passed by the Houses of the Legislature of the State.... unless it has been agreed to by both Houses either without amendment or with such amendments only as are agreed to by both the Houses."

हमारा एक हाउस है, दो नहीं है। तो यह प्रोविजन है बिल कैसे पास हो। हमसे कहा जाता है कि रिवाइव कर दें। उस रिवाइवल में you are reviving an enactment which is dead as do-do. It is no more on the Statute Book.

सारांश यह हुआ कि आज जो हमने रिपील कर दिया, कल हम उसे रिवाइव कर देंगे,

(श्री राजबहादुर)

रिवाइव करने को आ कहां से गया ? कोई मुर्दा कानून रिवाइव नहीं हो सकता, उसका रि-इनेक्टमेंट होता है। रि-इनेक्टमेंट के लिये बिल आता है। बिल के लिये यहां मैंडेटरी प्रोविजन है। रूल्स मैं आपको पढ़ देता हूं। पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रोसिजर के वास्ते हमें आर्टीकल 208 देखना—

Article 208 says:—A House of the Legislature of a State may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution its procedure, and the conduct of its business.

(2) Until rules are made under clause (1), the rules of procedure and standing orders in force immediately before the commencement of this Constitution with respect to the Legislature......

श्री अध्यक्ष : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, सेक्शन 8 जो जनरल क्लॉजेज एक्ट का है—

"In any Rajasthan law made after the commencement of this Act..."

"The General Clauses Act was passed in 1955. The Excise Act was passed in the year 1950. It looks that it does not apply to that."

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आल लाज आर्टिकल 1-2 में जितने भी लाज एन्फोर्स्ड हैं सारे लाज, उनके ऊपर जनरल क्लॉजेज एक्ट एप्लाई करता है —

The Excise Act was in force before the Constitution and therefore it was a law in force

श्री अध्यक्ष : But the words are "In any Rajasthan law made *after the commencement of this Act*"

वह कानून जो बनाया गया है इस एक्ट के प्रभाव में आने के पश्चात् :—

"....it shall be necessary for the purpose of reviving, either wholly or partially, any enactent, wholly or partially repealed, expressly to state that purpose."

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एडप्टेशन लॉज आर्डर के तहत में जनरल क्लॉजेज एक्ट में राजस्थान में एडाप्ट कर लिया गया है जैसा कि सैन्टर में था।

At the time, when the Excise Act came into force, the Central Act was applicable to the State of Rajasthan.

It is Central General Clauses Act which has been adopted, and it applied to the Excise Act.

श्री राजबहादुर : मैं निवेदन कर दूं।

श्री चन्दन मल बैद (आबकारी मंत्री) : सैन्ट्रल जनरल क्लॉजेज एक्ट जो था आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट बनने से पहले मौजूद था, इस वास्ते उस जनरल क्लॉजेज एक्ट से यह कवर हुआ। उसके बाद जनरल क्लाजेज एक्ट बना है चूंकि 1955 में बना है, इसलिए 1955 वाले एक्ट को यह कवर कर रहा है।

श्री राजबहादुर : मैं अर्ज कर दूं।

श्री अध्यक्ष : जनरल क्लॉजेज एक्ट है यह आपरेशन में है क्या ?

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

It was in operation as Central law after the Constitution. Therefore, when 1950 Act was passed, Central General Clauses Act was adopted for Rajasthan by special order of the President. Therefore, it applied......

श्री राजबहादुर : Sir, we are in this mid air.

हमें नहीं मालूम कि जनरल क्लाजेज एक्ट सेन्टर का है वह कब एडाप्ट हुआ, What was the date of enactment ?

मेरे पास कोई एक्ट नहीं था। जो आपने फर्माया वह बात ठीक है। वह कब एडाप्ट हुआ ? What was the date of that ? इसकी डेट क्या है जो एक्साइज एक्ट है। एक्साइज एक्ट राजप्रमुख ने पास किया था, 1950 में पास हुआ था। 1950 में राजप्रमुख ने जारी किया लेजिस्लेटिव असेम्बली में नहीं हुआ। वह कौनसी तारीख को पास हुआ? और जनरल क्लॉजेज कौनसी तारीख को हुआ ? अगर ऐसा था, 1955 में जो एक्ट पास किया It was Rajpramukh Act of 1950. It was not an Act of Legislature.

यह इंटेशन लेजिस्लेचर का है। why no mention was made तो पहले वाला एक्ट है 1950 जो आप बताते हैं। वेगली उसकी कोई तारीख नहीं दी आपने, वेगली बताते हैं। कोई और जनरल एक्ट था जो एडाप्ट किया था, उसका भी हवाला इसमें होना चाहिये। There is no reference to that Act. The only provision which will govern us and determine the rights and privileges of the House, is not the General Clauses Act of 1955. My humble submission is that no power of revival of law is there.

रूल्स मेंशन होना चाहिये- We arenot governed by General Clauses Act. We are governed by the Rules made under Article 208 which are incorporated and amended from time to time under the Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajasthan Assembly.

मेरा राइट तो उसमें है। रूल 59 बड़ा क्लियर कहता है----

Any member, other than a Minister, desiring to move for leave to introduce Bill, shall give notice of his intention, and shall, together with the notice, submit a copy of the Bill and an explanatory Statement of Objects and Reasons which shall not contain arguments :

Provided that the Speaker may, if he thinks fit, revise the Statement of Objects and Reasons.

(2) If the Bill is a Bill which under the Constitution cannot be introduced without the previous sanction of the President.

लेकिन यह क्लियर है, बिल के जरिये ला बन सकता है, रिवाईवल के जरिये लॉ नहीं बन सकता है। You may say that clauses should have been specified in this enact.

(श्री राज बहादुर)

ment that these are the provisions which were abrogated, repealed and now they are being revived. I do not find precedent even in the functioning of the Parliament or here where they have revived an Act like this in this manner.

कोई एक मिसाल मुझे बता दें, कोई भी प्रिसीडेंट हो, किसी लेजिस्लेचर का।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनरल क्लॉजेज एक्ट राजस्थान के राज्य में 1955 में एडाप्ट किया जाता था, आपने यह क्वेरी की है-एक्साइज एक्ट पहले बना था। प्रश्न एक्साइज एक्ट बनने का नहीं है। प्रश्न यहां पर रिवाइज करने का है। हमने जो रिपील किया है इस एक्साइज एक्ट को, वह रिपील हुआ है 1969...

श्री राज बहादुर: 18 सितम्बर।

श्री परसराम मदेरणा: इसलिये जनरल क्लॉजेज का सेक्शन 8 है उसमें रिवाइवल होगा। इस एक्ट के लागू होने के बाद में रिपील हुआ है। अब क्योंकि प्रोहिबिशन एक्ट रिपील जनरल क्लाजेज एक्ट के बाद में हुआ है, इसलिये यह तो सही है जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन फिफ्थ की, इस प्रकार इसमें चर्चा हुई है। यह कह रहे हैं कि लॉ डिपार्टमेंट ओपिनियन...

(व्यवधान)

नहीं करते हैं क्योंकि कांस्टीट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। कांस्टीट्यूशन यही प्रोवाइड करता है एक बिल सदन में आयेगा, और बिल को पारित करेगा यही सदन। सदन बाई-पास हो रहा है इसलिये इस प्रकार रिवाइवल का बिल नहीं लिया जा सकता, लाया जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह बिल जो है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक्साइज एक्ट को तो बिलकुल भूल गये। अब आप रिवाइवल अमेंडेड पहले ध्यान किये चलो, उसको रिवाइव कर देते तो यह है आपका एतराज।

श्री परसराम मदेरणा, नहीं, अध्यक्ष महोदय, बिल तो आया है लेकिन जनरल क्लाजेज......

श्री अध्यक्ष: इसलिये आपका कहना यह है कि सब सेक्शन वापस आ जाते हैं, तो फर्क तो कुछ नहीं होगा।

श्री परसराम मदेरणा: ये तो अब-सो है, अध्यक्ष महोदय, हम तो रिवाइवल का बिल लाये हैं। इसलिये सदन को बाई-पास तो कहां कर रहे हैं? बिल तो सदन से पारित करवा रहे हैं, इसलिये सदन तो बाई-पास नहीं हो रहा है।

हम यह लाये हैं, जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 8 में इस बात का प्रावधान है, कोई भी रिपील इस बात से हो नहीं। अगर इनेक्टमेंट है तो वह रिवाइव हो सकता है, किसी भी बिल को लाने की वजह से। इसलिये हम सदन में बिल लाये हैं इस बात का। दूसरी बात, आपने कही थी कि कान्स्टीट्यूशन अलाऊ नहीं करता इस बात को। कान्स्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट परमिट नहीं करती कि इस तरह से जनरल क्लॉजेज एक्ट का आप कोई सहारा ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आर्टिकल 367 की तरफ खींचना चाहूंगा। आर्टिकल 367 में इस बात का उल्लेख है:—

(1) Unless the context otherwise requires, the General

(श्री परसराम मदेरणा)

Clauses Act, 1897, shall, subject to any adaptations and modifications that may be made therein under Article 372 apply for the interpretation of this Constitution as it applies....

कान्स्टीट्यूशन के इन्टरप्रिटेशन के लिए जनरल क्लॉजेज एक्ट एप्लाई हो सकता है जनरल क्लॉजेज में जो प्रावधान हैं, कान्स्टीट्यूशन में इस बात का उल्लेख है कि बिल लाया जाय और बिल हम लाये हैं। सदन को बाई-पास हम कर नहीं रहे हैं। सेक्शन 8 ऑफ जनरल क्लॉजेज से रिवाइव किया जा सकता है। रिवाइव करने का उद्देश्य जो बिल सदन के सम्मुख है उसमें उल्लेख है। इसलिये मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसी चीज हम नहीं करने जा रहे हैं जो नियमों के विरुद्ध हो, और कान्स्टीट्यूशन के खिलाफ हो।

श्री राज बहादुर : एक मामूली प्रश्न उठा, वह यह था कि क्या जनरल क्लॉजेज एक्ट, 1955 को इस हाउस में एडाप्ट किया गया था ? उसको रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से अप्लाई किया जा सकता है ? 1955 में कानून बना उसका—

Clause 1 can't govern an Act which was promulgated or adopted by Rajpramukh or earlier ? It will apply only to such Acts as are made after the enactment of General Clauses Act.

श्री चन्दनमल बैद : आप जो पढ़ रहे हैं मेजर तो सब पर लागू हो सकता है लेकिन रिवाइवल ऑफ एनी इनेक्टमेंट होगा। A enactment can be revived wholly or partially.

रिवाइवल तो 1955 के बाद भी हो सकता है लेकिन—any enactment can be revived wholly or partially.

थोड़ी बहुत वकालात हमने भी की है।

श्री राज बहादुर : वकालत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं It is my duty to point out where we are failing.

श्री चन्दनमल बैद : It is also my duty to correct you.

श्री राज बहादुर : You can certainly correct me if I am wrong. I am not a proudy person. But you have to show me where I am wrong. The General Clauses Act section 8 applies only to such enactments as were enacted after 1955.

अगर इसका दूसरा मानी होता है, I would withdraw my point.

श्री चन्दन मल बैद : इसके मायने यह हैं कि रिवाइवल 1955 के बाद हो सकता है, और किसी इनेक्टमेंट का हो सकता है।

श्री राज बहादुर : रिवाइवल की बात मत करिये—You are seeking some protection, but it does not shield you because it does not operate against the Excise Act which you want to revive now. That Act was enacted in 1950. This Article,

(श्री राज बहादुर)
which Mr. Maderna has read out, helps me rather than helping you.

आप यह बता रहे हैं यह इसमें कहां फिट करते हैं—It does not protect my rights as a legislator. It does not change the Rules which have been formulated under Article 203. It only interprets the Constitution (Read Article 367 of the Constitution). Show me where the question of interpreting the Constitution is there ? The only remedy is to withdraw this Bill, bring another in full conformity with the laws of the land. मैं और विनती करूंगा, इन्होंने यह भी नहीं बताया कि जो 1897 का है जनरल क्लाजेज एक्ट वह किस तारीख को एडाप्ट हुआ है—

Why are they hiding that date ? When did you adopt the General Clauses Act of 1897 behind which you are taking the shelter. कौनसी तारीख को हुआ ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह कान्स्टीट्यूशनल मैटर है । इसको यूं देखा नहीं जा सकता । हाउस को एडजोर्न करिये ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मेरा इन्टरप्रिटेशन यह है कि 1950 का एक्ट है वह तो एक्सेप्शनल है अब जो 1955 के बाद.....

श्री राज बहादुर : Pardon me for interruption, that is not existing law. The existing law are only a few sections of that Act. I am not disputing about that. What I am disputing is that these provisions which they want to revive....

श्री अध्यक्ष : स्टेटच्यूट की किताब में तो है नहीं ।

श्री राज बहादुर : वह है, लेकिन उनका प्रोविजन्स गायब है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : प्रोहिबिशन के तहत नहीं है—One chapter of that Act was deleted.

श्री अध्यक्ष : आपको ध्यान है इसमें कितने सेक्शन्स होंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुछ भी नहीं है । वैसे भी कोई भी एक्ट में अमेण्डमेंट लाते हैं तो जिस सेक्शन का लाते हैं वो एक्सट्रेक्ट लाते हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अमेण्डमेंट नहीं है । It is revival.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब बिल सारा रिपील कर रहे हैं तो वह बिल है क्या ?

श्री अध्यक्ष : इसमें कितने सेक्शंस हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें कोई शराब पी सकता है या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी यह राजस्थान एक्साइज एक्ट.....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट । मैं एक बात कह दूं, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि

(114)

(श्री अध्यक्ष)

इनैक्टमेंट के लिये तो आपको वही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा जो नियमों में या संविधान में दिया गया है। उसमें केवल इतनी बात ज्यादा जोड़ी होती —"Would state that purpose." मीन्स अगर कोई कानून रिपील हो गया है तो उसको वापस स्टेटच्यूट बुक में लाने की प्रक्रिया तो वही होगी जैसा कि आपने खुद सैक्शन 4 में दिया है यानि इन एडीशन एक कारण और बताना पड़ेगा कि इन-इन कारणों से पिछला रिपील कर दिया था। अब रिवाइव करने का इरादा कर रहे हैं उसके ये कारण नये होंगे। केवल इतना ही नहीं, यह भी ध्यान रखेंगे क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब अगर यह हुआ, वह तो लेजिस्लेशन का हमेशा ही अधिकार है नया कानून लाने का

श्री अध्यक्ष : नहीं तो रिवाइवल कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : रिवाइवल से तो नया भी कर सकते हैं। इसकी जरूरत ही नहीं होती। इसी वास्ते सवाल है कि सारा बिल वापस नहीं लाना पड़े और केवल एक ही क्लॉज में रिवाइवल कर दिया जाय इस वास्ते.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भी बहुत बड़ी आपत्ति की बात है, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सारा बिल वापस नहीं लाना पड़े। इसका मतलब आप हाउस की बैक के ऊपर......

श्री चन्दनमल बैद : यह कानून बनाने की प्रक्रिया है। बैक और फ्रन्ट का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, कानून बनाने की प्रक्रिया है तो आप क्लाजेज बिल के रूप में लाते। हाउस में उस पर एक-एक धारा पर चर्चा हो जाती और पास हो जाता।

श्री चन्दनमल बैद : प्रक्रिया बनाई हुई है जनरल क्लाजेज एक्ट में। सदन ने पास किया हुआ है उस प्रक्रिया का सहारा लेकर गलत प्रथा डाल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज आपको पता नहीं, माननीय मंत्री महोदय को पता नहीं, एक्साइज एक्ट क्या है जिसको रिवाइव करना चाहते हैं ? हाउस की टेबल पर भी उन्होंने रखा होगा। एक्ट को रिपील करना चाहते हैं। सदन के माननीय सदस्यों को पता नहीं कि कौनसा एक्साइज एक्ट 1950 का अमेण्ड कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये सभी विधायक 2 साल पहले आये हैं। आप उनको सर्कुलेट करते नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : एक बात लेमेन के लिये मेरी यह है, आपने माननीय सदस्यों के लिये कैसे सोचा ? ignorance of law is no excuse,

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो बात कही है वह बिल्कुल सही है ignorance of law is no excuse. यह हमारे लिये नहीं मिनिस्टर्स के लिये भी सही है, और उनके लिये भी है जिनको कानून के बारे में जानकारी नहीं होती। तो उन्हें क्षमा नहीं किया जाता। यह आपके, बृज सुन्दर शर्मा जी और परसराम जी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

श्री के ऊपर भी लागू होती है और हम पर भी लागू होती है । सवाल यह है कि जिस एक्साइज एक्ट को रिवाइव करने की बात की जा रही है वह एक्साइज एक्ट है क्या ? क्या आप चाहेंगे कि एक्साइज एक्ट को सदन की मेज पर रखा जाय ?

श्री परसराम मदेरणा : That Excise Act is on the Statute Book. Only a portion has been repealed.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें यह जो सवाल आया है रिपील करने का, उस पर मोहर लगवाना चाहते हैं, रिवाइव करने पर मोहर लगवा चाहते हैं । सदन के सदस्यों को पता नहीं है कि 1955 का एक्साइज एक्ट क्या है ? आप मुझे यह बता दीजिये, बृजसुन्दर जी लॉ मिनिस्टर हैं यह बता दें कि इसमें कितने सैक्शन्स हैं, कितने प्रोविजो किये हुए हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : आप बता सकते हैं कि कितने हैं ? कोई नहीं बता सकता है। किसी भी एक्ट के बारे में नहीं बता सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस चीज को आप बता नहीं सकते हैं, उसको आप पास भी नहीं करा सकते हैं। आपको पता नहीं है, सदस्यों को पता नहीं है, मंत्री को पता नहीं है कि धारायें कितनी हैं इस कानून की और आप कहते हैं कि मोहर लगा दें। ऐसे मोहर नहीं लगेगी ।

श्री राज बहादुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, In this connection, I want to raise a few more points. उस सैक्शन को अलाउ करते हैं उसको आप रिवाइव कर सकते हैं लेकिन वह भी does not by pass our Rules of procedure, यह रिवाइव कर सकते हैं लेकिन बाकायदा बिल लायें उसके जरिये । एक बात । दूसरी बात यह है, यह क्लियर है कि यह एक्साइज एक्ट के प्रोविजन्स वापस लागू करना चाहते हैं, वह जरूर टैक्सेशन के होंगे, उनके द्वारा जरूर टैक्स लगायेंगे, उनके वास्ते 197 और 198 मौजूद है कि अगर कोई टैक्सेशन का प्रोविजन है तो उनको बिना गवर्नर की अनुमति के, बिना फाइनेंशियल मेमोरेंडम के पेश नहीं कर सकते हैं। आप टैक्स लगा रहे हैं · · ·

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खर्च का तो इसमें प्रश्न नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खर्च का सवाल है इसमें ।

श्री राजबहादुर : उनके लिये तो कुछ नहीं कर रहे हैं । आप प्रोसिजर के अलावा यह भी नहीं कर सकते हैं । उसके लिये आपको फाइनेन्शियल मेमोरेंडम लाना पड़ेगा और परमिशन लेनी पड़ेगी तब जाकर के आप बिल पेश कर सकते हैं। You cannot do it. Article 207 is clear on that point. आर्टिकल 207 जो है वह इसमें बिल्कुल क्लियर है । एक्साइज एक्ट के प्रोविजन क्या है, टैक्स के अलावा कुछ नहीं हो सकते हैं । हम बेकार में थोड़े ही कर रहे हैं। आप प्रोहिबिशन एक्ट को रद्द करके जो नये तरीके इन्कम के अख्तियार करना चाहते हैं, जो रिसोर्सेज डवलप करना चाहते हैं। उसके लिये ही आपने यह जोड़ा है

(श्री राजबहादुर)
जो कि टैक्सेशन के बिना बन ही नहीं सकता है। इसलिये यह तो टैक्सेशन है। इसके जरिये आप एक्साइज एक्ट को रिवाइवकर रहे हैं, You cannot do that.

श्री चन्दनमल बैद : Every income is not tax. There is no mention of tax in the Excise Act.

श्री बृज सुन्दर शर्मा : it is not tax, it is fees.

श्री राज बहादुर : फीस होगी कुछ भी होगा। Shall I have to read to the Law Minister, the Article 207.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक्साइज रेवेन्यू के लिये सेवायें तो लगानी होंगी ना…

श्री राज बहादुर : Law Minister should be knowing Article 207.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पैसे का सवाल नहीं है, खर्चे का सवाल नहीं है। कन्सोलिडेटेड फण्ड पर चार्ज तो है ही।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : That is only for tax, not fees.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही तो पूछना है। कितना चार्ज होगा, यह बता दें आप। वह बता दें कि कितना खर्चा होगा इस एक्साइज एक्ट को रिवाइव करने में।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : एक्साइज एक्ट को रिवाइव करने के लिये आलरेडी प्रोविजन है जो, अब तक प्रोहिबिशन के काम में आ रहा था, एक्ट में मौजूद है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सवाल यह है कि आपने इससे एक्साइज को रिवाइव किया है न कि एक्साइज आफिस को। एक्साइज कमिश्नर और कई प्रकार की बात थी, कन्सोलिडेटेड…

श्री चन्दनमल बैद : वह तो मौजूद हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज के दिन नहीं हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आज के दिन हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो आर्डिनेन्स आने के बाद से हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आर्डिनेन्स आने के पहले से हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह इस प्रोहिबिशन एक्ट के मातहत थे। एक्साइज एक्ट के मातहत नहीं हैं।

श्री चन्दनमल बैद : एक्साइज एक्ट का एक चेप्टर ही रिवाईव किया गया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस एक्साइज एक्ट में यह रिपील होना चाहिए। जो एक्साइज का डिपार्टमेंट बना रखा है वह सारा का सारा डिपार्टमेंट प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट कहलाता था, एक्साइज कमिश्नर था, या किसी दूसरे नाम से या प्रोहिबिशन कमिश्नर के नाम से था। सारा खर्च जो चार्ज किया है वह प्रोहिबिशन के नाम से किया है एक्साइज के नाम पर नहीं। इसमें कोई नहीं हुआ है।

श्री चन्दनमल बैद : वह आज भी एक्साइज कमिश्नर ही है और एक्साइज डिपार्टमेंट ही कहलाता है। यह सारा खर्चा एक्साइज में हो रहा है। वह कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर के साथ-साथ प्रोहिबिशन कमिश्नर भी कहलाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुछ भी हो एक्साइज एक्ट आपने रिपील तो कर दिया। तो एक्साइज एक्ट के मातहत होने वाला खर्चा क्या एक्साइज में चलता रहा...

श्री चन्दनमल बैद : एक्साइज एक्ट का केवल एक ही चैप्टर रिपील किया था। सारा एक्साइज एक्ट रिपील नहीं किया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुछ रिपील तो किया था।

श्री चन्दनमल बैद : उससे एक्साइज का सारा प्रोविजो खतम नहीं होता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक्साइज एक्ट का वही प्रोविजन किया था जो लिकर से रिलेट करता है। वही लिकर से रिलेट करने वाला प्रोविजन इसमें किया है। इसलिये एक्साइज एक्ट एज इट इज आज स्टेट्स्यूट बुक में है। यह क्योंकि प्रोहिबिशन एक्ट है वह कहता है Extend or repeal the whole in relation to liquor. जहां-जहां लिकर का जिक्र आता है वह प्रोविजन इसमें से रिपील किया गया है। इसलिये एक्साइज एक्ट तो फोर्स में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आपके सामने मनी बिल की बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष : कोई सब्सीडियरी पाइन्ट हो कोई, मेन पाइन्ट हो तो वह कह दें।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक आपने क्वेरी की सैक्शन 8 के संबंध में। यह राजस्थान एक्साइज एक्ट राजस्थान में 55 में फोर्स में आया था, एक्साइज एक्ट पहले का बना हुआ था लेकिन यह जो चीज है, राजस्थान लॉ, जो बिल है अगर अध्यक्ष महोदय, लॉ बनने जा रहा है, इस एक्ट के संबंध में है। उस एक्ट के संबंध में है, जो इससे पहले एक्साइज एक्ट के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है स्टेट्यूटर बुक में।

Any enactment means the Excise Act.

जिस बात के लिये रिपील हुआ उस बात को हम रिवाइव करना चाहते हैं। इसलिये ही हम यह बिल लाये हैं—

"Any enactment, wholly or partially repealed...."

That has been partially repealed. अध्यक्ष महोदय, हमने हमारे स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में साफ लिखा है :—

"Total prohibition was imposed in the State with effect from 1st April, 1980. Despite efforts, there was no perceptible change in the habit of drinking. Anti-social elements took to illicit distillation and bootlegging and the persons involved in these activities thrived at the cost of health of the people addicted to drinking as also the State revenues. Hence the Rajasthan Prohibition Act, 1969, could not achieve the desired results. In these circumstances, it was decided to repeal the Rajasthan Prohibition Act, 1969 and to revive...."

श्री अध्यक्ष : वह पाइन्ट मैं समझ गया हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : House is in vaccume.

श्री परसराम मदेरणा : आर्टिकल 369 के अनुसार जनरल क्लॉजेज एक्ट का सहारा

(श्री परसराम मदेरणा)

किया जा सकता है तो फिर किसी एक्ट के स्विाइवल के अन्दर अगर कान्स्टीट्यूशन के खुद ही के इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न आयेगा तो जनरल क्लॉजेज एक्ट को रेफर किया जायेगा । इसका मतलब यह है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट स्पेशल लॉ है और आल परवेडिंग है और इसके अन्दर इसका प्रावधान है । इसलिये तो सैक्शन 8 को रखा है, कोई रिपील्ड इनेक्टमेंट को रिवाइव किसी कानून से किया जा सकता है । असेम्बली में बिल आयेगा और असेम्बली ही पारित करेगी । इसलिये असेम्बली को बाई-पास करने का जो कहा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाई-पास तो कर दिया है ।

श्री परसराम मदेरणा : सिर्फ लीकर के मामले में पर्टीक्यूलर उसका जो पोर्शन है उसको चैन्ज करने का स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में है । इनेक्टमेंट को रिवाइव करना नहीं चाहते हैं । उसको रिवाइव नहीं करना है । लिकर के संबंध में जो रिपील्ड इनेक्टमेंट का पोर्शन है उसको रिवाइव करना चाहते हैं । The whole Act is not repealed. It is very much on the statute book today.

श्री राज बहादुर : आपके माध्यम से निवेदन कर दूं कि सैक्शन 8 को पढ़ लें । इससे पता चल जायेगा कि उसका पर्पज क्या है और इसमें इंटेशन क्या है । इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि जो जनरल क्लौजेज एक्ट में है —

"In any Rajasthan law made after the commencement of this Act, it shall be necessary for the the purpose of reviving, either wholly or partially, any enactment, wholly or partially repealed, expressly to state that purpose."

That does not mean by passing the entire body of Rules which have been framed and adopted by this House and under which House functions to consider and adopt legislative measures or bills. How can you by pass the procedure? Yo cannot do that, and revive and Act made 31 years ago, not by the legislature but by the Rajpramukh. We don't know what its provisions are, what change have taken place. अगर वह प्रोविजन मेन्शन कर देते और पास कर देते तो मान लेते । इसमें आथोरिटी मिली है कि रिवाइव कर सकते हैं । रिवाइव करने के अलावा और कुछ नहीं है । सैक्शन 8 में है :—

"In any Rajasthan law made after the commencement of this Act, it shall be necessary for the purpose of reviving, either wholly or partially, any enactment, wholly or partially repealed, expressly to state that purpose."

You state that purpose. It does not mean that you can by-pass the Rues of the House. You cannot ignore that. If it is a money Bill, if it is a taxation matter, does it mean that Article 207 will be ignored ? It does not mean that. The mere word of 'revival' is not sufficient. Is it like the word 'Seesame' in the famous tale? You just utter the word 'Seesame' and the door opens. You just utter the word 'revival' and the Bill is revived."

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय एक संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है। दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। आप भी अपने निर्णय के लिए पुस्तकों में व्यस्त हैं। मेरा सुझाव है कि आपका यह निर्णय काफी महत्व का होगा। इसलिए सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए एडजोर्न कर दें।

श्री अध्यक्ष: आप वकील हैं, आप कुछ रास्ता तो बताइये। सदन को एडजोर्न करने का तो कोई भी माननीय सदस्य बता सकता है।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा: उसमें अध्ययन करने का समय मिल जायगा।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी किसी एक प्रसंग में आपसे निवेदन किया था, इस प्रकार के मामलों में सावधानी से चलें और एडवोकेट जनरल की ओपिनियन लें तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि एग्जिस्टिंग मामले पर एडवोकेट जनरल को बुला लिया जाय और उनसे हाउस के अन्दर ओपिनियन ली जाय। एडवोकेट जनरल इन मामलों में हाउस के सदस्य हैं और वह हाउस में आ सकते हैं, हाउस को गाइड भी कर सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एडवोकेट जनरल को बुलाया जाय। मेरा ऐसा विश्वास है कि हाउस के माननीय सदस्यों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री परसराम मदेरणा: किसी भी कान्स्टीट्यूशनल या किसी भी लीगल पाइन्ट के ऊपर हाउस एडवोकेट जनरल की ओपिनियन लेना चाहता है तो वह इस सदन में आ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। जहां तक इस इनेक्टमेंट के रिवाइवल का प्रश्न है, इस पर बिल लाने की बात पर मंत्रिमण्डल ने विचार किया था और मंत्रिमण्डल में विचार करने के बाद और इसके सभी कानूनी पहलुओं को एग्जामिन करने के बाद सरकार इस बात के लिए सेटिस्फाईड थी कि इस प्रकार का बिल लाया जा सकता है और उसे लाये, जो रिपील्ड पोर्शन है वह रिवाइव किया जा सकता है। अब यह निवेदन रहा, आप कह रहे हैं कि अगर आप इसको मान भी लें और आपने स्टेट भी कर दिया है तो हाउस बाई-पास हो रहा है। हाउस इसलिए बाई-पास नहीं हो रहा है क्योंकि जनरल क्लॉजेज एक्ट में इतनी ही बात कही गई कि आपको पर्पज स्टेट कर देना चाहिये। हमने पर्पज स्टेट कर दिया। पर्पज स्टेट करने के लिए हम हाउस को बाई-पास करते तो इसका मतलब था कि यह ऑटोमेटिकली रिवाइव हो। वह आज भी रिवाइव नहीं कर रहे हैं। अगर रिवाइव करने तो यह हाउस करेगा और हाउस करेगा तो इस बिल के जरिये करेगा। बिल सदन के विचाराधीन है, इसलिए हाउस कहां बाई-पास हुआ है?

हम इस बिल को हाउस में लाये हैं, हाउस में बिल है। इसमें साफ बात की है कि हम एक्साइज एक्ट के उस भाग को वापिस रिवाइव करना चाहते हैं। जिसको हम रिवाइव करना चाहते हैं वह लीकर के संबंध में है और लीकर के संबंध में जो कमियां रही हैं उन कमियों की वजह से रिपील किया उसको तो कर रहे हैं रिवाइव। जिसको कर रहे हैं वापस उसका पर्पज स्टेट किया है,

(श्री परसराम मदेरणा)

पर्पज साफ है। एक्सप्रेस्ड पर्पज है। यह बिल जो आया इसमें इस बात का उल्लेख है। सदन सोवरिन है हर तरह से। इसकी जो लेजिस्लेटिव और प्लीनरी पावर्स हैं उस पर कुठाराघात नहीं हुआ, न वह पावर अण्डर-माइन हुई। इसलिए हाउस जब तक इसको पारित नहीं करता है तब तक वह रिवाइव हो नहीं सकता। यह जो प्रोसीजर बताया कि प्रक्रिया है या नहीं, कानून परमिट करता है या नहीं, रिवाइव करने के लिए वह चीज हाउस में क्लियर की है। जो ये मुद्दे उठाये गये हैं, जहां तक हाउस का प्रश्न है हम एक और बिल लाये हैं इस बिल के द्वारा लिकर के संबंध में एक्साइज एक्ट का जो पोर्शन है जो रिपील किया हुआ है, वह रिवाइव किया जाना है। यह गवर्नमेंट की इन्टेन्शन है, इस पर हाउस अपनी सहमति दे।

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह विनती करूंगा, बहुत थोड़ी नॉलिज है अंग्रेजी की, बहुत क्लेम नहीं करता, लेकिन यह क्लियर बात है

"In any Rajasthan law made after the commencement of this Act, it shall be necessary for the purpose of reviving....expressly to state that pupose."

इसमें सिर्फ ये लाज नहीं होते, मैं नहीं कहता

It only points the way for revival. It does not say that revival is a fundamental right. It is not a magical word. And here they are asking for a magical word.

तो यह साफ दिखता है।

श्री अध्यक्ष : .."State that purpose.." They have expressively stated that purpose.

श्री राज बहादुर : That cannot be Sir.

उसके बाद यह कि हाउस की प्रक्रिया है, यह अधिकार एक मौलिक अधिकार है सदन का। इधर का भी और उधर का भी, लेकिन ऐसा फंक्शन नहीं है। It only points the way for revival.

श्री अध्यक्ष : आपके अनुसार यह प्रोविजन रखा है कि एक्सप्रेसली स्टेट करेंगे इसलिए कि पहले आपने यह कानून रिपील कर दिया था, दुबारा करने जा रहे हैं। प्रक्रिया तो वही अपनानी पड़ेगी लेकिन चेतावनी और देनी पड़ेगी कि आपने इसको रिपील कर दिया था, पहले और दुबारा इसको कर रहे हैं।

श्री राज बहादुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, You have completely got the point. This is the point which I wanted to state.

श्री अध्यक्ष : मेरे खयाल से एडवोकेट जनरल साहब को बुला लेना चाहिये।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : आवश्यकता तो नहीं है।

श्री राज बहादुर : मैं एक विनती करूंगा मेरे मित्र से, गांधीजी भी कहते थे कि जहां तक मैं सत्य को देखता हूं, हो सकता है सत्य उससे भी आगे हो। इसी तरह से बहुत काबिल लोग हैं, इन्होंने जहां तक अध्ययन किया, ठीक है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : वैसे तो सदन सर्वोपरि है, माननीय अध्यक्ष सर्वोपरि है, मेरा ऐसा खयाल है कि इसको इस तरह से

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

एग्जामिन करके रखा है, उसको पहले एग्जामिन कर लिया गया है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आम तौर से मंत्रिमण्डल कहता है उससे हां कर देता है हाउस। कभी-कभी हाउस को यह हो जाय कि मंत्रिमण्डल ने एग्जामिन किया है; हम भी थोड़ा देख लें।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : तो यह सदन की मर्जी की बात है,

श्री परसराम मदेरणा : वह तो हाउस की मर्जी की बात है। हम तो यह कह रहे हैं कि जो आज मुद्दा यहां पर उठाया गया है it is not that we have been taken by surprise. हमने इस मामले पर पहले गौर किया था। गौर करने के बाद लॉ डिपार्टमेंट की राय ली थी और राय लेने के बाद में हम सेटिस्फाइड थे कि इसको रिवाइव किया जा सकता है, इसके बाद में लाये हैं। अब आप यह कह रहे हैं रिवाइव हो सकता है लेकिन रिवाइव में प्रक्रिया वही करनी पड़ेगी बिल की। तो फिर हमको लाने की जरूरत क्या थी। आज जो कानून की पोजीशन है, उसमें हाउस इग्नोर हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा हाउस, फुल हाउस जो निर्णय लेगा वह इस बिल के संबंध में लेगा कि रिवाइव किया जाय या नहीं। इसलिए हाउस बाई-पास कहां हो रहा है। हाउस के सामने यह बिल है, तीनों स्टेज में से गुजरेगा और गुजरने के अन्दर हमने यह कहा है कि रिवाइव करना चाहते हैं इसलिए बिल लाये हैं। इसलिए चूंकि यह बिल लाये हैं, इसलिए रिवाइव कर रहे हैं हम लिकर के संबंध में।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की पहले की व्यवस्थायें हैं पेज 105 पर। विधेयक के कुछ खंडों को संविधान के विपरीत उद्घोषित किये जाने की संभावना होने के कारण उस विधेयक पर विचार करने से सदन को कहीं नहीं रोका जा सकता। दूसरी व्यवस्था, श्रीमन्, यह है कि किसी विधेयक के खंड के संबंध में संवैधानिक प्रश्न उपस्थित हो, उसका निर्णय अध्यक्षीय आसन से नहीं दिया जा सकता, इस प्रकार का निर्णय सदन द्वारा दिया जाता है।

कई माननीय सदस्य : यह तो खंडों के लिये हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसमें भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ आपत्ति उठाई है। मैंने दोनों पक्षों को सुना। मैं भी वर्तमान में इस स्थिति में नहीं हूं कि इस तरह के रिपील्ड कानून को रिवाइव करने के लिये कौनसी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये। इसलिये मैं आवश्यक समझता हूं कि सदन एडवोकेट जनरल को बुलायें। कल मध्यान्ह पश्चात् इस बिल को लिया जायेगा और उस समय एडवोकेट जनरल को सदन में बुलाया जायेगा।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 23 सितम्बर, 1981 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 4.41 म.प. बजे, बुधवार, दिनांक 23 सितम्बर, 1981 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 149 की सूचना)

वर्ष अनुसार श्रम न्यायालयों/ औद्योगिक न्यायाधिकरणों में प्राप्त मुकदमें एवं निपटाये गये मुकदमों का विवरण

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में विचाराधीन मुकदमों की संख्या	वर्ष में दायर मुकदमों की संख्या	योग (2+3)	वर्ष में निपटाये मुकदमों की संख्या	वर्ष के अंत में शेष मुकदमों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1975	1270	1089	2359	1039	1320
1976	1320	1185	2505	1149	1356
1977	1356	741	2097	885	1212
1978	1212	830	2042	818	1224
1979	1224	1168	2392	1000	1392
1980	1392	1512	2904	1093	1811
1981 (अगस्त, 1981 तक)	1811	669	2480	462	2018

अवधि अनुसार अवशेष मुकदमों का विवरण

औद्योगिक न्यायाधिकरण/ श्रम न्यायालय	1 वर्ष से कम	1 वर्ष ऊपर से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से ऊपर	योग
1	2	3	4	5
1. जयपुर				
श्रम न्यायालय ..	322	512	185	1,019
औद्योगिक न्यायाधिकरण	181	25	35	241
2. बीकानेर ..	66	87	—	153
3. जोधपुर ..	30	55	38	123
4 कोटा ..	124	130	55	309
5. उदयपुर ..	77	59	37	137
योग ..	800	868	350	2,018

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 150 की सूची

क्र. सं.	नाम रिटेलर	ग्राम पंचायत का नाम	कब से
(1) पंचायत समिति, नागौर :—			
1.	श्री रामबक्स भाटी	ताउसर	मार्च, 81 से लगातार
2.	श्री पुरखा राम	गगवाना	जुलाई, 81 से लगातार
3.	श्री पदमाराम	करनू	फरवरी, 77 से लगातार
4.	श्री हजारी राम	श्रीबालाजी	मई, 80 से लगातार
5.	श्री गुलाम मुस्तफा	बासनी	अगस्त, 81 से लगातार
6.	श्री जब्बर सिंह	भोजास	जुलाई, 81 से लगातार
7.	श्री हजारी राम	सथेरण	फरवरी, 81 से लगातार
8.	श्री रामदीन	मुन्डेल	अगस्त, 80 से जुलाई, 81 तक
9.	श्री धोकल राम	टांकला, अहमदपुरा	जुलाई, 80 से जुलाई, 81 तक
(2) पंचायत समिति, मूंडवा :—			
1.	श्री राम निवास	कडलू	जुलाई, 80 से लगातार
2.	श्री दामोदर लाल राठी	खींवसर	अगस्त, 80 से लगातार
3.	श्री चुन्ना राम	सेनणी	अगस्त, 80 से लगातार
4.	श्री भंवर लाल	आंकल, हमीराना	जुलाई, 80 से लगातार
5.	श्री मांगीलाल	जनाणा	सितम्बर, 81 से लगातार
6.	श्री राजूराम	कांटिया	अक्टूबर, 80 से लगातार
7.	श्री कानाराम	भावण्डा	अगस्त, 80 से लगातार
8.	श्री रामाराम	खटौड़ा	अप्रेल, 81 से लगातार
9.	श्री हरिराम	डेहरू	मई, 81 से लगातार
10.	श्री परसराम कमल किशोर	पांचलासिद्धा	अप्रेल, 80 से 8-9-81 तक

(मात्रा क्विटल में)

क्र. सं.	नाम रिटेलर	ग्राम पंचायत	माह	मात्रा	परमिट जारी करने की तिथि
पंचायत समिति, नागौर:—					
1.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	वासनी वार्ड नं. 1, 2, 3, 14 व 15.	अप्रेल, व मई, 81	30	17-8-81
2.	आदर्श सहकारी उपभोक्ता भंडार, नागौर।	वासनी वार्ड नं. 9 से 13	अप्रेल व मई,	30	17-8-81
3.	श्री गुलाम मुस्तफा	वासनी वार्ड नं. 4 से 8	अप्रेल व मई, 81	30	1 :-8-81
4.	श्री घासी राम	झाड़ीसरा	मई व जून, 81	28	17-7-81
5.	श्री घासी राम	झाड़ीसरा	जुलाई, 81	13	1(-8-81
पंचायत समिति, मूण्डवा :—					
6.	श्री कानाराम	भावण्डा	दिसम्बर, 80	15	28-2-81
7.	श्री कानाराम	भावण्डा	जनवरी, 81	15	28-2-81
8.	श्री कानाराम	भावण्डा	फरवरी, 81	15	28-2-81
9.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सीलगांव।	डेहरु	दिसम्बर, 80	19	21-2-81
10.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सीलगांव।	डेहरु	जनवरी, 81	19	21-2-81
11.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सीलगांव	डेहरु	फरवरी, 81	19	10-3-81
12.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सीलगांव।	डेहरु	अप्रेल, 81	18	12-5-81

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर—

चूरू में परिवहन निगम के डिपो की स्थापना

156. श्री भालू खां (चूरू) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू में राज्य पथ परिवहन निगम का बस डिपो खोलने हेतु वहां के स्थानीय विधायक ने बार बार सरकार को निवेदन किया है? यदि हां, तो बस डिपो नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं?

(2) अब कब तक चूरू में बस डिपो खोल दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। माननीय विधायक की ओर से आगार खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) वर्तमान में चूरू में आगार खोलने का कोई औचित्य नहीं है।

अतिवृष्टि से टूटे टोंक जिले के गांवों के तालाबों एवं बांधों की मरम्मत

157. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष जिला टोंक के गांवों के तालाब कहां-कहां के किन-किन तारीखों में अतिवृष्टि के कारण टूट गए हैं? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त तालाबों की मरम्मत का कार्य आज तक भी प्रारम्भ नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त तालाबों एवं बांधों की मरम्मत तुरन्त नहीं की गई तो रबी की फसल की खराबी के साथ साथ पशुधन के लिये पेयजल के साधन भी बिगड़ जायेंगे? यदि हां, तो भविष्य के लिये सरकार के पास क्या योजना है?

उत्तर

(1) टोंक जिले में दिनांक 19-7-81 से 21-7-81 की अतिवृष्टि व बाढ़ से सिंचाई विभाग के 31 तालाब व बांध क्षतिग्रस्त हुए हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

क्षतिग्रस्त तालाबों की तत्कालिक आवश्यक मरम्मत का कार्य हाथ में लिया गया तथा उसके लिये अभी तक बारह लाख रुपये व्यय किया गया। पूर्ण मरम्मत का कार्य आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर किया जा सकेगा।

(3) इसका उत्तर प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में दिया जा चुका है।

टोंक जिले में बाढ़ से टूटे सिंचाई तालाबों की सूची

क्र. संख्या	नाम तहसील	नाम सिंचाई बांध	संख्या
1	2	3	4
1.	निवाई	लुहार बन्ध साऊथ	1
		लुहारा नार्थ	1
		हरभावंता	1
			3
		लुहारा	1
2.	टोंक	हरचन्देड़ा	1
		राखिया	1
		लाम्बा	1
		रूस्तमगंज	1
		बिशनपुरा	1
		सवान्दर	1
		अरनियामाल	1
		बोरखण्डी	1
		सोहेला	1
		पराना	1
		साखना	1
		देवपुरा	1
		विजयपुरा	1
		साखली	1
			15
3.	मालपुरा	बागफनी	1
		विजयसागर	1
		सुलतानसागर	1
		मैद्यसागर डिग्गी	1
		प्रतापसागर डिग्गी	1
			5

1	2	3	4
4.	उनियारा	बनैठा	1
		गोठड़ा बांध	1
		मोहम्मद गंज	1
		विजयगढ़	1
		आगरा बिलासपुर	1
		देवपुरा	1
		बालापुरा	1
		मोहम्मद गढ़	1
			8

सलूम्बर में महाविद्यालय खोलना

158. श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि जिला उदयपुर के आदिवासियों को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिये आदिवासी क्षेत्रों में कोई महाविद्यालय नहीं है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार आदिवासी क्षेत्र सलूम्बर में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उदयपुर नगर में महाविद्यालय उपलब्ध है।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अभिशंसा के अनुसार राज्य में अभी नये राजकीय महाविद्यालय नहीं खोले जा रहे हैं।

प्रत्येक तहसील स्तर पर मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना

159. श्री रेवतराम (डूंगरगढ़): क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सरकार प्रत्येक तहसील स्तर पर मुन्सिफ कोर्ट का न्यायालय खोलकर के गरीब व पिछड़े लोगों को न्याय प्रदान किये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री डूंगरगढ़ तहसील के लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिए रतनगढ़ में लग रहे न्यायालय को श्री डूंगरगढ़ में स्थानान्तररित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

गरीब व पिछड़े लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने का सरकार पूर्ण प्रयत्न कर रही है परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक तहसील स्तर पर मुन्सिफ कोर्ट का न्यायालय खोला जाय। रतनगढ़ से किसी न्यायालय को श्री डूंगरगढ़ स्थानान्तरित करने का माननीय उच्च न्यायालय कोई औचित्य नहीं समझती है जिससे राज्य सरकार सहमत है।

रेलवे स्टेशन बसवा के निकट स्थित बस स्टेण्ड तक निगम की बसें चलाना

160. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण):— क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम-बसवा (जयपुर) नगरपालिका ने रेल्वे स्टेशन के पास करीब 8-10 हजार रुपये व्यय कर मोटर स्टेण्ड के लिये टिन शैड व ग्राउण्ड की व्यवस्था की है ?

(2) क्या यह भी सही है कि आगार प्रबन्धक, राज्य पथ परिवहन निगम, अलवर ने यात्रियों की सुविधार्थ उक्त स्टेण्ड तक बसों के जाने के आदेश प्रदान किये हैं ?

(3) यदि हां, तो फिर उक्त आदेशों की पालना क्यों नहीं की जा रही हैं ? वर्तमान में बसेज ग्राम से 2-3 किलो मीटर दूर क्यों रुकती है ?

(4) क्या सरकार उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर उचित व्यवस्था करने

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक उपरोक्त आदेशों की पालना की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) उक्त बस स्टैण्ड रेल्वे फाटक के पश्चात् स्थित है तथा रेल्वे फाटक अधिकांश समय बन्द रखा जाता है जिस पर चौकीदार की व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से वाहनों को बस स्टैण्ड तक पहुंचने में तथा वहां से वापस मुख्य सड़क तक आने में अनावश्यक विलम्ब होता है। इसके अतिरिक्त यात्रीगण रेल्वे फाटक पार करके पैदल ही मुख्य सड़क पर पर आकर अधिकतर अनाधिकृत निजी वाहनों व ट्रकों में यात्रा करने में अधिक रूचि लेते हैं क्योंकि अनधिकृत निजी वाहनें तथा ट्रक निगम की वाहनों से कम किराया लेते हैं। उक्त बस स्टैण्ड करीब 1½ किलो मीटर दूर हैं।

(4) जी हां, सहायक संभाग प्रबन्धक, अलवर ने सहायक आगार/प्रबन्धक / यातायात निरीक्षक को वहां लगाकर दिनांक 18-9-81 से वाहनों को बस स्टैण्ड तक भिजवाने हेतु पाबन्द कर दिया है साथ ही चालक/परिचालकों को भी कड़े निर्देश दिये गये हैं कि आदेशों की अवहेलना करने पर उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

तहसील फागी के ग्रामों को बाढ़ से बचाने की व्यवस्था

161. श्री राम कुंवार बैरवा (फागी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या तहसील फागी को सिंचाई विभाग ने बाढ़ से बचाने के लिये एक योजना बनाई थी ?

(2) क्या यह सत्य है कि इसमें रियासत के सारे ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के साथ ही साथ ग्राम पंचाला बांध, नया बांध, फागी क्यागा बांध, गोकुलपुरा बांध आदि को भी ठीक करना शामिल था ?

(3) क्या यह भी सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई योजना को स्वीकृति नहीं मिल पाई थी ?

(4) क्या इस वर्ष आई बाढ़ व अति-वृष्टि को देखते हुए उपरोक्त योजना को बाढ़ निवारणार्थ फिर से लागू किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(3) किसी योजना की अनुपस्थिति में स्वीकृति का प्रश्न नहीं उठता है।

(4) विभाग की जानकारी में ऐसी कोई योजना नहीं है। अतः इसको फिर से लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

हरिजन एवं पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को सामाजिक समानता पर लाना

162. श्री राजबहादुर (भरतपुर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा राज्य में हरिजनों एवं समस्त पिछड़ी हुई जातियों को सही

(श्री राज बहादुर)

मायने में और वास्तविक तौर पर सामाजिक समानता दिलाने के लिये क्या कोई विशेष कदम पिछले दो वर्षों में उठाये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या ऐसी वांछनीय और अपेक्षित सामाजिक समानता हरिजन भाइयों को उपलब्ध कराने के लिये कोई योजना अथवा कदम प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

(3) क्या इस संबंध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम रखा गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार की नीति क्या है ?

उत्तर

(1) हरिजन तथा समस्त अनुसूचित जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु राज्य में कम्पोनेन्ट प्लान बनाया गया है एवं अनुसूचित जाति विकास सहकारी विकास निगम की स्थापन्ना की गई हैं। राज्य में नागरिक अधिकार, सुरक्षा अधिनियम की पालना सख्ती से कही जा रही है ।। साथ ही हरिजनों पर अत्याचारों की रोकथाम एवं उनके उपचार हेतु तत्काल कानूनी व आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी की गई है।

(2) उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा एवं भंगी कष्ट मुक्ति हेतु सूखे तहारतों का निर्माण, छात्रावासों की व्यवस्था व अन्य सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रमों द्वारा इनका विकास किया जावेगा ।

(3) जी हां । छठी पंचवर्षीय योजना काल में अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत परिवारों को विभिन्न योजनाओं के द्वारा गरीबी की रेखा से उपर उठाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है । अनुसूचित जाति कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम समय बद्ध कार्यक्रमों द्वारा यह योजना क्रियान्वित की जावेगी ।

तहसील लालसोट के ग्रामों का विद्युतिकरण

163. श्री रामसहाय सोनड़ (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील लालसोट, जिला जयपुर में कुल कितने ग्राम हैं और उनमें से कितने ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका हैं ? शेष ग्रामों के विद्युतिकरण की क्या योजना है और विद्युतिकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील लालसोट के अनेक ग्रामों के किसानों ने विद्युत् कनेक्शन के लिये सिक्योरिटी भी काफी समय पूर्व जमा करादी है परन्तु आज तक उन्हें विद्युत् कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? राज्य सरकार ऐसे किसानों को कब तक कनेक्शन देने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) लालसोट तहसील, जिला जयपुर में कुल 277 ग्राम हैं, जिनमें से 99 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है । शेष 178 ग्रामों में से 10 ग्राम विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत हैं । इन 10 ग्रामों का विद्युतिकरण वित्तीय वर्ष 1982-83 में किया जाना संभावित है। शेष 168 गांव की कोई स्वीकृत योजना न होने के कारण इनके विद्युतिकरण के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां। जिन काश्तकारों ने दिनांक 31-3-81 तक कृषि कनेक्शन हेतु मांग-पत्र की राशि जमा करा दी है, उन्हें आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर चालू वित्तीय वर्ष के अन्दर ही कनेक्शन उपलब्ध कराने के प्रयास किये जावेंगे।

खेतीहर मजदूरों को संगठित करने हेतु प्रशिक्षण

164. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत प्रदेश में खेतीहर मजदूरों को संगठित करने का प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

(2) यदि हां, तो प्रदेश में कुल कितने खेतीहर मजदूर हैं। सरकार इस योजना पर कितनी राशि खर्च करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्ष 1971 की जनगणना आधार पर प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान प्रदेश में 7,49,116 कृषि श्रमिक हैं। इस योजना का खर्चा केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

जिला जालौर में डेयरी विकास कार्यक्रम

165. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर जो कि डी. पी. ए. पी. एवं डी. डी. पी. में मुख्य स्थान रखता है, में राज्य सरकार द्वारा कोई डेयरी विकास कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) जिला जालौर में डेयरी रोड (दुग्ध) मार्गों की स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, जालौर जिले में निजी क्षेत्र में "इन्डियन डेयरी एन्टर प्रिन्योर अग्रिकल्चरल कम्पनी लि." द्वारा डेयरी स्थापित की गई है अतः डी.पी.ए.पी. व डी.डी.पी. के अन्तर्गत कोई डेयरी विकास कार्यक्रम नहीं लिया गया।

(2) इस क्षेत्र को निजि क्षेत्र में मानकर यहां अब तक कार्य नहीं किया गया। अब फेडरेशन के द्वारा डी. पी. ए. पी. एवं डी. डी. पी. में इस क्षेत्र डेयरी रूट्स को पक्की सड़क बनाने के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

जंगली गायों से फसलों की बर्बादी बचाना

166. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सांगानेर के पंचायत विधानी, शिवदासपुरा व अन्य कई गांवों की फसलें हर वर्ष जंगली गायों द्वारा नष्ट कर दी जाती है ?

(2) यदि हां, तो सरकार फसल बचाने हेतु किसानों की मदद किस प्रकार करती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(वन मंत्री)

(2) वन विभाग को बार-बार तकाजे किये गये हैं, किन्तु अभी कोई निर्णय वहां से प्राप्त नहीं हुआ है।

अजमेर नगर को स्थाई रूप से बाढ़ से बचाने की योजना की क्रियान्विति

167. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर-पूर्व): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जुलाई, 1975 एवं जुलाई, 1979 में अजमेर नगर में भयंकर बाढ़ आई थी इन बाढ़ों से सैकड़ों लोग एवं हजारों पशु मारे गये तथा करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई थी ?

(2) 1975 एवं 1979 में आई बाढ़ों में अजमेर नगर के कितने नागरिक बेघरबार हो गये थे ? उनमें से कितनों को वापिस बसा लिया गया है एवं कितनों को बसाना अभी बाकी है ?

(3) क्या यह भी सही है कि बेघरबार हुए लोगों में अनुसूचित जातियों, जन-जातियों एवं समाज के कमजोर तबकों के लोगों की संख्या ही अधिक थी ?

(4) क्या यह सही है कि 1979 की बाढ़ के बाद तत्कालीन सरकार ने अजमेर नगर को स्थायी रूप से बाढ़ से बचने हेतु तकनीकी विशेषज्ञों एवं जन-प्रतिनिधियों की राय से 8 करोड़ 70 लाख रुपयों की एक विशद् योजना बना उसकी क्रियान्विति हेतु सिंचाई विभाग का एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया था ?

(5) क्या वर्तमान सरकार अजमेर नगर को स्थायी रूप से बाढ़ से बचाने हेतु उस योजना को पूरी तरह क्रियान्वित करेगी ? अब तक बाढ़ बचाव हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं और उन पर कितना खर्चा हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जुलाई, 1975 एवं जुलाई, 1979 में अजमेर में बाढ़ आयी थी। सन् 1975 की बाढ़ में 14 व्यक्ति एवं 4675 मुर्गे/मुर्गी एवं पशु मारे गये एवं 70.35 लाख रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई। सन् 1979 की बाढ़ में 8 व्यक्ति 6044 मुर्गे/मुर्गियां एवं पशु मारे गये एवं 87.95 लाख रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई।

(2) वर्ष 1975 की बाढ़ से 2,637 परिवार प्रभावित हुए। इन प्रभावित परिवारों को पुर्नवास व्यवस्था हेतु नगर सुधार न्यास द्वारा व अब तक 1,108 परिवारों को भू-खण्ड आवंटित किये जा चुके हैं। राज्य सरकार सहायता विभाग द्वारा इस कार्य हेतु 8,89,500/- रु. की राशि जिलाधीश, अजमेर को 27-3-76 को स्वीकृत की गई। जुलाई, 1979 की बाढ़ से 2,650 परिवार प्रभावित हुये। 1979 में अधिकतर उन्हीं वार्डों में बाढ़ आई थी जिन में वर्ष 1975 में बाढ़ आई थी। अतः उन्हीं मकान मालिकों को पुनः प्लाट देने की कोई योजना नहीं बनाई गई। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1979 में उन क्षतिग्रस्त मकानों को जो पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हुए 300/- रु. प्रति परिवार तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त परिवारों को 100/- रु. प्रति परिवार की दर से निःशुल्क सहायता के रूप में 3.28 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

(3) जी, हां। यह सही है कि जिन

(सहायता मंत्री)

वार्डों में बाढ़ आई थी उनमें कुल मिलाकर अनुसूचित जाति व समाज के कमजोर तबके की संख्या अधिक थी। जिन 1,108 परिवारों को भू-खण्ड आवंटित किये गये थे वे सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं निम्न आय वर्ग के लोग हैं इनमें 20 हरिजन भी सम्मिलित हैं।

(4) वर्ष 1979 की बाढ़ के पश्चात् विभिन्न विभागों द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार एक पूर्ण बाढ़ बचाव योजना तैयार की गई। जिसकी अनुमानित लागत 8.70 करोड़ है।

(5) वर्तमान सरकार ने 8.70 करोड़ रु. की योजना की क्रियान्विति करने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य जिनकी लागत 306.65 लाख है की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी हैं। अब तक बाढ़ बचाव कार्यों पर 20.70 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। बाढ़ बचाव हेतु इस वर्ष 19.98 लाख रु. का प्रावधान हैं।

इन्डस बेसिन की विद्युत् योजनाओं में राजस्थान की भागीदारी

168. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार इन्डस बेसिन में कुछ बिजली योजनायें शुरू कर रही हैं?

(2) क्या यह सही है कि इन्डस बेसिन की नदियों के पानी के विभिन्न उपयोगों के लिये सम्बन्धित राज्यों में समझौते के बिना कोई योजना शुरू नहीं की जा सकती?

(3) क्या उक्त योजनाओं के लिये सरकार ने अपनी सहमति प्रकट कर दी है? क्या हिमाचल प्रदेश ने उक्त योजनाओं में राजस्थान को भागीदार बनाना स्वीकार कर लिया है?

(4) यदि हां, तो राजस्थान को उक्त योजनाओं से उत्पन्न बिजली का कितना प्रतिशत मिलेगा? राजस्थान को उक्त योजनाओं पर किये जाने वाले व्यय का कितना प्रतिशत अदा करना होगा?

(5) यदि नहीं, तो राजस्थान राज्य अपने हितों की रक्षा के लिये क्या प्रयत्न कर रहा है?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के अनुसार इन्डस-बेसिन में हिमाचल सरकार के विचाराधीन पन विद्युत् योजनाओं की सूची संलग्न है।

(2) राजस्थान की मान्यता है कि इन्डस बेसिन (रावी, व्यास, सतलज) नदियों के पानी का उपयोग राजस्थान के साथ हुये विभिन्न अनुबन्धों के अनुरूप होना चाहिये।

(3) हिमाचल प्रदेश ने उक्त योजनाओं को क्रियान्वित करने के इरादे से राजस्थान को सूचित किया है। कोल व पार्वती के बारे में एवं संजय (भामा) विद्युत् परियोजन के बारे में एक सहमति दिनांक 13-9-81 को हो गयी है जिसके अनुसार हिमाचल ने राजस्थान को कोल व पार्वती परियोजनाओं में भागीदार बनाना स्वीकार कर लिया है तथा संजय (भामा) विद्युत् परियोजना से सतलज विद्युत राजस्थान को बेचना भी स्वीकार किया है।

(134)

(ऊर्जा मंत्री)

(4) राजस्थान को कोल में कम से कम 50 प्रतिशत बिजली मिलेगी। पार्वती के लिये शर्तें भारत सरकार से योजना की तकनिकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् तय की जावेगी। हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्माणाधीन मामा योजना से बिजली कीमत पर राजस्थान को दी जायेगी। कोल एवं पार्वती योजनाओं की लागत में राजस्थान द्वारा देय प्रतिशत अभी तक अनिर्णित है।

(5) हिमाचल प्रदेश से उपरोक्त योजनाओं में सहमति राज्य के हित में की है।

हिमाचल प्रदेश के विचाराधीन पन विद्युत् परियोजना का विवरण

क्र. सं.	श्रेणी	वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित प्रतिष्ठापित क्षमता (मे.ग.)	अनुमानत विद्युत् उत्पादित प्रति वर्ष (दस लाख यूनिट)
1	2	3	4	5
अ.	सतलज संचित क्षेत्र :-			
1.	नाथपा झाखड़ी पन विद्युत् परियोजना	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना।	1020	5000
2	कोल पन विद्युत् परियोजना	प्रतिवेदन भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। दुबारा से कुछ सर्वेक्षण कार्य करने की सलाह दी गई, जो किया जा रहा है।	600	2600
3.	बासपा पन विद्युत् परियोजना	सर्वेक्षण कार्य चालू	400	2420
ब.	ब्यास संचित क्षेत्र :-			
1.	पार्वती पन विद्युत् परियोजना।	सर्वेक्षण कार्य चालू	1900	7057
2.	मालना पन विद्युत् परियोजना।	परियोजना प्रतिवेदन विचाराधीन	50	259
3.	लारजी पन विद्युत् परियोजना।	,, ,,	140	711

1	2	3	4	5
4.	ऐलियन पन विद्युत् परियोजना।	सर्वेक्षण कार्य चालू	25	150
5.	बेनर पन विद्युत् परियोजना।	भारत सरकार के सम्मुख परियोजना प्रतिवेदन	6	30
6.	हौगल पन विद्युत् परियोजना।	,, ,,	6	32.2
7.	बस्सी स्टेज ।।।	सर्वेक्षण कार्य चालू	60	326
	रावी सिंचित क्षेत्र :–			
1.	चमेरा	,, ,,	640	2610
	इसके अलावा निम्न परियोजना पर निर्माण कार्य चल रहा है।			
	सतलज सिंचित क्षेत्र :–			
1.	संजय (भाभा) पन विद्युत् परियोजना।	निर्माण कार्य चालू	120	435.23
2.	रोंग टोंग पन विद्युत् परियोजना।	,, ,,	2	7.63
	ब्यास सिंचित क्षेत्र :–			
1.	बिनावा	,, ,,	6	29.2
2.	बस्सी परियोजना	,, ,,	15	132

जयपुर शहर की वृक्षारोपण योजना

169. श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) :–क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर शहर में बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न दूषित वातावरण को शुद्ध करने की दृष्टि से नगर व नगर की चारों ओर 25 किलो मीटर की परिधि में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो कृपया, उसका विवरण सदन के पटल पर रखें। यदि नहीं तो इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया ? अब कब तक इस तरह की योजना बनाकर सरकार क्रियान्वित करेगी ?

(2) क्या जयपुर शहर में जलाई जाने वाली गीली लकड़ी को गाड़ियों में भरकर

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

लाने वाले किसानों से रोड नाकों पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित और गैर कानूनी रूप से रुपये वसूल किय जाते हैं? यदि हां, तो, ऐसा क्यों हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्या वन विभाग ने इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की है ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर एवं नगर की चारों ओर 25 कि. मी. की परिधि में संघन कार्यक्रम जैसी कोई योजना विभाग द्वारा नहीं बनाई गई है तथापि अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जयपुर नगर के आस-पास वृक्षारोपण कार्य कराया गया है। कार्य की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। जब इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इस पर नियमानुसार जांच की जाकर कार्यवाही की जाती है।

जयपुर नगर के एवं नगर के चारों ओर 25 कि. मी. की परिधि में वर्ष 1977-78 से 1981-82 के दौरान कराये गये वृक्षारोपण कार्यों की सूची:—

क. सं.	नाम विकास कार्य	वर्ष	क्षेत्रफल	
1.	घाट झालाना-II	77-78	50 है.	
2.	बिचून	78-79	100 है.	
3.	कुण्डा	78-79	70 है.	
4.	आमेर घाटी सौन्दर्यकरण योजना	78-79	2.6कि. (मी. 30चौड़ाई में)	
5.	गलता घाटी	78-79	2.3 कि.मी. (30 मी. चौड़ाई में)	
6.	मुहाना	78-79	150 है.	
7.	झराना	78-79	80 है.	
8.	गोनेर	78-79	40 है.	
9.	झालाना	78-79	30 है.	
10.	झालाना	79-80	55 है.	
11.	कुण्डा-II	79-80	63 है.	
12.	कुण्डा-I	79-80	52 है.	
13.	मुराडा	79-80	60 है.	
14.	गलता	79-80	100 है.	
15.	लक्ष्मण डूंगरी	80-81	50 है.	
16.	अशोक पार्क	80-81	3.23 है.	
17.	झालाना पार्क	80-81	6 है.	
18.	हरवर	81-82	70 है.	अग्रिम कार्य
19.	पहाड़िया क्लोजर	81-82	155 है.	अग्रिम कार्य
20.	नई का नाथ	81-82	45 है.	

सड़कों के किनारे जयपुर शहर के 25 कि. मी. परिधि में जो वृक्षारोपण किए गए हैं उनकी सूची निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	नाम सड़क	स्थल	वर्ष	रो. कि. मी.
1.	जयपुर-रामगढ़ (जिला उच्च मार्ग सं. 4)	14 किमी से 16 कि.मी.	1980	23 रो. कि. मी.
2.	जयपुर-रामगढ़ (जिला उच्च मार्ग सं. 4)	9 कि.मी. से 14 कि.मी.	1980	26 रो. कि. मी.
3.	जयपुर-अजमेर (रा. उच्च. मार्ग 8)	279 कि मी. से 281 कि. मी. (भांखरोटा)	1980	24 रो. कि. मी.
4.	जयपुर-दिल्ली एन.एच. 8	248 कि.मी. 249 (कण्डा)	1978	16 रो. कि. मी.
5.	"	250-25 कि. मी. आमेर, बाई पास।	1980	50 रो. कि. मी.
6.	"	253-254 कि.मी. आमेर, बाई पास।	1980	1.0 रो. कि. मी.
7.	"	261-261.5 कि. मी. ट्रांसपोर्टनगर।	1979	1.0 रो. कि. मी.
8.	जयपुर-चौमू एन. एच. 11	242–246 कि. मी. (विश्वकर्मा क्षेत्र)	1979	32 रो. कि. मी.
9.	जयपुर-दौसा एन. एच. 11	223-228 कि.मी. घाटी से नीचे।	1978	26 रो. कि. मी.
10.	जयपुर-चाकसू एन. एच. 12	15-32 कि. मी.	1981	46 रो. कि. मी.
11.	जयपुर बाई पास	ब्लाक आमेर	1981	24 रो. कि. मी.

सड़कों के किनारे के पास वृक्षारोपण के अलावा जयपुर शहर से 25 कि. मी. की परिधि में निम्नांकित मिश्रित वृक्षारोपण कराये हैं:—

1.	गोनेर	1981	25 हैक्टर क्षेत्र में।
2.	डी. टी. एस.	1981	15 हैक्टर क्षेत्र में।

भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों का निलम्बन

170. श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1977 से 81 तक भरतपुर जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक के कितने अधिकारी तथा कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है ?

(2) क्या सभी को चार्जशीट दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्या बिना चार्जशीट दिए निलम्बित किया जाना उचित है ?

(3) न्यायालय से निर्णय होने के बावजूद भी बहुत से कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया है तथा बहुतों को बहाल कर बाद में बिना किसी चार्जशीट के निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस को और क्यों ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1977 से 1981 तक भरतपुर जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक के 24 अधिकारियों, 6 क्लर्कों एवं 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को निलम्बित किया गया है।

(2) जी नहीं। पांच कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी को चार्जशीट दे दी गई है। निलम्बन के लिये जरूरी नहीं कि निलम्बन से पहले आरोप-पत्र दिया जावे।

(3) ऐसा कोई निलम्बित कर्मचारी नहीं जिसे न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी बहाल नहीं किया गया हो। निलम्बित अधिकारियों में सर्वश्री रामेश्वरसिंह, विपणन अधिकारी, छतरसिंह, शाखा व्यवस्थापक, वीरेन्द्रसिंह और वृषभान सिंह अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी और भगवानसिंह, सहायक अधिशाषी अधिकारी का तत्कालीन प्रशासक ने बहाल करने का निर्णय ले लिया था परन्तु इस निर्णय में सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी इसलिये संयुक्त रजिस्ट्रार, भरतपुर ने प्रशासक के इस निर्णय को अपखण्डित कर दिया जिससे बहाली का प्रस्ताव प्रभावहीन हो गया।

हनुमानगढ़ राजकीय कृषि फार्म में गबन

171. श्री महेन्द्रसिंह (सांगरिया) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या हनुमानगढ़ राजकीय कृषि फार्म पर वर्ष 1970-71 में कोई गबन हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सत्य है कि जो सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी गबन में लिप्त थे, उनमें से किसी कर्मचारी को फुसलाकर नौकरी से निकाल दिया गया है और संबंधित अधिकारी ने मामला रफा-दफा करने के लिए फाइल को मिसप्लेस करवा दिया है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि निदेशक, कृषि विभाग के पत्र संख्या/डी/एजी।एनरोलमेन्ट।17348, दिनांक 31-3-1981 द्वारा राज्य सरकार को सम्बंधित अधिकारी के विरुद्ध आरोप-पत्र तैयार करके भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी हां। दोषी कर्मचारी के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील नियम, 1958 के प्रावधाना-

(कृषि मंत्री)

न्तर्गत तत्कालीन विभागाधिकारियों ने जांच सम्पन्न करवा कर उनकी सिर्फ दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गई उनके द्वारा गबन की गई सम्पूर्ण राशि दण्डनीय ब्याज सहित वसूल कर जमा करली गई। प्रश्न के संदर्भ में समस्त पत्रावली को देखने से यह जाहिर होता है कि श्री लक्ष्मीनारायण के खिलाफ गबन का जितना गम्भीर आरोप साबित हुआ था उसके मुकाबले सजा नहीं दी गई और मामले को दबाये जाने की स्थिति बनी है। किन्तु आज सात वर्ष बाद जब वह एक निर्णय के अनुसार कोई सजा पा चुका है तो उसे दुबारा विचार कर और गम्भीर सजा दी जा सकती है या नहीं, इसके लिए विधि विभाग से राय मांगी गई है। राय प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(2) राजकीय कृषि फार्म, हनुमानगढ़ के केवल एक कर्मचारी श्री लक्ष्मीनारायण, कनिष्ट लिपिक इस गबन में लिप्त पाये गये थे। किसी अन्य कर्मचारी को फुसलाकर नौकरी से निकाले जाने का कोई रेकार्ड नहीं है। पत्रावली विभाग में उपलब्ध है।

(3) निदेशक, कृषि विभाग का पत्र दिनांक 31-3-81 न होकर दिनांक 31-1-81 का है। तत्कालीन जांच अधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी, हनुमानगढ़ को उक्त गबन के मामले में दोषी नहीं बताया और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, तत्कालीन जांच सही प्रतीत नहीं होती और तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, हनुमानगढ़ की नियन्त्रण सम्बन्धी लापरवाही अवश्य बनती है। अतः उनके मामले पर पुनः विचार (रिव्यू) किया जा रहा है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय भोजपुर में विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकायें गुम होना

172. श्री जोतमल जैन (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भोजपुर (अलवर) की सातवी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों की अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिकायें गुम हो गयी थीं ?

(2) यदि हां, तो किन-किन छात्रों की ? कृपया, सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) उत्तर पुस्तिकाओं के गुम होने की सूचना शिक्षा अधिकारी, जिला अलवर को किस तिथि को दी गयी ?

(4) क्या उक्त छात्रों की पुनः परीक्षा ली गयी ?

(5) यदि हां, तो दूसरे प्रश्न पत्र की प्रतिलिपि एवं जिला शिक्षा अधिकारी के उस आदेश की प्रतिलिपि, जिसके तहत पुनः परीक्षा ली गई, कृपया, सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, सातवीं के कुछ विद्यार्थियों की सत्र 1979-80 की वार्षिक परीक्षा की अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिकायें गुम हो गईं थीं।

(2) विद्यार्थियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) उत्तर पुस्तिकाओं के गुम होने की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को नहीं दी गई।

(4) जी हां।

(शिक्षा मंत्री)

(5) पहले वाले प्रश्न पत्र से ही परीक्षा ली गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी से कोई आदेश नहीं लिया गया।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मोजपुर (जिला अलवर) के सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों की सूची जिनकी अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिकायें गुम हो गई।

क्रमांक 1	कक्षा 7 के विद्यार्थियों के नाम 2
1.	अशोक कुमार
2.	देशराज
3.	हरवीर सैनी
4.	इन्दर मल सैनी
5.	कैलाश चन्द गोयल
6.	लक्ष्मी नारायण वर्मा
7.	मन्नू लाल सैनी
8.	मोहन लाल वर्मा
9.	मुहम्मदीन खां
10.	रघुवर दयाल सैनी.
11.	रोहिताश सैनी
12.	शेर सिंह ग्रोड
13.	श्री चन्द वर्मा
14.	सुभाष चन्द्र शर्मा
15.	ताराचन्द शर्मा
16.	विजय कुमार गुप्ता
17.	योगेश चन्द्र शर्मा
18.	बलजीत खां.
19.	इलायाय खां
20.	महेश चन्द गोयल
21.	मुल्क राज
22.	राजेन्द्र सिंह
23.	राजेश कुमार
24.	रतन लाल वर्मा
25.	सतीश चन्द्र वर्मा
26.	सुभाष खां
27.	सुरजीत खां
28.	सुशील कुमार

कृषि हेतु बिजली के कनेक्शन्स देना

173. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में इस वर्ष 1981-82 में कितने कृषकों को कृषि हेतु बिजली के कनेक्शन्स दिये जाने का लक्ष्य है ?

(2) इस समय राज्य विद्युत मण्डल के कार्यालयों में कितने प्रार्थना-पत्र कृषकों के बिजली के कनेक्शन लेने हेतु विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने वर्ष 1981-82 में 25,000 कृषकों को कृषि हेतु बिजली के कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य रखा है।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के कार्यालयों में कृषि हेतु विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या दिनांक 31-3-1981 को 55,109 थी।

सिंचाई विभाग, बांसवाड़ा में सीमेन्ट की चोरी

174. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक

(श्री बहादुर सिंह)

14-7-1981 को अधिशाषी अभियंता सिंचाई विभाग, बांसवाड़ा द्वारा चोरी से भेजी गई, एक ट्रक सीमेंट पकड़ी गई थी ?

(2) यदि हां, तो सीमेंट किसकी थी व कहां से ले जाई जा रही थी ?

(3) राज्य सरकार ने अभी तक उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा सिंचाई खण्ड की सीमेन्ट निम्बाहेड़ा फैक्ट्री से बांसवाड़ा दिनांक 23-6-81 एवं 27-6-81 को भेजी गई थी। दो ट्रक सीमेंट पाली पुलिस द्वारा पकड़ी गई है। यह कार्य मैसर्स अग्रवाल ट्रान्सपोर्ट कम्पनी द्वारा कराया जा रहा था।

(2) यह सीमेंट बांसवाड़ा सिंचाई खण्ड की थी तथा निम्बाहेड़ा से बांसवाड़ा ले जाई जानी थी।

(3) यह सीमेंट ट्रान्सपोर्ट ठेकेदार द्वारा बांसवाड़ा पहुंचानी थी जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार थे। इस मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की व्यवस्था

175. श्री हीरालाल आर्य (सीपल्दा), श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) व श्री दाऊदयाल जोशी (डीगोद) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों में नहाने तथा कपड़ा धोने के साबुन, पुस्तकें एवं स्टेशनरी तथा विशेष भोजन दिये जाने की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या उक्त सुविधाएँ पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो सरकार इन सुविधाओं को अधिक बढ़ाने हेतु क्या निर्णय ले रही है ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों में नहाने तथा कपड़ा धोने का साबुन, पुस्तकें एवं स्टेशनरी तथा विशेष भोजन दिये जाने की व्यवस्था की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट 'अ'।

(2) जी, नहीं, बढ़े हुए भावों के परिपेक्ष्य में इन सुविधाओं के पुनः निर्धारण पर विचार किया जा रहा है।

परिशिष्ट "अ"

राजकीय छात्रावासों में नहाने तथा कपड़े धोने के साबुन, पुस्तकें एवं स्टेशनरी तथा विशेष भोजन संबंधी व्यवस्था का विवरण :—

1.	नहाने का साबुन	रू. 1.10 पैसे प्रति माह प्रति छात्र का जनता साबुन
2.	कपड़े धोने का साबुन	2.50 का 500 ग्राम कपड़े धोने का साबुन प्रति माह प्रति छात्र

(समाज कल्याण मंत्री)	
3. पुस्तकें एव स्टेशनरी	इस हेतु प्रति छात्र एक सत्र के लिये 55 रु. एक मुश्त दिये जाते हैं।
4. विशेष भोजन	इसके लिये माह में एक बार दोनों वक्त के भोजन के अलावा एक रुपये का विशेष खाद्य पदार्थ दिया जाता है।

बाड़मेर जिले के गांवों के विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था

176. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर में कुल कितने सैकण्डरी स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें कृषि विषय है? क्या यह सही है कि राजकीय सैकण्डरी स्कूल, आसोतरा में साल भर से कृषि विषय पढ़ाने वाला कोई अध्यापक नहीं है?

(2) इस जिले में प्रौढ़ शिक्षा योजना के अनुसार कुल कितने केन्द्र चल रहे हैं और इन केन्द्रों पर कितने लोग पढ़ रहे हैं?

(3) पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने राजस्व ग्राम हैं जहां पर विद्यालय नहीं है? जिन राजस्व ग्रामों में विद्यालय नहीं है, क्या सरकार वहां इस वर्ष प्राथमिक विद्यालय खोलने को प्राथमिकता देगी?

उत्तर

(1) इस जिले में केवल सैकण्डरी स्कूल, आसोतरा में कृषि विषय है। यहां कृषि विषय पढ़ाने हेतु कृषि विज्ञान का अध्यापक उपलब्ध न होने से फिलहाल जीव विज्ञान का अध्यापक कृषि विषय पढ़ा रहा है।

(2) इस जिले में 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे है। इन केन्द्रों में लगभग 8500 प्रौढ पढ़ रहे है।

(3) पचपदरा विधान सभा क्षेत्र के 73 रेवेन्यू गावों में स्कूले नहीं हैं। इन गांवों में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के बारे में राज्य सरकार द्वारा गुण व अवगुण के आधार पर विचार किया जावेगा।

जोधपुर डिवीजन में फोरेस्ट गार्ड

177. श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर डिविजन में जिलेवार कितने फोरेस्ट गार्ड्स हैं?

(2) जिला जैसलमेर में अनुसूचित जाति के कितने फोरेस्ट गार्ड्स हैं?

(3) क्या यह सही है कि इस वर्ष फोरेस्ट गार्ड्स को जैसलमेर मण्डल वन अधिकारी द्वारा पदोन्नति दी गई है? यदि हां, तो कितनों को?

(4) क्या यह सही है कि जिनको पदोन्नत किया गया उनसे योग्य अनुसूचित जाति के फोरेस्ट गार्ड्स पदोन्नति से वंचित रह गये? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची सलंग्न है।

(2) जिला जैसलमेर में अनुसूचित जाति के 12 वन रक्षक है।

(वन मंत्री)

(3) जी हां, वर्ष 1981-82 में मण्डल वन अधिकारी, जैसलमेर द्वारा एक वन रक्षक को सहायक वनपाल पद पर पदोन्नति दी गई है।

(4) जी नहीं, पदोन्नति वरिष्ठता तथा आरक्षण के लिए लागू 40 बिन्दु रोस्टर प्रणाली के नियमान्तर्गत की गई है।

वन वृत, जोधपुर में जिलेवार वन रक्षकों के पदों की सूची:—

क्र. सं.	नाम जिला	नाम वन मण्डल	वन रक्षकों के कुल स्वीकृत पद
1.	जोधपुर	जोधपुर	40
2.	पाली	पाली	67
3.	जालौर	जालौर	35
4.	जैसलमेर	जैसलमेर	9
		राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसलमेर	28
5.	बाड़मेर		55
			234

जिला बून्दी की पंचायत समितियों में पशुधन सहायक के पदों का सृजन

178. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पशुधन सहायक के क्या कर्त्तव्य हैं ? क्या सरकार इनकी उपयोगिता महसूस करती है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला बून्दी की चारों पंचायत समितियों में भी पशुधन सहायक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जिला बून्दी की पंचायत समिति, केशवराय पाटन में सिंचित क्षेत्र होने से पशुधन अधिक है ? यदि हां, तो इनके उपचार एवं रोगों की रोकथाम के लिये सरकार क्या इरादा रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि जिला बून्दी की पंचायत समितियों द्वारा वहां पर पशुधन सहायक का पद सृजित करने हेतु सरकार को लिखा गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पशु धन सहायकों को अपने पद

(पशुपालन मंत्री)
स्थानन क्षेत्र में पशु चिकित्सा, पशुओं का टीकाकरण, बंधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान आदि कर्त्तव्य निभाने होते हैं।

(2) जी नहीं। आर्थिक कटौती में ये पद 79 में समाप्त कर दिये गये थे।

(3) पशुओं की चिकित्सा करने तथा उनमें फैलने वाले रोगों की रोकथाम एवं उपचार के लिये पशु चिकित्सालय केशोरायपाटन में सभी सुविधायें वर्तमान में उपलब्ध हैं।

(4) धनाभाव के कारण अभी संभव नहीं है।

सिकराय तहसील हैडक्वार्टर पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना

179. श्री राम किशोर मीणा (सिकराय):-क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार की प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफ न्यायालय खोलने की योजना है? यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति देकर, लागू कर दिया जावेगा?

(2) क्या सिकराय तहसील मुख्यालय पर विभाग द्वारा मुन्सिफ कोर्ट खोलने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया था? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में वांदीकुई मुंसिफ कोर्ट में सिकराय तहसील के मामलों का प्रतिशत इतना है कि सिकराय में अलग से मुंसिफ कोर्ट खोला जा सकता है? यदि हां, तो वर्तमान में कुल कितने मामले सिकराय तहसील के हैं तथा उनका प्रतिशत क्या है?

उत्तर

(1) ऐसी कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) सिकराय तहसील में मुंसिफ न्यायालय खोलने बावत जांच की गई थी, किन्तु न्यायालय भवन, पीठासीन अधिकारी हेतु आवासीय व्यवस्था तथा संचार व्यवस्था के अभाव में वर्तमान में वहां पर न्यायालय स्थापित करना संभव नहीं है।

(3) वर्तमान में सिकराय तहसील के लम्बित मुकदमात की स्थिति निम्न प्रकार है:—

(1) दीवानी वाद	189
(2) कृषि ऋण मुक्ति अधिनियम वाद	85
(3) मुतफर्रीक दीवानी	89
(4) फौजदारी मुकदमात	653
योग ..	1016

न्यायालय, मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वांदीकुई तथा अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वांदीकुई में लम्बित मुकदमात में चालीस प्रतिशत सिकराय तहसील के हैं।

अलवर-बहरोड़ मार्ग पर चलने वाली बसों की अव्यवस्था

180. श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़):-क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर से बहरोड़ के लिये आने व जाने वाली राज्य

(श्री सुमति सिंह)
पथ परिवहन निगम की बसेज समय पर नहीं चलती हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही इन बस सेवाओं में जनता की सुविधार्थ अपेक्षित सुधार करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं । अधिकतर बसें समय पर चलती हैं ।

(2) जी हां ।

अनसूचित जन-जातियों की संख्या

181. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): क्या जनजाति विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अनुसूचित जन-जातियों की कुल संख्या कितनी हैं ?

(2) उन अनुसूचित जन-जातियों के नाम, जिलेवार तथा जातिवार संख्या क्या है ?

(3) किस जिले में कौनसी जनजाति के लोग बसते हैं ? उनकी संख्या के साथ यह भी बतायें कि क्या उन्हें सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व मिला है ?

उत्तर

(1) राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1971 की जन गणनी के अनुसार 31,25,506 है ।

(2) अनुसूचित जनजातियों के नाम:—

1. भील, भील गरासिया, धोली भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, टांसनी भील, भागलीया, भीलाला पवार, बालवा, बालेव ।

2. भील मीणा ।

3. डामोर, डामोरिया ।

4. धानका, टाडबी, तेतरिया, बालवी ।

5. गराडिया (राजपूत गराडिया के अतिरिक्त) ।

6. कथोडिया, कातघारी, ढोर काथीडी, ढोर कोटकारी, बोन कायोडी ।

7. कोकना, कुकनी, कूकनी ।

8. कोलीधोर, ढोकरकेसी, कोलिचा, केसछा, ।

9. मीणा ।

10. नायकडा, नायक, ठेलीवाला नायका, कापड़िया नायक, मोटा नायका, नाना नायका

11. पटेलिया

12. सहरिया साहरिया

(3) जिलेवार तथा जातिवार संख्या की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

नौकरी का आधार जिले की जनसंख्या न होकर आरक्षण के नियम हैं ।

राज्य में अनुसूचित जन जाति की जिले वार एवं

क्र.सं.	जिला	भील,	भील-मीणा,	गरासिया (राजपूत गरासिया के अति.)	मीणा,	भील जिसमें भील गरा-सिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील रावल भील, टांडनी भील, भार्गलिया, भीलला पंवार गासवा, वासेव	धानका जिसमें टाडवी, तेतरिया एवं वालवी सम्मिलित है
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गंगानगर	35	654	1	348	..	..
2.	बीकानेर	67	..	..	158	..	..
3.	चूरू	23	..	..	3195	..	..
4.	झुंझुंनू	19	..	..	15630	..	..
5.	अलवर	181	..	10	109682	..	..
6.	भरतपुर	23	..	12	43153	..	..
7.	स. माधोपुर	1425	..	..	262097	..	..
8.	जयपुर	836	..	..	271111	..	..
9.	सीकर	1	..	7	25384	..	..
10.	अजमेर	13736	1358	..	..	..	..
11.	टोंक	9569	..	..	61512	..	..
12.	जैसलमेर	6576	..	..	16	..	..
13.	जोधपुर	23480	..	..	248	..	..
14.	नागौर	138	..	..	1632	..	..
15.	पाली	9463	..	10511	25365	..	..
16.	बाड़मेर	42160	..	..	236	..	..
17.	जालोर	40900	10577	4	551	..	..
18.	सिरोही	29045	..	10316	16307	34994	157
19.	भीलवाड़ा	59355	..	1	38735	..	..
20.	उदयपुर	315911	311	29601	251373	..	..
21.	चित्तौड़गढ़	68176	..	83	115990	..	..
22.	डूंगरपुर	242917	1090	38	67943	..	..
23.	बांसवाड़ा	437261	3086	1039	35194	..	..
24.	बूंदी	22991	..	8	63391	..	..
25.	कोटा	39088	..	635	98838	..	..
26.	झालावाड़	39567	..	2	24242	..	..
	कुल योग ..	1402943	17076	52268	1532331	34994	157

जाति वार सूचना (1971 के सेन्सस के अनुसार)

कथोडिया, काथकोरी, धोरकाथोड़ी, धोरकाठ-कड़ी, सोन काथोड़ी व सोन कासोरी	कोकना, कोकनी, कूकना	कोलीधोर टोकरेगोली कोलचा कोलछा	नायकडा नायका, धोलीवाला नायका, कापडोया नायका, मोटानायका व नाना नायका	पटेलिया	डामोर व डामोरिया	सहरिया व सहारिया	अवर्गीकृत	योग
9	10	11	12	13	14	15	16	17
..	..	..	..	..	..	..	76	1114
..	..	..	..	..	..	..	192	417
..	..	..	..	..	..	..	195	3413
..	..	..	..	..	..	..	805	16454
..	..	..	..	..	..	..	1231	111104
..	..	..	..	..	..	..	849	44037
..	..	..	..	..	..	..	7172	270694
..	..	..	..	..	..	..	4630	276577
..	..	..	..	..	..	..	717	26109
..	..	..	..	..	..	..	232	15326
..	..	..	..	..	..	..	100	71181
..	..	..	..	..	..	..	290	6882
..	..	..	..	..	..	..	594	24322
..	..	..	..	..	..	..	257	2027
..	..	..	..	..	..	..	207	45546
..	..	..	..	..	..	..	2112	44508
..	..	..	..	..	..	..	156	52188
1	2	166	32	1	..	..	23	91044
..	..	..	..	..	..	..	603	98784
..	..	..	..	..	168	..	9743	607107
..	..	..	..	..	67	..	633	184949
..	..	..	..	..	14324	1	11167	337480
..	..	..	..	..	229	..	560	477369
..	..	..	..	..	7	5	135	86537
..	..	..	..	..	..	26796	944	166301
..	..	..	..	..	..	137	88	64036
1	2	166	32	1	14795	26939	43801	3125506

(148)

जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में बाढ़ राहत कार्य

183. श्री छीतरलाल आर्य (प्रटरू), श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) व श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर, टोंक तथा सवाई माधोपुर जिलों में इस वर्ष भारी वर्षा से तबाही किन तारीखों को हुई तथा सरकार द्वारा राहत किस दिन से पहुंचाई गई ?

(2) क्या राज्य सरकार को इस भारी वर्षा की पूर्व सूचना थी ? यदि हां, तो इससे बचने के लिये क्या पूर्व तैयारियां की गई थीं ?

(3) राहत देर से पहुंचाने के लिये कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) टोंक जिले में दिनांक 19-7-81 से 22-7-81 तक, जयपुर जिले में दिनांक 17-7-81 से 20-7-81 तक एवं सवाई माधोपुर जिले में 19 से 20 जुलाई, 81 (सबसे ज्यादा 19-7-81 को) तक भारी वर्षा से भयंकर तबाही हुई हैं। इन सभी जिलों में राहत कार्य दिनांक 20-7-81 से शुरु कर दिये गये थे।

(2) जी, नहीं; उक्त भारी वर्षा असम्भावित थी।

(3) सभी तीनों जिलों में समय पर राहत पहुंचाई गई है। इसलिये किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला कोटा में गायों का निष्क्रमण

184. श्री हरीश शर्मा (रामगंज-मण्डी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला कोटा में अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा 4 व्यक्तियों को 24,000 गायों को राजस्थान से बाहर ले जाने की स्वीकृति दी गयी थी ? क्या यह स्वीकृति फरवरी-मार्च, 1981 में दी गयी थी ? यदि हां, तो किस कानून के अन्तर्गत ?

(2) क्या यह स्वीकृति नियम विरुद्ध नहीं दी गयी थी ? सरकार इस नियम विरुद्ध अनुमति प्रदान करने पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) फरवरी-मार्च, 1981 में व्यक्तियों को राज्य के बाहर बिलासपुर, मध्य प्रदेश में कृषि कार्य हेतु 11,580 बछड़े ले जाने की स्वीकृति दी गयी थी।

(2) जी नहीं। स्वीकृति नियमानुसार दी गई थी।

परिशिष्ट 4

प्रपत्र "घ"

अतारांकित प्रश्न संख्या 107 की सूची

जिला भरतपुर में 1-4-80 से 31-7-81 तक की अवधि में लगाये गये हैण्ड पम्पों की सूची

क्र. संख्या	तहसील	कोड नं.	गांवों का नाम	लगाये गये हैण्ड पम्प
1	2	3	4	5
1.	रूपवास	72	रासलपुर	3
2.	,,	105	डोहाइदा	1
3.	,,	81	साजोली	4
4.	,,	57	खाजोरी	2
5.	,,	116	नया गांवन	1
6.	,,	148	रासरी	2
7.	,,	36	सेलमपुर	2
8.	नदबई	113	गोवरा	1
9.	,,	114	हान्ता	1
10.	,,	77	उतरदा	1
11.	,,	78	वाघा	1
12.	,,	83	मारखाई	1
13.	,,	11	मैदाचोली	2
14.	,,	86	बारखान	2
15.	,,	13	गंगरोली	2
16.	,,	76	धानोदा	2
17.	भरतपुर	31	कुम्पा	6
18.	,,	262	इकता	4
19.	,,	204	मादारपुर	3
20.	,,	289	डाजपुरा	1
21.	,,	118	सिही	1
22.	,,	26	साजीला	1
23.	,,	51	भाण्ट्यान जादिद	1
24.	,,	41	महावर	1
25.	बयाना	155	धुरेरी	3
26.	,,	43	सिवला	2
27.	,,	78	मुरकी	1
28.	,,	64	हानसी	2
29.	,,	52	सुरंदा	2
30.	,,	39	नागला बोवेहरा	2
31.	,,	19	भदामपुर	1

1	2	3	4	5
32.	बयाना	94	कोसोटी खोरा	1
33.	,,	6	मानेरापुरा घालू	2
34.	,,	38	नागला दरवेश	3
35.	,,	43	भानोरा	1
36.	,,	54	सहादपुरा	1
37.	धौलपुर	9	नागला राजा	2
38.	,,	30	सरखाना	1
39.	,,	85	उपरारा	3
40.	,,	39	राजपुरा	1
41.	,,	45	कोलवा	1
42.	,,	47	इदलपुर	1
43.	राजा खेरा	64	लाल पुर	1
44.	,,	60	करका बारली	3
45.	नदबई	64	बदवारी खुर्द	3
46.	,,	65	बदवारी कलां	3
47.	,,	74	टलछैरा	1
48.	,,	109	पारसवारा	1
49.	,,	112	जां तिपुरा	2
50.	,,	60	पाहरसर	6
51.	,,	72	पीपरान	1
52.	,,	7	मांकी	4
53.	,,	67	गुडवाली	4
54.	भरतपुर	218	दारंगारपुर	3
55.	,,	242	बंशी बारना	3
56.	,,	85	काचोरा	1
57.	,,	41	मिल्कपुरा	5
58.	बयाना	33	नागला तुला	2
59.	,,	147	डांघरन	3
60.	,,	73	सोगा	1
61.	रुपवास	45	कुदरे	2
62.	धौलपुर	174	फरकपुर	1
63.	,,	179	बाईमाख	1
64.	,,	174	बाईसेना	1
65.	,,	43	कुम्हेरी	1
66.	नगर	119	तहुन	1
67.	,,	161	पालका	1
68.	,,	163	मारघर	1
69.	,,	3	भरतपुर	1
70.	,,	5	रायपुर खुर्द	1
71.	डीग	50	काकरा	1
72.	,,	48	पालरा	1

1	2	3	4	5
73.	डीग	47	हिंगोटा	1
74.	,,	46	गांधी भोवेट	1
75.	,,	45	टोडा	1
76.	नदबई	18	बरवाया	1
77.	नागर	116	चक बुलहा	1
78.	,,	117	मोरगवान	2
79.	,,	88	सोहलपुर पाटी	2
80.	,,	36	छोरावाल गूजर	2
81.	,,	39	जगरखा	1
82.	,,	38	राजकी (एन एस)	1
		राज की (एन एस)		
83.	,,	35	बधका	2
84.	,,	66	मान	1
85.	नदबई	54	ककाई	12
86.	,,	84	अरोदो	6
87.	,,	85	भीलपथ	2
88.	,,	81	पीलो	3
89.	,,	87	चैनपुरा	2
90.	,,	42	कातरा	7
91.	,,	3	र्हनिजा	6
92.	,,	85	मीखरी	3
93.	,,	33	कारोली	2
94.	,,	32	नयावास	4
95.	,,	24	इसापुर	1
96.	,,	63	मोसिगा	5
97.	,,	69	सामई	5
98.	डीग	49	नीगोई	5
99.	,,	3	चुलहेरा	4
100.	,,	31	मोहम्मदपुरा	2
101.	,,	26	रूदसा	2
102.	,,	25	हायतपुर	2
103.	,,	32	खोरिया गुजर	1
104.	भरतपुर	70	बीलोट	7
105.	,,	86	सागर	6
106.	,,	90	डहरा	8
107.	,,	102	अजान	4
108.	,,	231	बछमदा	8
109.	,,	139	बार्बन	4
110.	,,	252	बहनेरा	7
111.	,,	159	कासोता	4

152

1	2	3	4	5
112	भरतपुर	241	खेमरा	4
113	,,	224	चक उदंरा	2
114	,,	240	ग्रोयानी	2
115	,,	223	टेंही	3
116	,,	217	घोमासयारी	4
117	,,	82	नागनवा	4
118	,,	175	बंशी कलान	4
119	,,	128	बंशी खुर्द	4
120	,,	233	जाटोली थाना	5
121	,,	236	गासोला	5
122	,,	10	गाघोली	4
123	,,	23	टाखा	7
124	,,	25	ग्रबहोरा	4
125	,,	55	धनवारा	5
126	,,	148	नगला जोधासिंह	2
127	,,	92	बालारा खुर्द	2
128	,,	95	बालारा कलां	2
129	,,	190	चक बाघर	1
130	,,	60	सुरोता	2
131	बैर	71	पाली	3
132	,,	76	नोधीया गुजर	2
133	,,	75	बैरा	2
134	,,	73	नरवारा	2
135	,,	60	इटमदा	10
136	,,	52	सेघली	4
137	,,	110	मजाजपुरा	3
138	,,	107	माइनापुर	5
139	,,	82	बंदर	12
140	,,	37	चातोली	14
141	,,	79	हातिनभार	5
142	,,	30	सरसायना	9
143	,,	18	छांकरवाडा कलां	11
144	,,	38	अतरामपुरा	2
145	,,	41	वछरेन	8
146	,,	28	मूतोलर	7
147	,,	84	खरनी गुजर	6
148	,,	24	नडवारा	8
149	,,	1	समतपुर	2
150	,,	45	बुर्ज	2
151	,,	104	सहजाद पुरा	2
152	,,	54	नया गांव खालसा	3

1	2	3	4	5
153.	बैर	44	दीवाली	6
154.	,,	63	दयापुर	2
155.	,,	19	गाजीपुरा	2
156.	,,	25	बिलवारी	4
157.	,,	83	चक खैरली गूजर	4
158.	,,	80	घरसोनी	4
159.	,,	122	चक घरसोनी	4
160.	,,	85	बारा खुर्द	2
161.	,,	33	झाला टाला	4
162.	,,	86	रीहीमगढ़	3
163.	,,	89	नावर	4
164.	,,	90	मेकरोली	2
165.	,,	138	जिसवाद	4
166.	,,	65	ताजपुर	2
167.	,,	87	गगरोली	2
168.	,,	68	नागला वास	2
169.	,,	88	हिंतामदा	3
170.	,,	77	पालोता मोदिया	7
171.	,,	103	सिलेमपुर कलां	12
172.	,,	34	देह गांव	7
173.	,,	96	जम्पुरा मारोली	6
174.	,,	115	सिगारा	2
175.	,,	50	सहजावाद	6
176.	,,	5	संखपुर	2
177.	रूपवास	33	पीचहीन	1
178.	,,	2	साहना	5
179.	,,	75	नीवहेरा	5
180.	,,	80	नादहापुरा	1
181.	,,	86	घूरभाया	10
182.	,,	91	दहगाथापुर	2
183.	,,	16	अधेहरी	2
184.	,,	17	बासरु	2
185.	,,	41	पीपरोन	5
186.	,,	5	मोराक	4
187.	,,	24	नदहारा	3
188.	बारी	123	शमना नागर	1
189.	,,	28	निगराई	3
190.	धौलपुर	74	करीमपुर	3
191.	,,	32	पीपराखा	5
192.	,,	46	बोरोधा	5
193.	,,	81	नालगला भादागीया	2

154

1	2	3	4	5
194.	धौलपुर	192	सारानी	1
195.	,,	118	शाहपुरा	7
196.	,,	164	शादीपुर	2
197.	,,	175	कसीमपुर	1
198.	,,	53	मुसलपुर	5
199.	,,	80	झांकी	3
200.	,,	218	सुन्दरपुर	2
201.	,,	84	बाडरीका	4
202.	राजा खेरा	30	मारीना	5
203.	,,	28	हाथवारी	2
204.	,,	11	वाजीना	9
205.	,,	12	सोलावत	7
206.	,,	1	गांधीडो	9
207.	,,	33	सेदपुर	4
208.	,,	6	सोकरोडा	4
209.	,,	17	देव खंहुरी	2
210.	,,	23	सिमाली	2
211.	,,	25	खानपुरा	4
212.	,,	26	मीठावाली	4
213.	,,	7	सिगवाली	1
214.	,,	43	सीमायूना	1
215.	भरतपुर	224	बारा	4

155

प्रपत्र 'ब'

जिला भरतपुर

बंद हैण्ड पम्पों की सूची

क्रम. संख्या	तहसील का नाम	गांव का नाम	हैण्ड पम्प की संख्या
1	2	3	4
1.	रुपवास	सहना	1
2.	वैर	कमालपुर	1
3.	वैर	जगजीवनपुर	1
4.	भरतपुर	सोगर	6
5.	भरतपुर	हहरा	3
6.	भरतपुर	बाबेन	2
7.	भरतपुर	बछामदी	3
8.	भरतपुर	धासोला	5
9.	भरतपुर	माडोली	2
10.	वैर	छोकरवाडा	1
11.	वैर	हिसामदा	1
12.	भरतपुर	मडरपुर	1
13.	नगर	गेजिकी	1
14.	वैर	दीवली	1
15.	वैर	रायपुर	1
16.	राजा खेड़ा	सिकरोदा	1
17.	राजाखेड़ा	सिधांवली	1
18.	राजा खेड़ा	वाझेना	1
19.	राजाखेड़ा	भरेना	1
20.	राजाखेड़ा	देवखेरा	1
21.	धौलपुर	करीमपुर	1
22.	धौलपुर	विरोठा	1
23.	धौलपुर	मादिमपुर	1
24.	धौलपुर	कुम्हेरी	1
25.	बाडी	सिगरोई	1
26.	बाडी	मुरखी	1
27.	बाडी	पिपरोन	1
28.	बाडी	नोनेरा पृथ्वी सिंह	1
29.	बाडी	राजा का नगला	1
		कुल योग	44

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 108 की सूची

प्रपत्र "अ"

विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत वर्ष, 1981-82 में अनुमोदित चयन सूची में नागौर निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामों के नाम

तहसील—नागौर :

क्र. सं.	ग्राम का नाम
1.	सिनोड
2.	गुडला
3.	आछीना
4.	बामनियालोद
5.	जोरावरपुरा
6.	अहमदपुरा
7.	खटोड
8.	सांतिका कालनी
9.	काटिया

प्रपत्र "ब"

(क) नागौर तहसील के ग्रामों की सूची जिनमें हैण्ड पम्प माह अगस्त 1981, तक लगा दिये गये हैं

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	जनसंख्या	हैण्ड पम्पों की संख्या
1.	नागड़ी	69	1426	8
2.	धारनावास	151	626	5
3.	टाडास	150	555	5
4.	बेरावास	149	409	4
5.	लालावास	70	635	4
6.	खोडवा	148	622	4
7.	बेराथल कलां	58	1262	4
8.	साडोकन	125	790	6
9.	खुन्डाला	68	750	2
10.	खुडखुडाखुर्द	185	556	3
11.	बुनरावता	196	993	6
12.	जुजन्डा	186	1290	7
13.	थिरोद	170	810	4
14.	पालड़ी पिचियाक	188	430	2
			योग..	64

(ख) वर्ष 1981-82 में हैण्ड-पम्प लगाये जाने वाले शेष ग्रामों की सूची:—

1	2	3	4	5
1.	नागड़ी	69	1426	4
2.	लालावास	70	635	2
3.	खोडवा	148	622	2
4.	बैरायलकलां	58	1262	4
5.	खुन्डाला	68	750	4
6.	थिगोद	170	810	1
7.	पालड़ी पिचियक	188	430	1
8.	भ्रमरपुरा	127	497	3
9.	गंगवाना	123	737	6
10.	मिलगांव	156	1254	8
11.	सारासन	120	511	3
12.	भटनोखा	199	972	8
13.	पारासरा	160	410	3
14.	घुधोयारा खुर्द	211	453	4
15.	गौथरा	191	625	6
16.	सेवड़ी	30	1082	7
17.	गांरेरा	38	811	5
18.	जोधियासी	102	1036	6
19.	मान्डेली	101	695	4
20.	भाकरोद	143	1246	8
21.	बैरायलखुद	59	539	4
22.	सिनोद	142	1195	7
23.	गुडला	91	395	2
24.	जाछीना	14	1387	8
25.	खेतला	121	354	2
26.	खरनाल	158	657	3
27.	जोरावरपुरा	147	385	2
28.	अहमदपुरा	144	525	3
29.	खहाड	9	852	5
30.	सातिका सालनी	10	575	3
			योग ..	128

वर्ष 1981-82 में तहसील, जालोर में [illegible] ग्रामों की सूची:—

क्र. संख्या	ग्राम का नाम	कोड नं.	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	सिनोद	142	1195
2.	बापोद	140	347
3.	गुडला	91	395
4.	अचीना	14	1387
5.	हिन्गोनिया	103	370
6.	कादरपुरा	139	254
7.	सुरजानियावास	122	342
8.	खेतोलाव	121	354
9.	वायनियाला	6	395
10.	गोवाखुर्द	132	385
11.	खरनाल	158	657
12.	चिमरानी	138	316
13.	पंरावा	104	295
14.	जोरावरपुरा	147	385
15.	अहमदपुरा	144	525
16.	खटोडा	9	852
17.	साटिका कलाँ	10	575
18.	देऊ	5	1760
19.	गवालु	197	1840
20.	निम्बोला	16	499
21.	नेनाऊ	18	488
22.	गलनी	19	240
23.	सुखवासी	50	530
24.	खारीकरमसोता	51	857
25.	रायथनू	52	1037
26.	अठोआसन	131	332
27.	बांसडा	130	323
28.	हिलोडी	200	543
29.	बांकडाई	201	695
30.	दियावडी	202	444
31.	असावरी	204	1494
32.	काढिया	61	1671
33.	टांकला	74	1716
34.	आंकला हमीराना	73	1664
35.	जनाणा	195	1641
36.	भेड़	57	1696
37.	चाऊ	37	1575
38.	डेहरू	146	1165
39.	भावन्डा	154	1551
40.	लालाप	155	965
41.	गुडीया	72	352

1	2	3	4
42.	बुकरीमसीला	28	477
43.	चीली	29	480
44.	पीपासर	31	753
45.	विरमासर	32	243
46.	लाडिया	33	450
47.	नन्दवानी	53	570
48.	पोटालिया मौजरा	54	682
49.	गोधन	55	414
50.	महेशपुरा	60	185
51.	कांटिया	61	1637
52.	बीगसरा	75	380
53.	बुडी	76	615
54.	खतास	99	250
55.	मालगांव	115	2244
56.	हुरीमा	118	446
57.	जिन्दास	117	97
58.	बीढवाल	171	413
59.	मुन्दीयार	173	1324
60.	इटवा	21	528
61.	थलाजू	22	438
62.	चुटीसरा	94	886
63.	भोजावास	109	283

नागौर तहसील में वर्ष, 1981-82 में जलप्रदाय योजनाओं से लाभान्वित किये जाने वाले

गांवों की [illegible] सूची:—

क्र. सं. 1	ग्राम का नाम 2	कोड नं. 3	जनसंख्या 4	योजनाओं का नाम 5
1.	पांचला सिद्धा	13	3863	पी. एण्ड. टी. जल योजना पांचला सिद्धा।
2.	घोड़ारण	40	970	क्षेत्रीय ज. प्र. यो., अलाय, उंठवालिया
3.	मून्डासर	41	57	"
4.	सिगड़	49	1281	" थलाय, मदवासी
5.	पिरोव	170	810	हैंड पम्प योजना
6.	सुन्डाला	60	750	"
7.	भूखंडा	168	1210	"

1	2	3	4	5
8.	पालड़ी पिचियाक	158	430	हैण्डपम्प योजना
9.	नागड़ो	69	1426	"
10.	खोडवा	143	682	"
11.	बेरावास	140	409	"
12.	लालावास	70	675	"
13.	धारनावास	151	686	"
14.	टाडास	150	555	"
15.	बेनायल कलां	58	1262	"
16.	साडोकन	125	790	"
17.	अमरपुरा	127	497	"
18.	गगवाना	123	737	"
19.	सीलगांव	156	1254	"
20.	सातलनी	120	511	"
21.	मटनाखा	199	9?2	"
22.	परासरा	160	419	"
23.	घूंघीयारा खुर्द	211	453	"
24.	गोधरा	191	625	"
25.	सेवड़ो	30	1082	"
26.	गोरेगा	38	811	"
27.	जोधियासी	102	1036	"
28.	मानड़लो	101	695	"
29.	माकरोद	143	1246	"
30.	बेरायल खुर्द	59	539	"
31.	कुरवों	66	2437	पम्प एण्ड टैंक योजना
32.	खजवाना	210	2941	"
33.	त्रिलोका	11	3865	"
34.	माडपुरा	15	2765	"
35.	सिनोड	142	1195	हैण्ड पम्प योजना
36.	गुडला	191	395	"
37.	श्राठीना	14	1387	"
38.	खर्तोला	121	354	"
39.	खरनाल	158	657	"
40.	जोरावरपुरा	147	385	"
41.	अहमदपुरा	144	525	"
42.	खटोड	9	852	"
43.	खातिका कालनी	10	575	"

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के नाम व लागत

जिला बाड़मेर

वर्ष 1981-82 में आईडेन्टीफाईड क्षेत्रीय नल योजनाओं का विवरण—

तहसील	योजना का नाम	अनुमानित लागत लाखों में
(ए) शिव	1. शास्त्री गांव-वाबर (प्रथम चरण)	12.03
	2. वेलवा-रेदीर्न (प्रथम चरण)	19.10
	3. घिनघिनयाली-डानरियाड़ (प्रथम चरण)	20 00
	4. रोजील-कालीजाल (प्रथम चरण)	13.72
	5. बेरियोड़ी-धारी (प्रथम चरण)	4.95
	कुल संख्या—5 लागत ..	69.80
(बी) सिवाना	1. वासीन-मजल (विस्तार)	5.14
	2. देवलियाली-जीयातरी	14.25
	3. वामसीन-लालना (प्रथम चरण)	8.95
	4. सेला-घेरन (प्रथम चरण)	17.90
	कुल संख्या—4 लागत ..	46.24
(सी) पचपदरा	1. झुमली-झील (प्रथम चरण)	25.74
	2. वीधरंजा-निवाई (प्रथम चरण)	9.29
	3. वाकीयावास-चाचलाई (प्रथम चरण)	17.39
	4. वालोतरा-बगुदी-दूदीवा (प्रथम चरण)	15.99
	5. ओमली-रूदड़ा (प्रथम चरण)	25.04
	6. बागावास-बांप (प्रथम चरण)	26.87
	कुल संख्या—6 लागत ..	120.32
(डी) चोहटन	1. कारना-रेदूसन	43.20
	2. सेरन-गंगसन	47.03
	3. कितनोरिया-बाडमेर	44.74
	4. स्वरुप-का तला-सेमल का तला (प्रथम चरण)	14.00

1	2	3
(डी) चोहटन (क्रमशः)	5. सुरों का तला	16.21
	6. सिहानिया-नावातला बांवासन (प्रथम चरण)	20.08
	7. नवातला-जेठमल कुमारी का तला (प्रथम चरण)	29.16
	8. धागे-बाजासन (प्रथम चरण)	30.45
	9. सेखा-रोपे (प्रथम चरण)	8.31
	कुल संख्या—9 लागत..	253.18
(ई) बाड़मेर	1. रानी गांव-हाथी तला	49.25
	2. रानी गांव-सांवड	86.97
	3. धोरीमन्ना-उदासर	75.98
	4. धोरी मना-धूधू	32.95
	5. कोजा-कबूली	45.63
	6. भाखरपुर-झूड़ी	18.22
	7. (विस्तार) गिरवखाडिया	2.95
	8. रूना-भेदाना (प्रथम चरण)	45.24
	9. मथीरा-दांदली (प्रथम चरण)	29.91
	10. सवाई पदम सिंह–उत्तरानी (प्रथम चरण)	59.01
	11. कानोद (प्रथम चरण)	2.28
	12. गिराब साउथ-भूटिया (प्रथम चरण)	30.77
	कुल संख्या. 12 लागत ..	479.16

पुर्नवास विभाग के बजट द्वारा स्वीकृत क्षेत्रीय योजनाएः—

	1. निमकला-कोटडा	10.80
	2. गड़रा-मेडूसर बूढिया-जैसिन्धर	26.90
	कुल संख्या—2 लागत..	37.70

जिला जैसलमेर

तहसील वाईज अनुमोदित आइडेन्टिफाईड क्षेत्रीय योजनाओं का विवरण:-

तहसील पोकरण : योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)
1. भांकरा-बारली	25.08
2. अंजासर-बरदाना	20.00
3. सन्वाड़-टूदिया (विस्तार योजना)	5.55
कुल संख्या—3 लागत ..	50.68

तहसील-जैसलमेर :

1. जीरत-हमीरा	20.27
2. जावंदी-मैवा	8.61
3. सोनू-रामगढ़ (विस्तार)	4.68
4. डावला-सोनू (विस्तार)	8.69
5. रामा-छतनगढ़	21.50
6. बिदासन-खुरी (विस्तार)	28.85
7. कोरिया	10.25
8. सांगड-वेलक	9.80
9. कोता-पीठाल (विस्तार)	8.39
10. कीता-गोथीली	13.25
11. जेठा-सांगर	2.75
12. वेहिलानी-भाक्रन	7.50
13. मियजलर-फोलिया	21.68
14. मियालर-पोचीना	14.50
15. परबाड चौधरिया	15.50
कुल संख्या—15 लागत ..	196.22

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 110 की जानकारी

सीकर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1981-82 में अनुमोदित आइडेन्टीफाइड ग्रामों की सूची जिनमें से स्वीकृति हेतु ग्रामों का चयन किया जाना है—

क्रम संख्या	गांव का नाम	कोड संख्या	जन संख्या 1971	योजना का प्रकार	लागत (लाखों में)
1	चांदपुरा	61	1,255	हैण्ड-पम्प/ पारस्परिक स्त्रोत योजना	2.00
2	चैनपुरा	129	1,203	"	2.00
3	ढाणी सलीमसिंह	60	252	"	0.50

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 112 की सूची

विभिन्न जिलों से अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर फसल की स्थिति

पूर्ण फसल नष्ट हुई :

1. जोधपुर
2. पाली
3. जालोर
4. अजमेर
5. जैसलमेर

50 प्रतिशत खराब फसल

6. बाड़मेर
7. नागौर
8. चूरू
9. भीलवाड़ा
10. सवाई माधोपुर
11. बीकानेर
12. झुन्झुनू
13. भरतपुर
14. झालावाड़
15. चित्तौड़गढ़
16. उदयपुर

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 113 की सूची

बीकानेर डिवीजन में वर्ष, 1980-81 में बिजली के खम्भे व तार टूटने से हुई दुर्घटनाओं की सूची

क्रम संख्या	तहसील का नाम	प्रभावित व्यक्तियों/पशुओं की संख्या		घायल अथवा मृत्यु
		व्यक्ति	पशु	
1.	बीकानेर	—	एक (गाय)	मृत्यु
2.	बीकानेर	एक	—	घायल
3.	कोलायत	एक	—	मृत्यु

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 123 की सूची

1981-82 में कोटा जिले में स्वीकृत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

प्राथमिक विद्यालय	पंचायत समिति	उच्च प्राथमिक विद्यालय	पंचायत समिति
1. गंगायची	लाडपुरा	1. गिरधारीपुरा	लाडपुरा
2. माधोपुर	सांगोद	2. जाखोड़ा	लाडपुरा
3. धूलेट (कन्या)	सांगोद	3. आर्वला	सांगोद
		4. हरिपुरा	सांगोद
		5. दादाबाड़ी (कन्या)	कोटा
		6. कोटा (कन्या)	कोटा

सन् 1981-82 में कोटा जिले में स्वीकृत विषय वर्ग की सूची

विद्यालय का नाम	विषय
1. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अन्ता	उर्दू
2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कस्बा थाना	कृषि वर्ग

परिशिष्ट

अतारांकित प्रश्न संख्या 124 का ब्यौरा

नागौर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के उच्च माध्यमिक माध्यमिक एवं उच्च

क्र.सं.	ग्राम/शहर का नाम	शिक्षण संस्था का नाम	छात्रों की कक्षावार छात्र संख्या सत्र 1980-81				
1	2	3	4	5	6	7	8
उच्च माध्यमिक :							
1.	नागौर	उच्च माध्यमिक विद्यालय	62	62	82	473	411
2.	खींवसर	,,	48	62	56	75	85
माध्यमिक :							
3.	नागौर	माध्यमिक विद्यालय	123	123	84	110	40
4.	अलाय	,, ,,	49	37	32	43	30
5.	गुढाभगवानदास	,, ,,	42	37	23	18	23
6.	गोगेलाव	,, ,,	37	23	14	35	13
7.	चावण्डिया	,, ,,	31	27	12	25	20
8.	पांचलासिद्धा	,, ,,	49	26	29	34	17
9.	श्री बालाजी (मर्ग ग)	,, ,,	47	49	26	25	33

(169)

11

124 का ब्यौरा

प्राथमिक विद्यालय तथा विद्यालयों में सत्र 1980-81 व 1981-82 की कक्षावार छात्र संख्या

		सत्र 1981-82						
9	योग	10	11	12	13	14	15	योग
443	1534	74	70	118	475	334	519	1590
26	352	84	47	65	139	76	46	437
—	480	123	99	89	89	36	—	436
—	191	78	38	41	38	27	—	222
—	143	50	38	30	16	18	—	152
—	112	37	26	20	13	17	—	113
—	115	45	24	26	22	14	—	131
—	155	52	35	27	38	24	—	176
—	180	57	40	35	21	32	—	185

ह./-
जिला शिक्षा अधिकारी
(छात्र संस्थाएं), नागौर ।

क्र.सं.	ग्राम/शहर का नाम	शिक्षण संस्था का नाम	छात्रों की कक्षावार छात्र संख्या सत्र 1980-81					
			प्र.ई.	3	4	5	6	7
	उच्च प्राथमिक							
1.	ऊंटवालिया	उच्च प्राथमिक वि.	69	11	16	12	35	23
2.	कुरुन	,, ,,	56	12	16	16	14	10
3.	कुड़छी	,, ,,	92	12	28	9	14	10
4.	देऊ	,, ,,	84	12	05	07	13	13
5.	नारवां कलां	,, ,,	77	25	26	15	31	31
6.	नागौर	उ.प्रा.वि. सं. 2 ,,	113	69	46	94	117	123
7.	नागौर	उ.प्रा.वि. सं. 3 ,,	92	19	22	17	32	11
8.	नागौर	उ.प्रा.वि. सं. 4 ,,	76	33	29	39	86	88
9.	नागौर	उ.प्रा.वि. सं. 5 ,,	72	30	29	35	43	34
10.	पांचोड़ी	,, ,,	90	35	17	13	13	13
11.	विरलोका	,, ,,	57	18	25	20	19	33
12.	बैरावलकलां	,, ,,	67	09	16	20	27	17
13.	मदवासी	,, ,,	49	15	14	25	21	20
14.	भिवण्डा	,, ,,	104	84	22	17	22	20
15.	निम्बोला-मूण्डेल	,, ,,	47	11	06	03	17	07
16.	माडपुरा	,, ,,	43	16	09	06	10	08
17.	सेथरण	,, ,,	43	15	18	08	14	09

सत्र 1981-82

8	योग	प्र.ई.	8	9	10	11	12	13	योग
20	186	49	10	16	12	33	28	20	178
5	135	55	20	15	14	22	12	10	148
7	172	69	16	24	21	20	10	12	172
—	134	51	25	11	05	11	13	12	128
17	232	73	29	25	26	25	22	28	228
72	634	140	41	72	62	199	94	117	725
12	205	77	24	28	20	42	18	10	229
65	416	60	30	35	30	93	91	79	418
29	272	88	41	44	38	61	38	36	346
17	198	71	31	29	12	09	13	12	177
24	196	77	30	14	22	30	14	24	211
12	168	60	30	10	20	22	15	18	175
15	159	55	14	16	15	31	15	19	165
23	232	96	32	22	17	21	19	14	221
11	102	40	22	11	05	12	13	07	110
09	102	28	17	11	09	08	08	07	88
08	115	42	16	15	18	15	14	09	129

ह./-
जिला शिक्षा अधिकारी
(छात्र संस्थाएं) नागौर।

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 125 के आदेशों की प्रति

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

संख्या एफ. 2 (10) सा प्र 11 74. जयपुर, 19 जून, 1975

परिपत्र

तेरहवें वरिष्ठ अधिकारीगण सम्मेलन, 1972 की सिफारिश संख्या 1 (15) की अनुपालना में यह निर्देश दिये जाते हैं कि जहां भी किसी लिपिक को एक ही पद/प्रभार पर कार्य करते हुए तीन वर्ष या उससे अधिक हो गया हो, संबंधित लिपिक को दूसरा पद/प्रभार देने का प्रबन्ध करें और भविष्य में भी अपने अधीनस्थ कार्यालयों में इस नियम की पालना करवाने का प्रबन्ध करें।

ह.
(विजय वर्मा)
उप-शासन सचिव ।

राजस्थान सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
कार्मिक 'क' (अनुभाग-5)

संख्या एफ. 14 (84) कार्मिक/क-5/77 जयपुर, अक्टूबर 7, 1977

आज्ञा

विषय : लिपिकों को एक ही पद/प्रभार पर तीन वर्ष से अधिक समय तक नहीं रखे जाने के संबंध में।

मंत्रालयिक कर्मचारी एक ही कार्य पर लम्बी अवधि तक कार्य करते रहते हैं जिसके फलस्वरूप दूसरे कर्मचारियों को उस कार्य का ज्ञान नहीं हो पाता है तथा तथाकथित विशेषज्ञों के छुट्टी आदि पर रहने के कारण राज्य कार्य में विघ्न पड़ता है। मंत्रालयिक कर्मचारियों के एक ही पद/प्रभार पर लम्बी अवधि तक कार्य करते रहने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई विशेषज्ञ-प्रवृत्ति तथा उसके दुष्प्रभावों को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं. एफ 2 (10) सामान्य प्रशासन/11(74), दिनांक 19-6-1975 द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये थे कि किसी लिपिक को एक ही पद/प्रभार पर कार्य करते हुए तीन वर्ष अथवा उससे अधिक होने पर उसे दूसरे पद/प्रभार दिये जाने की व्यवस्था की जावे।

राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि उक्त नीति निर्देश की पालना नहीं की जा रही है। मंत्रालयिक कर्मचारियों को एक ही कार्य पर लम्बी अवधि तक कार्य करते रहने देने के कारण दूसरे कर्मचारियों को उसके कार्य का ज्ञान नहीं हो पाता है तथा उस कर्मचारी में उस कार्य में विशेषज्ञ होने की प्रवृत्ति हो जाती है।

अतः अनुरोध है कि लिपिक वर्ग को एक ही पद/प्रभार पर तीन वर्ष की अवधि से अधिक समय तक कार्यरत न रखते हुए जहां तक सम्भव हो उन्हें उसी कार्यालय अथवा विभाग के उसी स्थान पर स्थित अन्य कार्यालय में अन्य पद/प्रभार पर बदलने रहने की व्यवस्था की जावे।

आज्ञा से,
ह.
(बी. एस. नेपालिया)
उप शासन सचिव